विषय–सूची

	पृष्ठ संख्या
संदर्भ सूचना	02
निदेशक बोर्ड	03
वरिष्ठ अधिकारी	04
गत पांच वर्षों की वित्तीय प्रस्थिति	06
अध्यक्ष का संदेश	07
वार्षिक साधारण बैठक के लिए सूचना	11
निदेशक की रिपोर्ट और उसके उपाबंध	15
• प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (उपाबंध–क)	32
• निगम शासन पर रिपोर्ट (उपाबंध–ख)	39
• निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट (उपाबंध–ग)	60
• कंपनी द्वारा नातेदार पक्षकारों के साथ की गई संविदाओं/ठहराव की विशिष्टियों का प्रकटन–प्ररूप एओसी–2 (उपाबंध–घ)	64
• सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट (प्रारूप सं. एमआर 3) और लेखापरीक्षकों के पर्यवेक्षण पर कंपनी का प्रत्युत्तर	65
वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर कंपनी का प्रत्युत्तर	91
वित्तीय वर्ष 2023–24 के वित्तीय विवरण	128
भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां	179

संदर्भ सूचना

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय

कोर 3, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7 लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
फोन : 91–11–24361666
ई–मेलः epico@epi.gov.in
वेबसाइटः www.epi.gov.in

क्षेत्रीय कार्यालय

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय–कोलकाता
ईसी–121, सेक्टर–1, साल्ट लेक सिटी,
कोलकाता–700064
फोन : 033) 40690059, (033) 40064469
ई–मेलः ero@epi.gov.in

पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय–मुंबई

'बख्तावर', 6ए, 6वीं मंजिल,
नरीमन पॉइंट, मुंबई– 400021
फोनः 91–22–22027585, 91–22–22028008
ई–मेलः wromumbai@epi.gov.in

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय–दिल्ली

कोर–3, 5वीं मंजिल, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7 लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
फोनः 91–11–24361666
ई–मेलः nro@epi.gov.in

दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय–चेन्नई

3डी, ईस्ट कोस्ट चौम्बर्स,
92, जी.एन. चेट्टी रोड,
टी. नगर, चेन्नई –600017
फोनः 91. 44.28156293, 28156421
ई–मेलः sro@epi.gov.in

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय

चौथी मंजिल हिंदुस्तान टावर, जवाहर नगर,
राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 37, बेलटोला
गुवाहाटी –781022 (असम)
फोनः 0361.2962648
ई–मेलः nero@epi.gov.in

परियोजना कार्यालय

पीसीओ– हैदराबाद कार्यालय

फ्लैट सं. 308, सत्य साई अपार्टमेंट,
श्रीनिवास नगर (पूर्व), मेट्रो पिलर सं. ए1040,
अमीरपेट, हैदराबाद– 500038, तेलंगाना
ई–मेलः epil.pcohyd@epi.gov.in

पीसीओ–भुवनेश्वर कार्यालय

द्वितीय तल, खाता सं.– 081, प्लॉट सं–471,
जीए प्लॉट नंबर–108, सूर्य नगर,
यूनिट–07, भुवनेश्वर–751003,
खोरधा, ओडिशा
ई–मेलः rk.singh@epi.gov.in

विदेश में कार्यालय

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड–ओमान

पोस्ट बॉक्स नंबर 3251
पोस्टल कोड 112 रूवी
ओमान सल्तनत
ई–मेलः nk.verma@epi.gov.in

लेखा परीक्षकः

सांविधिक लेखा परीक्षक

वीएसडी एंड एसोसिएट्स

डीडी–34, बेसमेंट कालकाजी
नई दिल्ली –110019

शाखा लेखा परीक्षक

उत्तरी क्षेत्र शाखा लेखा परीक्षक

मैसर्स भुडलाडिया एंड कंपनी,
12/10, ईस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली–110008

पूर्वी क्षेत्र एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र शाखा लेखा परीक्षक

मैसर्स ए.आर. दास एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
37/बी/6 झील रोड, कोलकाता–700031

पश्चिमी क्षेत्र शाखा लेखा परीक्षक

मैसर्स निमेश मेहता एंड एसोसिएट्स
एक्सप्रेस जोन स्यूट सं. 612
छठा तल, ए विंग, वेर्स्टन एक्सप्रेस हाइवे
मलाड (पूर्वी), मुंबई–400097

दक्षिणी क्षेत्र शाखा लेखा परीक्षक

मैसर्स गोपाल एंड कंपनी (एमडी1073)
जमाल फजल चैम्बर्स
3 ई, तृतीय तल, न्यू नं. 26,
ओल्ड नं. 53 ग्रीम्स रोड,
थाउजेंड लाइट, चेन्नई–600006

विदेशी शाखा लेखा परीक्षक

श्रीलंका शाखा लेखा परीक्षक

मैसर्स एसीसीफर्स्ट पार्टनर्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
नंबर 787एफ, एम डी एच जयवर्धना मेगावाट,
मदीनागोडा, राजगिरिया, कोलंबो, श्रीलंका

ओमान शाखा लेखा परीक्षक

मैसर्स एमएचएमवाई ऑडिटर्स
पी.ओ. बॉक्सः 385, जिबरू, पी.सी.:114,
मस्कट, ओमान सल्तनत

म्यांमार शाखा लेखा परीक्षक

मैसर्स डाव कल्यार विन, म्यांमार
कमरा नंबर 3ए, नंबर 20, बावगाथिकडी स्ट्रीट,
वार्ड 2, मायागोन टाउनशिप,
यांगून, म्यांमार

लागत लेखा परीक्षक

मैसर्स अनुज कुमार एंड कंपनी,
सी–IIè183ए, न्यू अशोक नगर,
एमसीडी प्राइमरी स्कूल के निकट,
दिल्ली–110096

सचिवीय लेखा परीक्षक

मैसर्स एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
कंपनी सचिव
एमएनके हाउस, 9ए/9–10, बेसमेंट,
ईस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली–110008

मुख्य बैंकर

ऐक्सिस बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
केनरा बैंक
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी)
इंडसइंड बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

निदेशक बोर्ड

(एजीएम की तारीख के अनुसार)

श्री शिवेन्द्र नाथ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री दिबेंदु दास
निदेशक (वित्त)

श्री सुनील दहिया
निदेशक (परियोजनाएं)

श्री राजेश कुमार
अंशकालिक शासकीय निदेशक

डॉ. रेणुका मिश्रा
अंशकालिक शासकीय निदेशक

श्रीमती आकांक्षा पारे
अंशकालिक गैर–शासकीय निदेशक

श्री विनोद कुमार यादव
अंशकालिक गैर–शासकीय निदेशक

श्री अशोक शंकरराव मेंढे
अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक

वरिष्ठ कार्यपालक

(एजीएम की तारीख के अनुसार)

रिक्त

मुख्य सतर्कता अधिकारी

(सीवीओ)

श्री नितेश कुमार गोयल

कंपनी सचिव

श्री विश्वजीत विश्वास

कार्यकारी निदेशक

(उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली)

श्रीमती गीता आर कृष्णन

कार्यकारी निदेशक

(योजना एवं अनुवेक्षण)

श्री शमशेर सिंह

कार्यकारी निदेशक

(व्यापार विकास एवं अभियांत्रिकी)

श्री रत्नेश जैन

कार्यकारी निदेशक (संविदा)

श्री समिक मिस्त्री

कार्यकारी निदेशक

(उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी)

श्रीमती ए भौमिक

समूह महाप्रबंधक

(अभियांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी)

श्री संजय गोयल
समूह महाप्रबंधक
(दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई)

श्री नवीन कुमार वर्मा
समूह महाप्रबंधक
(ओमान परियोजना)

श्री शम्सुल हसन
समूह महाप्रबंधक
(संविदा एवं राजभाषा)

श्री शमीम अहमद
समूह महाप्रबंधक
(पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता)

श्री ए. के. पात्रा
समूह महाप्रबंधक
(व्यापार विकास)

श्री गौरव मनचंदा
समूह महाप्रबंधक
(पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई)

श्री राजेश कुमार सिंह
महाप्रबंधक
(पीसीओ, भुवनेश्वर)

श्री अरुण भोवाल
महाप्रबंधक एवं
जन सूचना अधिकारी (पीआईओ)

श्री ए. सुब्रमण्य गुप्ता
महाप्रबंधक (वित्त)

श्रीमती सीमा पांडे
महाप्रबंधक
(विधि एवं मानव संसाधन)

श्री रवीन्द्रनाथ मोथा
अपर महाप्रबंधक
(पीसीओ, हैदराबाद)

श्री सुमित मेहरा
अपर महाप्रबंधक एवं मुख्य आंतरिक
लेखा परीक्षक

गत 5 वर्षों की वित्तीय प्रस्थिति

(राशि करोड़ रुपये में)

विशिष्टियां / वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
क. प्रचालन सांख्यिकी					
घरेलू (क)	622.49	530.41	723.42	1,086.63	820.57
विदेशी (ख)	714.10	275.21	12.75	45.33	23.40
टर्नओवर (प्रचालन आय) (ग) = (क+ख)	**1,336.59**	**805.62**	**736.17**	**1,131.96**	**843.97**
अन्य आय (घ)	7.32	5.12	13.68	13.16	14.78
कुल आय (ङ) = (ग+घ)	**1,343.91**	**810.74**	**749.86**	**1,145.12**	**858.75**
कुल व्यय (च)	**1,326.35**	**843.11**	**806.51**	**1,137.56**	913.20
सकल मार्जिन (ज) = (ङ – च)	**17.56**	**(32.37)**	**(56.65)**	**7.56**	**(54.45)**
ब्याज	8.52	10.32	4.78	3.83	9.51
मूल्यह्रास	1.09	0.99	0.88	1.13	1.11
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	**7.94**	**(43.69)**	**(62.32)**	**2.60**	**(65.07)**
आयकर	7.02	6.06	2.75	2.16	(3.71)
करोपरांत लाभ (पीएटी)	**0.92**	**(49.74)**	**(65.06)**	**0.44**	**(61.35)**
प्रदत्त लाभांश*	.	0.28	.	.	.
आरक्षिति एवं अधिशेष में अग्रेनीत किया गया शेष	0.92	(50.02)	(65.06)	0.44	(61.35)
कर्मचारियों की संख्या	303	289	270	249	232
प्रत्येक 10/– रुपये के इक्विटी शेयरों की संख्या	35422688	35422688	35422688	35422688	35422688
ख. वित्तीय स्थिति					
शेयर पूंजी	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42
आरक्षित एवं अधिशेष (मुक्त आरक्षित)	163.14	113.12	48.06	48.50	(12.85)
सीएसआर आरक्षिति	.	.	.	.	.
निवल संपत्ति (शेयरधारकों की निधि)	198.56	148.54	83.48	83.92	22.56
नियोजित पूंजी	198.56	148.54	83.48	83.92	22.56
ग. वित्तीय अनुपात					
प्रति कर्मचारी टर्नओवर (लाख रुपये में)	4.41	2.79	2.73	4.55	3.64
सकल मार्जिन/टर्नओवर (%)	1.31	(4.02)	(7.70)	0.67	(6.45)
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)/टर्नओवर (%)	0.59	(5.42)	(8.46)	0.23	(7.71)
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)/निवल मूल्य (%)	4.00	(29.41)	(74.65)	3.10	(288.25)
करोपरांत लाभ (पीएटी)/निवल मूल्य (%)	0.46	(33.49)	(77.94)	0.53	(271.82)
प्रदत्त लाभांश/कर पूर्व लाभ (%)	–	3.48	–	–	–
प्रदत्त लाभांश/करोपरांत लाभ (%)	–	30.00	–	–	–
मूल और घटाया गया ईपीएस (रुपये में)	0.26	(14.04)	(18.37)	0.12	(17.32)
10/– रुपये अंकित मूल्य वाले प्रति शेयर एनएवी	56.06	41.94	23.57	23.69	6.37

*वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान प्रदत्त लाभांश वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबंधित है।

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारको,

निदेशक मंडल की ओर से, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए हमारी कंपनी की 54वीं वार्षिक रिपोर्ट यथाविधि प्रस्तुत करना मेरे लिए वास्तव में सम्मान और सौभाग्य का क्षण है।

संनिर्माण उद्योग के समक्ष मौजूद भारी चुनौतियों के बीच मैंने वर्ष 2023–24 की तीसरी तिमाही के मध्य, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। अवसंरचना उद्योग और विशेष रूप से ईपीआईएल के समक्ष आ रही कई बाधाओं की पृष्ठभूमि में, मैं वर्ष 2023–24 के वित्तीय परिणाम और वर्ष 2024–25 और उसके आगे भावी की राह का खाका प्रस्तुत करना चाहता हूं।

वर्ष 2023–24 के लिए वित्तीय कार्य निष्पादन का सार

- कंपनी का प्रचालन से राजस्व पूर्व वर्ष में 1131.96 करोड़ रुपये के सापेक्ष 843.97 करोड़ रुपये रहा, जो 25.44 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्शाता है।
- कंपनी का करोपरांत लाभ (पीएटी) पूर्व वर्ष के दौरान 0.44 करोड़ रुपये करोपरांत लाभ (पीएटी) के सापेक्षं (61.36 करोड रुपये) रहा।
- कंपनी की निवल मूल्य 83.92 करोड़ रुपये से घटकर 22.56 करोड़ रुपये हो गई, जो पूर्व वर्ष की तुलना में 73 प्रतिशत की कमी दर्शाती है।

हमने राजमार्गों, कोयला प्रबंधन संयंत्रों, अस्पताल परियोजनाओं, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आने वाली पहलों, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन तथा वेरहाउस और साइलो के विकास सहित अवसंरचना क्षेत्र के नए क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। हमारी ऑर्डर बुक ने 31 मार्च, 2024 तक 5650 करोड़ रुपये के साथ, हाल के वर्षों में निरंतर बढ़ोत्तरी की प्रवत्ति दशाई है जिससे हमें आगामी वर्षों के लिए धनात्मक राजस्व दृष्टिकोण प्राप्त हो रहा है।

जैसा कि हम ''आजादी का अमृत कालः विजन/2047'' की ओर अग्रसर हैं, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के रूप में प्रचालनत, आपकी कंपनी, न केवल राष्ट्रीय बाजार में अपनी अग्रणी उपस्थिति बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है, अपितु आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर वैश्विक मंच पर भी अपना प्रभाव बढ़ाएगी।

आगे की राह/कार्यनीतिक दृष्टिकोणः

वित्तीय वर्ष के दौरान ऑर्डरों को बरकरार रखने, विशिष्ट एजेंसियों के साथ कार्यनीतिक सहयोग बनाने, नए डिजाइन उन्मुख क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए व्यापार विकास पहल आरंभ की गई है।

बाजार की स्थिति के विश्लेषण के उपरांत, भारत में आज की तारीख में अवसंरचना और विशेष रूप से औद्योगिक, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र से संबंधित कार्य प्रमुख चालक बने हुए हैं। औद्योगिक और आईटी क्षेत्र में निवेश और इन क्षेत्रों में निवेश लाने में सरकार की विभिन्न पहलों ने विभिन्न अवसर पैदा किए और ईपीसी कंपनी के रूप में हमारी ताकत को मजबूत करने का कार्य किया।

सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ईपीआई ने नए क्षेत्रों में विविधता लाने का लक्ष्य रखा है जैसे

- सुरक्षा निगरानी जैसी व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली।
- ड्रेजिंग से संबंधित कार्य, विकेन्द्रीकृत एसटीपी कार्य, एफजीडी परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी साझेदारी के साथ टाई अप।
- अधिक मूल्य वाली सड़क परियोजनाएँ

- डेटा सेंटर अवसंरचना कार्य

कंपनी द्वारा आरंभ की गई अन्य प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

- संविदा प्रभाग का केंद्रीकरण
- निगम कार्यालय से परियोजनाओं की निगरानी
- केंद्रीकृत गुणवत्ता आश्वासन विभाग
- जनशक्ति का सुव्यवस्थीकरण
- बैंक खाता समेकन के माध्यम से नकदी प्रबंधन।
- बैंकरों से ऋण सीमा/बैंक गारंटी (बीजी) सीमा में वृद्धि
- संपत्ति पट्टे के माध्यम से स्थायी राजस्व का सृजन।
- यात्रा व्यय, स्थलीय और क्षेत्रीय कार्यालय के उपरिव्ययों में कमी लाने के उपाय
- डिजाइन से संबंधित नौकरियों को सुरक्षित करने के लिए हमारी आंतरिक डिजाइन और वास्तुकला क्षमताओं को सुदृढ़ करना।
- एसएपी और ई–ऑफिस उपयोग के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाना।

आगामी वर्ष के लिए अपनी दृष्टि निर्धारित करते हुए, हम अपने अत्यंत महत्वपूर्ण पणधारकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं तथा कार्यनीतिक दिशा का खाका प्रस्तुत करते हैं जो निरंतर सफलता की ओर हमारी यात्रा का मार्गदर्शन करेगी।

1. विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करके विविधता लाना:

– हमारा प्राथमिक उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों, मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में अपने परियोजना पोर्टफोलियो में विविधता लाकर सतत विकास को बढ़ावा देना है।

– सतत विकास को बढ़ाने के लिए पीएमसी आधार पर अधिक मूल्य वाली परियोजना और ईपीसी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना।

– विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ सहयोगियों/प्रौद्योगिकी साझेदारों के साथ पूर्व टाइ अप करते हुए विभिन्न कारोबारी अवसरों के लिए कार्यनीति में परिवर्तन करना।

2. तकनीकी प्रगति:

– कंपनी का ध्यान परियोजना दक्षता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियों, स्वचालन और डिजिटलीकरण में निवेश करने पर केंद्रित है।

– कर्मचारियों को विभिन्न इंजीनियरिंग क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए डिजाइन से संबंधित अनुसंधान क्षेत्रों में व्यवसाय हासिल करने की हमारी प्राथमिकता होगी।

3. कुशल जनशक्ति और सुधार:

– हम परियोजना प्रबंधन और गुणवत्ता आश्वासन के लिए सभी स्तर के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए और अधिक कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे।

– जनशक्ति को प्राक्कलन और डिजाइन क्षेत्रों, गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रमों और बिलिंग आदि के स्मार्ट प्रसंस्करण के लिए कौशल आधारित सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग उपकरणों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

4. भरणीयता और पर्यावरणीय प्रबंधनः

– परियोजनाओं के माध्यम से सभी ईपीआई प्रचालन सभी ग्रीन फील्ड परियोजनाओं में पर्यावरण मानकों के अनुपालन का आश्वासन देते हैं।

– डिजाइन मानकों का कार्यान्वयन इस प्रकार किया जाएगा कि सभी परियोजनाएं भारतीय समाज के लिए पर्यावरणीय संरक्षण और स्थिरता सुनिश्चित करेंगी।

5. ग्राहक एवं साझेदार सहभागिताः

– समय पर प्रदायगी के लिए ग्राहक के साथ संबंध बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है।

– ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और ईपीआई पर ग्राहकों का विश्वास कायम रखते हुए कुछ ऑर्डर बरकरार रखे गये हैं तथा अन्य सभी परियोजनाओं के लिए भी यही प्रयास किया जाएगा।

– साझेदारी अभियान इस वर्ष व्यापार विकास और अधिक व्यापार बुकिंग के आश्वासन के लिए की गई प्रमुख पहल है।

6. वित्तीय लचीलापनः

– वित्तीय स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करना हमारी रणनीति का आधार होगा।

– विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, जोखिम न्यूनीकरण और लागत अनुकूलन हमारे वित्तीय दृष्टिकोण का आधार होंगे।

7. नवाचार और अनुकूलनः

– कार्य समनुदेशन और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार मुख्य उद्देश्य हैं जो विविध क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे।

– हम व्यवसाय को बेहतर बनाने और सुरक्षित करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाकर लक्ष्यों को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करेंगे।

8. वैश्विक पहुंचः

– हमारी आकांक्षाएं सीमाओं से परे हैं, और हम अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ उठाते हुए वैश्विक विस्तार के अवसर तलाशेंगे।

9. सामुदायिक और सामाजिक उत्तरदायित्वः

– हम सामाजिक पहल करके अपना सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेंगे और लोगों की सेवा करते रहेंगे।

भावी चुनौतियांः–

यद्यपि हम सतत विकास के लिए पूर्णतया तैयार हैं, इसलिए हम चुनौतियों के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। इनमें आकस्मिक दायित्व सम्मिलित हैं, जो वर्तमान में 31 मार्च, 2024 तक 1206 करोड़ रुपये रहा। इन दायित्वों में कमी लाने के साथ–साथ नए संचय में भी कमी लाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

अनुषंगी कंपनीः

हमारी अनुषंगी कंपनी, ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड को आरओसी ने दिनांक 20.07.2023 को ही बंद कर दिया है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित नहीं था।

एमओयू के अधीन कार्य निष्पादनः

आपकी कंपनी को डीपीई पत्र संख्या एम–03/0021/2022–डीपीई(एमओयू) दिनांक 25.10.2022 द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर करने से छूट प्रदान की गई है।

लाभांशः

हानि और निधि की अपर्याप्तता के कारण आपके निदेशकों ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए किसी लाभांश (अंतिम/अंतरिम) की सिफारिश नहीं की है।

मानव संसाधनः

हम परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में एक योग्य और सक्षम टीम की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हैं। जनशक्ति भर्ती में चुनौतियों के बावजूद, हम अस्थायी भर्ती के माध्यम से इस बाधा का निवारण करने के प्रति कटिबद्ध हैं।

निगम शासनः

सुदृढ़ निगम शासन प्रथाओं को बरकरार रखने के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता बनी हुई है। हम सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी काप्रोरेट शासन दिशानिर्देशों का पालन करना जारी रखे हुए हैं।

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयत्ताः

वर्ष के दौरान, शून्य बजट आवंटन के कारण कोई गतिविधियाँ नहीं की गईं।

आभारः

मैं अपने समर्पित कर्मचारियों, सम्मानित बोर्ड सदस्यों, शेयरधारकों, लेखा परीक्षकों, कारोबारी सहयोगियों, ग्राहकों और अन्य सभी पणधारकों को उनके अटूट समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपका विश्वास हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है क्योंकि हम भविष्य में निरंतर और अधिक सफलता प्राप्त करने के प्रयास के प्रति कटिबद्ध हैं।

अंत में, हम पूरी आशा के साथ भविष्य की ओर नजर गढ़ाए हुए हैं, अपने सभी प्रयासों में विकास, नवाचार और उत्कृष्टता की तलाश के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ह0/–
(शिवेन्द्र नाथ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 10397812

तारीख : 27 सितंबर, 2024
स्थानः नई दिल्ली

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
सीआईएनः यू27109डीएल1970 जीओआई117585
रजिस्ट्रीकृत कार्यालयः कोर–3 स्कोप कॉम्प्लैक्स 7, लोधी रोड़ नई दिल्ली –110003
फोन न. 91–11–24361666, ईमेलः csd@epi.gov.in
वेबसाइटः www.epi.gov.in

सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई) के सदस्यों की 54वीं वार्षिक साधारण बैठक वीडियो संगोष्ठी/अन्य श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा निम्नलिखित कारबार का संव्यवहार करने के लिए शुक्रवार, 27 सितंबर 2024 को अपराह्न 03:30 बजे आयोजित की जाएगीः

साधारण कारबार

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) एवं प्रबंधन के प्रत्युत्तर, यदि कोई हों, को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना तथा उपांतरण(णों) सहित या उसके बिना निम्नलिखित संकल्प पारित करना।

   'यह **संकल्प लिया जाता है** कि 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियां और 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा के साथ टिप्पणं और उपाबंध तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और अपने उपबंधों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट जिसके अंतर्गत प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट, निगम शासन पर रिपोर्ट एवं निगम सामाजिक दायित्व और भरणीय रिपोर्ट, सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/इन्तजामों की विशिष्टियों के प्रकटन के लिए प्ररूप एओसी–2 जैसाकि बैठक के समक्ष अधिकथित है एतद्वारा अनुमोदित तथा अंगीकृत किया जाता हैं।''

2. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए साम्या शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना।

   निदेशक मंडल ने 25 जुलाई, 2024 को आयोजित अपनी 287वीं बैठक में हानि एवं अपर्याप्त निधि को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए शून्य लाभांश का प्रस्ताव किया है। अतः वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लाभांश 'शून्य' है।

विशेष कारबार

3. निदेशक मंडल द्वारा मंडल की 287वीं बैठक में (लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा संस्तुत) यथा अनुमोदित, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का को अनुशासित और इस संबंध में विचार करना तथा उचित पाए जाने पर साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करनाः

'यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पाठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उपबंधों के अनुसरण में लेक्षापरीक्षा समिति द्वारा यथा संस्तुत एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित 40,000/– रुपए (मात्र चालीस हजार रुपए में) लागू कर जोड़कर,(परिवहन भत्ता/महंगाई भत्ता तथा फुटकर व्यय सहित) मैसर्स अनुज कुमार एंड कंपनी, लागत लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में संदत्त किया जाएगा और इसकी एतद्वारा अनुसमर्थन तथा पुष्टि की जाती है।''

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
ह0/–
(नितेश कुमार गोयल)
(कंपनी सचिव)
ईमेलः *csd*@epi.gov.in

तारीखः 02 सितंबर, 2024
स्थानः नई दिल्ली

टिप्पणः

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने परिपत्र दिनांक 28.12.2022, 05.05.2022, 13.01.2021, 05.05.2020, 13.04.2020 एवं 08.04.2020 (जिन्हें सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र कहा जाए) के साथ पठित दिनांक 25 सितंबर, 2023 के परिपत्र द्वारा कंपनियों को वार्षिक साधारण बैठक (''एजीएम''/''बैठक'') वीडियो संगोष्ठी (''वीसी'')या अन्य श्रव्य दृश्य साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित करने की अनुज्ञा दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबधों और एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं। वार्षिक साधारण बैठक को कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में आयोजित किया गया समझा जाएगा।

2. अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र कंपनी का कोई सदस्य उसके द्वारा लिखित में सम्यक्तः हस्ताक्षरित प्रॉक्सी को उसके स्थान पर भाग लेने और मत देने के लिए नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि एजीएम वीसी/ओएवीएस सुविधा के माध्यम से आयोजित की जा रही है, सदस्यों की भौतिक रूप से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। सदस्यों द्वारा सदस्यों द्वारा वार्षिक साधारण बैठक के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति उपलब्ध नहीं है इसलिए प्रॉक्सी की नियुक्ति लागू नहीं है और इसलिए प्रॉक्सी प्रारूप, उपस्थिति पर्ची और रूट मानचित्र को इस सूचना के साथ उपाबद्ध नहीं किया गया है।

3. निगमित सदस्यों को मंडल के संकल्प की वीसी/ओएवीएम भाग लेने के लिए प्रतिनिधि को और उनके निमित्त मतदान करने के लिए प्राधिकृत करने के मंडल के संकल्प की सम्यक्तः स्कैन की गई प्रति भेजने का अनुरोध किया जाता है। कथित संकल्प/प्राधिकृत किए जाने को उसके रजिस्ट्रीकृत ईमेल पते पर nitesh.goyal@epi.gov.in को मार्क की गई प्रति के साथ ईमेल के माध्यम से csd@epi.gov.in पर भेजें।

4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) और विशेष कारबार के संबंध में साधारण बैठकों पर सचिवालय मानक 2 जैसा कि ऊपर दिया गया है, के अनुसरण में सुसंगत स्पष्टीकरण कथन इसके साथ उपाबद्ध है।

5. अधिनियम की धारा 103 के उपबंधों के अनुसरण में, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ गणना में लिया जाएगा।

6. कंपनी के कोई भी निदेशक किसी भी तरह से एक दूसरे के नातेदार नहीं है।

7. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ई–वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने की सुविधा ई–वार्षिक साधारण बैठक के अनुसूचित आरंभ होने के समय से 15 मिनट पहले और 15 मिनट पश्चात तक खुली रहेगी।

8. संलग्न सूचना में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज निरीक्षण के लिए कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर (शनिवार और रविवार को छोड़कर) वार्षिक साधारण बैठक की तारीख तक उपलब्ध हैं।

9. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सरकारी कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अनुसरण में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति यह पुनः नियुक्ति करता है और उनका परिश्रमिक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142 के अनुसरण में शेयरधारकों द्वारा साधारण बैठक में या ऐसी रीति में नियत किया जाता है जो कंपनी साधारण बैठक में अवधारित करे। ईपीआई के शेयरधारकों ने 29 सितंबर 2014 को आयोजित 44वीं वार्षिक साधारण बैठक में, मंडल को, सांवधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को वित्तीय वर्ष 2013–14 के पश्चात नियत करने के लिए प्राधिकृत किया है। तदनुसार, निदेशक मंडल ने दिनांक 31 जनवरी, 2024 को आयोजित अपनी 285वीं बैठक (मद सं. 285–23–24/बी–5) में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए निगम कार्यालय तथा शाखा कार्यालय (विदेशी शाखा को छोड़कर) की सांवधिक लेखापरीक्षा के सापेक्ष 10.85 लाख रुपए (जमा लागू कर) की कुल फीस नियत की थी।

10. अधिनियम की धारा 129(3) के उपबंधों के अनुसरण में, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में अधिनियम में यथा परिभाषित कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण कंपनी के सदस्यों द्वारा विचारार्थ और अंगीकृत करने के लिए प्रस्तुत हैं। चूंकि ईपीआई की अनुषंगी कंपनी अर्थात् "ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड" को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 अर्थात् 20.07.2023 के दौरान हटा दिया गया है और उसका विघटन कर दिया गया है। अतः समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में मद संख्या 3 के संबंध में स्पष्टीकरण कथन यथा टिप्पण के उपरोक्त बनने वाले भाग में विहित है:

मद संख्या 3: लागत लेखाकार के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों पर मैसर्स अनुज कुमार एंड कंपनी, लागत लेखापाल को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने हेतु लागत लेखा परीक्षक के रूप में 40,000/– रुपए (चालीस हजार रुपए मात्र) जमा लागू कर पर नियुक्त किया था। कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उपबंधों के अनुसरण में, लागत लेखाकार को संदेय पारिश्रमिक कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित होना चाहिए। तदनुसार सूचना की मद संख्या 3 पर संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन और अनुसमर्थन के लिए रखा जाता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति या उनके नातेदार किसी भी प्रकार से मद संख्या 3 में रखे गए संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित या हितबद्ध नहीं है।

सेवा में:

1. ईपीआईएल के सभी शेयरधारक
2. ईपीआईएल के सांविधिक लेखा परीक्षक
3. ईपीआईएल के सचिवीय लेखा परीक्षक
4. ईपीआईएल के लागत लेखा परीक्षक
5. ईपीआईएल के सभी निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सचिव, भारत सरकार,
   भारी उद्योग मंत्रालय,
   उद्योग भवन, नई दिल्ली–110001

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
ह0/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव
ईमेल: *csd*@epi.gov.in

तारीख: 02 सितंबर, 2024
स्थान: नई दिल्ली

नामांकन प्ररूप :

सेवा में

कंपनी सचिव,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, (ईपीआईएल)
सीआईएन : यू27109डीएल1970जीओआई117585,
कोर–3 स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7, लोधी रोड़, नई दिल्ली –110003

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं श्री/श्रीमती.....

(नाम)

.....

(पदनाम)

को मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए 27 सितम्बर, 2024 (शुक्रवार) को अपराह्न 3:30 बजे आयोजित होने वाली ईपीआई के शेयरधारकों की 54वीं वार्षिक साधारण बैठक और (तत्संबंधी कोई अन्य स्थगित बैठक) में मेरे नामनिर्देशिती के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूं।

धन्यवाद,

भवदीय

ह0/–
पदनाम
मुहर और मुद्रा

स्थान :
तारीख :

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी के कार्य निष्पादन पर 54वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है।

1. वित्तीय विशेषताएं

वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी का प्रचालन टर्नओवर पूववर्ती वर्ष में प्राप्त 1,13,196 लाख रूपए के टर्नओवर के सापेक्ष 84,397 लाख रुपए रहा। इस अवधि के दौरान कर पूर्व हानि वर्ष 2022–23 के दौरान 260 लाख रूपए कर पूर्व लाभ की तुलना में 6,507 लाख रुपए रहा।

वर्ष 2023–24 के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष में तत्स्थानी आंकडों के साथ आपकी कंपनी की वित्तीय विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	2023–24	2022–23
1.	प्रचालन टर्नओवर	84,397	1,13,196
2.	अन्य आय	1,478	1,316
3.	कुल आय	85,875	1,14,512
4.	समग्र मार्जिन	(5,445)	756
5.	संदत्त ब्याज	951	383
6.	मूल्यह्रास	111	113
7.	कर पूर्व लाभ/हानि	(6,507)	260
8.	कर	(371)	216
9.	करोपरांत लाभ/हानि	(6,136)	44
10.	निवल मूल्य	2,256	8,392

कंपनी का निवल मूल्य 8,392 लाख रुपए से घटकर 2,256 लाख रुपए हो गया जो गत वर्ष की तुलना में 73 प्रतिशत की गिरावट है। वर्ष 2023–24 में नियोजित पूंजी पर रिटर्न वर्ष 2022–23 में 0.53 प्रतिशत के सापेक्ष –2721.93 प्रतिशत है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (''सीसीईए'') का 17 फरवरी 2016 का समान केंद्रीय पब्लिक सेक्टर के उपकर्मों के साथ विलयन के संबंध में विलयन द्वारा कार्यनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया के विनिश्चय को सीसीईए की 13 फरवरी, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में सभी पात्र सीपीएसई और प्राइवेट सेक्टर के अस्तित्व को विनिवेश की बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभिज्ञात करने के लिए और आगे उपांतरित किया गया।

इसके अतिरिक्त आस्ति मुद्रीकरण (दीपम विनिवेश योजना के अधीन) के कार्यकलाप की प्रक्रिया चल रही है और आपकी कंपनी इस संबंध में समय–समय पर जारी सभी नीतियों/मार्गदर्शक सिद्धातों/ढांचे इत्यादि का कड़ाई से पालन कर रही है।

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के अनुदेशों की अनुपालना में भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/एबी के कब्जे में भूमि के अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए पुनरीक्षण और मॉनिटरी तंत्र को परिभाषित करने के लिए एक कार्य योजना मैट्रिक्स में यह सूचित किया गया है कि आपकी कंपनी के पास मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर (राजस्थान) में एक कार्यशाला/भंडारण के प्रयोजन के लिए 10000 वर्ग मीटर की पट्टा धृत भूमि है। यह पट्टा 7 सितंबर, 1998 से 99 वर्ष की अवधि के लिए धृत है।

2. पूंजीगत ढ़ांचा

कंपनी की प्राधिकृत और संदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 909.40 करोड़ रुपए (जिसे 10 रुपए प्रत्येक के 909,404,600 साम्य शेयरों में विभाजित किया गया है) और 35.42 करोड़ रुपए (जिसे 10 रुपए प्रत्येक के क्रमशः 35,422,688 साम्य शेयरों में विभाजित किया गया है) है।

3. लाभांश एवं आरक्षितियां

आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए हानि और नकद की अपर्याप्तता के कारण किसी लाभांश (अंतिम/अंतरिम) की सिफारिश नहीं की है।

तदनुसार, आरक्षतियों और अधिशेष लेखे में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार शेष धनराशि (1,286) लाख रुपए है।

4. विपणन उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी ने 1,218.32 करोड रुपए के मूल्य की परियोजनाएं हासिल कीं। इनमें से कुछ प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	परियोजना का नाम और स्थान	ग्राहक	मूल्य (करोड़ रुपए में) (जीएसटी को छोड़कर)
1	03 वर्ष के व्यापक ओ एंड एम संविदा के साथ यूकेएआई टीपीएस की 500 मेगावाट की 6 इकाईयों के लिए एफजीडी प्रणाली की आपूर्ति, अधिष्ठापन, कमीशनिंग और परीक्षण	गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, वडोदरा	532.32
2	नौसेना स्टेशन रामबिल्ली विशाखापट्टनम–(डिजाइन और संनिर्माण ईपीसी मोड) में स्कूल, अस्पताल, सभागार और एसटीपी सहित खेल सुविधाओं और अन्य सेवाओं के साथ प्रशासनिक और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे का प्रावधान	महानिदेशक नौसेना परियोजना, नौसेना बेस पोस्ट, विशाखापट्टनम	240.99
3	पश्चिम मेदिनीपुर के दांतन–I और II तथा केशियारी ब्लॉक में 41 पीडब्लूएसएस का संनिर्माण	सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार	156.89

क्रम सं.	परियोजना का नाम और स्थान	ग्राहक	मूल्य (करोड़ रुपए में)
4	मालदा जिले के बामनगोला ब्लॉक में जलापूर्ति स्कीम के लिए ईपीसी संविदा इसमें तीन (3) माह का ट्रायल रन और पांच (05) वर्ष का प्रचालन और रखरखाव भी है।	सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, मालदा डिवीजन	103.60
5	ईएसआईसी अस्पताल केके नगर और त्रिनेवेली के सिवाय तमिलनाडु क्षेत्र के ईएसआई प्रतिष्ठानों में (जमा आधार पर) नागरिक और विद्युत संकर्म की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव/विशेष मरम्मत इसमें विभिन्न विद्युत/इलेक्ट्रो–मैकेनिकल सेवाओं, उपकरणों और संयंत्रों के प्रचालन भी है	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	67.75

वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत में चालू प्रमुख परियोजनाएं

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	परियोजना कोड	नाम एवं स्थान	ग्राहक का नाम	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार वर्तमान परियोजना का मूल्य (जीएसटी को छोड़कर)
1	912	भारतमाला परियोजना के अंतर्गत गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर 117.600 किमी से 185.00 किमी तक मौजूदा चार लेन वाले जेतपुर–गोंडल–राजकोट सेक्शन का छह लेन में चौड़ीकरण	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली	614.45
2	905	महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में 150 सीटों वाले शासकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, 650 बिस्तरों वाले अस्पताल और संबद्ध भवनों का संनिर्माण (पीएमसी आधार पर)	चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई	584.30
3	833, 870 से 882 तक	महाराष्ट्र में 14 स्थानों पर ईएमआरएस का संनिर्माण	राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी (ईएमआरएस)	372.52
4	830, 859 से 869 तक	गुजरात में 12 स्थानों पर ईएमआरएस स्कूलों का संनिर्माण	राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी (ईएमआरएस)	333.25
5	967	नौसेना स्टेशन रामबिल्ली विशाखापट्टनम-(डिजाइन और संनिर्माण ईपीसी मोड) में डब्ल्यूपी–07 के अंतर्गत सेवा सहित स्कूल, अस्पताल, सभागार और खेल सुविधाएं सहित प्रशासनिक और लॉजिस्टिक अवसंरचना का प्रावधान (ईपीसी मोड पर संनिर्माण/संरचना) और डब्ल्यूपी–5बी के अंतर्गत सीवेज प्रशोधन संयत्र का प्रावधान	महानिदेशक नौसेना परियोजना, नौसेना बेस पोस्ट, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	240.99

6	824	रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, चरण III (1x500 मेगावाट), रामागुंडम के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) सिस्टम पैकेज	एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली	235.06
7	838, 925 से 931 तक	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर के कोटा–मथुरा सेक्शन पर मौजूदा लेवल क्रॉसिंग के पीकेजी. आरओबी 11 संकर्मों का निष्पादन। (8 स्थानों के लिए पीएमसी आधार पर)	रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	212.53
8	822	एनएचआईडीसीएल के लिए त्रिपुरा राज्य में एनएच 44, पर मनु–लालचरा खंड की सड़क (कुल लंबाई 16.290 किमी) का नवीनीरकण और उन्नयन	राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	195.99
9	834, 915 से 922 तक	आंध्र प्रदेश में 9 स्थानों पर ईएमआरएस का संनिर्माण	आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी, (ईएमआरएस प्रभाग)	191.15
10	645	मिजोरम राज्य में भारत–बांग्लादेश सीमा पर फ्लड लाइटिंग का संनिर्माण	गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	186.86
11	933	एमसीएल, ओडिशा के लिए हिंगुला क्षेत्र, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) संबलपुर, ओडिशा में ओ एंड एम सहित ट्रांसफर हाउस टीएच–2 में पाइप कन्वेयर के शीर्ष सिरे से साइलो (निर्माणाधीन) तक कोयले (10 एमटीवाई) के परिवहन के लिए ईपीसी मोड पर सीएचपी का संनिर्माण	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर, ओडिशा	185.00
12	950 से 953 तक	ओडिशा के कटक, पुरी, गंजम, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में एनएचएम के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का निष्पादन	मिशन निदेशालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ओडिशा सरकार	181.14
13	969	पश्चिम मेदिनीपुर के दांतन–I, दांतन–II और केशियारी ब्लॉक में 41 पीडब्लूएसएस का संनिर्माण	सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार	156.88
14	893	गोवा राज्य में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण–II को कार्यान्वित करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए)	पंचायत निदेशालय, गोवा सरकार, पणजी, गोवा	141.53
15	836	बीएआरसी, विशाखापट्टनम में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) प्लांट के लिए ईपीसी एकमुश्त (एलएसटीके) आधार पर खरीद, आपूर्ति, संनिर्माण, स्थापना और कमीशनिंग	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड, (पूर्व में इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड) (भारत सरकार का उपक्रम) मुंबई	139.80
16	932	डी.डब्लू. एवं एस. डिवीजन, गुमला के अंतर्गत सिसई ब्लॉक ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना के	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार	138.02

		लिए टर्नकी आधार पर आरसीसी सेवन कुआं सह पंप हाउस, आरसीसी गैंगवे, जल प्रशोधन संयंत्र, आरसीसी जलाशय, स्टाफ क्वार्टर आदि का विस्तृत सर्वेक्षण, डिजाइनिंग, ड्राइंग और संनिर्माण		
17	809	ओडिशा राज्य के सुंदरगढ़ जिले के लिए अवधारणा से लेकर पूर्णता तक संनिर्माण, उन्नयन और अन्य संबंधित कार्य (पीएमसी आधार पर) – सड़क और पुल निर्माण कार्य	कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएफएम), सुंदरगढ़, ओडिशा	127.47
18	945	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अंतर्गत मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले में टर्नकी आधार पर चिकित्सा कौशल केंद्र का संनिर्माण	आयुक्त एवं सचिव, मेघालय सरकार, समाज कल्याण विभाग	121.11
19	939	टाउनशिप कार्य पैकेज – ए, एनईआर विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना से जुड़े असम राज्य के विभिन्न सबस्टेशनों में बाह्य अवसंरचनात्मक विकास सहित आवासीय और गैर–आवासीय भवनों का संनिर्माण	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	116.99
20	890	डीएमएफ योजना के अंतर्गत ओडिशा के सुंदरगढ जिले के लहुनीपाड़ा और कोइडा ब्लॉकों में स्कूलों का अवसंरचना विकास	जिला मजिस्ट्रेट, सुन्दरगढ़	116.41
21	942	गोरखाबस्ती, अगरतला, त्रिपुरा में टर्नकी आधार पर बहुमंजिला कार्यालय भवन का संनिर्माण	कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, (आर एंड बी), अगरतला, त्रिपुरा	106.48
22	806	मैसर्स राउरकेला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, राउरकेला के लिए राउरकेला के एबीडी क्षेत्र में कमांड कंट्रोल सेंटर, सम्मेलन कक्ष, सभागार, जनजातीय संग्रहालय का संनिर्माण	राउरकेला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, राउरकेला, ओडिशा	104.25
23	971	मालदा जिले के बामनगोला ब्लॉक में उप–सतही जल आधारित पाइप जलापूर्ति योजना के लिए संबद्ध और संबंधित संकर्म सहित सभी सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कार्यों का सर्वेक्षण, योजना डिजाइन, वितरण, स्थापना, संनिर्माण, कमीशन और पूरा करना, इसके उपरांत तीन (3) महीने का ट्रायल रन और पांच (05) वर्ष प्रचालन और रखरखाव	स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार, मालदा डिवीजन	103.60
24	903	मिजोरम विश्वविद्यालय और पछुंगा विश्वविद्यालय कॉलेज, आइजोल, मिजोरम में अवसंरचना विकास संकर्म के लिए पीएमसी (चरण–II) (जमा आधार पर)	मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल	99.66

भारत में पूरी की गई परियोजनाएं:

कंपनी ने निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाएं पूरी कर ली हैं:

राशि करोड़ रुपये में

क्र. सं.	परियोजना का कोड	नाम	स्थान	परियोजना का मूल्य
1	731	ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सलाहकार	सुंदरगढ़, ओडिशा	354.90
2	822	एनएचआईडीसीएल के लिए त्रिपुरा में एनएच 44ए पर मनु–लालचरा सेक्शन की सड़क (कुल लंबाई 16.290 किमी) का नवीनीकरण और उन्नयन	त्रिपुरा	195.98
3	836	बीएआरसी, विशाखापत्तनम में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) प्लांट के लिए ईपीसी एकमुश्त (एलएसटीके) आधार पर खरीद, आपूर्ति, संनिर्माण, स्थापना और कमीशनिंग	विशाखापट्टनम	139.80
4	810	खुर्दा रोड, ओडिशा में मेन लाइन ईएमयू कार शेड (चरण–2) का संनिर्माण	ओडिशा	61.91
5	791	फरीदाबाद, हरियाणा के नवादा तिगांव गांव में एलिम्को उन्नत एकीकृत कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र का संनिर्माण	फरीदाबाद, हरियाणा	38.87
6	891	एसपीपीएल, सितारगंज, उत्तराखंड में अवसंरचना विकास संकर्म	सितारगंज, उत्तराखंड	32.05
7	908	ओडिशा के गजपति, सुंदरगढ़ और कंधमाल जिले में अपग्रेडेड 2 कॉलेज और अपग्रेडेड हाई स्कूल के लिए शिक्षण और गैर–शिक्षण स्टाफ क्वार्टर का संनिर्माण। (पीएमसी आधार पर)	ओडिशा	32.00
8	956	एनसीआर–बीएससी, फरीदाबाद में लघु पशु सुविधा के उन्नयन के लिए एनसीआर–बायोटेक साइंसेज और एनसीआर–बायोटेक साइंस क्लस्टर (बीएससी) टीएचएसटीआई, फरीदाबाद में चरण–III के संकर्मों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं	फरीदाबाद, हरियाणा	19.30

5. आदेश पुस्तिका स्थिति

वित्तीय वर्ष 2023–24 के आखिर में कार्य निष्पादन के अधीन 5650 करोड रुपए मूल्य के परियोजनाओं (119 + विदेशी) का शेष कार्य हाथ में है।

6. एमओयू के अधीन कार्यनिष्पादन की रेटिंग

आपकी कंपनी को डीपीई पत्र संख्या एम–03/0021/2022–डीपीई (एमओयू) दिनांक 25.10.2022 अनुसरण में एमओयू पर हस्ताक्षर करने से छूट प्राप्त है।

7. निगम शासन

ईपीआई विधिक, नैतिक और पारदर्शी रीति में कारबार के संचालन के लिए सुदृढ़ निगम शासन पद्धतियों के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी यह विश्वास करती है कि दीर्घावधि में अच्छी निगम शासन पद्धतियां सभी पणधारियों के लिए धन का सृजन करती हैं। आपकी कंपनी लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगम शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन कर रही है और त्रैमासिक तथा वार्षिक आधार पर भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) को अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त डीपीई ने डीपीई वेबसाइट के पीई सर्वेक्षण के अधीन एक मॉड्यूल के माध्यम से निगम शासन पर अपनी ग्रेडिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सभी ऑपरेटिंग सीपीएसई के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया है और उसी के अनुपालन में आपकी कंपनी ने इस वर्ष पहले ही इसके लिए निगम शासन पर अपनी ग्रेडिंग रिपोर्ट उक्त पोर्टल जमा कर दी है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट तथा निगम शासन पर रिपोर्ट इस निदेशकों की रिपोर्ट के साथ क्रमशः **उपाबंध–क** और **उपाबंध–ख** पर उपाबद्ध हैं।

8. क्रेडिट रेटिंग

क्रिसिल ने दीर्घावधिक रेटिंग के लिए वही रेटिंग यानी ''क्रिसिल बीबीबी'' दी है। दीर्घावधिक रेटिंग पर आउटलुक स्थिर है। क्रिसिल की रेटिंग ने अल्पावधिक रेटिंग को संशोधित करके ''क्रिसिल ए3'' कर दिया है।

9. सतर्कता कार्यकलाप

सतर्कता प्रभाग स्वयं की ओर से सुनिश्चित करता है कि संगठन के सारे कृत्य पूर्णतया पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सत्यनिष्ठा से किए जाएं। भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए, सतर्कता प्रभाग निवारक, दंडात्मक और निगरानी और जांच सतर्कता उपाय भी सुनिश्चित करता है, जिनमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: –

- संवेदी पदों की पहचान, सतर्कता के प्रति संवेदी क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक दौरा, क्षेत्रीय कार्यालयों/अधिकारियों के साथ सतर्कता संबंधी सत्र, कर्मचारियों का समय–समय का आवर्तन, ओडीआई और सहमत सूची की तैयारी, सूचनाओं के सुचारू संग्रहण के लिए सीबीआई को उचित सहायता, यह सुनिश्चित करना कि मैनुअल, प्रक्रियाओं और खरीद नीतियों को समय–समय पर अद्यतन किया जाता है, यह सुनिश्चित करना कि परियोजनाओं का समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है और उनकी रिपोर्ट प्रबंधन को भेजी जा रही है, जिसमें ''संकर्म प्रदान करने में'' अपनाई गई प्रक्रियाओं में खामियों (यदि कोई हो) को इंगित की जा रही है, प्रणालीगत सुधारों के लिए सुझावों और सिफारिशों के साथ–साथ स्थलीय संकर्म और आपूर्ति आदि।

- सतर्कता प्रभाग, प्रबंधन, क्षेत्रीय कार्यालयों आदि को प्राप्त सभी शिकायतों/आरोपों/तथ्यों की सतर्कता के दृष्टिकोण से सत्यापन और जांच को अल्प/बड़ी शास्ति के अधीन सतर्कता जांच रिपोर्ट (वीआईआर) नियमित विभागीय कार्रवाई (आरडीए) के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी (डीए) को प्रस्तुत करना। मामलों में जांच अधिकारी (आईओ) और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (पीओ) की नियुक्ति की निगरानी करना और समय–सारणी का पालन सुनिश्चित करना, आईओ की रिपोर्ट की जांच/प्रक्रम, डीए द्वारा शास्ति आदेश समय पर जारी करना।

- इस अवधि के दौरान प्रचालन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई नई पहलें की गई हैं और सीवीसी के निर्देशों का पालन करने के लिए समय–समय पर विभिन्न प्रभागों/कार्यालयों को निदेश जारी किए गए हैं।

कंपनी ने अपने विभिन्न कार्यालयों/साइटों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार 30.10.2023 से 05.11.2023 तक **''भ्रष्टाचार का विरोध करें – राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें''** विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 की प्रस्तावना के रूप में, ईपीआईएल ने सीवीसी के निदेशानुसार, निवारक सतर्कता उपायों पर विशेष ध्यान देते हुए तीन माह (16.08.2023.15.11.2023) का अभियान चलाया।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने 30.10.2023 को ईपीआईएल के सभी अधिकारियों को ''सत्यनिष्ठा शपथ'' दिलवाकर ''सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2023'' का शुभारंभ किया। इसके अतिरिक्त, इस अवसर पर मुख्य सतर्कता अधिकारी, ईपीआईएल ने ''केंद्रीय सतर्कता आयोग'' का संदेश पढ़ा।

इस तीन माह के अभियान के दौरान ईपीआईएल के सभी कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- पीआईडीपीआई संकल्प के अंतर्गत भारत की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में ईपीआईएल के विभिन्न कार्यालयों/स्थलों पर पीआईडीपीआई पोस्टर/बैनर लगाए गए।
- क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अंतर्गत नैतिकता और शासन, पूछताछ करने में आईओ/पीओ की भूमिका, साइबर स्वच्छता और सुरक्षा खरीद और व्यवस्था में सुधार जैसे विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किए गए।
- ईपीआईएल में दिनांक 01.11.2023 को "क्या भ्रष्टाचार ने भारत का विकास प्रभावित किया है" विषय पर वाद–विवाद प्रतियोगिता।
- ईपीआईएल में दिनांक 02.11.2023 कोनिबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसका विषय था "कारपोरेट भ्रष्टाचार या नागरिक भ्रष्टाचार में से कौन बड़ी बुराई है? भारत में भ्रष्टाचार खत्म करने के विवेकसम्मत तरीके"।
- ईपीआईएल में दिनांक 04.11.2023 को "विकसित भारत–भ्रष्टाचार मुक्त भारत" विषय पर चित्रकारी, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई।

वर्ष के दौरान, 14 मामले प्राप्त हुए जिनमें से 12 सतर्कता मामलों का निपटारा कर दिया गया है और वर्ष के अंत में 2 मामले अनिर्णीत थे।

10. मानव संसाधन

कंपनी अपने मानव संसाधन के विकास पर विशेष ध्यान देती है। परियोजना कार्य निष्पादन के क्षेत्र में नए उभरते हुए परिक्षेत्रों के साथ कदमताल करने के लिए कंपनी अपनी जनशक्ति को उभरते हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षित करती है। कर्मचारियों को आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं के लिए प्रायोजित किया जा रहा है ताकि उनके तकनीकी, संचार और वैयक्तिक कौशल को समय–समय पर विभिन्न स्तरों पर बढ़ाया जा सके। कंपनी अपने कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक और महिला कर्मचारी भी है और कंपनी ने अपनी वर्तमान जनशक्ति को प्रतिधारित करने के लिए सभी प्रयास किए हैं। सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ, भविष्य निधि, उपदान, समूह दुर्घटना बीमा और हितलाभ निधि स्कीम जैसी सामाजिक सुरक्षा की स्कीमें कंपनी में विद्यमान हैं।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 232 कर्मचारी थे जिसके अंतर्गत कंपनी में 31 महिला कर्मचारी सम्मिलित हैं। 232 कर्मचारियों में से 208 कर्मचारी तकनीकी और व्यावसायिक रूप से अर्हताप्राप्त हैं।

11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिक

कंपनी में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या 11 है, जिसमें से 10 पुरुष और 1 महिला कर्मचारी है तथा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या 44 है, जिसमें से 41 पुरुष और 03 महिला कर्मचारी हैं।

12. दिव्यांग जन

कंपनी में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार 02 कर्मचारी दिव्यांग थे जो कंपनी की कुल जनशक्ति का 0.86 प्रतिशत है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजनों के संबंध में समय–समय पर जारी सभी राष्ट्रपतिय अनुदेशों का कंपनी अनुसरण करती है।

13. राजभाषा/हिन्दी का प्रसार

राजभाषा/हिंदी के प्रसार के लिए निम्नलिखित पहलें की गई/कदम उठाए गए।

- राजभाषा नीति के अनुसार, कंपनी की वेबसाइट द्विभाषी प्रारूप में बनाई गई है। ईपीआई नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) का सदस्य है और नराकास द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं (हिंदी में) में सहभागिता करने के लिए हर वर्ष अक्तूबर/नवंबर में नियमित आधार पर नामांकन भेजे जाते हैं।

- 01 सितम्बर से 14 सितम्बर तक हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया जिसमें अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों तथा महाप्रबंधक एवं उससे उच्च अधिकारियों आदि के लिए घोषवाक्य/हस्ताक्षर प्रतियोगिताएं, हिन्दी निबंध लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता, स्वरचित हिन्दी कविता लेखन आदि का आयोजन किया गया।

- कंपनी में **"स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह शील्ड"** स्मृति पुरस्कार योजना आरंभ की गई है ताकि कर्मचारियों को हिंदी भाषा में आधिकारिक पत्राचार के प्रति अपना योगदान करने के लिए रूचि पैदा की जा सके, कंपनी में नगद पुरस्कार योजना भी विद्यमान है। अधिकतम संख्या में पुरस्कार प्राप्त करने वाला विजेता, योजना के अधीन पुरस्कार/शील्ड प्राप्त करने का हकदार होगा।

- राजभाषा के महत्व के बारे में कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए तिमाही आधार पर हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। आधिकारिक पत्राचार के लिए कर्मचारियों के हिंदी में हस्ताक्षर को अनिवार्य बना दिया गया है। गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ने हिंदी पखवाड़ा और हिंदी शिक्षण योजना के आयोजन के लिए सराहना की है।

- माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तृतीय उप–समिति द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 2023 को ईपीआई, पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा विभाग के कार्यान्वयन का सफलतापूर्वक निरीक्षण संपन्न हुआ।

- संसदीय राजभाषा समिति के अनुदेशों तथा राजभाषा मानकों, नियमों के अनुरूप कर्मचारियों की बढ़ती मांग तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को नियमित रूप से प्रेषित प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ने ईपीआई समाचार पत्रिका को डिजिटल माध्यम से ई–समाचार पत्रिका के रूप में पुनः प्रारंभ किया है।

- सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी पुस्तकालय स्थापित किए गए, जिनका वार्षिक बजट में से लगभग 15000 रुपये हिंदी पुस्तकों और हिंदी पत्रिकाओं की खरीद पर खर्च किया गया।

- वर्ष 2022–23 के दौरान संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सराहनीय प्रदर्शन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से 07 मार्च 2024 को "द्वितीय" पुरस्कार प्राप्त हुआ।

- वर्ष 2022–23 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में सराहनीय प्रदर्शन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (पीएसयू), गुवाहाटी से 19 दिसंबर, 2023 को "तृतीय" पुरस्कार प्राप्त हुआ।

14. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अधीन शिकायतों का प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध और लैंगिक उत्पीड़न का निवारण करने और लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों तथा उससे उपाबद्ध या संबंधित विषयों के निपटान के लिए संरक्षण का प्रावधान करना है। अधिनियम के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है।

कंपनी ने लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों के निपटान के लिए और ऐसी शिकायतों के समयबद्ध निपटान के लिए एक शिकायत समिति का गठन किया है। तथापि वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

15. लोकक्रय नीति सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसएमई)

लोकक्रय नीति, 2012 प्रतिस्पर्धा के मूल सिद्धांतों पर आधारित है जो सुदृढ़ क्रय नीतियों और मामलों या सेवाओं की आपूर्ति के आदेशों के निष्पादन के लिए एक प्रणाली के अनुसार जो न्यायोचित, समतुल्य, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत प्रभावी है।

आपकी कंपनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की समग्र वृद्धि और साम्या विकास को प्रोत्साहित करने में विश्वास करती है उनकी भागीदारी को निःशुल्क निविदा दस्तावेजों, ईएमडी जमा से छूट देकर, निविदाकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ई–उपापन को अंगीकार करके बढ़ाया जाता है।

1. वर्ष 2023–24 के दौरान एमएसई से कुल 11.08 करोड रुपए की खरीद (माल और सेवा) की गई जो 14.64 करोड रुपए (माल और सेवा) की कुल खरीद का 75.73 प्रतिशत था। वित वर्ष 2023–24 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई एवं महिला उद्यमियों से की गई खरीद की कुल प्रतिशतता क्रमशः 10.28 एवं 1.09 प्रतिशत रही।

2. मार्च, 2024 की समाप्ति तक एमएसएमई संबंध पोर्टल पर पंजीकृत एमएसई विक्रेता की संख्या 323 है।

3. ईपीआई के सभी आरओ/पीसीओ को एमएसएमई समाधान पोर्टल तक पहुंच प्रदान की गई है ताकि एमएसएमई विक्रेताओं द्वारा एमएसएमई समाधान पोर्टल पर पंजीकृत शिकायतों का शीघ्रता से निपटारा किया जा सके।

4. ईपीआई नवंबर, 2018 से आरएक्सआईएल पोर्टल के माध्यम से ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) पर काम कर रहा है।

16. निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक नीति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति पुनरीक्षित अनुसूची ''ख'' 1,80,,000–3,20,000 रुपये (आईडीए) वेतनमान पर और निदेशकों की नियुक्ति पुनरीक्षित अनुसूची ''ख'' 1,60,000–2,90,000 रूपए, आईडीए पैटर्न पर की जाती है। उनकी निबंधन और शर्तें भारी उद्योग मंत्रालय, द्वारा नियत की जाती हैं।

17. प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता

वर्ष के दौरान सरकार के विभिन्न मितव्ययिता उपायों पर अनुदेशों का पालन किया गया।

18. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के ब्यौरे जिन्हें वर्ष के दौरान नियुक्त किया गया था या जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (सीईओ), निदेशक (वित्त) (सीएफओ), कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) घोषित किया गया है।

वर्ष 2023–24 के दौरान नियुक्त निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

निदेशक/केएमपी का नाम	पदनाम	कार्यकाल
सुश्री मुक्ता शेखर	शासकीय नामनिर्देशिती निदेशक	10.04.2023 से
श्री दिबेंदु दास	निदेशक (वित्त) एवंमुख्य वित्त अधिकारी	11.07.2023 से
श्री संजय बंगा	सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	01.10.2023 से 20.11.2023 तक
श्री शिवेन्द्र नाथ	सीएमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	20.11.2023 से

वर्ष 2023–24 के दौरान निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी), जो पद पर नहीं रहे/जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया

निदेशक/केएमपी का नाम	पदनाम	कार्यकाल
डॉ. रेणुका मिश्रा	शासकीय नामनिर्देशिती निदेशक	10.04.2023 तक
श्री आर.पी.सिंह	निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार)	24.06.2023 तक
श्री अशोक कुमार पात्रा	मुख्य वित्त अधिकारी	10.07.2023 तक
श्री डी.एस. राना	सीएमडी	30.09.2023 तक
श्री संजय बंगा	सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	20.11.2023 तक

निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के और ब्यौरे तथा उनमें वित्तीय वर्ष के समापन तक पश्चातवर्ती परिवर्तन निगम शासन रिपोर्ट में दिये गये हैं।

19. निदेशकों का दायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन यथापेक्षित आपके निदेशक एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं:

i) कि वार्षिक लेखे तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का तात्विक विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है;

ii) कि निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो न्यायोचित और बुद्धिमत्तापूर्ण हैं जिससे 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के मामलों और उस अवधि के लिए लाभ का सही और न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके;

iii) कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की आस्तियों के लिए सुरक्षापायों और कपट तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है;

iv) यह कि वार्षिक लेखे चालू समुत्थान के आधार पर तैयार किए गए हैं; और

v) कि निदेशकों ने सभी लागू विधियों के प्रावधानों की अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए उचित प्रणालियां बनाई है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रही थीं।

20. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अधीन स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

वित्तीय वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अधीन स्वतंत्र निदेशक का पद धारण करने के लिए विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं पूरी की गई और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त कर ली गई थी।

21. बैठकों की संख्या

वर्ष 2023–24 के दौरान निदेशक मंडल की चार (4) बैठकें आयोजित की गईं, मंडल और मंडल स्तरीय उप समिति की बैठकों के ब्यौरे इस रिपोर्ट से उपाबद्ध निगम शासन की रिपोर्ट में **उपाबंध–ख** पर दिए गए हैं।

22. अनुषंगी कंपनी/सहयोगी कंपनी/संयुक्त उद्यम

अनुषंगी कंपनी:

19 मई 2016 को 10 लाख रुपए की संदत पूंजी के साथ ईपीआई द्वारा 51 प्रतिशत, मैसर्स भारत अरबन इन्फ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सोलापुर, (बीयूआईडीपीएल) 39 प्रतिशत और मैसर्स दाराशा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, (डीसीपीएल) मुंबई द्वारा 10 प्रतिशत के साथ ईपीआई की एक अनुषंगी कंपनी ईपीआई अरबन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल) को भूखंडों आदि के विकास के लिए निगमित किया गया था।

ईपीआईयूआइडीएल के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 361 के अधीन सितंबर, 2018 में त्वरित परिसमापन की याचिका फाइल की थी जिसे 21.04.2022 में प्रादेशिक निदेशक (उत्तर), कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष सुनवाई के लिए उठाया गया था। सुनवाई के दौरान यह सूचित किया गया है कि दायर याचिका परिसमापन से संबंधित त्वरित प्रक्रिया के लिए उपयुक्त मामला नहीं है और आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन उपलब्ध अन्य कार्रवाई कर सकता है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248(1)(क) के अनुसरण में दिनांक 23.05.2022 को महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटाने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है।

उस आवेदन के प्रत्युत्तर में, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने ईपीआईयूआईडीएल को दिनांक 30.11.2022/07.12.2022 को कंपनी रजिस्टर (एसटीके–1) से कंपनी का नाम हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। इसके उपरांत आरओसी ने 21.04.2023 को एसकेटी–5क (कंपनी का नाम हटाने के लिए सार्वजनिक नोटिस) जारी किया और इसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया तथा एसटीके–5क (सार्वजनिक सूचना) दिनांक 02.05.2023 को टाइम्स सिटी समाचार पत्र (दिनांक 13.06.2023) में भी प्रकाशित की गई। आरओसी ने दिनांक 20.07.2023 को एसटीके–7 (कंपनी का नाम हटाने और विघटन की सूचना) जारी की और दिनांक 29.07.2023 को शासकीय राजपत्र में इसे प्रकाशित किया। इसके पश्चात यह अनुषंगी कंपनी अर्थात् ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटा दिया गया है और इसका विघटन हो गया है।

संयुक्त उद्यम:

भारतमाला परियोजना के अधीन ईपीसी मोड पर, गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर किमी 117.600 से किमी 185.000 तक मौजूदा चार लेन वाले जेतपुर–गोंडल–राजकोट सेक्शन को छह लेन में चौडीकरण से संबंधित 1204.80 करोड रुपये के कुल परियोजना मूल्य वाली परियोजना के लिए दिनांक 25 अगस्त 2023 को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और वराह इंफ्रा लिमिटेड जोधपुर के बीच एक संयुक्त

उद्यम ''ईपीआई–वराह जेवी'' (अनिगमित) का गठन किया गया जिसमें संयुक्त उद्यम के प्रमुख भागीदार के रूप में कार्य करने वाले इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की भागीदारी 51 प्रतिशत और वराह इंडिया लिमिटेड के लिए 49 प्रतिशतकी भागीदारी है।

23. लेखापरीक्षक

क) सांविधिक और शाखा लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के लिए नियुक्त सांविधिक और शाखा लेखापरीक्षक इस प्रकार हैं–

क्र. सं.	फर्म का नाम	क्षेत्र
1.	मैसर्स वीएसडी एंड एसोसिएट्स	सांविधिक लेखापरीक्षक– निगम कार्यालय/अलवर एवं समेकन
शाखा लेखापरीक्षकः		
1.	मैसर्स भुदलडिया एंड कंपनी, नई दिल्ली	उत्तरी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
2.	मैसर्स ए आर दास एंड एसोसिएट्स	पूर्वी क्षेत्र एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
3.	मैसर्स निमेश मेहता एंड एसोसिएट्स	पश्चिमी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
4.	मैसर्स एम गोपाल एंड कंपनी	दक्षिणी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
5.	मैसर्स एमएचएमवाई, ओमान	ओमान, शाखा लेखापरीक्षक
6.	मैसर्स एसीसीफर्स्ट पार्टनर्स, श्रीलंका	श्रीलंका, शाखा लेखापरीक्षक
7.	मैसर्स डाव कलयार विन अकाउंटिंग औडिटिंग एंड कंसलटैंसी सर्विसेज, म्यांमार	म्यामार शाखा लेखा परीक्षक

ख) सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और चयन) नियम 2014 के नियम 9(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसरण में वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी ने मैसर्स एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी को शाखा लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवालय मानकः

वर्ष के दौरान कंपनी ने जहां तक संभव हो लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

ग) लागत लेखापरीक्षक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना, तारीख 31.07.2018 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अधीन विनिर्दिष्ट लागत लेखे और अभिलेखों को तैयार किया गया है और अनुरक्षण किया गया है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसरण में वर्ष 2023–24 के लिए मैसर्स अनुज कुमार एंड कंपनी को लागत लेखाकार नियुक्त किया है।

वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट लागत लेखे और अभिलेख उचित प्रकार से रखे हैं और उनका उचित रूप से अनुपालन किया है।

24. सांविधिक लेखापरीक्षक और शाखा लेखापरीक्षक द्वारा की गई प्रत्येक अर्हता, रिजर्वेशन या प्रतिकूल टिप्पणी या प्रकटन पर मंडल का स्पष्टीकरण या टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वर्ष 2023–24 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखाओं पर टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर, यदि कोई हैं उन्हें इस रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध किया गया है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वर्ष 2023–24 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर, यदि कोई हैं तो उन्हें इस रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध किया गया है।

25. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन उधार, प्रतिभूति या निवेशों की विशिष्टियां

वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन कोई उधार नहीं दिया गया है, कोई गारंटी नहीं दी गई है या कोई निवेश नहीं किया गया है।

26. विशिष्टियों का प्रकटन

कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों के अनुसरण में ऊर्जा, प्रौद्योगिकी विलयन और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्ययन के संरक्षण पर सूचना के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

26.01 ऊर्जा दक्षता और उसका संरक्षण–

ईपीआई अपने कार्यालय परिसरों और निष्पादन के लिए उसे सौंपी गई विभिन्न परियोजनाओं में ऊर्जा दक्ष उपस्करों के उपयोग को अत्याधिक महत्व दिया है, ताकि पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। ईपीआई ने अपने निगम मुख्यालयों में ग्रिड से जुड़े हुए छत पर लगे हुए सौर संयंत्र प्रतिष्ठापित किए हैं।

ईपीआई एचवीएसी प्रणाली में बीएमएस, एलइडी लाइट, कैपेसिटर बैंक, संवेदक आधारित इंडोर लाइट, डीजी सेट सिंक्रनाइजेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, अधिक दक्षता और कम खपत के लिए औद्योगिक परियोजनाओं में स्वचालन सहित विभिन्न ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है।

हम ऊर्जा नुकसान से बचने के उद्देश्य से वितरण लाइनों में निम्नलिखित पद्धतियों के माध्यम से ऊर्जा की बचत कर रहे हैं:–

क) फेस भार का संतुलनः प्रत्येक फेस सीक्वेंस के असमान भार के परिणाम स्वरूप संघटक ट्रांसफार्मर, केबल, संचालकों, मोटरों को अधिक गर्म कर देते हैं जिससे नुकसान और बढ़ जाता है और असंतुलित वोल्टेज की स्थिति के कारण मोटर में खराबी आ जाती है। इससे बचने के लिए, ईपीआई सभी फेस में लोड को समान रूप से संतुलित करने का प्रयास करता है।

ख) पावर फैक्टर कंट्रोलर का उपयोग करके ऊर्जा की बचतः निम्न पावर फैक्टर से करंट में वृद्धि होती है और इसके कारण नुकसान बढ़ जाता है तथा वोल्टेज मेंगिरावट आ जाती है। हम पावर फैक्टर कंट्रोलर के रूप में एचटी और एलटी पर कैपेसिटर बैंक का उपयोग करते हैं।

ग) पीएलसी द्वारा स्वचालनः कच्ची सामग्रियों की प्रोसेसिंग करने के लिए औद्योगिक परियोजनाओं में हम पीएलसी का उपयोग करके संपूर्ण स्वचालन तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं।

घ) विभिन्न विमानपत्तन और डाटा केंद्र परियोजनाओं के लिए प्रबंधन प्रणाली का निर्माण।

ङ) नुकसान से बचने के लिए उपस्कर के रिसीविंग स्थान पर वोल्टेज में कमी को सीमित करना।

26.02 प्रौद्योगिकी विलयन

क) अनुसंधान और विकास

ईपीआई के कार्य की प्रकृति को देखते हुए, अनुसंधान एवं विकास के लिए सीमित स्थान है क्योंकि आपकी कंपनी ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर कार्य का निष्पादन करती है। तथापि ईपीआई सक्रिय रुप से नवीनतम प्रौद्योगिकी जैसे प्रीफैब्रिकेशन, ग्लास फाइबर रिइंफोर्सड जिप्सम (जीएफआरजी) प्रणाली, लाइट गेज शीट फ्रेम्ड स्ट्रक्चर (एलजीएसऐफ प्रणाली), पारंपरिक आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर अर्थात प्रीकास्ट, मॉड्यूलर मोनोलिथिक कंकरीटिंग जिसमें आलूमा फ्रेमवर्क एवं अन्य के अतिरिक्त न्यूट्रल प्रौद्योगिकी अधिक तेजी से और लागत प्रभावी संनिर्माण के लिए तथा वैसी ही प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है।

ईपीआई ने डेटा सेंटर के लिए एक आंतरिक डिजाइन विकसित किया है। ईपीआई ने केबल और स्विचगियर गणना के लिए इन–हाउस एक्सेल सॉफ्टवेयर सृजित किया है जो केबल और स्विचगियर के सटीक आकार को निर्धारित करने में सहायता करता है।

ख) प्रौद्योगिकी विलयन

कंपनी संनिर्माण में प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के उन्नयन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। स्मार्ट शहर अभियान परियोजना (एससीएम) के अधीन, वहनीय आवास, एकीकृत मल्टीमॉडल परिवहन, खुले स्थानों का सृजन और परिरक्षण तथा अपशिष्ट और परिवहन प्रबंधन, रेलवे स्टेशनों और विमानपत्तन जैसी परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए सीमा निगरानी के उद्देश्य से ईपीआई ने अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए सीमा निगरानी अवसंरचना एवं प्रणाली विकसित की है जिसमें भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित रोक, वास्तविक समय स्क्रीन निगरानी, संवेदक, प्रकाशिक फाइबर केबल और एचआरसी कैमरा का उपयोग करके बुद्धिमतापूर्ण प्रणाली का उपयोग किया गया है।

ग) सूचना प्रौद्योगिकी और उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी)

आपकी कंपनी ईपीआई सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का लाभ उठा रही है और कंपनी ने वेतन, लेखा, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न कार्यों के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग कार्यान्वित किये हैं। पारदर्शिता में सुधार और दक्षता बढ़ाने के लिएबायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (चेहरा पहचान), ऑनलाइन भर्ती प्रणाली, ई–उपापन प्रणाली, फाइलों को आगे बढ़ाने के लिए ई–ऑफिस प्रणाली, ऑनलाइन परिपत्र पोर्टल, नई द्विभाषी ईपीआई वेबसाइट आदि आरंभ की गई है।

बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (चेहरा पहचान), ऑनलाइन भर्ती प्रणाली, ई–उपापन प्रणाली और दक्षता बढ़ाने और पारदर्शिता में सुधार के लिए पेश किए गए हैं। कंपनी में ऑन–लाइन सीडी और सतर्कता अनापत्ति प्रणाली भी कार्यान्वित की गई है।

ईआरपी–एसएपी का मानव संसाधन एवं वेतन पर्ची, वित्तीय प्रबंधन और दस्तावेज प्रबंधन मॉडयूल के लिए कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

ईआरओ, एनईआरओ, डब्लूआरओ और एसआरओ को एमपीएलएस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) साधन भी उपलब्धकराया गया है। डेटा सेंटर, सीओ और आरओ में एमपीएलएस (डब्ल्यूएएन) और इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है। वीसी के उपयोग से टीए, डीए, होटल आदि जैसे प्रशासनिक खर्चों में कमी आई है।

26.03 विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 में 4,643 लाख रुपए के सापेक्ष 2,442 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की। वर्ष 2023–24 में उपगत विदेशी व्यय 2022–23 में 5,481 लाख रुपए के सापेक्ष 2,649 लाख रुपए रहा।

27. गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन

आपकी कंपनी को उसके प्रचालन के क्षेत्र के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, उपजीविका स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रणाली अर्थात आईएसओ आयतसओ 9001:2015, आयतसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। ईपीआई पहली कुछ कंपनियों में से एक है जिसे सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रदान किया गया है।

28. कर्मचारियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथापेक्षित सांविधिक सूचना

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 और उसके अधीन बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों को कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना, तारीख 5 जून 2015 के अनुसार लागू नहीं होते हैं।

29. निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और भरणीयता

निदेशकों की इस रिपोर्ट के साथ निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और भरणीयता पर एक रिपोर्ट **उपाबंध–ग** के रूप में उपाबद्ध है।

30. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी के पास उसके कारबार के व्यवस्थित और दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है जिसके अंतर्गत कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी आस्तियों के सुरक्षोपाय, कपट का निवारण, लेखांकन अभिलेखों की निवलता और विश्वासनीयता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर तैयार करना सम्मिलित है।

31. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन

मुख्य कार्यापालक अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन निगम शासन पर रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

32. जमाएं

वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी ने कोई जमा आमंत्रित नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन आता है या उसकी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है।

33. नातेदार पक्षकारों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं की विशिष्टियां

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में निर्दिष्ट संबंधित नातेदार के साथ किसी संविदा या व्यवस्था में प्रविष्ट नहीं हुई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के अधीन यथापेक्षित प्ररूप एओसी–2 में विशिष्टियां **उपाबंध–घ** में संलग्न हैं।

34. चालू समुत्थान प्रस्थिति और कंपनी के भावी प्रचालन को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और तात्विक आदेशों के ब्यौरे

लेखाओं की टिप्पणियों में आकस्मिक दायित्व में घोषित से भिन्न कोई महत्वपूर्ण या तात्विक आदेश विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित नहीं किया गया है जो कंपनी की चालू समुत्थान प्रस्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करता हो।

35. वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 92 (3), धारा 134 (3) की अपेक्षानुसार वार्षिक विवरणी कंपनी की वेबसाइट उपलब्ध है जिसे www.epi.gov.in पर देखा जा सकता है।

36. आभार

आपके निदेशकगण भारी उद्योग मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों और भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों तथा संगठनों से प्राप्त सहयोग और समर्थन की दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशकगण विभिन्न ग्राहकों और बैंकों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने आपकी कंपनी में विश्वास रखा। हम, उप–ठेकेदारों, ग्राहकों, सलाहकारों के परियोजनाओं के कार्यान्वयन में दिए गए योगदान की भी सराहना करते हैं। आप के निदेशकगण लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवालय लेखा परीक्षकों और लागत लेखा परीक्षकों का भी उनके द्वारा दिए गए सुझावों के लिए धन्यवाद करते हैं। मंडल अपने सभी कर्मचारियों को उनकी बहुमूल्य सेवाओं और उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनकी भूरि–भूरि प्रशंसा करता है तथा यह भी विश्वास करता है कि वे भविष्य में बेहतर कार्य निष्पादन हासिल करने के लिए अपना सर्वोत्तम देकर कंपनी में इस तरह अपना योगदान देना जारी रखेंगे।

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

ह0/–
(शिवेन्द्र नाथ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः10397812

तारीखः 25 जुलाई, 2024
स्थानः नई दिल्ली

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग ढांचा और विकास

आपकी कंपनी एक संनिर्माण कंपनी है जो राष्ट्र की अवसंरचना के विकास में योगदान करती है। अवसंरचना देश के समग्र विकास में एक मुख्य चालक है और भारत जैसे विकासशील देश में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

पर्याप्त अवसंरचना की कमी से न केवल आर्थिक विकास रुकता है अपितु स्वास्थ्य देखरेख और शिक्षा जैसी अनिवार्य सामाजिक सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए लोगों को समय, प्रयास और धन के रूप में अधिक लागत भी उठानी पड़ती है। इस प्रकार अच्छी गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना न केवल तीव्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है अपितु यह समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए भी नितांत आवश्यक है। साधारण अवसंरचना सुविधाएं तैयार करने से से छोटे उद्यमियों को बड़े पैमाने वाले उद्योगों के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलती है अतः इसे कर्मकारों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रति श्रमिकोन्मुखी बनाया जा रहा है। अवसंरचना के विकास के लिए ईपीआई ऐसी नीतियां आरंभ करने पर ध्यान केंद्रित करती है जो देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना का समयबद्ध सृजन सुनिश्चित कर सकें। इस सेक्टर के अंतर्गत विद्युत, पुल, बांध, सड़कें और शहरी अवसंरचना विकास आता है। वर्तमान में संनिर्माण उद्योग विकास का महत्वपूर्ण द्योतक है क्योंकि यह भारत में विभिन्न संबंधित क्षेत्रों में निवेश के अवसर पैदा करता है और कई दशकों से राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत से अधिक का योगदान दे रहा है। यह सेक्टर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है और बड़ी आबादी को रोजगार उपलब्ध कराता है।

राष्ट्र के विकास के लिए, सरकार ने स्वास्थ्य, अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स, तेल एवं गैस, एयरोस्पेस, रक्षा, औद्योगिक उत्पाद, प्रौद्योगिकी, मीडिया और दूरसंचार, विद्युत और खनन आदि जैसे मुख्य सेक्टरों में अब संरचना को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें आरंभ की हैं।

अपने विकास में और तेजी लाने के लिए ईपीआई ने विकास योजना के एक भाग के रूप में निम्नलिखित कार्यनीतियों को अंगीकार किया है:

- तकनीकी उन्नति को पूरा करने के लिए और प्रौद्योगिकी में परिवर्तनों को पूरा करने के लिए स्वयं की डिजाइन और इंजीनियरिंग क्षमताओं को सुदृढ़ीकरण।
- परियोजना अपेक्षा को पूरा करने के लिए कार्य दल का उन्नयन।
- कौशल और विशेषज्ञता के आधार पर कॉंट्रैक्टरों का चयन।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

सुदृढ़ता और खामियां

वे क्षेत्रजिन पर आईपीआईएल को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है/ को ईपीआईएल की खामियों के रूप में श्रेणीकृत किया गया है इसका सारांश में इस प्रकार दिया जा सकता है:

- सीमित डिजाइन और इंजीनियरिंग क्षमता।
- स्वयं की कोई विनिर्माण क्षमता ना होना।
- परिचालन को फलीभूत करने में नई प्रौद्योगिकियों का सीमित उपयोग।
- ढांचागत विनियामक और नीतिगत ढांचा का अभाव या भली भांति परिभाषित परिचालन और वित्त पोषण विनियम

न होना

- बीओटी/डीबीएफओटी/पीपीपी/एचएएम/बीओओटी ढंग से परियोजनाओं के निष्पादन का कोई अनुभव नहीं।
- निम्न निवेश क्षमता।
- अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रचालन।
- संपूर्ण संगठन में आईटी कौशल में वृद्धि करने की आवश्यकता।

तथापि आपकी कंपनी केवल एक संगठन ही नहीं है अपितु यह संनिर्माण वातावरण और अवसंरचना विकास में उत्कृष्ट इंजीनियरिंग की 50 वर्ष से अधिक की शानदार परंपरा की द्योतक है। इसके पास कतिपय अंतर्निहित सुदृढ़ताएं हैं जैसेः

- समूचे भारतवर्ष उपस्थिति।
- उच्च कर्मचारी उत्पादकता।
- संनिर्माण और परियोजना प्रबंधन में पूर्णतया सिद्ध क्षमता के साथ प्रशिक्षित जनशक्ति विशेषज्ञता।
- बहुविषयी पर योजनाएं हाथ में लेने की क्षमता।
- संन्निर्माण से संबंधित योजना और इंजीनियरिंग के सभी क्षेत्रों में अनेक प्रकार की सेवाओं का प्रस्ताव।
- ईपीआई के पास पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर में लगभग सभी विद्युत उपभोक्ताओं और इस्पात संयंत्रों के लिए कार्य करने की विलक्षण उत्कृष्टता है।
- ईपीआई परियोजना निर्यात में अग्रणी है और इसने अन्य भारतीय कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों के लिए नए आयाम के अवसर खोले हैं।
- ईपीआई पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और भारत में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अद्यतन प्रयोग की का उपयोग करते हुए अनेक जटिल परियोजनाओं का निष्पादन किया है।
- ईपीआई उन कुछ प्रमुख कंपनियों में से एक है जिसे गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन पर, और उपजीविका स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाण पत्र अर्थात आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015, आईएसओ 45001:2018 और आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रदान किए गए हैं।

ईपीआई के व्यापक अनुभव और दी गई सेवाओं की गुणवत्ता के कारण केंद्रीय सरकार के अनेक मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारें ईपीआई की सेवाओं का अपने विस्तारित इंजीनियरिंग अंग के रूप में उपयोग कर रही हैं।

ईपीआई ने निम्नलिखित परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पदार्पण के लिए अनेक बल देने वाले क्षेत्रों की पहचान की है।

क) भूमि प्रबंधन अभिकरण
ख) रेलवे परियोजनाएं जिसके अंतर्गत स्थाई रास्ता है
ग) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली (अपशिष्ट से ऊर्जा)
घ) प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएं जिसके अंतर्गत डाटा सेंटर विकास, सुरक्षा एवं निगरानी परियोजनाएं हैं
ङ) स्मार्ट सिटी परियोजनाएं
च) फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन
छ) वेयरहाउस एवं एसआईएलओएस
ज) जल डिसेलिनेशन परियोजनाए
झ) पतन विकास
ञ) टनलिंग

ट) रोपवे

ठ) मल्टीलेवल पार्किंग

इसके अतिरिक्त ईपीआई के इंजीनियर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्य करने की स्कीम के प्रति भली–भांति अवगत हैं, आपकी कंपनी ने दूसरे देशों अर्थात कुवैत, इराक, सऊदी अरब, मालदीव, थाईलैंड, युगोस्लाविया, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात में अनेक परियोजनाएं निष्पादित की हैं और उसने सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी गति बनाए रखी है।

अवसर और चुनौतियां

ईपीआई निम्नलिखित चुनौतियों और जोखिमों का सामना करती है:

- अवसंरचना बाजार में अनेक कंपनियां हैं, जिनके पास अधिक वित्त है।
- ईपीआई की पारंपरिक रूप से कार्यशैली बीओटी परियोजनाओं की ओर अग्रसर होने के अनुरूप नहीं है।
- विद्युत, पत्तन, दूरसंचार आदि में स्थापित ईपीसी कंपनियों की उपस्थिति।
- सिंचाई और जलापूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्रों में ईपीसी कंपनियों के लिए निम्न प्रवेश रुकावटें विद्यमान हैं।
- पीपीपी परियोजनाओं के लिए निविदा दस्तावेजों की अर्हता के नए माडल केवल शीर्षस्थ पांच या छह अर्हता प्राप्त आवेदकों को भागीदारी के लिए आमंत्रित करना अनुज्ञात करते हैं।

तथापि ये चुनौतियां संगठन को नए अवसर प्रदान करती हैं। संनिर्माण उद्योग कृषि के पश्चात् भारत में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 11 प्रतिशत है। इस सेक्टर में भारी मांग है। चूंकि भारत वर्ष 2024–25 तक पांच ट्रिलियन अमेरीकी डालर की अर्थव्यवस्था बनने की प्रत्याशा करता है, देश को अवसंरचना पर 1.4 ट्रिलियन अमेरीकी डालर खर्च करने की आवश्यकता है, जो अवसंरचना पर लोक व्यय में वृद्धि करने से और पीपीपी वित्तपोषण के नए ढंगों में पदार्पण करने से परिलक्षित होता है।

माननीय प्रधानमंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत' में स्वनिर्भरता पर बहुत बल दिया है, जिसमें उनके द्वारा बल दिए गए पांच स्तंभों में से दो स्तंभ आधुनिक अवसंरचना और नई प्रौद्योगिकी द्वारा चालित से संबंधित हैं। आपकी कंपनी भी 'आत्मनिर्भर भारत' ध्येय को कार्यान्वित करने में देश की अवसंरचना आवश्यकताओं में आवश्यक परिवर्तन और नूतनता को आत्मसात करके मुख्य भूमिका का निर्वाह करने के लिए अनुकूलतम प्रयास कर रही है। मुख्यतः एक परामर्शी और संविदाकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी ने प्रत्येक क्षेत्र में जहां उसकी आवश्यकता है अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को साबित किया है। कंपनी उत्कृष्टता के लिए और ग्राहक के पूर्ण समाधान के लिए अपनी सभी परियोजनाओं को प्रतिबद्धता के साथ हाथ में लेती है। वर्ष 1970 में अपने निगमन से ही ईपीआई ने विभिन्न प्रकृति की परियोजनाओं को निष्पादित किया है, जैसे अस्पताल–सह–आयुर्विज्ञान महाविद्यालय भवन, सांस्थानिक परिसर, विश्वविद्यालय, वाणिज्यिक भवन, आवास परिसर, पुल, जल आपूर्ति प्रणालियां, नहरें, अवसंरचना, विकास वर्क्स, विद्युत संयंत्र, प्रक्रिया संयंत्र, औद्योगिक संयंत्र, सामग्री हस्थालन प्रणालियां और खेल स्टेडियम आदि।

ईपीआई की आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों और अस्पतालों के संनिर्माण के माध्यम से आयुर्विज्ञान अवसंरचना में अच्छी साख है। आपकी कंपनी ने हाल ही में पीएमसी के रूप में महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न स्थलों पर नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के भवनों के संनिर्माण का कार्य हासिल किया है।

इसके अतिरिक्त, ईपीआई ने आवासीय और सांस्थानिक आवश्यकताओं में योजना और डिजाइन में भावी भवनों में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए स्वयं की और बाह्य क्षमताओं में परिवर्तन किया है ताकि ग्राहक संगठनों की उनके लिए उपयोगी विकास करके सहायता की जा सके, के लिए नए विचारों की परिकल्पना की है।

प्रौद्योगिकी, डिजीटाइजेशन पर बल के साथ गृह आईटी और आईटी समर्थित सेवाओं से कार्य पर बल को बढ़ावा मिलेगा।

आपकी कंपनी ने पहले ही डाटा केंद्रों की स्थापना में पदार्पण किया है जहां बड़े पैमाने पर डाटा तक पहुंच अनुज्ञात करने या डाटा के संग्रहण, भंडारण, प्रोसेसिंग, वितरण के प्रयोजनों के लिए कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग उपस्कर रखे जाएंगे। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को ईपीआई द्वारा एक और अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

ईपीआई ने पहले से ही निगरानी के क्षेत्र में स्वयं को एक सक्षम कंपनी के रूप में स्थापित कर लिया है। इसने सफलतापूर्वक महत्वपूर्ण अवसंरचना और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इलैक्ट्रानिक आधारित सुरक्षा और निगरानी से संबंधित परियोनजाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। इसने एकीकृत पैरामीटर समाधान और सीसीटीवी प्रतिष्ठापित करने में अपनी साख स्थापित की है।

हरित अर्थव्यवस्था पर बढ़ते हुए ध्यान और भरणीय विकास उद्देश्यों को पूरा करने के लिए फ्लू गैस डिसल्फरराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली जैसी हरित प्रौद्योगिकियां की भारी मांग है। दो लाख मेगावाट से अधिक की प्रतिष्ठापित ताप विद्युत क्षमता और एफजीडी प्रणाली की अनुमानित बाजार संभावना लगभग एक लाख करोड़ रुपए है। ईपीआईएल ने पहले से ही स्वयं को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दावेदार के रूप में विभिन्न निविदा चक्रों में स्थापित कर लिया है।

खंडवार और उत्पादवार कार्य निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी के टर्नओवर में आवास और भवन संकर्म जिसके अंतर्गत अस्पताल परियोजना खंड भी है 49.16 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहे, जिसके पश्चात अवसंरचना परियोजनाएं जिसके अंतर्गत सड़क और पुल खंड भी हैं, इसकी प्रतिशत भागीदारी 22.36 रही। जलापूर्ति और पर्यावरणीय स्कीम परियोजना खंड का प्रतिशत शेयर 3.79 से बढ़कर 11.61 प्रतिशत हो गया है।

नीचे दी गई सारणी कंपनी के प्रचालनों का खंड वार विश्लेषण प्रस्तुत करती है:

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	खंड वार परियोजनाएं	2021–22		2022–23		2023–24	
		टर्नओवर	%	टर्नओवर	%	टर्नओवर	%
1	अवासीय एवं भवन संकर्म जिसके अंतर्गत अस्पताल परियोजना भी सम्मिलित हैं	389.82	52.95	557.17	49.22	414.89	49.16
2	बांध एवं सिंचाई परियोजनाएं	20.15	2.74	28.45	2.51	0.02	0.00
3	औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र, सामग्री हस्तालन, वैद्युत एवं सीमा प्रबंधन परियोजनाएं	199.21	27.06	236.07	20.86	90.51	10.72
4	जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्कीम	1.89	0.26	42.84	3.79	97.96	11.61
5	सडक एवं पुल सहित अवसंरचना परियोजनाएं	113.62	15.43	189.51	16.74	188.69	22.36
6	अन्य परियोजनाएं	11.48	1.56	77.92	6.88	51.90	6.15
	योग	**736.17**	**100.00**	**1131.96**	**100.00**	**843.97**	**100.00**

संभावना

कंपनी का उद्देश्य 'उत्कृष्ट' एमओयू रेटिंग के साथ लाभांश का संदाय करने वाली लाभ देने वाली कंपनी बनना है। कंपनी का दूरगामी ध्येय नवरत्न अर्हता के साथ 'लघु रत्न अनुसूची–क कंपनी' बनना है।

पूर्वोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ईपीआईटर्नओवर और लाभप्रदता में वृद्धि करने पर और प्रचालन व्यय में कमी करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। तथापि, ईपीआई के लिए सिविल संनिर्माण परियोजनाओं में गलाकाट प्रतिस्पर्धा के कारण निम्न लाभ मार्जिन काफी चुनौतीपूर्ण है। अतः ईपीआई उच्चतर लाभ मार्जिन वाले उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रवेश करने के अवसर देख रही है। जहां भी साख/पीक्यू मानदंड की कमी के कारण नए क्षेत्रों में उच्चतर मूल्य की परियोजनाएं हासिल करने में ईपीआई, कठिनाई का सामना कर रही है वहां वह विख्यात फर्मों के साथ टाईअप/सहबद्धता कर रही है। इसलिए, आपकी कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में पर्दापण को दीर्घावधि में बाजार में स्थान हासिल करने के रूप में देख रही है। अपने मूल कारबार को सुदृढ़ करने के साथ ईपीआई संनिर्माण उद्योग में कीमत और गुणवत्ता में अग्रणी के रूप में उभरकर आने के लिए अपनी विभिन्न सेक्टर संबंधी सेवाओं में योगदान कर रही है।

विभिन्न क्षेत्रों में पदार्पण ईपीआई को कुछ कर मार्जिन प्राप्त करने में लोच प्रदान करता है क्योंकि बाजार के प्रति जागरूकता काम है और बाजार में प्रतिस्पर्धियों के लिए प्रवेश करने में अधिक रुकावटें हो सकती हैं। ईपीआई परिचालन के लिए निम्नलिखित नए क्षेत्रों की संभावना तलाश रही है:

सॉफ्टवेयर विकास परियोजनाएं: ईपीआई डैशबोड आदि की डिजाइनिंग और प्रबंधन से संबंधित कुछ विकास परियोजनाओं का पता लगा कर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से संबंधित नए क्षेत्र में प्रवेश करने के अवसर तलाश रही है।

रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास: ईपीआई ने भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी) में विभिन्न रेलवे स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श का कार्य भी हाथ में लिया है।

अपशिष्ट से ऊर्जा: ईपीआई अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के क्षेत्र में भी कार्य हाथ में लेने की इच्छा रखती है जिसके अंतर्गत विभिन्न नगरपालिकांओ के विभिन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू)/पुनरोपयोग उद्भूत (आरडीएफ) ईंधन परिचालित अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र है।

जल अलवणीकरण: ईपीआई भारत और विदेश में विभिन्न सागर जल अलवणीकरण परियोजनाओं, ताप अलवणीकरण संयंत्र परियोजना और औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार परियोजनाओं में भाग लेने के अवसर देख रही है।

अधूरी परियोजनाओं के लिए पीएमसी सेवा: ईपीआई के पास रुके हुए/अपूर्ण जोखिमों के लिए और तृतीय पक्षकार संनिर्माण कंपनियों को नियोजित करके उनका पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य करने की क्षमता है।

स्मार्ट सिटी: ईपीआई के पास नगर सुधार (रिट्रोफिटिंग), नगर नवीकरण (पुनर्विकास) और नगर विस्तार (ग्रीन फील्ड विकास) में भाग लेने और तथा प्रौद्योगिकी, सूचना और डाटा जैसे अवसंरचना और सेवाओं में सुधार लाने के लिए स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट बस, वैद्युत चार्जिंग प्वाइंट संगठक आदि में भाग लेने की क्षमता है।

ताप संयंत्रों में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली: इसमें फ्लू गैस डिसल्फरआईजेशन प्रणाली का निर्माण सम्मिलित है जिसके अंतर्गत उपस्कर का इरेक्शन, पर्यवेक्षण और प्री–कमिश्निंग, कमिश्निंग, उपस्कर की कार्य निष्पादन जांच जिसके अंतर्गत सभी संबंधित वैद्युत, नियंत्रण और इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल कार्य सम्मिलित हैं।

वेयरहाउस और साइलो: ईपीआई भारत और विदेश में कंक्रीट साइलो के निष्पादन में आपने पूर्व अनुभव के आधार पर स्टोरेज साइलो के क्षेत्र में परियोजना अवसरों का पता लगा रही है। आज कंक्रीट और इस्पात साइलो का स्टोरेज अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए उद्योग में सामान्यता उपयोग किया जा रहा है।

अतः कंपनी ऐसी कारबार विकास रणनीति के विकास पर बल दे रही है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:

- अपने स्थापना व्यय को कम करने के लिए अधिक व्यापक फैले हुए ग्राहकों को शामिल करके और अधिक मूल्य की परियोजनाओं को हाथ में लेकर आक्रामक और केंद्रित विपणन/व्यवसाय विकास पहल।
- ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) पर बल।

- ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में ओईएम/संभावित भागीदारों के साथ प्रौद्योगिकी समझौता/समझौता ज्ञापन।
- संभावित ग्राहकों के साथ अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)।

ड्रेजिंग और डिसिल्टिंग: ईपीआई भारत और विदेशों में नदी, समुद्र और बांधों आदि की आगामी ड्रेजिंग/डिसिल्टिंग परियोजनाओं में भाग लेने के लिए तकनीकी टाईअप/एसोसिएशन/जेवी/कंसोर्टियम आदि के लिए कंपनियों/फर्मों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से विभिन्न ग्राहकों के लिए भारत और विदेशों में ड्रेजिंग परियोजनाओं के क्षेत्र में परियोजना के अवसर तलाश रही है।

टॉरफिकेशन प्रौद्योगिकी विकासकर्ता (टीटीडी): ईपीआई भारत और विदेशों में विभिन्न ग्राहकों के लिए आगामी टीटीडी परियोजनाओं को हाथ में लेने का आशय रखती है। इसके लिए कंपनी तकनीकी टाईअप/एसोसिएशन/जेवी/कंसोर्टियम आदि के लिए कंपनियों/फर्मों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से तापीय बिजली संयत्र की आगामी टीटीडी परियोजनाओं में भाग लेने की इच्छुक है।

नियोजित लोगों की संख्या सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध मंच में तात्विक विकास

कंपनी का ध्यान भारत के साथ–साथ विदेशों में विशेषकर मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया मे परियोजनाएं प्राप्त करने पर है। इस लक्ष्य को हासिल करने को सुगम बनाने के लिए कंपनी चालू परियोजनाओं के साथ–साथ नई परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्रत्येक स्तर पर विशेषीकृत कौशल के साथ सर्वोत्तम प्रतिभा को हासिल करने का उद्देश्य रखती है। वर्ष 2023–24 के दौरान किसी नियमित कर्मचारी की भर्ती नहीं की गई तथा 7 कर्मचारियों की नियत अवधि के लिए भर्ती की गई। तथापि वर्ष 2023–24 की अवधि में नियत अवधि के एक कर्मचारी ने त्यागपत्र दे दिया।

इसके साथ कंपनी सभी स्तरों पर अनेक इन हाउस और बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करके कर्मचारियों के तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल का विकास करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 115 इन हाउस प्रशिक्षण श्रमदिवस आयोजित किए गए थे और 21 बाहरी प्रशिक्षण श्रमदिवस आयोजित किए गए थे।

पर्यावरणीय संरक्षण और परिरक्षण, तकनीकी परिरक्षण, विदेशी मुद्रा की बचत

- **पर्यावरणीय संरक्षण एवं परिरक्षण**

  ईपीआई के परियोजना प्रबंधन परामर्शी एवं संनिर्माण कंपनी होने के नाते ताप विद्युत संयंत्रों में अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर SO_2 स्तर को कम करने के लिए एफजीडी परियोजनाओं (फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन) को करने, धूल कणों को बिछाने के लिए डीएस एवं डीई प्रणाली जिससे प्रक्रिया उद्योग में वायु की गुणवत्ता में सुधार हो सके, सुरंगों और सब स्टेशनों में मानव जीवन की कार्य स्थिति में सुधार के लिए दाबकृत संवातन और नगरों और अस्पताल परियोजनाओं में एसटीपी (मल प्रशोधन संयंत्र)/डब्ल्यूटीपी (जल प्रशोधन संयंत्र) पर विशेष बल देती है।

  पोजालाना सीमेंट का अनिवार्य उपयोग, वृक्षारोपण, अपशिष्ट जल का पुनरोपयोग/अपशिष्ट प्रशोधन प्रणाली, सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा, प्रकाश संवेदक, कम किया जा सकने वाला प्रकाश, तापीय इंसुलेशन, कार्यस्थल आदि पर संनिर्माण के दौरान टैंकर के माध्यम से जल का छिड़काव को कार्यान्वित किया जाता है। कंपनी ने परियोजनाओं के निष्पादन में एकीकृत पर्यावास निर्धारण के लिए हरित रेटिंग (जीआरआईएचए) को अंगीकार किया है जिसका परिणाम पर्यावरण के रक्षण के साथ–साथ ऊर्जा की बचत के रूप में हुआ है। विभिन्न परियोजना स्थलों पर पर्यावरण अनुकूल उपस्कर जैसे सौर प्रकाश आदि जिन्हें किसी अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है को भी प्रतिष्ठापित जा रहा है।

  पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:–

1. निम्नलिखित साइटों पर वृक्षारोपण अभियान चलाए गए:–

   i. 06 जून, 2023 को एनआईपीईआर परियोजना, गुवाहाटी
   ii. 12 जुलाई, 2023 को एनएचआईडीसीएल सड़क परियोजना, मनु, त्रिपुरा,
   iii. 14 अगस्त, 2023 को पीजीसीआईएल परियोजना, त्रिपुरा,
   iv. 12 अगस्त, 2023 को टीटीडीसीएल परियोजना, अगरतला, त्रिपुरा,
   v. 11 अगस्त, 2023 को टीएचसीबी परियोजना, अगरतला, त्रिपुरा,
   vi. 16 अक्टूबर 2023 को मिजोरम विश्वविद्यालय परियोजना, आइजोल (मिजोरम)।

2. विशेष अभियान के दौरान, एनईआरओ और इसके साइट कार्यालयों में अप्रयुक्त कार्यालय स्थान का उपयोग में लाने के प्रयास किए गए।

प्रौद्योगिकीय संरक्षण

- प्रौद्योगिकी संरक्षण के एक भाग के रूप में, ईपीआई ने संनिर्माण लागत और समय को कम करने के लिए तथा पर्यावरणीय प्रदूषण में कटौती करने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करना आरंभ किया है:

  - बालू के टीलों को स्थिर करने, सड़कों का निर्माण करने और बाड की नींव को स्थिर करने के लिए चूना पत्थर/ धातुमल जैसी खनन की गई सामग्रियों का उपयोग।
  - शून्य निस्सारण के साथ अपशिष्ट का प्रशोधन जिसके अंतर्गत पुनर्चक्रण, लवणता को कम करने के लिए पारिस्थितिकी संवेदी प्रभावी सूक्ष्म जीवाणु प्रौद्योगिकी सहित ऑनलाइन उपचार।
  - वृहत्त आवास और अन्य संनिर्माण परियोजनाओं के लिए तीव्र मोनोलिथिक आपदा रोधी प्रौद्योगिकी को अंगीकार करना।
  - पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपशिष्ट जल प्रशोधन जिससे उसका उपयोग विशिष्ट अंतिम उपयोग जैसे पेयजल, सिंचाई या और औद्योगिक प्रयोजन में किया जा सके।

विदेशी मुद्रा संरक्षण

कंपनी हमेशा विदेशी मुद्रा की बचत करने का प्रयास करती है। घरेलू आवश्यकताओं के लिए स्वदेश में निर्मित सामग्रियों और मशीनों की खरीद की जाती है जो कंपनी से विदेशी मुद्रा के बाहिर्गमन को रोकती है। नई प्रौद्योगिकियों, इंजीनियरी नूतनों, आदि को स्वंय के डिजाइन का विकास करने के लिए अंगीकृत किया जाता है।

प्रौद्योगिकियों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए और आधुनिक उत्पादन तथा प्रसंस्करण सुविधाओं की भारत में स्थापना करने के लिए मशीनरी, मशीनरी के समुचित उपांतरण/अंगीकरण के लिए, उपस्कर और विदेश आधारित प्रौद्योगिकीय डिजाइन को स्वदेशी स्रोतों से खरीदा जाता है। भारतीय परिस्थितियों की भीषणता के अधीन प्रचालन के लिए अंगीकार करने के लिए सभी प्रक्रियाओं गंभीरता से जांच की जाती है। मूल्यवान विदेशी मुद्रा का व्यय भारतीय दक्षता का विस्तृत इंजीनियरी, विनिर्माण एवं सुविधाओं के संयोजन में नई प्रौद्योगिकियों और विदेश में विकसित जानकारी को अपनाकर उन्नत डिजाइन एवं तकनीकी विशेषताओं के माध्यम से कमी लाने का प्रयास किया गया है।

सचेत करने वाला कथन

इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट का विवरण कंपनी के उद्देश्यों, प्रेक्षणों का वर्णन करता है जो लागू विधियों और विनियमों के अर्थांतर्गत आगे बढ़ने के लिए कथन हैं। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त या समझे गए परिणामों से सारवान रूप से या तात्विक रूप से भिन्न हो सकते हैं, महत्वपूर्ण विकास कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित कर सकते हैं जिनके अंतर्गत अवसंरचना क्षेत्र में अवमूल्यन की प्रवृत्ति, भारत में आर्थिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर में उतार–चढ़ाव, कर, विधियां, मुकदमेबाजी और श्रमिक संबंध हैं।

निगम शासन पर रिपोर्ट

1. निगम शासन पर कंपनी का दर्शन

कंपनी के मिशन/ध्येय कथन में ''पणधारियों के मूल्य वर्धन'' का उत्कीर्ण किया गया है। कंपनी का दृढ़विश्वास है कि अच्छे निगम शासन से सभी पणधारियों के लिए सतत आधार पर मूल्य का सृजन होता है। निगम शासन मुख्यतः पारदर्शिता, तात्विक तथ्यों का पूर्ण प्रकटन, मंडल की स्वतंत्रता और सभी पणधारियों के साथ न्यायोचित व्यवहार से संबंधित है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का निगम प्रशासन पर दर्शन इस प्रकार है:

''पेशेवरता का प्रयोग करना और कंपनी के सभी पणधारियों के लिए मूल्य का सृजन करने के लिए प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी होना है।''

2. निदेशक मंडल

(क) निदेशक मंडल की संरचना

कंपनी के निदेशक मंडल के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय) के माध्यम से की जाती है।

निदेशक मंडल 3 कार्यकारी/पूर्णकालिक निदेशक/2 शासकीय नामनिर्देशिति निदेशक तथा 3 स्वतंत्र निदेशकों से मिलकर बना है। 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कार्यकारी निदेशक अर्थात् निदेशक (परियोजना) का पद खाली था। प्रशासनिक मंत्रालय को उक्त पद पर रोक लगा रखी है/उपरि सीमा निर्धरित कर रखी है।

(ख) निदेशक मंडल की संरचना के ब्यौरे, निदेशक की श्रेणी, मंडल की बैठकों और वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में उपस्थिति और वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान धारित अन्य निदेशक पद इस प्रकार है:

निदेशकों का नाम	श्रेणी	भाग ली गई बोर्ड की बैठक	26.09.2023 को आयोजित अंतिम वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति	अन्य पब्लिक कंपनियों में धृत निदेशक पदों की संख्या (जिसके अंतर्गत ईपीआई नहीं है)	अवधि
(क) पूर्णकालिक निदेशक/कार्यकारी निदेशक (अतिरिक्त प्रभार सहित)					
श्री शिवेन्द्र नाथ डीआईएन:10397812	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2/4	लागू नही	2 (एचएसएल/एसएसएल)*	20.11.2023 से
श्री संजय बंगा डीआईएन:09353339	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	1/1	लागू नही	1;सीसीआई)*	01.10.2023 से 20.11.2023 तक
श्री डी.एस. राना डीआईएन: 07022825	अध्यक्ष एवं निदेशक एवं निदेशक (परियोजना) (अतिरिक्त प्रभार)	1/1	जी हां	–	30.09.2023 तक
श्री दिबेन्दु दास डीआईएन:10234285	निदेशक (वित्त)	4/4	जी हां	–	11.07.2023 से

श्री राज पाल सिंह डीआईएनः 08750557	निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार)	लागू नही	जी नहीं	1(सीसीआई)*	24.06.2023 तक
(ख) शासकीय नामनिर्देशिति/अंशकालिक निदेशक					
श्री राजेश कुमार मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए), एमएचआई डीआईएनः 09403746	निदेशक	3/4	जी हां	3(एचईसीपीएल, एचएमटीएमटीएल, बीएंडआर)*	01.11.2021से
सुश्री मुक्ता शेखर संयुक्त सचिव एमएचआई डीआईएनः 10118859	निदेशक	4/4	जी हां	8 (एचएमटीएमटीएल, एचएमटी(आई) एल, एचएमटी, एचटएमटीडब्ल्यूएल, बीएंडआर, आरईआईएल, सीसीआई, एनईपीए)*	10.04.2023 से
डॉ. रेणुका मिश्रा आर्थिक सलाहकार (ईए), एमएचआई डीआईएनः08635835	निदेशक	लागू नही	लागू नही	7 (एचएमटी, एचएमटीएमटीएल, एनईपीए, एचईसीपीएल, एचएमटी(आई)एल, आरईआईएल, सीसीआई)'	10.04.2023 तक
(ग) स्वतंत्र निदेशक/अंशकालिक (गैर शासकीय) निदेशक					
श्री विनोद कुमार यादव अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक डीआईएनः 06375196	निदेशक	4/4	जी हां	शून्य	02.11.2021से
श्रीमती आकांक्षा पारे अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक डीआईएनः 09394630	निदेशक	4/4	जी नहीं	शून्य	02.11.2021से
श्री अशोक शंकरराव मेंढे अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक डीआईएनः 10073305	निदेशक	4/4	जी हां	शून्य	07.03.2023से

*प्रयुक्त संक्षेपाक्षरः

बीएंडआर – ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
एचएमटीएलएमटीएल – एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
सीसीआई – सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एचएमटी (आई)एल – एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
एचएमटी डब्ल्यूएल – एचएमटी वॉचेज लिमिटेड
एसएसएल – सांभर साल्ट्स लिमिटेड
एचईसीएल – हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड
एनईपीए – नीपा लि.
आरईआईएल – राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
एचएमटी – एचएमटी लिमिटेड
एचएसएल – हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड

टिप्पण:

वर्ष 2023–24 के दौरान और तत्पश्चात इस रिपोर्ट की तारीख तक मंडल के निदेशक पद में निम्नलिखित परिवर्तन हुए।

1. भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 8–08(1)/2020–पीई–VIII/सीपीएसई. III (ई–21792), दिनांक 23.07.2024 द्वारा डॉ. रेणु मिश्रा, आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीइाईएल) में शासकीय नामनिर्देशिति निदेशक के रूप में सुश्री मुक्ता शेखर, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय के स्थान पर नियुक्त किया।

2. भारी उद्योग मंत्रालय ने निदेशक (वित्त), ईपीआईएल का अतिरिक्त प्रभार श्री आर.पी. सिंह, महाप्रबंधक (वित्त और लेखा), भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल) को 6 मास की अवधि अर्थात् दिनांक 15.03.2022 से दिनांक 14.09.2022 तक के लिए या जब तक नियमित पदधारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सौंपा था। तदुपरांत इस कार्यकाल को आगे दिनांक 15.09.2022 से दिनांक 24.06.2023 (उनकी अधिवर्षिता की तारीख) तक या जब तक नियमित पदधारी पर ग्रहण नहीं कर लेता है या अगले आदेश होने तक बढ़ा दिया था। श्री आर.पी. सिंह, का कार्यकाल 24.06.2023 को पूर्ण हो गया।

3. भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 8–08(1)/2020–पीई–VIII/सीपीएसई-III; (ई–21792),दिनांक 10.04.2023 द्वारा सुश्री मुक्ता शेखर, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीइाईएल) में शासकीय नामनिर्देशिति निदेशक के रूप में डॉ. रेणु मिश्रा, आर्थिक सलाहकार (डीए) भारी उद्योग मंत्रालय के स्थान पर नियुक्त किया।

4. भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 12–163/2021–टीएसडब्ल्यू(ई–23364), दिनांक 03.07.2023 द्वारा श्री दिबेन्दु दास, महाप्रबंधक, (जीएम), सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिडेट (एसपीएमसीआईएल) को निदेशक (वित्त), ईपीआईएल के रूप में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक या अगला आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया। श्री दिबेन्दु दास निदेशक (वित्त) ने दिनांक 11.07.2023 को अपना पदभार ग्रहण किया।

5. भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 12–16/4/2017–टीएसडब्ल्यू/सीपीएसई–III ;ई–12883), दिनांक 06.10.2023 द्वारा श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईपीआईएल के रूप में दिनांक 01.10.2023 से दिनांक 31.12.2023 से तीन मास की अवधि के लिए या अगला आदेश होने तक एसीसी के अनुमोदन के अधीन रहते हुए इनमें से जो भी पहले हो, अतिरिक्त प्रभार सौंपा। आगे, भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 06.10.2023 के आदेश के अनुसरण में श्री संजय बंगा का कार्यकाल दिनांक 20.11.2023 को पूर्ण हो गया।

6. भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 12–16/4/2017–टीएसडब्ल्यू (ई–12883), दिनांक 07.11.2023 द्वारा श्री शिवेन्द्र नाथ, वरिष्ठ महाप्रबंधक (एसजीएम), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईपीआईएल के रूप में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से या उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक या अगला आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो, पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया। श्री शिवेन्द्र नाथ ने दिनांक 20.11.2023 को अपना पदभार ग्रहण किया।

7. आगे, भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 12–16/3/2022–टीएसडब्ल्यू, दिनांक 06 मार्च, 2024 द्वारा श्री शिवेन्द्र नाथ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईपीआईएल को 6 मास की अवधि अर्थात् दिनांक 20.11.2023 के लिए या जब तक नियमित पदधारी पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निदेशक (परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। निदेशक (परियोजनाएं) – अतिरिक्त प्रभार के रूप में

उनका कार्यकाल दिनांक 05.04.2024 को समाप्त हो गया चूंकि श्री सुनील दहिया, निदेशक (परियोजना) ने दिनांक 05.04.2024 को पदभार ग्रहण कर लिया था।

8. आगे, भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 12–16/2/2017–टीएसडब्ल्यू (ई–12357), दिनांक 01.04.2024 द्वारा श्री सुनील दहिया, वरिष्ठ महाप्रबंधक (एसजीएम), इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को निदेशक (परियोजनाएं), ईपीआईएल के रूप में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक या अगला आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया। श्री सुनील दहिया, निदेशक (परियोजनाएं) ने दिनांक 05.04.2024 को पदभार ग्रहण किया।

(ग) मंडल की प्रक्रिया

निदेशक मंडल कंपनी के अच्छे शासन और कार्यकरण का सुनिश्चय करने के लिए मुख्य भूमिका का निर्वाह करता है। मंडल की बैठकें साधारणतया कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की जाती हैं। निदेशक मंडल नियमित अंतरालों पर कंपनी की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर चर्चा करने के लिए बैठकें करता है। निदेशक मंडल अवधिक रूप से सभी लागू विधियों की अनुपालना प्रास्थिति का पुनरीक्षण करता है। बैठकों के लिए कार्यवृत्त की टिप्पणियां संबंधित अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है और उनका अनुमोदन अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित कृत्यकारी निदेशकों द्वारा उन्हें सभी निदेशकों को भेजने से पूर्व किया जाता है। कंपनी सचिव यह सुनिश्चय करता है कि निदेशकों और ज्येष्ठ प्रबंधन को बैठकों में प्रभावी विनिश्चय करने के लिए सभी सुसंगत सूचना, ब्यौरे और दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं। निदेशक मंडल द्वारा विनिश्चय विचार–विमर्श के पश्चात किए जाते हैं।

(घ) निदेशक मंडल की बैठकों की संख्याः

वित वर्ष 2023–24 के दौरान निदेशक मंडल की चार (4) बैठकें आयोजित की गईं थी, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र. सं.	बैठक की तारीख	मंडल की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	20.07.2023	7	7
2.	19.10.2023	7	7
3.	31.01.2024	7	6
4.	28.03.2024	7	7

(ङ) स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जुलाई 2017 की अपनी अधिसूचना तारीख द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 4 के पैरा 7 के उप पैरा (3) के खंड (क) और खंड (ख) के लागू होने से छूट दी है जो यह अपेक्षा करता है कि स्वतंत्र निदेशक अपनी पृथक बैठक में गैर स्वतंत्र निदेशकों के और कार्यपालक निदेशकों और गैर कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप में निदेशक मंडल के कार्य निष्पादन की समीक्षा करेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV– स्वतंत्र निदेशकों के लिए संहिता के अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों की एक पृथक बैठक 21नवंबर, 2023 को ईपीआई के निगम कार्यालय, नई दिल्ली में (कार्यकारी निदेशकों, शासकीय निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों के बिना) आयोजित की गई। इस बैठक में, स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी प्रबंधन और निदेशक मंडल के बीच सूचना प्रवाह की मात्रा और समयबद्धता का मूल्यांकन किया जोकि मंडल के लिए अपने कर्तव्यों के प्रभावी और युक्ति–युक्त रूप से निष्पादन के लिए आवश्यक है।

(च) इस रिपोर्ट की स्थिति के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों का संक्षिप्त विवरणः

(i) श्री शिवेन्द्र नाथ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री शिवेन्द्र नाथ ने 20 नवंबर, 2023 से इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व वे बीएसएनएल में वरिष्ठ महाप्रबंधक/वरिष्ठ मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत थे।

श्री शिवेंद्र नाथ, रुड़की विश्वविद्यालय (अब यह आईआईटी रुड़की है) से अभियांत्रिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रांची से एमबीए किया है। श्री शिवेंद्र नाथ के पास पीएसयू/केंद्र सरकार/राज्य सरकार में अवसंरचना विकास, नगर नियोजन, बोली प्रक्रिया प्रबंधन, अग्रणी डिजाइन टीम, संविदा प्रबंधन, मध्यस्थता मामले, दूरसंचार सेवाओं का अनुरक्षण, आस्ति का मुद्रीकरण, नगर जनोपयोगी सेवाओं का स्वचालन, नगर की परियोजनाओं का वित्तीय समापन के क्षेत्र में काम करने का 27 वर्षों का अपार अनुभव है। बीएसएनएल में वरिष्ठ महाप्रबंधक दूरसंचार के रूप में उन्होंने (क) प्रभाग में मोबाइल, लीज लाइन, ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच और अन्य दूरसंचार सेवा का अनुरक्षण (ख) बीएसएनएल सेवाओं का विपणन और कारबार विकास (ग) भारत सरकार यूएसओएफ वित्त पोषित परियोजना का कार्यान्वयन पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। बीएसएनएल, शिलांग (तीन राज्यों मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रभारी) के मुख्य अभियंता (सिविल) और जीएम (एचआर) के रूप में– उन्होंने बीएसएनएल आस्तियों के मुद्रीकरण, सिविल से संबंधित परियोजना कार्यों और मानव संसाधन से संबंधित कार्यों में सक्रिय रूप से कार्य कियाहै। इसके अलावा, उन्होंने नया रायपुर (छत्तीसगढ़ का एक ग्रीनफील्ड राजधानी शहर–चंडीगढ़ शहर के समतुल्य क्षेत्र) में अपने कार्यकाल के दौरान शहरी बुनियादी ढांचे के विकास, नगर नियोजन के क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्य किया। उन्होंने नगर स्तर पर जलापूर्ति, नगर स्तर पर सीवेज प्रशोधन संयत्र, नगर के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवसाय योजना, जनोपयोगी सेवाओं के स्वचालन के क्षेत्र में काम किया है। उन्होंने नया रायपुर के स्मार्ट सिटी विकास की डीपीआर तैयार करने वाली टीम का नेतृत्व किया। यह उस समय भारत में अपनी तरह का पहला कार्य था। इसका उद्घाटन वर्ष 2016 में माननीय प्रधान मंत्री ने किया गया था।

(ii) श्री दिबेंदु दास, निदेशक (वित्त)

श्री दिबेंदु दास ने 11 जुलाई, 2023 से इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का पदभार ग्रहण किया है। इससे पूर्व, वे 02 नवंबर, 2017 से सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) में महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) के रूप में कार्यरत थे। श्री दास बी.कॉम स्नातक एवं भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान में फेलो सदस्य तथा भारतीय लागत लेखापाल संस्थान के सहयोगी सदस्य हैं।

श्री दास के पास इस्पात, अवसंरचना, विनिर्माण और बिजली क्षेत्र जैसे पीएसयू और निजी क्षेत्रों में काम करने का लगभग 29 वर्ष का का अपार अनुभव है। उन्होंने सेल, बीईएमएल, आईएलएंडएफएस और हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स जैसी कंपनियों के साथ काम किया है।

श्री दास ने लागत, बजट, एमआईएस, लेखा, कराधान, वित्तीय सम्यक उद्यम और नई परियोजनाओं के मूल्यांकन के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कार्य किया है। उन्होंने निजी कंपनियों में अपने कार्यकाल के दौरान एसएपी लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके पास वित्त एवं लेखा विभाग को आमूलचूल परिवर्तनलाने का व्यापक अनुभव है। वह अकाउंट्स मैनुअल, एचआर मैनुअल, कॉस्ट मैनुअल आदि जैसे नीतिगत दस्तावेज बनाने में भी जुड़े थे। वह जिन संगठनों में काम करते थे, उनमें प्रणालीगत सुधार करने में सक्रिय रूप से भूमिका निभाते थे। उन्होंने खाद बनाने, संनिर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट, अपशिष्ट से बिजली बनाने वाले संयत्र इत्यादि जैसी प्रबंधन परियोजनाओं से संबंधित पीपीपी परियोजनाओं में काम किया है। उन्हें वर्ष 2012 में ''अगले 100 सीएफओ'' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जो भावी सीएफओ को प्रदान किया गया था।

(iii) श्री सुनील दहिया, निदेशक (परियोजनाएं)

श्री सुनील दहिया ने 05 अप्रैल, 2024 से इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक (परियोजना) एवं का पदभार ग्रहण किया है। श्री सुनील दहिया ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी (राजस्थान) से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक किया और वर्ष 1992 में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अपना करियर आरंभ किया।

उनके पास तेल क्षेत्र (रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स) और केंद्र सरकार/सीपीएसई और निजी ग्राहकों के लिए अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं में परियोजना और संनिर्माण प्रबंधन में निष्पादन के विभिन्न तौर तरीकों यानी ईपीसीएम, पीएमसी, पीएमसी (जमा अवधारणा पर) में 31 वर्षों से अधिक का समृद्धशाली और विविधतापूर्ण अनुभव है। उनके पास प्रक्रिया इकाइयों, कच्चे जल प्रशोधन संयंत्र, आरओडीएम प्लांट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, नाइट्रोजन और इंस्ट्रूमेंट एयर प्लांट, कूलिंग टावर्स, क्रायोजेनिक उत्पादों के लिए डबल वॉल स्टोरेज टैंकेज, डिमाउंटेबल फ्लेयर सिस्टम, माउंडेड बुलेट्स जैसी उपयोगिता सुविधाओं में निर्माण प्रबंधन का विविध अनुभव है। भंडारण पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम भंडारण टैंकेज, स्वचालित भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली (एएसआरएस) गोदाम, यूटिलिटीज बॉयलर और उससे जुड़े संकर्म, स्टीम टर्बाइन जेनरेशन और उससे जुड़े संकर्म, सर्कुलेटिंग फ्लुइडाइज्ड बेड कम्बशन (सीएफबीसी) बॉयलर और उससे जुड़े संकर्म, 220 केवीए गैस इंसुलेटेड स्विचयार्ड, गैर– संयंत्र भवन – प्रशासनिक भवन/कैफेटेरिया/स्वास्थ्य केंद्र/दमकल केन्द्र/प्रयोगशाला/विद्युत उप–स्टेशन आदि, वितरित नियंत्रण प्रणाली, एससीएडीए (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण) और पाइपलाइनों के लिए रिसाव का पता लगाने वाली प्रणाली में संनिर्माण प्रबंधन में विवधता भरा अनुभव है। उन्होंने बठिंडा (पंजाब) में गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी पॉलिमर एडिशन परियोजना और बाड़मेर (राजस्थान) में एचपीसीएल–राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना में बहु–विषयक टीमों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। कार्यनीतिक व्यापार समूह के हिस्से के रूप में उन्होंने अवसंरचना क्षेत्र में कंपनी के विविधीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें विश्वविद्यालय परिसर विकास, बहुमंजिला कार्यालय परिसर, तेल क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास परिसर, जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान अनुसंधान एवं विकास परिसर, मेगा आवासीय परिसर, इंटरसेप्टर सीवर सिस्टम से जुड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के परियोजना प्रबंधन में व्यापक अनुभव है। उन्हें संनिर्माण स्थलों पर तीसरे पक्षकार द्वारा निरीक्षण और आंतरिक तकनीकी लेखापरीक्षा कराने भी अपार अनुभव है।

(iv) डॉ. रेणुका मिश्रा, आर्थिक सलाहकार (ईए), एमएचआई और अंशकालिक शासकीय निदेशक

डॉ. रेणुका मिश्रा भारतीय आर्थिक सेवा (2003 बैच) की अधिकारी हैं और उन्हें भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 23 जुलाई, 2024 के आदेश के अनुसरण में भारत सरकार के नामनिर्देशिति के रूप में ईपीआई के अंशकालिक शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

इससे पूर्व वे भारत सरकार के अधीन आने वाले विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय, आर्थिक कार्य विभाग, वाणिज्य विभाग, प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग में कार्य कर चुकी हैं।

वे कराधान, वानिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और महिलाओं की संवेदनशीलता जैसे क्षेत्रों पर विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित कई लेखों/पत्रों की नियमित लेखिका रही हैं।

वर्तमान में वे भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई), नई दिल्ली में आर्थिक सलाहकार (ईए) के पद पर तैनात हैं।

(v) श्री राजेश कुमार, मुख्य लेखा नियंत्रक, भारी उद्योग मंत्रालय और अंशकालिक शासकीय निदेशक

श्री राजेश कुमार को ईपीआई में भारत सरकार के नामनिर्देशिति के रूप में भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 1 नवंबर, 2021 के आदेश के अनुसरण में नियुक्त किया गया है। श्री राजेश कुमार 1994 बैच के आईसीएएस

अधिकारी हैं उनके पास दिल्ली विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में निष्णात उपाधि है। वर्तमान में वह भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में मुख्य वित्त नियंत्रक के रूप में तैनात हैं।

(vi) श्रीमती आकांक्षा पारे, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक

श्रीमती आकांक्षा पारे को कंपनी के मंडल में गैर शासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 2 नवंबर, 2021 के आदेश के अनुसरण में नियुक्त किया गया है। श्रीमती आकांक्षा पारे स्नातकोत्तर है उनके पास उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन (एमजेएमसी) में निश्णांत उपाधि है। उनके पास जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में 15 वर्ष का अनुभव है तथा इस समय में सहायक निदेशक के रूप में 'आउटलुक' पत्र से जुड़ी है। पूर्व में वह वेबदुनिया, दैनिक भास्कर, मलयालम मनोरमा (वनीता) से जुड़ी हुई थीं।

(vii) श्री विनोद कुमार यादव, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक

श्री विनोद कुमार यादव को कंपनी के मंडल में गैर शासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 2 नवंबर, 2021 के आदेश के अनुसरण में नियुक्त किया गया है। श्री विनोद कुमार यादव पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश से शिक्षा स्नातक हैं।

(viii) श्री अशोक शंकरराव मेंढे, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक

श्री अशोक शंकरराव मेंढे को कंपनी के मंडल में गैर शासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 7 मार्च, 2023 के आदेश के अनुसरण में नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व वे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त थे। वे नागपुर विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातक हैं। उन्हें भारतीय संविधान का गहन ज्ञान है। वह कई संगठित और असंगठित क्षेत्रों के संघ/संगठन से जुड़े हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। वह श्रम समस्याओं और उसके विधान से भलीभांति परिचित हैं। उन्हें प्रशासन और कार्मिक विभाग में अपार अनुभव है।

(छ) निदेशकों की नियुक्ति

सभी निदेशकों की नियुक्ति (इसमें अंशकालिक निदेशक, स्वतंत्र निदेशक, महिला निदेशक भी हैं) प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

नियुक्त किए गए निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 13 जून 2017 द्वारा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) और (7) (अर्थात चक्रानुक्रम में निदेशकों की सेवानिवृत्ति) को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्ति की शर्त के अधीन नहीं है।

3. निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मंडल की समितियां कंपनी के शासन ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनका गठन विशिष्ट क्षेत्रों/कार्यकलापों से निपटने के लिए किया जाता है जिनका कंपनी से संबंध होता है और जिनका नजदीक से पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता होती है। मंडल की समितियों का गठन निदेशक मंडल के औपचारिक अनुमोदन के अधीन स्पष्ट रुप से दी गई भूमिका जिनका निर्वहन निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाना विचारित है, करने के लिए एक अच्छी प्रशासन पद्धति के एक भाग के रूप में किया जाता है। निदेशक मंडल अपने उत्तरदायित्व का निष्पादन समितियों द्वारा करता है। संबंधित समिति का अध्यक्ष निदेशक मंडल को समिति की बैठकों में की गई चर्चा से सूचित करता है। सभी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त को समीक्षा के लिए

निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है। निदेशक मंडल की समिति विशेष आमंत्रितों को बैठक में शामिल होने के लिए जैसा वह उचित समझे अनुरोध कर सकती है। निदेशक मंडल ने इस समय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार समितियों की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के पश्चात समितियों का पुनर्गठन किया गया है।

i. लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति का इस समय का गठन इस प्रकार है:

1.	श्री विनोद कुमार यादव, स्वतंत्र निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	श्रीमती आकांक्षा पारे, स्वतंत्र निदेशक	–	सदस्य
3.	श्री अशोक शंकरराव मेंढे, स्वतंत्र निदेशक	–	सदस्य
4.	श्री राजेश कुमार, अंशकालिक शासकीय निदेशक	–	सदस्य

निदेशक (वित्त) लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में स्थाई आमंत्रिती हैं।

टिप्पण:

- श्री विनोद कुमार यादव दिनांक 17.11.2021 से अध्यक्ष है।
- श्रीमती आकांशा पारे दिनांक 17.11.2021 से सदस्य हैं।
- श्री राजेश कुमार दिनांक 17.11.2021 से सदस्य हैं।
- श्री अशोक शंकरराव मेंढे दिनांक 20.07.2023 से सदस्य हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान समिति की 20.07.2023, 31.01.2024 और 28.03.2024 को तीन बैठकें हुई थीं। इन बैठकों में सदस्यों उपस्थिति इस प्रकार रही–

सदस्य	उनकी पदावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में भाग लेने की स्थिति
श्री विनोद कुमार यादव– अध्यक्ष	3	3
श्रीमती आकांक्षा पारे– सदस्य	3	3
श्री अशोक शंकरराव मेंढे– सदस्य	2	2
श्री राजेश कुमार–सदस्य	3	2

लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय

लेखा परीक्षा समिति के निर्देश के निबंधन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 117 और निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। इन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के निबंधनों के अनुसार 21 जुलाई, 2014 से निम्नानुसार संशोधित किया गया है:–

1. कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति के निबंधनों की सिफारिश।
2. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्यनिष्पादन तथा लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता का पुनरीक्षण और निगरानी।
3. वित्तीय विवरण और उसमें लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच।
4. संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के संव्यवहारों के पश्चातवर्ती उपांतरण का अनुमोदन।

5. अंतः निगम ऋणों और निवेशों की संवीक्षा।

6. कंपनी के वचनबंधों या आस्तियों का मूल्यांकन, जहां यह आवश्यक हो।

7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

8. लोक प्रस्तावना और संबंधित मामलों जहां लागू हों, के माध्यम से जुटाईगई निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी।

9. लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षा के स्कोप, जिसके अंतर्गत लेखापरीक्षकों का पर्यवेक्षण और निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरण का पुनर्विलोकन भी है के विषय में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां मांग सकती है और अन्य किसी संबंधित मुद्दों पर आंतरिक और कानूनी लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के प्रबंधन के साथ विचार–विमर्श कर सकती है।

10. लेखापरीक्षा समिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में या उसे निदेशक मंडल द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट मदों पर जांच करने का प्राधिकार होगा और इस प्रयोजन के लिए उसे बाह्य स्रोतों से व्यावसायिक परामर्श अभिप्राप्त करने की शक्ति होगी और कंपनी के अभिलेखों में अंतर्विष्ट सूचना तक उसकी पूरी पहुंच होगी।

11. कंपनी या निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षकों के परामर्श से आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए कार्यक्षेत्र, कार्यकरण, अवधि और विधि की विरंचना करेगी।

12. कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट करने की प्रक्रिया और उसकी वित्तीय सूचना के प्रकटन को देखना ताकि यह सुनिश्चय किया जाए सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।

13. सांविधिक लेखापरीक्षकों को कानूनी लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई किसी अन्य सेवा के लिए संदाय का अनुमोदन।

14. निदेशक मंडल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणियों का निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ में पुनर्विलोकनः

    क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के निबंधनों के अनुसार मंडल की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के दायित्व का विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित मुद्दे;

    ख. लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों, और उसके कारण;

    ग. प्रबंधन द्वारा उनके निर्णय के उपयोग के आधार पर प्राक्कलनों को अंतर्वलित करती हुई प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां;

    घ. लेखापरीक्षा में पता लगाए जाने के कारण उदभूत वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

    ङ. वित्तीय विवरणियों से संबंधित विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन;

    च. संबंधित पक्षकार संव्यवहार का प्रकटन/पुनर्विलोकन;

    छ. प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हतांए।

15. निदेशक मंडल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ पुनर्विलोकन।

16. प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य–निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता का पुनर्विलोकन।

17. आंतरिक लेखापरीक्षा कृत्य, यदि कोई हो की पर्याप्तता का पुनर्विलोकन जिसके अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग का ढांचा, कर्मचारीवृंद और विभाग की अध्यक्षता करने वाले कार्यकारी की वरिष्ठता, रिपोर्ट करने का ढांचा,

कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति भी है।

18. किसी महत्वपूर्ण प्रकटन पर आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और उसपर अनुवर्ती कार्रवाई।

19. आंतरिक लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों द्वारा उन मामलों में आंतरिक जांच से हुए प्रकटन का पुनर्विलोकन जहां किसी कपट या अनियमितता या तात्विक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की असफलता और निदेशक मंडल को उस विषय को रिपोर्ट करने का पुनर्विलोकन।

20. लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति और स्कोप की चर्चा के साथ–साथ लेखापरीक्षा पश्च किसी चिंता वाले क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा।

21. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के असंदाय की दशा में) और लेनदारों को संदाय में सारवान व्यतिक्रम के कारणों की जांच।

22. सूचना देने वाले, सतर्कता तंत्र के कार्यकरण का पुनर्विलोकन।

23. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई का पुनर्विलोकन।

24. संसद की लोक उद्यम समिति (सीओपीयू) द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का पुनर्विलोकन।

25. स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार के लिए एक खुले पथ का प्रावधान।

26. कवरेज की संपूर्णता, निरर्थक प्रयासों में कमी और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने का सुनिश्चय करने के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ पुनर्विलोकन।

27. स्वतंत्र लेखापरीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार और पुनर्विलोकनः

क. आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता जिसके अंतर्गत कम्पयूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा भी है, और

ख. संबंधित निश्कर्शों और स्वतंत्र लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों का प्रबंधन के प्रत्युत्तरों के साथ सिफारिशें।

28. निम्नलिखित पर प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक और स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ विचार और पुनर्विलोकनः

क. वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा सिफारिशें भी हैं।

ख. लेखापरीक्षा कार्य के दौरान सामने आई कोई कठिनाईयों जिसके अंतर्गत कार्यकलापों के स्कोप पर या अपेक्षित सूचना तक पहुंच पर कोई निर्बंधन भी है।

29. लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में भी शक्तियां होगीः

क. विचारार्थविषय के अंतर्गत किसी कार्यकलाप की जांच करना।

ख. किसी कर्मचारी पर और उससे किसी सूचना को प्राप्त करना।

ग. निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन रहते हुए बाह्य विधिक या अन्य व्यवसायिक परामर्श अभिप्राप्त करना।

घ. सुसंगत विशेषज्ञता रखने वाले बाह्य व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे।

ङ. सूचना प्रदाताओं की संरक्षा करना।

30. लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित सूचना का पुनर्विलोकन करेगी:

क. प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण तथा प्रचालनों का परिणाम;

ख. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्षकार संव्यवहारों का विवरण;

ग. प्रबंधन पत्र/सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र;

घ. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें;

ङ. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति और पद से हटाने को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा; और

च. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा विवरणों का स्पष्टीकरण/घोषणा।

31. कोई अन्य क्रियाकलाप जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 और तद्धीन बनाए गए नियमों और डीपीई निगम शासन मार्ग निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

ii. निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और भरणीयता समिति

कंपनी ने तारीख 15.03.2013 को (तत्पश्चात पुनर्गठित) को एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय निगम सामाजिक दायित्व और भरणीयता समिति का गठन किया है। कंपनी ने कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसरण में समिति का गठन किया गया है।

इस समय समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:	
1. श्री अशोक शंकरराव मेंढे, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2. श्रीमती आकांक्षा पारे, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3. श्री विनोद कुमार यादव, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4. श्री दिबेंदु दास, निदेशक (वित्त)	सदस्य

टिप्पण:

- श्री अशोक शंकरराव मेंढे दिनांक 20.07.2023 से अध्यक्ष हैं।
- श्रीमती आकांक्षा पारे दिनांक 20.07.2023 तक अध्यक्षा थीं और दिनांक 20.07.2023 से सदस्या हैं।
- श्री विनोद कुमार यादव दिनांक 17.11.2021 से सदस्य हैं।
- श्री आर पी सिंह निदेशक (वित्त) दिनांक 24.06.2021 से सदस्य हैं।
- श्री दिबेंदु दास, निदेशक (वित्त) दिनांक 20.07.2023 से सदस्य हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान समिति ने 20.07.2023 को बैठक की थी जिसमें सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही–

सदस्य	उनकी पदावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में भाग लेने की स्थिति
श्रीमती आकांक्षा पारे –अध्यक्ष	1	1
श्री विनोद कुमार यादव– सदस्य	1	1
श्री दिबेंदु दास– सदस्य	1	1

कंपनी द्वारा अपने सीएसआर एवं भरणीयता पहल के अधीन किए गए क्रियाकलापों के ब्यौरे निदेशकों की रिपोर्ट के साथ उपाबंध 'ग' के रूप में संलग्न सीएसआर रिपोर्ट में दिए गए हैं।

iii. पारिश्रमिक समिति

निदेशकों/वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें सरकारी मार्गदर्शक सिद्धांतों/डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा शासित होती हैं।

पारिश्रमिक समिति का गठन कंपनी अधिनियम की धारा 178 और निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील वेतन पूल और कार्यकारियों को तथा ऐसे पर्यवेक्षकों को जो किसी संगम में नहीं हैं को उसके वितरण का विनिश्चय करने के लिए किया गया है। वर्तमान में, समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी है:

1.	श्रीमती आकांक्षा पारे, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री विनोद कुमार यादव, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री अशोक शंकरराव मेंढे, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	श्री राजेश कुमार, अंशकालिक शासकीय निदेशक	सदस्य

टिप्पण:

- श्रीमती आकांक्षा पारे दिनांक 17.11.2021 से अध्यक्षा हैं।
- श्री विनोद कुमार यादव दिनांक 17.11.2021 से सदस्य हैं।
- श्री राजेश कुमार दिनांक 17.11.2021 से सदस्य हैं।
- श्री अशोक शंकरराव मेंढे दिनांक 20.07.2023 से सदस्य हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान पारिश्रमिक समिति ने 28.03.2024 को बैठक आयोजित की। इस बैठक में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही–

सदस्य	उनकी पदावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में भाग लेने की स्थिति
श्रीमती आकांक्षा पारे–अध्यक्ष	1	1
श्री विनोद कुमार यादव–सदस्य	1	1
श्री अशोक शंकरराव मेंढे–सदस्य	1	1
श्री राजेश कुमार–सदस्य	1	1

4. अन्य समितियां

कंपनी के वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों (अर्थात् मंडल स्तर से नीचे) से मिलकर बनने वाली निम्नलिखित समितियां विद्यमान है।

शेयर अंतरण समिति

कंपनी की सभी शेयरों के अंतरणों और पारेशणों की निगरानी के लिए एक शेयर अंतरण समिति हैं। शेयर अंतरण समिति कंपनी के अधिकारियों अर्थात वित्त प्रभाग के प्रमुख, विधिक प्रभाग के प्रमुख और संविदा प्रभाग के प्रमुख से मिलकर बनी है। वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अंतरण नहीं हुआ है।

कंपनी की प्राधिकृत और समादत्त शेयर पूंजी क्रमशः 909.40 करोड़ रुपए (10 रुपए के प्रत्येक 909,404,600 साम्या शेयरों में विभाजित) और 35.42 करोड़ रुपए (10 रुपए के प्रत्येक 35,422,688 साम्या शेयरों में विभाजित) है।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी का शेयरधारिता पैटर्न इस प्रकार है:

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	धारिता का प्रतिशत
1.	भारत के राष्ट्रपति, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	35415677	99.98
2.	अन्य (जिसके अंतर्गत छह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि., भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि. मायनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि.*, त्रिवेणी स्ट्रकचरल लि.*, इंस्ट्रूमेंटेशन लि., हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. और ईपीआई शेयर धारक न्यास) शामिल हैं।	7011	0.02

*परिसमापन के अधीन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने तारीख 22.01.2019 की अधिसूचना द्वारा सरकारी कंपनियों को शेयरों के डिमैटेरियलाइजेशन से छूट प्रदान की है।

जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी ने आईएसओ 31000:2018 जोखिम प्रबंधन नीति का संशोधन किया है। जोखिम प्रबंधन अच्छे प्रबंधन का अभिन्न भाग है। सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन का प्रयोग लगातार सुधार और विनिश्चय करने में अधिक निश्चितता को अनुज्ञात करता है। इसका अंतिम रूप से परिणाम यह होता है कि संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के बेहतर अवसर होते हैं। जोखिम प्रबंधन नीति को आपकी कंपनी के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित करने और बनाए रखने के लिए विकसित किया गया है।

जोखिम प्रबंधन नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी के सभी चालू और भावी तात्विक जोखिमों की पहचान की जा सके, उनका मूल्यांकन किया जा सके, उनके परिमाण का पता लगाया जा सके, समुचित रूप से उन्हें कम किया जा सके और उनका प्रबंधन किया जा सके; कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए ढांचा स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना की संपूर्ण कंपनी में उसको कार्यान्वित किया जा सके; यह सुनिश्चित करना कि पूर्व क्रियाशीलता को बढ़ावा दिया जाए न कि प्रतिक्रियाकारी प्रबंधन कोय समुचित विनियमों की सर्वोत्तम पद्धतियों को अंगीकार करके, अनुपालना करने में समर्थ बनाना, जहां भी वह लागू हों; संपूर्ण संगठन में सहायता प्रदान करना और विनिश्चय करने की गुणवत्ता में सुधार करना तथा वित्तीय स्थायित्व के साथ कारबार की विधि को सुनिश्चित करना है।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने अपनी जोखिम प्रबंधन नीति का भी संशोधित किया है और जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार प्रशासन ढांचा जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) जोखिम स्वामी और जोखिम समन्वयक (आरओ/आरसी) आदि से मिलकर बना है। यह नीति निदेशक मंडल,

लेखापरीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) जोखिम स्वामी (आरओ), जोखिम समन्वयक (आरसी) और आंतरिक लेखा परीक्षकों की भूमिका और उत्तरदायित्व को भी परिभाषित करती है।

5. प्रकटन

i) वर्ष 2023–24 के दौरान कार्यकारी निदेशकों को संदत्त पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों को संदत्त बैठक फीस के ब्यौरा इस प्रकार है:

क. कार्यकारी/पूर्णकालिक निदेशक:

(राशि लाख रूपए में)

निदेशक का नाम	वेतन	लाभ	कार्य निष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन	योग
श्री शिवेंद्र नाथ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	16.03	0.14	–	16.17
श्री डी एस राना अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30.09.2023 तक)	65.06	0.16	–	65.22
श्री दिबेंदु दास, निदेशक (वित्त)	28.43	0.24	–	28.67

ख. स्वतंत्र निदेशक:

वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी के मंडल में तीन स्वतंत्र निदेशक थे। वर्ष के दौरान संदत्त बैठक फीस के ब्यौरा इस प्रकार है:

(राशि लाख रूपए में)

निदेशक का नाम	बैठक फीस		स्वतंत्र निदेशक की बैठक हेतु फीस	योग
	मंडल की बैठकें	समिति की बैठकें		
श्रीमती आकांक्षा पारे	0.60	0.50	0.15	1.25
श्री विनोद कुमार यादव	0.60	0.50	0.15	1.25
श्री अशोक शंकरराव मेंढे	0.60	0.30	0.15	1.05

स्वतंत्र निदेशकों को बैठक फीस प्रति मंडल की बैठक के लिए 15,000/– रुपए की दर से और मंडल की समिति की बैठक के लिए10,000/– रुपए की दर से अदायगी की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों को भी स्वतंत्र निदेशकों की बैठक में भाग लेने के लिए प्रति बैठक @15,000/– की दर से फीस अदायगी की जाती है।

ii) सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा नियत वेतनमानों में की जाती है। तदनुसार, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति 1,80,000 रुपए – 3,20,,000 रुपए (आईडीए) के पुनरीक्षित अनुसूची, ''ख'' वेतनमान में की गई है और निदेशकों की नियुक्ति 1,60,000 रुपए –2,90,,000 रुपए के आईडीए पैटर्न के पुनरीक्षित अनुसूची, ''ख'' वेतनमान में की गई है। उनकी नियुक्ति के अन्य निबंधनों और शर्तों को भी भारत सरकार द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा नियत किया जाता है।

iii) निदेशकों की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उनके पारिश्रमिकों और अंशकालिक (गैर–शासकीय) निदेशकों को पात्र बैठक फीस के अतिरिक्त किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ कोई तात्विक या धनीय संबंध नहीं है जो उनके स्वतंत्र निर्णय को प्रभावित करे।

iv) वर्ष के दौरान तात्विक रूप से पक्षकार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार नहीं हुए थे जिसकी बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के प्रतिकूल होने की संभावना हो। लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबंधित पक्षकार संव्यवहार का ब्यौरा लेखाओं की टिप्पणियों का भाग बनता है।

v) विभिन्न विभागों से प्राप्त सांविधिक अनुपालना रिपोर्ट को सांविधिक शोध्यों की प्रास्थिति के साथ मंडल के समक्ष रखा जाता है।

vi) लेखाओं पर टिप्पण के टिप्पण संख्या 2.26 में दर्शाये गये, के सिवाय वे मामले जो अपील प्राधिकरण के समक्ष अपली के अधीन हैं, किसी सांविधिक निकाय द्वारा शास्ति या कठोर अलोचना का कोई घटना घटित नहीं हुई है।

vii) कंपनी निगम शासन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त एमआर–3 में दर्शाये गये के सिवाय, डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए निगम शासन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है।

viii) वर्ष के दौरान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित राष्ट्रपतीय विनिदेशों और 01.01.2017 से वेतन के पुनरीक्षण का अनुसरण कर कार्यान्वित किया गया है।

ix) वर्ष के दौरान लेखा बहियों और लेखाओं में किसी खर्च जो कारबार व्यय के प्रयोजनों के लिए नहीं है और कोई व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति का है निदेशक मंडल और उच्च प्रबंधन द्वारा उपगत नहीं किया गया है।

x) कंपनी में कपट के निवारण, उसका पता लगाने और उसके रिपोर्ट करने के लिए सितम्बर, 2010 से कपट निवारण नीति लागू है।

xi) कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में अन्य व्यय वर्ष 2022–23 में 2.35 प्रतिशत की तुलना में 3.78 प्रतिशत रहे। कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में वित्तीय लागत वर्ष 2022–23 में 0.34 प्रतिशत की तुलना में 1.07 (मूल्यह्रास और वित्तीय लागत को छोड़कर) प्रतिशत रहे।

xii) कंपनी के वित्तीय विवरणों की बाबत कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) द्वारा प्रमाणपत्र उपाबंध–ख1 पर रखा गया है।

xiii) कंपनी की वेबसाइट (www.epi.gov.in) में कंपनी के अधिकारिक समाचारों जैसे वार्षिक रिपोर्ट, निविदाएं और रोजगार के अवसर आदि दर्शाया जाता है।

6. साधारण निकाय बैठकें:

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकों के ब्यौरे इस प्रकार है:

एजीएम	वित्तीय वर्ष	एजीएम की तारीख और समय	स्थान (पंजीकृत कार्यलय)
53वीं	2022–23	26 सितंबर, 2023 को 03.00 बजे अपराह्न	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
52वीं	2021–22	27 सितंबर, 2022 को 03.30 बजे अपराह्न	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
51वीं	2020–21	28 दिसंबर, 2021 को 03.30 बजे अपराह्न (31 दिसंबर 2021 को 03:00 बजे अपराह्न के लिए स्थगित)	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 54वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना में वार्षिक साधारण बैठक की तारीख, समय सम्मिलित है।

ii) **पिछली तीन एजीएम में पारित विशेष संकल्पों के ब्यौरे–**

एजीएम	वित्तीय वर्ष	पारित विशेष संकल्प के ब्यौरे
53वीं	2022–23	शून्य
52वीं	2021–22	शून्य
51वीं	2020–21	शून्य

7. सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अपेक्षाओं के अनुसार आपकी कंपनी ने कार्यापालक निदेशक (पी एंड एम) को लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और गुवाहाटी के प्रादेशिक प्रमुखों को सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) नियुक्त किया है। समूह महाप्रबंधक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार सभी आवेदकों को प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सूचना का अधिकार आवेदनों के संबंध में डाटा इस प्रकार है:–

(संख्या में)

1.	मार्च 2023 के अंत तक लंबित सूचना का अधिकार आवेदन	5
2.	वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदन	78
3.	वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान निपटान किए गए सूचना का अधिकार आवेदन	81
4.	मार्च 2024 के अंत तक लंबित सूचना का अधिकार आवेदन	2

8. शेयरधारकों के साथ संपर्क के साधन

कंपनी की संदत्त पूंजी का 99.98 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा धारित है और शेष 0.02 प्रतिशत छह सीपीएसई और इन सीपीएसई के निमित सृजित न्यास द्वारा धारित है।

कंपनी की द्विभाषी वार्षिक रिपोर्ट अन्य सुसंगत सूचना के साथ कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है और इसे संसद् के समक्ष भी रखा जाता है। वार्षिक रिपोर्ट आदि को भौतिक प्ररूप के साथ इलेक्ट्रॉनिकी रीति में भी जारी किया जा रहा है।

9. लेखापरीक्षा टिप्पणियां

सावंधिक लेखापरीक्षकों और सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के प्रत्युत्तर को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्नक के रूप में सम्मिलित किया गया है निदेशकों की रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ एक वर्धन के रूप में उपाबद्ध कर दिया गया है।

10. निदेशक मंडल का प्रशिक्षण

कंपनी, कंपनी के निदेशक मंडल में नए नियुक्त निदेशकों को आरंभिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। प्रशिक्षण में कंपनी के विषय में संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण और कंपनी के कार्य निष्पादन के विषय में महत्वपूर्ण डाटा, संस्था के अतर्नियम एवं बहिर्नियम, ईपीआई का ब्रोशर, डीपीई द्वारा निगम शासन पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत, निदेशक मंडल की बैठकों पर सचिवालयी मानक (एसएस–1) और साधारण बैठकों पर सचिवालय मानक (एसएस–2),

स्वतंत्र निदेशक पर आईसीएसआई द्वारा प्रकाशित पुस्तिका, कपंनी अधिनियम, 2013 आदि शामिल है। निदेशकों को भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई), लोक उद्यम स्थायी सम्मेलन (स्कोप), निदेशक संस्थान (आईओडी), लोक उद्यम विभाग (डीपीई) और भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) आदि द्वारा जब भी आयोजित किए जाएं, उन सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यक्रमों आदि के लिए भी प्रायोजित किया जाता है।

11. सूचना प्रदाता नीति

ईपीआई में वर्ष 2010 से ही सूचना प्रदाता नीति विद्यमान है, जो उन व्यक्तियों के उत्पीड़न के लिए पर्याप्त सुरक्षोपायों का प्रावधान करती है, जो ऐसे तंत्र का उपयोग करते हैं और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक समुचित या आपवादिक मामलों में सीधे पहुंच का प्रावधान करती है।

सभी कर्मचारी अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति को अधिमानतः लिखित में संरक्षित प्रकटन करने के लिए पात्र हैं।

इस नीति की विरचना निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना के लिए की गई थी। यह कंपनी (मंडल की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की अपेक्षाओं को भी पूरा करती है, जो वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र की स्थापना का प्रावधान करती है।

वर्ष के दौरान किसी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से नहीं रोका गया है।

12. आचार संहिता

निदेशक मंडल ने मंडल के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारबार आचार– और नैतिकता की संहिता अधिकथित की है। आचार संहिता को कंपनी की वेबसाइट www.epi.gov.in पर होस्ट किया गया है। कंपनी के मंडल के सभी सदस्यों और प्रमुख अधिकारियों ने संहिता की अनुपालना के लिए प्रतिज्ञान किया है। इस प्रभाव की एक घोषणा इस रिपोर्ट के साथ **उपाबंध–ख2** के रूप में उपाबद्ध है।

13. अनुपालना प्रमाणपत्र

यह रिपोर्ट सीपीएसई के लिए निगम शासन पर सभी मार्गदर्शक सिद्धांतों की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपाबंध–VII में वर्णित सभी सुझाए गए लागू मदों को कवर करते हैं। डीपीई द्वारा विहित निगम शासन अपेक्षाओं की अनुपालना पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय को भी नियमित रूप से भेजी जाती है। सीपीएसई के निगम शासन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की शर्तों की अनुपालना के संबंध में व्यवसायरत कंपनी सचिव से अभिप्राप्त प्रमाणपत्र रिपोर्ट को **उपाबंध–ख3** के रूप में उपाबद्ध किया गया है।

उपाबंध–ख1

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों पर प्रमाणपत्र/घोषणा

हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण का पुनर्विलोकन कर लिया है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणों में कोई तात्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्विक तथ्य का लोप नहीं किया गया है या ऐसा कोई विवरण अंतर्विष्ट नहीं है जो भ्रामक हो,

(ii) ये सभी विवरण कंपनी के मामलों का सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करती हैं और यह विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू विधियों और विनियमों के अनुसार हैं,

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी ने ऐसा कोई संव्यवहार दर्ज नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अविधिमान्य या कंपनी की आचार–संहिता का उल्लंघनकारी है,

(iv) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के दायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर लिया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन या प्रचालन में कमियों, यदि कोई हों, जिसके विषय में हम भिज्ञ हैं और उनके लिए की गई कार्रवाई और उनको दूर करने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का प्रकटन कर दिया है,

(v) हमने लेखापरीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित उपदर्शित कर दिया है:

क) वर्ष 2023–24 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन,

ख) वर्ष 2023–24 के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में प्रकटन कर दिया गया है, और

ग) गंभीर कपट के मामले जिनकी हमें जानकारी हो गई है और उसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी का शामिल होना जिसकी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

ह०/–
(दिबेदु दास)
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन: 10234285

ह०/–
(शिवेन्द्र नाथ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
डीआईएन: 10397812

तारीख: 25 जुलाई, 2024
स्थान: नई दिल्ली

उपाबंध–ख2

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता की अनुपालना के संबंध में घोषणा।

मै, शिवेन्द्र नाथ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि कंपनी के मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी के कारबार आचरण और नैतिक संहिता के अनुपालन के लिए प्रतिज्ञान किया है।

ह०/–
(शिवेन्द्र नाथ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 10397812

तारीखः 25 जुलाई, 2024
स्थानः नई दिल्ली

उपाबंध–ख3
अनुलग्नक बी3
एजीबी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
एफआरएनः आई2011एचआर887800
रजि. कार्यालयः 5ए/14 दूसरी मंजिल, बीपी, एनआईटी
फ़रीदाबाद–121001 (एचआर)
Email: agbcorplegal@gmail.com
सम्पर्क : 9811179921

निगम शासन प्रमाणपत्र

सेवा में
सदस्यगण,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड,
कोर 3, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

हमने **31 मार्च, 2024** को समाप्त वर्ष के लिए **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड** (जिसे इसमें इसके पश्चात **कंपनी** कहा गया है) की निगम शासन जैसा कि मूलतः 22.06.2007 को जारी अधिसूचना संख्या 1, संख्या 18 (8)/2005–जीएम और लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन द्वारा समय–समय पर जारी तथा इसके अधीन उल्लिखित उपाबंध ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम 2010 के लिए निगम शासन के लिए **मार्गदर्शक सिद्धांतों** (जिसे इसमें इसके पश्चात मार्गदर्शक सिद्धांत कहा गया है) में यथा उपदर्शित शर्तों की अनुपालना की शर्तों'' की जांच की है।

निगम शासन की शर्तों की अनुपालना का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच कंपनी द्वारा ऊपर वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों में उपदर्शित निगम शासन की शर्तों की अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित है। इसलिए यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न ही लेखापरीक्षा है और न ही उनपर किसी राय की अभिव्यक्ति।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और सूचना तथा हमें दिए गए दस्तावेजों के अनुसार हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने पूर्व वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों में परिकल्पित निगम शासन की शर्तों की सिवाय निम्नलिखित के अनुपालना की है।

क. ***खंड 3.3.1*** *– क्रमानुगत दो मंडल बैठकों (282वीं और 283वीं) तथा (284वीं और 285वीं) के बीच का अंतर तीन मास की विहित समय सीमा से अधिक हो गया है।*

ख. ***खंड 4.4*** *– लेखापरीक्षा समिति की बैठक – एक वर्ष में कम से कम चार बार लेखापरीक्षा समिति की बैठक होनी चाहिए और दो बैठकों के बीच चार मास से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तथापि वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान समय सीमा के भीतर केवल तीन ही बैठकें बुलाई गईं।*

पूर्वोक्त टिप्पणियों के संदर्भ में, प्रबंधन ने यह स्पष्ट किया कि शासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण मंडल की बैठक के मामले में 03 मास और लेखापरीक्षा समिति की बैठक के मामले में 04 मास की विहित समयावधि के भीतर मंडल एवं लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि मंडल/समिति की बैठकों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

हम यह कथन करते हैं कि ऐसी अनुपालना न ही कंपनी की भावी साध्यता का और न ही उस प्रभावशीलता की दक्षता जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है, आश्वासन है।

स्थानः फरीदाबाद
तारीखः 29.04.2024

कृते एजीबी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
पीआर सं. 2668ध्2022

ह0/–
सीएस रश्मि असवाल
(भागीदार)
सदस्यता सं.ः50322
सी.पी. संख्या 24667
यूडीआईउनः एफ050322एफ000269301

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 की अपेक्षा के अनुसार

1. कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति पर एक संक्षिप्त रूपरेखा:

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एक ऐसा प्रभावी साधन है जो बड़े पैमाने पर निगम और सामाजिक क्षेत्र के अभिकरणों के बीच भरणीय वृद्धि और समाजिक उदेश्य के विकास के लिए सामंजस्य बिठाता है। ईपीआई की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति अधिकांश रूप से समुदाय के लिए कल्याणकारी उपायों का और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के माध्यम से समाज में अंशदान का प्रावधान करती है और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की आवश्यकता के प्रति यह संवेदनशील है।

सीएसआर विजन

''समाज के बड़े हिस्से के लिए कार्य करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना तथा एक निगम निकाय के रूप में ईपीआई की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार धारणा तैयार करना''।

सीएसआर उद्देश्य

ईपीआई की सीएसआर नीति का व्यापक उद्देश्य समुदाय और समाज के लिए नैतिक और जिम्मेदार व्यवहार का अनुपालन करना है और समुदाय के बड़े हिस्से के कल्याण और भरणीय विकास के लिए कार्यक्रम हाथ में लेना है।

2. निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार ईपीआई के पास मंडल स्तरीय निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और भरणीयता समिति है। इस समिति की सहायता एक नोडल अधिकारी द्वारा की जाती है।

मंडल स्तरीय समिति की भूमिका निम्नलिखित है–

(क) एक निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की विरंचना करना और मंडल को उसकी सिफारिश करना जो अनसूची–VII में यथा विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा हाथ में लिए जाने वाले कार्यकलापों को प्रदर्शित करेगी;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यकलापों पर उपगत किए जाने वाले व्यय की रकम की सिफारिश करना; और

(ग) समय–समय पर कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की निगरानी करना।

इस रिपोर्ट की तारीख तक निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

1.	श्री अशोक शंकरराव मेंढे, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्रीमती आकांक्षा पारे, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री विनोद कुमार यादव, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	श्री दिबेंदु दास, निदेशक (वित्त)	सदस्य

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशकता की प्रकृति	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की वर्ष के दौरान बैठकों में भाग ली गई संख्या
1.	श्रीमती आकांक्षा पारे	स्वतंत्र निदेशक, समिति की अध्यक्षा (20.07.2023 तक) एवं सदस्या (20.07.2023 से)	1	1
2.	श्री अशोक शंकरराव मेंढे	स्वतंत्र निदेशक, समिति के अध्यक्ष (20.07.2023 से)	1	–
3.	श्री विनोद कुमार यादव	स्वतंत्र निदेशक, सदस्य (17.11.2021 से)	1	1
3.	श्री दिबेंदु दास	निदेशक (वित्त), सदस्य (20.07.2023 से)	1	1

3. वह वेब लिंक उपलब्ध कराएं जहां मंडल द्वारा अनुमोदित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति और निगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं का प्रकाशन किया जाता है।

कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति और योजना कंपनी की वेबसाइट www.epi.gov.in पर उपलब्ध है। वर्ष के दौरान कोई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलाप हाथ में नहीं लिए गए थे।

4. कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के नियम 8 के उप नियम (3) के अनुसरण में की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना के संघात निर्धारण ब्यौरे उपलब्ध कराएं, यदि लागू हो।

लागू नहीं।

5. कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के नियम 7 के उप नियम (3) के अनुसरण में बट्टे खाते के लिए उपलब्ध धनराशि के ब्यौरे और वित्तीय वर्ष के लिए बट्टे खाते में डालने के लिए अपेक्षित धनराशि, यदि कोई हो।

शून्य

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ (3331.12) लाख रुपये है।

- वित्तीय वर्ष 2020–21 : (4683.01) लाख रुपये
- वित्तीय वर्ष 2021–22 : (6180.86) लाख रुपये
- वित्तीय वर्ष 2022–23 : (870.52) लाख रुपये

7.

(क)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	शून्य
(ख)	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कार्यक्रमों या गतिविधियों से आधिक्यः	शून्य
(ग)	वित्तीय वर्ष के लिए बट्टे खाते में डालने के लिए अपेक्षित धनराशि, यदि कोई हो	शून्य
(घ)	वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कुल निगम सामाजिक उत्तरदायित्व बाध्यता (7क+7ख+7ग)	शून्य

8. (क) वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए व्यय की गई या व्यय नहीं की गई निगम शासन उत्तरदायित्व धनराशिः

(राशि रुपयें में)

व्यय न की गई रकम (रुपए में)					
वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए व्यय की गई कुल रकम (रुपए में)	धारा 135 (6) के अनुसार व्यय ना किए गए निगम सामाजिक उत्तरदायित्व को खाते में अंतरित कुल रकम		धारा 135 (5) के दूसरे तिीय प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित रकम		
	रकम (रुपए में)	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	रकम (रुपए में)	अंतरण की तारीख
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के सापेक्ष व्यय की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की धनराशि के ब्यौरेः **शून्य**

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं से भिन्न के सापेक्ष व्यय की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की धनराशि के ब्यौरेः **शून्य**

(घ) प्रशासनिक ऊपरी शीर्षो में खर्च की गई धनराशिः **शून्य**

(ङ) संघात निर्धारण पर खर्च की गई धनराशि, यदि लागू होः **शून्य**

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल धनराशि (8ख+8ग+8घ+8ङ): **शून्य**

(छ) बट्टे खाते के लिए आधिक्य धनराशि, यदि कोई होः **शून्य**

(राशि रुपयें में)

क्रम संख्या.	विशिष्टियां	रकम (रुपए में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत	शून्य
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल धनराशि	शून्य
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई आधिक्य धनराशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कार्यक्रमों या गतिविधियों से अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	पश्चातवर्ती वित्तीय वर्षों में बट्टे खाते में डालने के लिए उपलब्ध धनराशि [(iii)-(iv)]	शून्य

9. (क) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च ना की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की धनराशि के ब्यौरे : **शून्य**

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष(वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व धनराशि के ब्यौरे : **शून्य**

10. **पूंजी आस्ति सृर्जन या अर्जन की दशा में वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से इस प्रकार सृजित या अर्जित आस्ति से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत करें (आस्ति–वार ब्यौरे)**

(क) पूंजीगत आस्ति(आस्तियों) के सृर्जन या अर्जन की तारीख : **शून्य**

(ख) पूंजी आस्ति के सृर्जन या अर्जन पर खर्च की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की धनराशि : **शून्य**

(ग) पूंजीगत आस्ति के सृर्जन या अर्जन पर खर्च की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की धनराशिः : **शून्य**

(घ) निकाय या लोक प्राधिकारी या फायदाग्राही के ब्यौरे जिसके नाम से ऐसी पूंजी आस्ति को रजिस्ट्रीकृत किया गया है, उनके पते आदि : **शून्य**

(ड) सृजित या अर्जित पूंजीगत आस्ति(आस्तियों) ब्यौरे उपलब्ध कराएं (जिसके अंतर्गत पूंजीगत आस्ति का पूरा पता और अवस्थान भी है) : **शून्य**

11. **धारा 135(5) के अनुसार यदि कंपनी औसत शुभ लाभ का 2 प्रतिशत खर्च करने में सफल रही है तो कारण विनिर्दिष्ट करें: लागू नहीं**

ह०/–
(दिबेंदु दास)
सदस्य – सीएसआर समिति
डीआईएनः 10234285

ह०/–
(श्री अशोक शंकरराव मेंढे)
अध्यक्ष– सीएसआर समिति
डीआईएनः 10073305

तारीखः 25 जुलाई, 2024
स्थानः नई दिल्ली

उपाबंध–घ

प्ररुप संख्या एओसी–2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं जिसके अंतर्गत उसके तीसरे परंतुक के अधीन कतिपय सन्निकट संव्यवहार भी हैं, के प्रकटन के लिए प्ररुप।

1. उन संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहारों के ब्यौरे जो सन्निकट आधार पर नहीं हैं।

क्र.सं.	विशिष्टियां	ब्यौरे
क)	संबंधित पक्षकार(पक्षकारों) का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
ख)	संविदा/व्यवस्था/संव्यवहार की प्रकृति	शून्य
ग)	संविदा/व्यवस्था/संव्यवहार की अविध	शून्य
घ)	संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार के प्रमुख निबंधन जिसके अंतर्गत मूल्य भी है, यदि कोई हो	शून्य
ङ)	ऐसी संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार में प्रविष्ट होने का औचित्य	शून्य
च)	मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख	शून्य
छ)	अग्रिम के रूप में संदत्त धनराशि, यदि कोई हो	शून्य
ज)	वह तारीख जिसको धारा 188 के पहले परंतुक के अधीन यथापेक्षित विशेष संकल्प साधारण बैठक में पारित किया गया था	शून्य

2. सन्निकट आधार पर संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार के ब्यौरे

क्र.सं.	विशिष्टियां	ब्यौरे
क)	संबंधित पक्षकार(पक्षकारों) का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
ख)	संविदा/व्यवस्था/संव्यवहार की प्रकृति	शून्य
ग)	संविदा/व्यवस्था/संव्यवहार की अवधि	शून्य
घ)	संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार के प्रमुख निबंधन जिसके अंतर्गत मूल्य भी है, यदि कोई हो	शून्य
ङ)	मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख	शून्य
च)	अग्रिम के रूप में संदत्त धनराशि, यदि कोई हो	शून्य

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से
ह०/–
(शिवेन्द्र नाथ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 10397812

तारीख : 25 जुलाई, 2024
स्थानः नई दिल्ली

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

प्ररूप संख्या एमआर 3

1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनियां
(नियुक्ति और प्रबंधकीय कार्मिक पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

सेवा में
सदस्य,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएनःयू27109डीएल1970जीओआई117585
कोर 3, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

हमने लागू सांविधिक उपबंधों की अनुपालना में और **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड** (जिसे इसमें इसके पश्चात **कंपनी** कहा गया है) द्वारा अच्छी निगम पद्धतियों की अनुपालना की सचिवालयी लेखा परीक्षा कर ली है। सचिवालयी लेखापरीक्षा उस रीति में की गई जो हमें निगम आचार/सांवधिक अनुपालना का मूल्यांकन करने के लिए और उन पर राय व्यक्त करने के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

कंपनी की लेखाबहियों, पेपरों, कार्यवृत पुस्तिकाओं, प्ररूपों और फाइल किए गए रिटर्नों और कंपनी द्वारा रखे गए अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, हम एतद् द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान जिसमें 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष सम्मिलित है इसमें नीचे सूचीबद्ध किए गए सांविधिक उपबंधों का अनुपालन किया है और यह राय भी व्यक्त करते हैं कि कंपनी की उचित मंडल–प्रक्रियाएं और अनुपालना–तंत्र उस सीमा और उस रीति में तथा नीचे दी गई रिपोर्टिंग की शर्त के अधीन रहते हुए है:

हमने कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए रखी गई लेखाबहियों, पेपरों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्ररूपों और फाइल किए गए रिटर्नों की निम्नलिखित के उपबंधों के अनुसार जांच कर ली है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और तद्धीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और तद्धीन बनाए गए नियमय **लागू नहीं**

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और तद्धीन बनाए गए उपनियमय **लागू नहीं**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और तदधीन बनाए गए नियम और विनियम, जो उस सीमा तक जहां तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा वाणिज्यक उधार होंय **लागू नहीं**

(v) निम्नलिखित विनियम और मार्गदर्शक सिद्धांत, जो भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी) के अधीन विहित किए गए हैं; **लागू नहीं**

(क) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारवान अर्जन और टेकओवर) विनियम, 2011;

(ख) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारबार प्रतिशेध) विनियम, 2015;

(ग) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2018;

(घ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम और कर्मचारी क्रय स्कीम) मार्गदर्शक सिद्धांत, 1999/भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ विनियम, 2014;

(ङ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) प्रतिभूतियों का जारी करना और सूचीकरण विनियम, 2008;

(च) कंपनियों के संबंध में और ग्राहकों से व्यौहार करने के लिए भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रजिस्ट्रार के निर्गम और शेयर अंतरक अभिकर्ता) विनियम, 1993;

(छ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साम्या शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2009; और

(ज) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनः क्रय करना) विनियम, 2018।

(vi) अन्य लागू विधियां:

दिनांक 17–05–2024 के प्रबंधन अभ्यावेदन पत्र के द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित विधियां और तदधीन बनाए गए नियमों को कंपनी द्वारा अभिज्ञात किया गया है और यथासंभव कंपनी द्वारा उनका अनुपालन किया गया है:

(क) लोक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई के लिए दिनांक 14 मई 2010 कार्पोरेट शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांत (''डीपीई कार्पोरेट शासन मार्गदर्शक सिद्धांत'');

(ख) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (''पोश'');

(ग) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और तदधीन बनाए गए नियम (''दिव्यांगजन अधिनियम'');

हमने समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित लागू खंडों की अनुपालना की भी जांच कर ली है:

(क) समय–समय पर यथा संशोधित इंस्टीट्यूट आफ कंपनी सेक्रेटरिज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालयी मानक;

(ख) कंपनी ने किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोई सूचीकरण करार नहीं किया है, क्योंकि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों आदि का, जिनका ऊपर वर्णन किया गया है निम्नलिखित पर्यवेक्षणों के अधीन रहते हुए अनुपालन किया है:

1. निदेशक मंडल की दो बैठकों अर्थात् 282वीं और 283वी, 284वीं और 285वीं के बीच का अंतर डीपीई कारपोरेट शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथाविनिर्दिष्ट तीन महिनों की विहित समयसीमा से अधिक हो गया है।

''डीपीई कारपोरेट शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों के खंड 3.3.1 के अनुसार, ''निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक तीन महिनों में कम से कम एक बार होगी और प्रत्येक वर्ष ऐसी बैठकें कम से कम चार बार आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, किन्हीं दो बैठकों के बीच तीन मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।''

प्रबंधन ने यह सुस्पष्ट किया कि शासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण निदेशक मंडल की बैठक तीन मास की विहित समयावधि के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि मंडल की बैठकों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी की लेखापरीक्षा समिति की बैठक चार बार के बजाय केवल तीन ही बार हुई और दो लेखापरीक्षा समिति की बैठक अर्थात 58वीं एवं 59वीं, 59वीं एवं 60वीं के बीच का समय अंतराल, डीपीई कारपोरेट शासन मार्गदर्शक सिद्धांत में यथा विनिर्दिष्ट चार मास की विहित समय सीमा से अधिक है।

"डीपीई कारपोरेट शासन मार्गदर्शक सिद्धांत के खंड 4.4 के अनुसार, "वर्ष में कम से कम चार बार लेखापरीक्षा समिति की बैठक होनी चाहिए और दो बैठकों के बीच चार मास से अधिक की चूक नहीं होनी चाहिए। गणपूर्ति दो सदस्यों या लेखापरीक्षा समिति के एक तिहाई सदस्यों, जो भी अधिक हो, से होगा, परंतु इसमें कम से कम दो स्वतंत्र सदस्य उपस्थित होने चाहिए।

प्रबंधन ने यह सुस्पष्ट किया कि शासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण लेखापरीक्षा समिति की बैठक चार मास की नियत समयावधि के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि समिति की बैठकों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक बोर्ड का कार्यपालक निदेशकों, गैर कार्यपालक निदेशकों एवं स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक बोर्ड के गठन में परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों की अनुपालना में किये गये हैं।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, कार्यसूची पर पर्याप्त सूचना दी गई और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पूर्व अग्रिम में भेजी गईं सिवाय लघु सूचना के, जहां अपेक्षित अनुपालना की गई है और कंपनी में बैठक से पूर्व कार्यसूची की मदों पर आगे सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने व अभिप्राप्त करने के लिए और बैठकों में सार्थक सहभागिता के लिए प्रणाली विद्यमान है।

कंपनी द्वारा बोर्ड/समितियों और शेयरधारकों के लिए रखे गए कार्यवृत्त के अनुसार, हम नोट करते हैं कि किसी भी विनिश्चय को संबंधित बोर्ड/समिति एवं शेयर धारक के असहमति के नोट के बिना अनुमोदित नहीं किया गया है।

हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि लागू विधियों, नियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों कि अनुपालना को मॉनिटर और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं। तथापि अन्य लागू विधियों की अनुपालना जैसा कि ऊपर पैरा (अप) में सूचीबद्ध किया गया है, का सत्यापन नहीं किया गया है और यह हमें दिए गए दस्तावेजों और प्रबंधन के बोर्ड को सभी कार्यालय के संबंध में कार्यसूची के कागजातों के माध्यम से रिपोर्ट किए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रबंधन अभ्यावेदन पत्र दिनांक 17.05.2024 पर आधारित है।

हम यह और भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाइयों का पर्यवेक्षण किया गया:

1. हमें यह सूचित किया गया है कि कंपनी कार्यनीतिक विनिवेश और मुद्रीकरण की व्यवस्था के अधीन है जिसमें विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय, डीआईपीएम, डीपीई इत्यादि द्वारा समय–समय पर जारी सभी मार्गदर्शक सिद्धांतों/नियमों/विनियम/कार्यालय पत्रक इत्यादि का अनुसरण किया जा रहा है।

2. हमें यह और सूचित किया गया है कि ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल–सीआईएनः यू45309डीएल2016जीओआई299995) जिसे 19 मई 2016 को ''कंपनी'' द्वारा 51 प्रतिशत की शेयरधारिता से

निगमित किया गया था, अभी भी अपने निगमन से ही प्रचालन नहीं कर रही है। तथापि कंपनी के त्वरित परिसमापन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 361 के अधीन याचिका सितंबर, 2018 में प्रस्तुत की गई गई थी इस पर प्रादेशिक निदेशक (उत्तर), कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 को विचार किया गया। प्रादेशिक निदेशक (कारपोरेट कार्य मंत्रालय) द्वारा यह सूचित किया गया कि फाइल की गई याचिका, परिसमापन की त्वरित प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कार्रवाई के लिए उपलब्ध अन्य विकल्प का उपयोग कर सकती है। तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1)(क) के अधीन ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटाने के लिए एक आवेदन महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष 23.05.2022 को फाइल किया गया है।

उस आवेदन के प्रत्युत्तर में, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने ईपीआईयूआईडीएल को दिनांक 30.11.2022/07.12.2022 को कंपनी रजिस्टर (एसटीके–1) से कंपनी का नाम हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। इसके उपरांत ईपीआईयूआईडीएल के मामले में आरओसी ने दिनांक 21.03.2023 को सुनवाई तय की। सुनवाई के उपरांत, आरओसी ने 21.04.2023 को एसकेटी–5 (कंपनी का नाम हटाने के लिए सार्वजनिक नोटिस) जारी किया और इसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया। आरओसी ने आगे एसटीके–5क (सार्वजनिक सूचना) दिनांक 02.05.2023 को टाइम्स सिटी समाचार पत्र दिनांक 13.06.2023 में प्रकाशित किया गया। तदुपरांत, आरओसी ने दिनांक 20.07.2023 को एसटीके–7 (कंपनी का नाम हटाने और विघटन की सूचना) जारी की और दिनांक 29.07.2023 को शासकीय राजपत्र में इसे प्रकाशित किया। इसके पश्चात इस अनुषंगी कंपनी अर्थात् ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटा दिया गया है और इसका विघटन कर दिया गया है। आज की तारीख में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट में कंपनी की प्रास्थिति ''बंद'' दर्शाई जा रही है।

3. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीबीआई ने दिनांक 31.03.2024 तक 6 मामले पंजीकृत किए हैं और "कंपनी" के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी (एफआईआर) फाइल की है जिसमें कंपनी को एफआईआर में पक्षकार नहीं बनाया गया है इससे उसके वित्तीय विवरणों पर किसी प्रभाव की परिकल्पना नहीं की गई है। तथापि वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, सीबीआई ने कंपनी के धन की धोखाधड़ी/गबन का भी एक मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच अभी चल रही है और उक्त धोखाधड़ी/गबन का इसके वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव है।

कृते एमएनके एंड एसोसिएटस एलएलपी
कंपनी सचिव
एफआरएनःएल20183004900

ह./–
मोहम्मद नाजिम खान
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएसः6529यसीपी–8245
यूडीआईएनःएफ006529एफ000826557
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं.: 671/2020

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 25.07.2024

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तारीख के पत्र जो **उपाबंध–क** के रूप में उपाबद्ध है और जो इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है के साथ पढ़ें।

''उपाबंध क''

सेवा में,
सदस्य
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएनःयू27109डीएल1970जीओआई117585
कोर 3, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ें।

1. सचिवालय अभिलेखों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है और हमारा दायित्व इन सचिवालीय अभिलेखों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करने का है।

2. हमने उन लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है जो सचिवालयीय अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सही होने की बाबत युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए युक्तियुक्त है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि सचिवालीय अभिलेखों में सही तथ्य दर्शाये जाएं। हमारा विश्वास है कि जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का हमने अनुसरण किया है वे हमारी राय में युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

3. हमने सांविधिक लेखापरीक्षकों, कर प्राधिकारियों, लागत लेखापरीक्षकों और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट को लागू वित्तीय विधियों, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विधियां, लेखांकन मानक, वित्तीय अभिलेखों की निवलता और उपयुक्तता, लागत अभिलेख और कंपनी की लेखा बहियां भी सम्मिलित हैं, पर भरोसा किया है चूंकि यह संबंधित लेखापरीक्षकों और अन्य नामनिर्दिष्ट व्यवसायिकों की समीक्षा के अधीन रही हैं।

4. जहां भी अपेक्षित था हमने प्रबंधन से विधियों, नियमों, विनियमों और घटनाओं इत्यादि के विषय में अनुपालना के लिए अभ्यावेदन अभिप्राप्त किया है।

5. कारपोरेट और अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के उपबंधों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है, हमारी जांच, प्रक्रियाओं के सत्यापन के लिए जांच के आधार तक ही सीमित थी।

6. सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी साध्यता और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावोत्पादकता के विषय में कोई आश्वासन है जिसमें कंपनी का प्रबंधन अपने कार्य संचालित कर रहा है।

कृते एमएनके एंड एसोसिएटस एलएलपी
कंपनी सचिव
एफआरएनःएल20183004900

ह./–
मोहम्मद नाजिम खान
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएसः6529यसीपी–8245
यूडीआईएनःएफ006529एफ000826557
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं.: 671/2020
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 25.07.2024

सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अपने सचिवालयी लेखा रिपोर्ट में किए गए पर्यवेक्षण/टिप्पणियों का प्रबंधन का प्रत्युत्तर

क्र. सं.	रिपोर्ट में पर्यवेक्षण/टिप्पणियां	पर्यवेक्षणों का प्रत्युत्तर
1	मंडल की दो बैठकों अर्थात् 282वीं और 283वी, 284वीं और 285वीं के बीच का अंतर डीपीई कारपोरेट शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथाविनिर्दिष्ट तीन मास की विहित समयसीमा से अधिक हो गया है। ''डीपीई कारपोरेट शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों के खंड 3.3.1 के अनुसार, ''मंडल की बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार होगी और प्रत्येक वर्ष ऐसी बैठकें कम से कम चार बार आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, किन्हीं दो बैठकों के बीच तीन मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ''प्रबंधन ने यह सुस्पष्ट किया कि शासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण मंडल की बैठक तीन मास की विहित समयावधि के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि मंडल की बैठकों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।	शासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण मंडल की बैठक डीपीई कारपोरेट शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन में तीन मास की नियत समयावधि के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।
2.	वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी की लेखापरीक्षा समिति की बैठक चार बार के बजाय केवल तीन ही बार हुई और दो लेखापरीक्षा समिति की बैठक अर्थात 58वीं एवं 59वीं, 59वीं एवं 60वीं के बीच का समय अंतराल, डीपीई कारपोरेट शासन मार्गदर्शक सिद्धांत में यथा विनिर्दिष्ट चार मास की विहित समय सीमा से अधिक है। "डीपीई कारपोरेट शासन मार्गदर्शी के खंड 4.4 के अनुसार, "वर्ष में कम से कम चार बार लेखापरीक्षा समिति की बैठक होनी चाहिए और दो बैठकों के बीच चार मास से अधिक की चूक नहीं होनी चाहिए। गणपूर्ति दो सदस्यों या लेखापरीक्षा समिति के एक तिहाई सदस्यों, जो भी अधिक हो, से होगा, परंतु इसमें कम से कम दो स्वतंत्र सदस्य उपस्थित होने चाहिए। प्रबंधन ने यह सुस्पष्ट किया कि शासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण लेखापरीक्षा समिति की बैठक चार मास की नियत समयावधि के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि समिति की बैठकों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।	शासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण बैठक डीपीई कारपोरेट शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन में चार मास एवं वर्ष में चार बार की नियत समयावधि के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

टर्नओवर और कुल आय

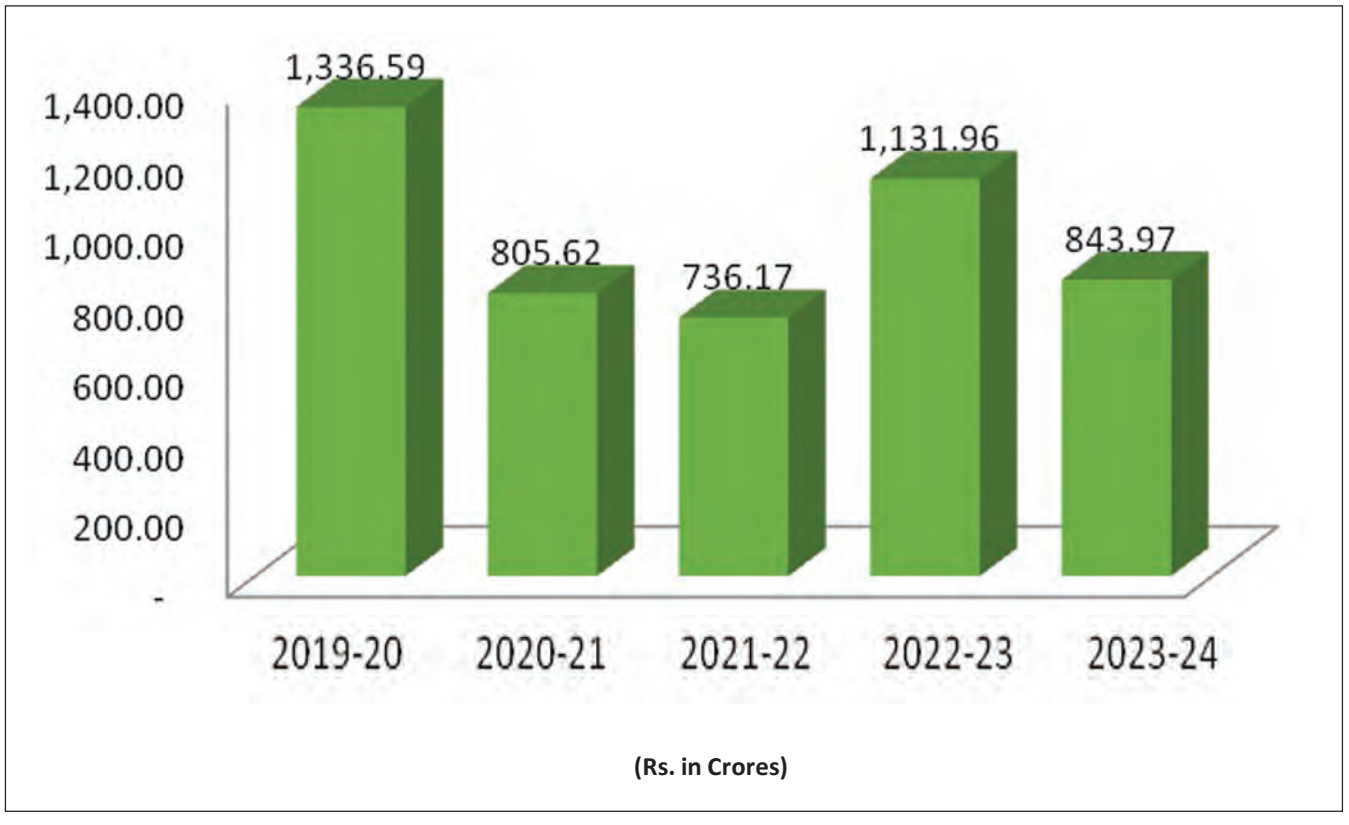

टर्नओवर

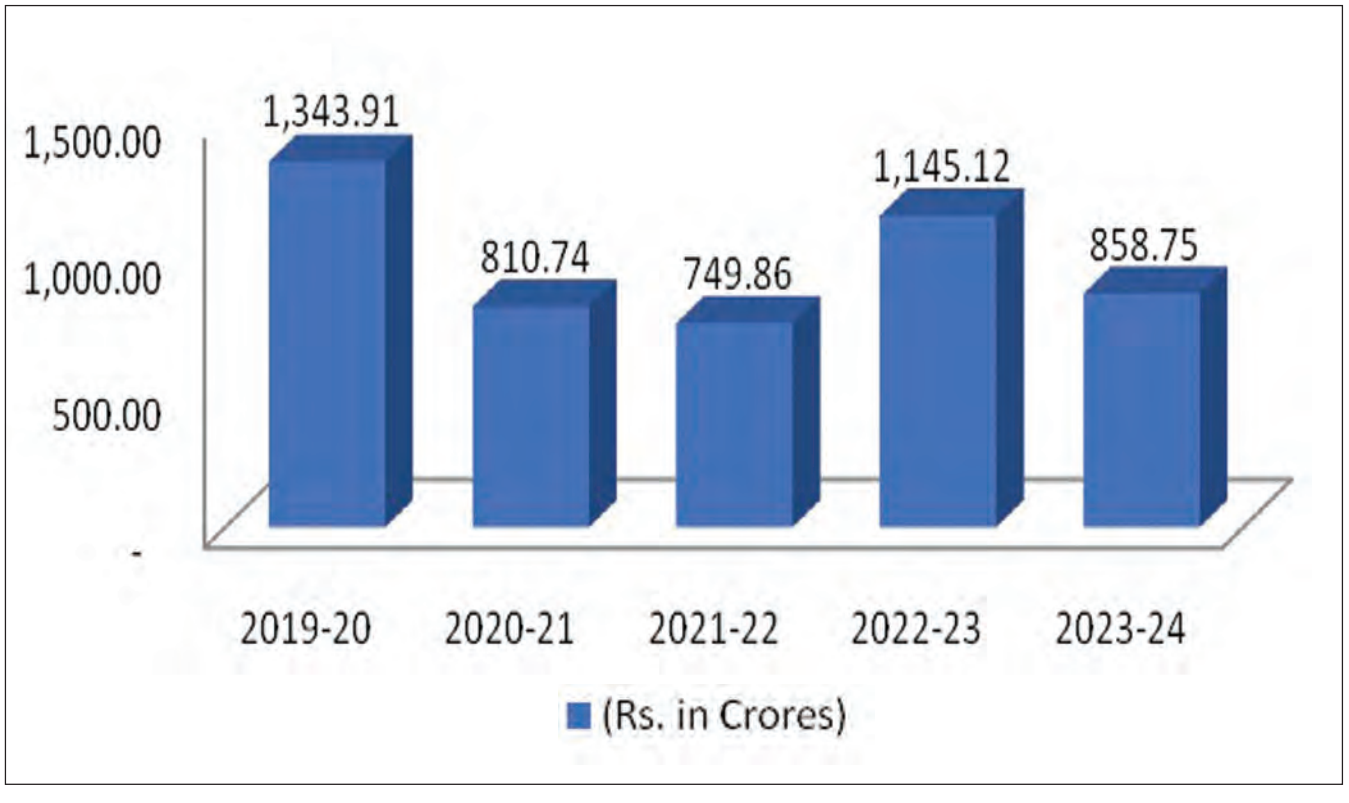

कुल आय

माननीय भारी उद्योग मंत्री के साथ बैठक

माननीय गृह राज्यमंत्री के साथ बैठक

संयुक्त सचिव, सीमा प्रबंधन 1, गृह मंत्रालय के साथ बैठक

पूर्व महानिदेशक, बीएसएफ के साथ बैठक

महानिदेशक, बीएसएफ के साथ बैठक

सदस्य, भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के साथ बैठक

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण (एलपीएआई) के साथ बैठक

ईपीआईएल की वित्तीय वर्ष 2023–24 की 54वीं एजीएम

निदेशक मंडल की बैठक

संयुक्त सचिव – भारी उद्योग मंत्रालय का सम्मान

संसदीय समिति की बैठक

54वां स्थापना दिवस – 2024

खेल दिवस समारोह –2024

भारी उद्योग मंत्रालय की वार्षिक सीपीएसई समीक्षा बैठक–2024

रक्षा मंत्रालय आर्मड व्हीकल निगम लिमिटेड के अध्यक्ष–सह–प्रबंध–निदेशक तथा निदेश (संचालन) के साथ बैठक

ईपीएफओ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

वृक्षारोपण अभियान

Plant4Mother
GPS Map Camera
New Delhi, Delhi, India
Block G B23, Char Bagh Najaf Khan Tomb, 230, Najaf Khan Rd, Block G, Block 23, BK Dutt Colony, New Delhi, Delhi 110003, India
Lat 28.581151°
Long 77.213869°
19/09/24 03:49 PM GMT +05:30
Google

Tree Plantation Campaign
Plant4Mother

Tree Plantation Campaign
Plant4Mother
September 2024
to
March 2025
THSTI PROJECTS FARIDABAD

योग दिवस समारोह

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण–राजकोट–फ्लाईओवर कार्य प्रगति पर

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण–राजकोट–फ्लाईओवर कार्य प्रगति पर

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण–राजकोट, वीयुपी पेयर कैप कार्य प्रगति पर

ईएमआरएस–अराकू वैली

सरकारी मेडीकल कॉलेज–गोंदिया

जलापूर्ति परियोजना सीसाई, गुमला, झारखण्ड–डब्ल्यूटीपी

एनटीपीसी हाउसिंग परियोजना, मुजफ्फरपुर, बिहार–सुइट बिल्डिंग

डीएमएफ 1000 लैब एकोम तथा 2 शव दाहगृह, सुंदरगढ, ओडिसा

डीईएमयू/एमईएमयू परियोजना अनारा, पश्चिम बंगाल

आरवीएनएल ईएमयू कार शेड परियोजना, खुर्दा रोड, भुवनेश्वर, ओडिशा

आरवीएनएल ईएमयू कार शेड परियोजना, खुर्दा रोड – एचआर बे

कोटा मथुरा सेक्शन, एलसी 224x–आरओबी–II परियोजना पर आरसीसी ग्रायडर का शुभारंभ

कोटा मथुरा सेक्शन, एलसी 224x पर कंपोजिट ग्रायडर का शुभारंभ

कटक, ओडिशा में मॉडल आहार केंद्र का आंतरिक कार्य

राफ्ट कास्टिंग– गोंदिया मेडिकल कॉलेज परियोजना

एफजीडी उकाई परियोजना

आईआरईएल परियोजना

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,

वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अर्हित राय

हमने मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कर ली है, जिसमें 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण और उस वर्ष को समाप्त हुए वर्ष का नगदी प्रवाह का विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पण जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य स्पष्टीकारक सूचना भी है, सम्मिलित है। कंपनी के 4 (चार) क्षेत्रों अर्थात् पश्चिम क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र में स्थित प्रादेशिक कार्यालयों और ओमान, श्रीलंका तथा म्यांमार की 3 (तीन) विदेशी शाखाओं की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा और कार्पोरेट कार्यालय की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार सिवाय हमारी रिपोर्ट के अर्हितराय का आधार अनुभाग में वर्णित किए गए मामले के सिवाय पूर्वोक्त वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की अपेक्षा अनुसार उस प्रकार अपेक्षित रीति में सूचना प्रदान करते हैं और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के कार्यों का 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों का और उस तारीख को समाप्तहुए वर्ष के लिए हानि और नकदी प्रवाह का न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

अर्हित राय का आधार

1. लेखांकन नीति संख्या 1.10 के अनुसार के अनुसार केंद्र/राज्य सरकारों और उनके विभागों, पीएसयू ग्राहकों औरविदेशी ग्राहकों से संबंधित बंद पड़ी परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य/ऋण और अग्रिम इनके शोध्य बन जाने के वर्षसे 10 वर्ष तक की वसूली के लिए अच्छे माने जाते हैं। इन ऋणों की वसूली के लिए लगातार दबाव डाला जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम समझौता नहीं हो जाता या विवाद की स्थिति में मध्यस्थ न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं सुनाया जाता। यदि शोध्य राशि 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया है तो परियोजना के आधार पर निवल प्राप्य राशि के लिए संदेहास्पद कर्ज/ऋण और अग्रिम के सापेक्ष आवश्यक प्रावधान किया जाता है। इस प्रकार, प्राप्य संदेहास्पद ऋणों के सापेक्ष प्रावधान उन शोध्यों के लिए नहीं किया जाता है जो विवादाधीन हैं और जिनमें अंतिम निर्णय पारित नहीं हुआ है और जो 10 वर्ष से कम समय से प्राप्य है।

   क) जैसा कि डब्ल्यूआरओ शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, उन शोध्यों के लिए संदेहास्पद प्राप्यों के सापेक्ष प्रावधान नहीं किया गया है जो विवादाधीन हैं तथा जिनमें अंतिम निर्णय नहीं पारित नहीं किया गया है। ऐसी कुल प्राप्य राशि 1,475.58 लाख रुपये है, इस प्राप्य राशि के सापेक्ष उप–ठेकेदार को 87.26 लाख रुपये की अदायगी लंबित हैं। अतः, निवल बकाया जिसके लिए प्रावधान किया जाना अपेक्षित है परंतु प्रावधान नहीं किया गया है, वह 1,388.31 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त अन्य कुल प्राप्यों में से 86.50 लाख रुपये 3 वर्ष से अधिक की अवधि से बकाया है, इस प्रकार, इसके लिए प्रावधान की करना अपेक्षित है। तदनुसार, वर्ष के लिए हानि में 1,474.81 लाख रुपये का कम उल्लेख हुआ है और व्यापार प्राप्य में 1,562.08 लाख रुपये का अधिक हुआ है, जिसमें से अन्य गैर–चालू आस्तियां (प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन) में 168.31 लाख रुपये और व्यापार संदेय में 87.26 लाख रुपये का अधिक उल्लेख हुआ है।

ख) जैसा कि एनआरओ शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है,'ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य' के अधीन 140.00 लाख रुपये और 0.66 लाख रुपये एवं 'प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन' के अधीन 7.99 लाख रुपये और 19.84 लाख रुपये 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां की लेखाकंन नीति संख्या 10 के अनुसार शाखा को 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि के लिए प्रावधान करना होता है। तथापि इन शेषों पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि शाखा ने 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया शोध्यों के लिए प्रावधान किया होता तो 'अन्य अग्रिम', 'ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य' और 'प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन' के शेष में प्रावधान किए जाने के उपरांत क्रमशः 140.66 लाख रुपये और 27.83 लाख रुपये की कमी होती और तदनुसार वर्ष के लिए लाभ और शेयरधारक निधि में 168.49 लाख की कमी आती।

ग) जैसा कि ईआरओ शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित अविवादित बंद परियोजनाओं के लिए निवल प्राप्य का मूल्य 405.18 लाख रुपये है, जिसके लिए शाखा की बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

यदि संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान, वर्णित नीति के अनुसार किया गया होता, तो वर्ष के लिए घाटा 405.18 लाख रुपये बढ़ जाता और संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान में भी उतनी ही राशि से बढ़ जाती। तदनुसार, वर्ष के लिए हनि में 405.18 लाख रुपये का कम उल्लेख हुआ है।

2. जैसा कि ईआरओ शाखा के लेखा परीक्षकों ने रिपोर्ट किया है, (वित्तीय विवरणों के टिप्पण संख्या 2.11 का संदर्भ लें) दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम – अप्रत्यक्ष कर (वसूली योग्य, इनपुट टैक्स क्रेडिट और अग्रिम) जिसमें ईआरओ का संकर्म संविदा कर/वैट के लिए 314.47 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है। जैसा कि हमें बताया गया कि यह शाखा की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित है और ग्राहकों और अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरणों से वसूली योग्य है। यह भी बताया गया कि परियोजना के पूरा होने के समय अंतिम निपटान के साथ और अप्रत्यक्ष कर प्राधिकारियों के साथ अंतिम कर निर्धारण के समय ग्राहक से दावे किए गये हैं। तथापि, ग्राहक/कर प्राधिकारियों के पास ऐसे दावों के लिए दस्तावेज/संपुष्टिकरण हमें सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए, दावों के लिए ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में हम उनकी वसूली/उपयुक्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

3. जैसा कि ईआरओ शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा जांच के आधार पर रिपोर्ट किया गया, जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल थी, कंपनी ने अपने लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है। तथापि, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि लेखा बहियों का अद्यतन करने वाले सभी सुसंगत डेटा के लिए ऑडिट ट्रेल सक्षम हैं, सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल पूरे वर्ष संचालित किए गए थे और उनसे छेड़छाड़ नहीं की गई थी।

4. डब्ल्यूआरओ शाखा में, उप–ठेकेदार को 583.10 लाख रुपये की अग्रिम राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, यद्यपि उप–ठेकेदार अर्थात टेकप्रो सिस्टम मुकदमेबाजी में दिवालियापन प्रक्रिया के अधीन है। तदनुसार, वर्ष के लिए हानिमें 583.10 लाख रुपये का कम उल्लेख हुआ है और अन्य चालू संपत्ति (विक्रेताओं से वसूली योग्य) में इतनी ही राशि का अधिक उल्लेख हुआ है।

5. डब्ल्यूआरओ शाखा में, विक्रेता मैसर्स रीकॉन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड से वसूली योग्य 139 लाख रुपये का ब्याज वर्ष 2017 से लंबित है, जिसके लिए 31–03–2024 की स्थिति के अनुसार प्रावधान किया जाना चाहिए। तथापि, 31–03–2024 की स्थिति के अनुसार हानि में 139 लाख रुपये का कम उल्लेख हुआ है।

6. मैसर्स सीएंडसी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड म्यांमार में संयुक्त उद्यम "ईपीआई– सीएंडसी जेवी (अनिगमित)" 60 प्रतिशत का स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य कांट्रेक्टर इस समय एनसीएलटी में दिवाला

कार्यवाहियों का सामना कर रहे हैं और यह मामला अग्रिम चरण में है। ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर इसके परिणाम और उसके वित्तीय प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्व का हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग में लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व में और वर्णन किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार नैतिक आचार अपेक्षाओं सहित जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अधीन वित्तीय विवरणों कि हमारी लेखा परीक्षा से सुसंगत है, हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं तथा नैतिक आचरण संहिता के अनुसार अपने नैतिक आचरण के उत्तरदायित्व को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि लेखा परीक्षा साक्ष्य जो हमने अभिप्राप्त किया है हमारी राय का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

महत्वपूर्ण मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले होते हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकृष्ट करते हैं:–

1. शाखावार शेष परीक्षण (ट्रायल बैंलेस) संबंधी

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, पीसीओ–भुवनेश्वर को पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया है और अब इसे पूर्वी क्षेत्र में मिला दिया गया है और साथ ही पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः कंपनीकृत किया गया है। चूंकि शाखावार ट्रायल बैलेंस पर पूर्वके लेखापरीक्षक ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, अतः ईआरओ शाखा लेखापरीक्षक ने पीसीओ–भुवनेश्वर के शाखा प्रमुख (महाप्रबंधक) द्वारा हस्ताक्षरित वित्तीय वर्ष 2022–23 के ट्रायल बैलेंस के आधार पर काम किया है।

2. आकस्मिक दायित्व

हम आकस्मिक दायित्वों के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पण संख्या 2.26 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी ने राजस्व अधिकारियों के साथ चल रही कानूनी कार्यवाही और/या कारबार के सामान्य अनुक्रम के दौरान उदभूत मामलों का प्रकटन किया है। इन कानूनी कार्यवाहियों का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई सारवान और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा हम यह हम आकलन नहीं कर सके।

जैसा कि एनआरओ शाखा के लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है, रुद्रपुर में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संनिर्माण के लिए परियोजना से संबंधित चल रहे विवादों और दावों के संबंध में, शाखा को आयुर्विज्ञान शिक्षा निदेशालय (उत्तराखंड सरकार) से एक दावा प्राप्त हुआ है और शाखा के पास उपलब्ध राशि ठेकेदार के प्रति बकाया देयता की तुलना में कम है। तथापि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है चूंकि मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

3. प्राप्यों एवं संदेशें की शेष की संपुष्टि

व्यापार प्राप्यों, संकर्म के लिए अग्रिम, प्रतिभूति और प्रतिधारण धन, ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से उधार और अग्रिम, व्यापार संदयों का शेष, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, प्राप्त प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन के संबंध में शेष राशि की धनात्मक बाह्य संपुष्टि उपलब्ध नहीं है। शेष की संपुष्टि के उपलब्ध न होने के कारण इन वित्तीय विवरणों से उद्भूत प्रभाव, यदि कोई है की मात्रा बताने में हम असमर्थ हैं।

यद्यपि कंपनी ने सभी संबंधित ग्राहकों को ऋणात्मक शेष की पुष्टि का अनुरोध किया किंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। एसए 505– बाह्य संपुष्टि के अनुसार, ऋणात्मक संपुष्टि अनुरोध के लिए कोई प्रत्युत्तर ना प्राप्त करना शोध्य धनराशि के सही होने या संपुष्टि करने वाले पक्षकार द्वारा धनराशि की संपुष्टि करने की इच्छा ना होने को दर्शाता है। अतः उक्त धनराशियों के सही होने, विद्यमान होने और पूर्ण होने का सत्यापन नहीं किया जा सका। तथापि लेखापरीक्षा मानक के अनुसार ऋणात्मक संपुष्टि लेखा परीक्षा का साक्ष्य है। इस प्रकार, पूर्वोक्त के आधार पर हम अपनी राय को अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.43 देखें।

क. जैसा कि ईआरओ शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, शाखा ने व्यापार प्राप्यों, ऋण और अग्रिम, ग्राहक की अग्रिम प्रतिधारण राशि, प्रतिभूति जमा, व्यापार संदेय और अन्य को संदेय शेष धनराशि से संबंधित शेष संपुष्टि पत्र भेजे हैं जो संपुष्टि और समाशोधन के अध्यीन हैं। हमें अपनी रिपोर्ट की तिथि तक निम्नलिखित शेष की संपुष्टि प्राप्त हुई है:

लेखा मद	शेष जिसकी संपुष्टि प्राप्त हुई (राशि लाख रुपये में)
संकर्म/आपूर्ति के लिए संदेय (क्रेडिट)	517.14
संदेय प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन (क्रेडिट)	456.80
विक्रेता द्वारा रोकी गई राशि (क्रेडिट)	242.88
अन्य संदेय (क्रेडिट)	0.26
विक्रेता से वसूली योग्य राशि (डेबिट)	16.72

ख. जैसा कि एनआरओ शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार शेष बकाया के लिए व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम, ग्राहक का अग्रिम, प्रतिधारण धन, प्रतिभूति जमा प्राप्य/संदेय और व्यापार दायित्वों से शेष संपुष्टि प्राप्त नहीं हुई है जिससे उक्त शेषों की सटीकता, विद्यमानता और पूर्णता को सत्यापित नहीं किया जा सका।

ग. डब्ल्यूआरओ शाखा में डब्ल्यूआरओ शाखा लेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, प्राप्त संपुष्टि का विवरण इस प्रकार है:

लेखा मद	टिप्पण संख्या	वित्तीय विवरण के अनुसार कुल राशि (राशि लाख रुपए में)	वह राशि जिसके लिए संपुष्टि प्राप्त हुई (राशि लाख रुपए में)
व्यापार प्राप्य (चालू और गैर चालू)	2.12 – 2.15	7,463.65	शून्य
प्रतिधारण धन और प्रतिभूति जमा	2.3 – 2.7	4420.66	679.47
रोका गया व्यापार संदेय	2.6	2571.66	498.92

घ. जैसा कि ओमान शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया, सरोज कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएलसी और मैसर्स सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड – ओमान से शेष की संपुष्टि प्राप्त नहीं हुई और वर्ष के अंत में इसका समाशोधन नहीं किया गया है। इसके अभाव में, हम लेनदारों और उपठेकेदारों के शेष की पूर्णता को सत्यापित करने में असमर्थ हैं।

4. परिसमाप्त नुकसान

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पण संख्या 1.3.छ की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो विवादित/बातचीत के अधीन

संविदां के संबंध में संविदात्मक दायित्वों से उद्भूत परिसमाप्त नुकसान के संबंध में प्रावधान न करने पर कंपनी की नीति के बारे में है और जिसे अंतिम निपटान तक संदेय/प्राप्य नहीं माना गया है। जैसा कि ईआरओ के शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, निष्पादन में देरी के कारण ग्राहक द्वारा 69.49 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 63.80 लाख रुपये) रोक दिये गये हैं और इसका प्रकटन अन्य गैर–चालू आस्तियां –ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य के रूप में किया गया है।

5. बंद पड़ी परियोजनाओं से संबंधित प्राप्य एवं संदेय

जैसा कि ईआरओ शाखा के लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है, कतिपय ऐसे प्राप्य मामले हैं जहाँ लाभ के केंद्र को ईआरओ के रूप में उल्लिखित किया गया है। हमारा मानना है कि ये बंद पड़ी परियोजनाओं से संबंधित हैं, और कुछ परियोजनाओं की पहचान नहीं की जा सकी।

जीएल कोड	राशि (लाख रुपए में)	टिप्पणी
20801001	32.50	3 वर्ष से अधिक समय से बकाया
21006001	24.56	5 वर्ष से अधिक समय से बकाया

इसी तरह, 'संदेय' के अधीन कतिपय मामले हैं जहाँ लाभ के केंद्र को ईआरओ के रूप में उल्लिखित किया गया है। हमारा मानना है कि ये बंद पड़ी परियोजनाओं से संबंधित हैं, और कुछ परियोजनाओं की पहचान नहीं की जा सकी।

जीएल कोड	राशि (लाख रुपए में)	टिप्पणी
10810000	12.82	3 वर्ष से अधिक समय से बकाया
10901001	353.96	5 वर्ष से अधिक समय से बकाया, इसमें निविदा ग्राहक की 1.38 लाख रुपये की ईएमडी सम्मिलित है
10908001	10.93	5 वर्ष से अधिक समय से बकाया, इसमें निविदा ईएमडी के 0.41 लाख रुपये सम्मिलित हैं
10908002	186.96	इसमें विक्रेता कोड 51000918 के सापेक्ष निविदा ईएमडी के रूप में संदेय 170.89 लाख रुपये सम्मिलित हैं

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

6. मूल्यह्रास

जैसा कि एनआरओ के लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, एनआरओ शाखा में, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अधीन कुछ आस्तियों के मूल्यह्रास के प्रयोजनार्थ विचार की गई उपयोगी जीवन की अवधि गलत है। यदि मूल्यह्रास की सही गणना की गई होती तो ''कंप्यूटर और उपस्कर'' का शेष 0.11 लाख रुपय कम होता और ''फर्नीचर और सज्जा'' तथा ''कार्यालय और अन्य उपस्कर'' का शेष क्रमशः 1.63 लाख रुपये और 0.03 लाख रुपये अधिक होता। ''मूल्यह्रास और अपाकरण व्यय'' 1.55 लाख रुपये कम होता और रिर्पोटाधीन वर्ष के लिए तत्स्थापनी लाभ 1.55 लाख रुपये अधिक होता। गत वर्षों में ऐसी त्रुटियों के प्रभाव, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है। वित्तीय विवरणों में त्रुटि का प्रभाव सारवान नहीं है, इसलिए हमने इस संबंध में अर्हित राय नहीं दी है।

7. एमएसएमई की पहचान

विक्रेताओं की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रास्थिति की पहचान के लिए टिप्पण संख्या 2.3, 2.6 और 2.51 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। विक्रेताओं की एमएसएमई प्रास्थिति की पहचान एसएपी में विक्रेता के प्रारंभिक सृजन के समय की जाती है, तदुपरांत विक्रेताओं की एमएसएमई प्रास्थिति की पहचान करने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। इस प्रकार, हम 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, एमएसएमई के बकाया के सही प्रकटीकरण या तत्संबंधी संदाय में किसी भी प्रकार के विलंब पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

8. राजस्व मान्यता

राजस्व मान्यता के लिए अपनाई गई पूर्णता पद्धति के प्रतिशत पर टिप्पण संख्या 1(3)(क)/(ख)/(ट) में लेखांकन नीति की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। वर्ष के दौरान एनआरओ शाखा ने 551.57 लाख रुपये के संकर्म व्यय को मान्यता दी है और पूर्णता प्रतिशत के आधार पर प्रचालन से राजस्व की तत्स्थानी गणना की है। इस प्रमाणपत्र के साथ संगणना या प्राक्कलन से संबंधित कोई कार्य संलग्न नहीं किया गया है। प्राक्कलन की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। साथ ही, हम यह प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्तियों की तकनीकी क्षमता का पता लगाने में भी असमर्थ रहे। तथापि, प्रबंधन द्वारा किए गए प्राक्कलनों में संभावित भिन्नता के समग्र प्रभाव, एनआरओ शाखा के वित्तीय विवरणों पर इसके तात्विक प्रभाव के संबंध में हमारे पास कोई प्रतिकूल दृष्टि बनाने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार, हमने इस संबंध में अर्हित राय नहीं दी है।

9. जीएसटी समाशोधन

जैसा कि एनआरओ शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया, एनआरओ शाखा में, बहियों में उपलब्ध वस्तु और सेवा कर दायित्व और इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंतिम शेष का जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दर्शाए गए शेष के साथ पूर्णतया समा ाोधन नहीं किया गया है। तथापि, अंतर सारवान नहीं है। इस प्रकार, हमने इस संबंध में अपनी लेखापरीक्षा में अर्हित नहीं हो सके।

10. स्थायी आस्तियों का भौतिक सत्यापन

जैसा कि एनआरओ शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया, हमें उपलब्ध कराई गई स्थायी आस्तियों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न स्थानों पर कुछ भौतिक आस्तियां अधिकता में उपलब्ध हैं। तथापि, इनके बारे में हमें कोई अन्य विवरण उपलब्ध नहीं कराया गय। इस प्रकार, हम ऐसे भिन्नता के प्रभाव का आकलन करने में असमर्थ हैं।

11. सीबीआइ मामले

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 06 मामले पंजीकृत किए गए हैं और ''कंपनी'' के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें ''कंपनी'' को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं उसके वित्तीय कारणों पर कोई वित्तीय प्रभाव परिकल्पित नहीं है। टिप्पण संख्या 2.41 देखें।

12. प्रावधान

हम टिप्पण संख्या 2.45(च) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी ने 8वीं और 9वीं मंजिल पर नगर निगम के कक्ष संख्या–50 चौरंगी रोड, कोलकाता–71 में 15000 वर्ग फुट क्षेत्र लिया था जिसकी अवधि 30.09.2015 को समाप्त हो गई है और मामला 2016 की संख्या 144 के माध्यम से निर्णय के लिए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में भेजा गया है। पट्टादाता (मैसर्स स्क्वायर फोर एसेट्स मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड) ने माननीय एकल पीठ द्वारा पट्टादाता के पक्ष में दिनांक 03.11.2022 को पारित निर्णय के विरुद्ध अक्तूबर, 2015 से मार्च, 2022 तक की अवधि के संबंध में वर्ष 2022 के जीए सं. 18, दिनांक 08.02.2022 द्वारा

5952.70 लाख रुपये (जिसके अंतर्गतं 2581.27 लाख रुपये ब्याज और 514.28 लाख रुपये जीएसटी सम्मिलित है) का दावा किया था।

कंपनी दिनांक 28.11.2022 को माननीय एकल पीठ के उक्त आदेश के विरुद्ध खंडपीठ में चली गई और 9 जून, 2023 को खंडपीठ ने माननीय एकल पीठ का आदेश रद्द कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 1656. 81 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) के लिए युक्तयुक्त रूप से 1659.22 लाख रुपये (31.03.2022 तक 1659.22 लाख रुपये) के दिनांक 31.03.2023 तक संचयी प्रावधान के साथ पट्टा किराये के सापेक्ष प्रावधान किया है। इसे टिप्पण संख्या 2.4 में दीर्घवधिक प्रावधान मद के अधीन विधिवत दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कोलकाता नगर निगम (''केएमसी'') ने 41,22,480 रुपये के विभिन्न संपत्ति कर ताजा/पूरक (यूनिट एरिया/एआरवी) बिल जारी किए थे, जिसकी अदायगी तिमाही आधार पर किया जाना अपेक्षित था। कंपनी ने ईआरओ शाखा के टिप्पण संख्या 2.24 में दर और कर मद के अधीन वर्ष के दौरान 24,73,488/– रुपये दर्ज किए, परंतु केएमसी को अदायगी नहीं की। इस दायित्व के निर्वहन के संबंध में कानूनी राय मांगी गई थी, परंतु अभी तक, उक्त राय के अनुसार कानूनी कार्यवाही आरंभ नहीं हुई है।

13. बैंक गारंटी

ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा 4,554.00 करोड रुपए के लिए प्रदान की गई बैंक गारंटी के बदले में ईपीआईएल ने दिनांक 1,906.64 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के सापेक्ष प्राप्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने दिनांक 09 फरवरी, 2022 के अपने पत्र द्वारा पूरी संविदा (म्यांमार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109. 20 तक पलेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार दो लेन सड़क के निर्माण की परियोजना) को कार्य निष्पादन न होना बताते हुए समाप्त कर दिया और तदुपरांत 75.90 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी (ईपीआई का हिस्सा – 30.36 करोड़ रुपये और सी एंड सी का हिस्सा – 45.54 करोड़ रुपये) जब्त कर ली। इसके परिणामस्वरूप, ईपीआई ने दिनांक 11 फरवरी, 2022 के अपने पत्र द्वारा अपने उप–ठेकेदार मैसर्स आरके–आरपीपी जेवी (प्रदान किया गया मूल्य 414 करोड रुपये) की संविदा समाप्त कर दी और 20.70 करोड़ रुपये (414 करोड़ रुपये का 5 प्रतिशत) कार्य निष्पादन न होने पर देय के सापेक्ष उसकी बैंक गारंटी जब्त कर ली।

इसके अतिरिक्त मैसर्स ईपीआई–सीएंडसी जेवी ने संयुक्त रूप से विदेश मंत्रालय (ग्राहक) और इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड को दिनांक 20.02.2024 को 75.90 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी की धनराशि (ईपीआई हिस्सा – 30.36 करोड़ रुपये और सीएंडसी हिस्सा – 45.54 करोड़ रुपये) के लिए अपील दायर की है। इस प्रकार 75.90 करोड़ रुपये का दावा ग्राहक से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाया गया है। टिप्पण संख्या 2.29 (ख) देखें।

14. कर्मचारियों को संदेय

कर्मचारियों के संबंध में कुल बकाया राशि जिसमें पूर्व कर्मचारी भी शामिल हैं:

विशिष्टियां	राशि (लाख रुपये में)
संदेय राशि–कर्मचारी	96.00
कार्यनिष्पादन संबद्ध संदेय वेतन	23.06
तृतीय पीआरसी (वेतन संशोधन) के लिए दायित्व	474.93

15 विदेशी शाखा में मुकदमेबाजी

(क) दिनांक 05 सितंबर 2023 को, ओमान अरब बैंक ने सीएंडसी (ओमान) एलएलसी– प्रथम प्रतिवादी, अल नबा होल्डिंग एलएलसी– द्वितीय प्रतिवादी, श्री खालिद बिन हामिद बिन सैफ अल बुसैदी (अल नबा होल्डिंग एलएलसी के अध्यक्ष)–तृतीय प्रतिवादी और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड–चतुर्थ प्रतिवादी के विरुद्ध प्रथमतः न्यायालय (मस्कट प्राथमिक न्यायालय) में 14015.82 लाख रुपये (17,908,066.62 अमरीकी डॉलर के समतुल्य) का संयुक्त रूप से या अलग–अलग अदायगी किए जाने का मामला दायर किया और साथ ही ओमान अरब बैंक के पक्ष में ईपीआई द्वारा जारी समनुदेशन पत्र का अनुपालन न करने के कारण, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड पर 6104.70 लाख रुपये (7,800,000 अमरीकी डॉलर के समतुल्य) का दावा दायर किया। पिछली सुनवाई दिनांक 22–04–2024 को हुई और अगली सुनवाई 26–05–2024 तक स्थगित कर दी गई। टिप्पण संख्या 2.53(क) देखें।

(ख) कंपनी ने मुख्य संविदा में दी गई शर्तों के अनुसार ईंधन की कीमतों में वृद्धि और वीजा शुल्क और वैट प्रतिपूर्ति के कारण मार्च, 2023 तक रक्षा मंत्रालय से 4,650,904/– आरओ (94,64,12,454.96 रुपये) का दावा किया। एमओडी ने दिनांक 04.03.2024 को मैसर्स सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की ओर से मस्कट प्राइमरी कोर्ट को 751017 ओएमआर (15,28,24,449.33 रुपये), दिनांक 24.03.2024 को मैसर्स सरोज कंस्ट्रक्शन को 1,844,890.579 ओएमआर (37,54,16,783.92 रुपये) और 27.03.2024 को एमएसए ग्लोबल एलएलसी को 77,089.032 ओएमआर (1,56,86,847.12 रुपये) जारी किए हैं। शेष राशि जल्द ही जारी कर दी जाएगी। टिप्पण संख्या 2.53(ख) देखें।

(ग) एमओडी ने सीएंडसी ओमान एल.एल.सी. (सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड – भारत की अनुषंगी कंपनी) द्वारा दायर मामले के संबंध में ओमान सल्तनत के प्राथमिक न्यायालय के निर्देश के अनुसार, आरओ 11.35 मिलियन की राशि रोक दी गई थी। ईपीआई ने वाद संख्या 119/1310/2021 का ब्यौरा एकत्र किया है और मस्कट प्राथमिक न्यायालय में अपील दायर की है। दिनांक 11.06.2023 को प्राथमिक न्यायालय, मस्कट ने सी एंड सी (ओमान) एल.एल.सी. के पक्ष में निर्णय जारी किया है। प्राथमिक न्यायालय द्वारा जारी निर्णय को चुनौती देते हुए ईपीआई ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की थी और 17 अगस्त, 2023 को न्यायालय में इस अपील पर सुनवाई होनी थी। आगे सी एंड सी (ओमान), एलएलसी ने दिनांक 13.03.2023 को ने इस चल रहे वाणिज्यिक वाद 119/1310/2021 से सहबद्ध ओमान सल्तनत में ईपीआई के सभी लेखाओं, निधियों और बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन को जब्त करने के लिए याचिका (294/4104/294) दायर कर दी और प्राथमिक न्यायालय, मस्कट ने दिनांक 14.03.2023 को ओमान में ईपीआई के बैंक खातों को फ्रीज करने का न्यायिक निर्णय 124/2023 जारी किया तथा सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान (सीबीओ) को भी इस निर्णय को लागू करने को कहा। तदनुसार, 15 मार्च 2023 को सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और निष्क्रिय कर दिए गए। इसके अतिरिक्त, दिनांक 27.03.2023 को, ईपीआई ने ओमान में ईपीआई के बैंक खातों को अनफ्रीज करने के लिए प्राथमिक न्यायालय में याचिका दायर की। इसकी सुनवाई दिनांक 16.04.2023 को पूरी हुई और दिनांक 01.05.2023 को, माननीय प्राथमिक न्यायालय ने मैसर्स सीएंडसी ओमान एलएलसी द्वारा दायर मामले में ईपीआई बैंक खातों को फ्रीज करने के दिनांक 14.03.2023 के आदेश को रद्द करने का निर्णय जारी किया। दिनांक 14.05.2023 को मैसर्स सीएंडसी (ओमान) एलएलसी ने प्राथमिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की। दिनांक 06.07.2023 को मैसर्स सीएंडसी (ओमान) एलएलसी ने ईपीआई के पक्ष में प्राथमिक न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के अधिक्रमण वाली अपील प्रस्तुत की और न्यायालय ने इसे स्वीकार कर ली। अपील न्यायालय से इस निर्णय की प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ईपीआई ने इस निर्णय पर विधिक सलाहकार के साथ पुनराविलोकन करने के उपरांत इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का प्रस्ताव रखा है। इसके अतिरिक्त, महामहिम के कार्यालय के हस्तक्षेप और एमओडी के सहयोग से दिनांक 09.01.2024 को मस्कट प्राथमिक न्यायालय, एमओडी, ईपीआई, अल–नबा के प्रतिनिधि और दोनों पक्षकारों के वकीलों ने सुलह अभिलेख पर हस्ताक्षर किए और मस्कट प्राथमिक

न्यायालय द्वारा मामला बंद कर दिया गया और दिनांक 19.03.2024 को ईपीआई बैंक खाते बैंकिंग प्रचालन के लिए खोल दिए गए। टिप्पण संख्या 2.53(ग) देखें।

16. विदेशी शाखा में मध्यस्थ

मैसर्स एमएसए ग्लोबल एलएलसी, जो हमारे उपठेकेदार हैं, ने दिनांक 12.04.2023 को आईसीसी में मध्यस्थता के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। आईसीसी द्वारा दिनांक 18.04.2023 को अधिसूचना जारी की गई। मैसर्स एमएसए ग्लोबल और ईपीआई ने क्रमशः अपनी ओर से मध्यस्थ नियुक्त कर लिए हैं और तीसरा मध्यस्थ उनके द्वारा नियुक्त किया गया है। एमएसए ग्लोबल एलएलसी ने ईपीआई के विरुद्ध 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर (382 करोड़ रुपये) का दावा किया है और ईपीआई ने आईसीसी सिंगापुर में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (41 करोड़ रुपये) का प्रति दावा प्रस्तुत किया है। इस मामले में आईसीसी द्वारा जारी प्रक्रियात्मक समय सारिणी के अनुसार याचिका/दस्तावेजीकरण प्रक्रिया चल रही है। टिप्पण संख्या 2.53(घ) देखें।

17. विदेशी शाखा में बैंक में शेष की संपुष्टि

हमने अनुरोध किया परंतु बैंक मस्कट एसएओजी और भारतीय स्टेट बैंक – ओमान शाखा से शेष की संपुष्टि प्राप्त नहीं हुई, जिसके अभाव में, हम स्वय संतुष्ट नहीं हो पाये कि क्या सभी संव्यवहार और दायित्व ईपीआईएल ओमान शाखा ने अभिलिखित किए हैं या नहीं। हमें सूचित किया गया कि सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के निर्देशों के अनुसार बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के लिए उत्तरदाई है। अन्य सूचना प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, मंडल की रिपोर्ट में सम्मिलित अन्य सूचना से मिलकर बनी है जिसके अंतर्गत मंडल की रिपोर्ट के उपाबंध और शेयरधारकों की सूचना सम्मिलित है किंतु इसके अंतर्गत वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट नहीं है।

हमारे मतानुसार वित्तीय विवरण में अन्य सूचना सम्मिलित नहीं है और हम उन पर कोई आश्वासन निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों कि हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचना का पठन करना है और ऐसा करने में इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरण के साथ या लेखा परीक्षा के दौरान अभिप्राप्त हमारी जानकारी से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से भ्रामक प्रतीत होती है।

यदि हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमारा यह निष्कर्ष है कि इस अन्य सूचना में तात्विक मिथ्या कथन है, इस तथ्य की रिपोर्ट करने की हमसे अपेक्षा है, इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ बात नहीं है।

प्रबंधन और जो वित्तीय विवरणों के शासन के लिए प्रभारी हैं, के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में कथित मामलों के लिए इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और कंपनी के नकदी प्रवाह जिसमें इसका संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन भी सम्मिलित हैं, का भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों जिसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक भी सम्मिलित हैं, के अनुसार सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की आस्तियों का सुरक्षापायों और कपट का तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षणय समुचित लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करनाय ऐसे निर्णय और आकलन करना जो युक्तियुक्त तथा विवेकपूर्ण हों; तथा वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

और तैयारी से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण भी सम्मिलित है जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में सुसंगत हैं जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता का सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा था जो किसी तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त, चाहे कपटपूर्ण हो या त्रुटिवश, सही और न्यायोचित तस्वीर प्रदान करे।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी के एक चालू समुत्थान के रूप में बने रहने की योग्यता, चालू समुत्थान से संबंधित मामलों का प्रकटन और लेखांकन के चालू समुत्थान आधार का उपयोग करना जब तक की निदेशक मंडल या तो कंपनी के परीसमापन की इच्छा ना रखते हैं या प्रसारण बंद करने की इच्छा न रखते हैं या ऐसा न करने का उनके पास कोई वास्तविक विकल्प ना हो। निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट करने की प्रक्रिया का भी पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदाई है।

लेखापरीक्षकों का वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन अभिप्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप में वित्तीय विवरण चाहे कपट या त्रुटिवष, तात्विक मिथ्या कथन से स्वतंत्र हैं या नहीं और लेखा परीक्षकों की एक ऐसी रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय सम्मिलित है। युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एस ए के अनुसार संचालित की गई लेखा परीक्षा हमेशा मिथ्या कथन का पता लगाएगी जब वह विद्यमान हो। मिथ्या कथन किसी कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें तात्विक माना जाता है यदि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त संभावना हो।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय का उपयोग करते हैं और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर अविश्वास बनाए रखते हैं, हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के तात्विक नित्य कथन के जोखिम का पता लगाना और उसका निर्धारण करना चाहे यह कपट या त्रुटि, डिजाइन के कारण हो और इन जोखिमों के अनुरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करते हैं तथा ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय का आधार बनने के लिए पर्याप्त और समुचित हो फुल शश्प किसी त्रुटि के परिणाम स्वरूप तांत्रिक विद्या कथन का पता ना लगाने का जोखिम उच्च जोखिम से अधिक है जो किसी त्रुटि के परिणाम स्वरूप होता है क्योंकि किसी कपट में मिलीभक्त, कपट, जानबूझकर भूल, मिथ्या कथन या आंतरिक नियंत्रण को और प्रभावी करना शामिल होता है।

- आंतरिक नियंत्रण पर एक समझ प्राप्त करना जो ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन करने के लिए सुसंगत हैं जो परिस्थितियों में समुचित हो। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(प) के अनुसार हम इस पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदाई हैं कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का और लेखांकन आकलनों की तर्कसंगतता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन के चालू समुत्थान के आधार पर उपयुक्तता का निष्कर्ष और अभी प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई तांत्रिक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी की चालू संविधान के आधार पर योग्यता पर कोई महत्वपूर्ण आक्षेप करती है। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है, हमसे हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर ध्यान दिलाने की आवश्यकता है जो एक कल वित्तीय विवरणों में प्रकटन से संबंधित है, या यदि ऐसा प्रकट अपर्याप्त है तो हमारे मत को अंतरित किया जाना है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा साक्ष्यों पर आधारित है। यद्यपि भावी घटनाएं या स्थितियां

कंपनी को एक चालू समुत्थान के रूप में बने रहने को समाप्त कर सकती हैं।

- वित्तीय विवरणों जिसके अंतर्गत प्रकटन है के समग्र प्रस्तुतीकरण ढांचे और अंतर्वस्तु का मूल्यांकन और क्या वित्तीय विवरण किए गए संभावनाओं को और घटनाओं को ऐसी रीति में दर्शाते हैं जिससे उचित प्रस्तुतीकरण हासिल किया जा सके।

वित्तीय विवरणों में नित्य कथनों की मात्रा व्यष्टिक रूप से यह समग्र रूप से तात्विक है, इस बात को संभाव्या बनाती है कि वित्तीय विवरणों की युक्ति युक्त जानकारी रखने वाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित किया जा सकता है। हम गुणात्मक तत्वों और गुणात्मक कारकों पर (i) हमारी लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करनेय और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए मिथ्याकथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विचार करते हैं ।

हम उन लोगों के साथ संपर्क करते हैं जिनके ऊपर अन्य विषयों के साथ लेखा परीक्षा के योजना बनाए गए इसको और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष, जिसके अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी है जिसकी हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचान की है कि प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व है।

हम उनको, जो प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं, एक विवरण प्रस्तुत करते हैं जो हमने सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ स्वतंत्रता के संबंध में तैयार किया है और हम उनके साथ सभी नातेदारी और अन्य विषयों के साथ संपर्क करते हैं जिसका हमारी स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रभाव पड़ता है और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा पाए करते हैं।

हम उनके, जो शासन के लिए उत्तरदाई हैं, साथ संपर्क किए गए मामले से हम उन विषयों को स सूचित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए मुख्य लेखा परीक्षा विषय हैं। हम हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक की विधिया नियमों द्वारा उन विषयों का प्रकटन अकबर जितना हो या तब जब अत्याधिक दुर्लभ परिस्थितियों में हम अवधारित करते हैं कि उस विषय को हमारी रिपोर्ट में संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी संसूचना के लोकहित में प्रतिकूल प्रभाव होंगे।

अन्य मामले

हमने कंपनी की वित्तीय विवरणियों में शामिल 4 (चार) भारतीय प्रादेषिक कार्यालयों और 3 (तीन) विदेशी शाखाओं की वित्तीय विवरणियों/सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है जिन्हें कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है जिनकी वित्तीय विवरणियां/वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2024 (31 मार्च, 2023) की स्थिति के अनुसार कुल 2,02,810.37 लाख रुपए (1,13,928 लाख रुपए) की कुल अस्तियों, 2,04,917.92 लाख रुपये (2,05,633 लाख रुपये) के कुल दायित्व तथा उस तारीख की स्थिति के अनुसार 85,259.24 लाख़ रुपए (1,13,928 लाख रुपए) के कुल राजस्व को जैसाकि वित्तीय विवरणियों में माना गया है, प्रदर्शित करती है। इन कार्यालयों/शाखाओं की वित्तीय विवरणियां/सूचना की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अन्य स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक हमारे मतानुसार इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई धनराशियों और प्रकटन का संबंध है पूर्णतया ऐसे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस विषय के संबंध में हमारी राय अर्हित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(ई) के निबंधनों के अनुसार दी गई छूट को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ट के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं होते हैं।

2. हमने, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधनों के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) द्वारा यथा अपेक्षित आदेश के पैरा 3 और पैरा 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर विवरण लागू होने के परिमाण तक, **"उपाबंध क"** पर दिया है।

3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) *हमने भौतिक रूप से लुप्त एवं आधिक्य स्थायी परिसंपत्तियों के विवरण तथा ऊपर दिए गए मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के पैरा 10 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर) वे सभी सूचना और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त किये जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।*

ख) हमारे मतानुसार जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए उन शाखाओं से पर्याप्त उचित विवरणियां प्राप्त कर ली गई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

ग) इस रिपोर्ट में दर्शाया गया तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

घ) हमारे मतानुसार पूर्वोक्त वित्तीय विवरण, सिवाय निम्नलिखित के, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं:–

i. डब्लूआरओ शाखा में, संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान न किए जाने, जो विवादाधीन हैं और जिनके लिए मध्यस्थ अधिकरण/न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया है, के कारण 1475.58 लाख रुपये (निवल प्राप्य) और दिवालियापन कार्यवाही के अधीन उपठेकेदार को अग्रिम अदायगी के 583.10 लाख रुपये की वसूली संदेहास्पद है।

ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आधिससूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5.06.2015 के निबंधनों के अनुसार अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता पर हमारी **उपाबंध "ख"** पर पृथक रिपोर्ट देखें।

छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषय हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:–

क) कंपनी के कुछ अनिर्णीत मुकदमे हैं जिनका कंपनी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है। वित्तीय विवरण पर टिप्पण सं. 2.26 देखें।

ख) कंपनी ने कोई ऐसी दीर्घावधिक संविदांए नहीं की थी जिसके अंतर्गत व्युत्पनी संविदाएं भी सम्मिलित हैं, जिन पर पहले से ही पता लगाए जा सकने वाले तात्विक नुकसान थे।

ग) ऐसी कोई धनराशि नहीं थी जिसे निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में कंपनी द्वारा अंतरित करना अपेक्षित था।

घ) लोप कर दिया गया।

ङ) (i) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी ने (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि से) किसी कंपनी, अन्य व्यक्ति या किसी निकाय को जिसके अंतर्गत विदेशी निकाय (मध्यवर्ती) सम्मिलित

हैं इस समझौते के साथ चाहे लिखित हो या अन्यथा किन्ही निधियों को अग्रिम के रूप में यह ऋण के रूप में या निवेश के रूप में नहीं प्रदान किया है की चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें कंपनी द्वारा किसी भी रीति में, जो भी हो, उसके निमित्त (वास्तविक लाभार्थी) पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या निकाय को ऋण के रूप में या निवेश के रूप में नहीं दिया जाएगा या वास्तविक लाभार्थी की ओर से गारंटी, प्रतिभूतियां इसी तरह का कुछ प्रदान नहीं करेगी।

(ii) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी ने किन्ही व्यक्तियों या निकायों जिसके अंतर्गत विदेशी निकाय (वित्त पोषण करने वाले पक्षकार) सम्मिलित हैं इस समझौते के साथ चाहे लिखित हो या अन्यथा प्राप्त नहीं किया है, कंपनी चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में पहचाने गए अन्य व्यक्ति या निकायों को वित्त पोषण करने वाले पक्ष कार (वास्तविक लाभार्थी) द्वारा या उनके निमित्त उधार नहीं देगी या निवेश नहीं करेगी या गारंटी, प्रतिभूतियां इसी तरह का कुछ प्रदान नहीं करेगी।

ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में युक्तियुक्त और समीचीन समझा गया है उनकी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे हमारा यह विश्वास हो कि उपखंड (ङ) (i) और उपखंड (ङ) (ii) मै कोई तात्विक मिथ्याकथन सम्मिलित है।

च) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी लाभांश की घोषणा नहीं की गई है या संदाय नहीं किया गया है।

कंपनी ने अपनी लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए ''एसएपी'' लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा अभिखित करने की सुविधा उपलब्ध है और इसे सॉफ्टवेयर और लेखापरीक्षा में अभिलिखित सभी संव्यवहार के लिए पूरे वर्ष प्रचालित किया गया है। ट्रेल सुविधाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और कंपनी ने ऑडिट ट्रेल को अभिलेख प्रतिधारण के लिए सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी संरक्षित किया है।

ज) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने अपने लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (ऑडिट लॉग) सुविधा अभिलिखित करने की सुविधा उपलब्ध है। तथापि, हम इस बात की संपुष्टि नहीं कर सकते हैं कि लेखा बहियों का अद्यतन करने वाले सभी सुसंगत डेटा के लिए ऑडिट ट्रेल सक्षम हैं या नहीं, सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल पूरे वर्ष प्रचालित किए गए हैं और उनसे छेड़छाड़ नहीं की गई है।

4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के के अधीन जारी निदेशों के अनुसरण में हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई कंपनी की 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट के संबंध में हमारी **उपाबंध "ग"** पर पृथक रिपोर्ट देखें।

कृते वीएसडी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 008726एन

ह0/–
(हेमा डुडेजा)
भागीदार
सदस्यता सं. 501001

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 25 जुलाई, 2024
यूडीआईएनः 24501001बीकेईईएनडी9520

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का "उपाबंध क"

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड "(ईपीआईएल") के समसंख्यक तारीख की वित्तीय विवरणों पर 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अधीन पैरा 2 में उल्लिखितः

कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सही और उचित दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए हमारे द्वारा निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा लेखाबहियों और हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के साधारण प्रक्रम में जांच किए गए अन्य अभिलेखों पर विचारण को गणना में लेते हुए अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं किः

I. (क) कंपनी ने पूरी विशिष्टियों को उपदर्शित करते हुए जिसके अंतर्गत संपत्ति, संयत्र और उपस्कर भी सम्मिलित हैं, समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।

अमूर्त आस्तियों की सारी विशिष्टियों को दर्शाते हुए कंपनी ने समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।

(ख) प्रबंधन संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का उचित अंतराल पर नियमित कार्यक्रम के अनुसार भौतिक रूप से सत्यापन करता है। हमारे मतानुसार, कंपनी के आकार और उसकी आस्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अंतराल युक्तियुक्त है। ऐसे सत्यापन पर सिवाय निम्नलिखित के, कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां संज्ञान में नहीं आईः.

एनआरओ शाखा में, ऐसे सत्यापन में कतिपय विसंगतियां पाई गईं। तथापि ऐसी विसंगतियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। साथ ही, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में संपत्ति कोड का उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार, हमारे द्वारा स्थायी परिसंपत्ति पंजिका के साथ इसका मिलान नहीं किया जा सका।

(ग) निष्पादित की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और कंपनी के अभिलेखों के अनुसार सभी स्थावर संपत्तियों के हक विलेख, (सिवाय उन संपत्तियों के जहां कंपनी पट्टा धृति है और पट्टा करार समीक्षा पट्टा धृति के पक्ष में निष्पादित हैं) सिवाय निम्नलिखित के, कंपनी के नाम में धृत हैंः–

(रु. लाख में)

संपत्ति की मद का विवरण	समग्र मूल्य	जिसके पक्ष में हक बिलेख धृत है	क्या हक बिलेख धारी कोई प्रस्तावक, निदेशक या प्रस्तावक/निदेशक का संबंधी है या प्रस्तावक*/ निदेशक' का कर्मचारी है	जिस तारीख से संपत्ति धृत है	कंपनी के नाम धारण ना करने के कारण**
स्कोप कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली, में भवन	374.42	स्कोप कॉम्प्लैक्स नई दिल्ली	नहीं	14 मार्च 1988	मामले को संबंधित प्राधिकारी के साथ उठाया गया है

(घ) कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार सहित) या अमूर्त आस्तियों या दोनों का वर्ष के दौरान मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) बेनामी संव्यवहार (प्रतिशेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है या अनिर्णीत नहीं है।

II. (क) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर माल सूची का भौतिक सत्यापन किया। हमारे मतानुसार, ऐसे सत्यापन की आवृत्ति और प्रक्रियाएं तथा कवरेज जिसका प्रबंधन अनुसरण करता है, युक्तियुक्त थी।

भौतिक स्टॉक और बही के अभिलेखों के बीच सत्यापन के दौरान कोई विसंगति, जो माल सूची के प्रत्येक वर्ग के योग से 10 प्रतिशत से अधिक थी, नहीं पाई गई।

(ख) कंपनी को कुल मिलाकर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से चालू आस्तियों की प्रतिभूति के आधार पर **पांच करोड रुपए** से अधिक की कार्यशील पूंजी की सीमा मंजूर की गई हैय हमारे मतानुसार, कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थाओं में फाइल की गई विवरणों के बीच कोई तात्विक विसंगति नहीं है, यह कंपनी की लेखाबहियों के अनुसार हैं।

III. कंपनी ने कंपनियों, फर्मों या सीमित दायित्व भागीदारों या अन्य पक्षकारों को न तो कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की है न ही प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋणों को वर्ष के दौरान प्रदान किया है। तदनुसार आदेश के खंड 3(iii) (क), 3(iii) (ख) और 3(iii) (ग) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं होते हैं।

IV. कंपनी ने निवेश के संबंध में धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त हमारे मतानुसार कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और धारा 186 के निबंधनों के अनुसार कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति नहीं दी है।

V. कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों के अर्थ में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से धारा 76 या अधिनियम के किन्ही अन्य सुसंगत और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। ।

VI. केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(1) के अधीन लागत अभिलेखों का अनुरक्षण विहित किया है। सभी लागत अभिलेखों को प्रादेशिक कार्यालय में रखा जाता है और उनकी संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा पुनराविलोकन किया जाता है और प्रथम दृष्टया हमारा यह मत है कि विहित लागत अभिलेख बनाए गए और रखे गए हैं।

VII. (क) प्रबंधन द्वारा यथा सूचित कंपनी ने समुचित प्राधिकरणों को अविवादास्पद और सांविधिक देय जिसके अंतर्गत भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, सीमा शुल्क, आयकर, वस्तु और सेवा कर, उपकर तथा अन्य यथा लागू सांविधिक देय सम्मिलित हैं, नियमित रूप से जमा किये हैं। तथापि एनआरओ शाखा में, शाखा ने उस परियोजना के लिए 46.12 लाख रुपये का बिल नहीं बनाया है जो पहले की पूर्ण हो चुकी है। तदनुसार शाखा उसके लिए अपने जीएसटी दायित्व की अदायगी नहीं कर पाई है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार समुचित प्राधिकरण के समक्ष कोई लंबित सांविधिक विवादास्पद देय के लिए **4091.21 लाख रुपए** के विवादास्पद सांविधिक देय थे।

संविद का नाम	देय की प्रकृति	वह मंच जहां विवाद लंबित है	धनराशि (लाख रुपय में)	वह अवधि जिससे धनराशि संबंधित है
उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	विक्रय कर अधिकरण	8.73	1993.94
दिल्ली मूल्य वर्धित कर, 2004	डी–वैट ब्याज एवं शास्ति	व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	58.30	2015.16
दिल्ली मूल्य वर्धित कर, 2004	डी–वैट ब्याज एवं शास्ति	व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	14.48	2017.18

संविद का नाम	देय की प्रकृति	वह मंच जहां विवाद लंबित है	धनराशि (लाख रुपय में)	वह अवधि जिससे धनराशि संबंधित है
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर 2017 राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर 2017	जीएसटी शास्ति	जीएसटी आयुक्त (राजस्थान)	3.92 3.92	2017–18
आंध्र प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	वैट मांग	माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद	44.49	2008.09 एवं 2009–10
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	जीएसटी डीआरसी–07	दायर एपीएल–01	327.57	2017–18, 2018–19 एवं 2019.20
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	जीएसटी डीआरसी–07	दायर एपीएल–01	41.68	2017–18
आय कर अधिनियम	टीडीएस संदेय		3.76	2020–11 से 2017–18 तक
सेवा कर विधि	सेवा कर जिसके अंतर्गत ब्याज और शास्ति भी सम्मिलित है	सीईएसटीएटी, कोलकाता	37.46	वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक
सेवा कर विधि	सेवा कर जिसके अंतर्गत ब्याज और शास्ति भी सम्मिलित है	सीईएसटीएटी, कोलकाता	91.95	वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2015–19 तक
सेवा कर विधि	सेवा कर जिसके अंतर्गत ब्याज और शास्ति भी सम्मिलित है	सीईएसटीएटी, कोलकाता	35.82	वित्तीय वर्ष 2004–05 से 2005–06 तक
पश्चिम बंगाल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	पश्चिम बंगाल वैट	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपीलीय एवं पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता	381.99	वित्तीय वर्ष 2007–08, 2015–16 एवं 2017–18
पश्चिम बंगाल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	पश्चिम बंगाल वैट	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (प्रथम अपील) पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर, कोलकाता	580.66	वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2016–17
पश्चिम बंगाल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	पश्चिम बंगाल वैट	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	2,364.66	वित्तीय वर्ष 2005–06, 2009–10, 2011–12, 2013–14 एवं 2014–15

संविद का नाम	देय की प्रकृति	वह मंच जहां विवाद लंबित है	धनराशि (लाख रुपय में)	वह अवधि जिससे धनराशि संबंधित है
वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017	जीएसटी	आयुक्त अपील	1.53	वित्तीय वर्ष 2017.18
महाराष्ट्र जीएसटी मांग	मांग		7.20	वित्तीय वर्ष 2017.18
छत्तीसगढ़ जीएसटी मांग	मांग		83.09	वित्तीय वर्ष 2017.18

VIII. कंपनी ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर निर्धारण में लेखाबहियों में पूर्व में आय के रूप में अभिलिखित न किए गए किन्ही संव्यवहारों का अभ्यर्पण या प्रकटन नहीं किया है।

IX. (क) कंपनी ने किन्ही उधारों या अन्य ऋणों या उन पर ब्याज के संदाय में किसी लेनदार के प्रति कोई व्यतिक्रम नहीं किया है ।

(ख) कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्था या अन्य लेनदार द्वारा जानबूझकर व्यतिक्रमी नहीं घोषित किया गया है

(ग) आवधिक ऋणों को उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।

(घ) अल्पावधिक प्रयोजन के लिए ली गई निधियों का उपयोग दीर्घावधिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया गया।

(ङ) कंपनी ने अपनी अनुषंगी, एसोसिएट या संयुक्त उद्यमों के लिए बाध्यता को पूरा करने के लिए किसी निकाय या व्यक्ति से कोई निधि नहीं ली है।

(च) कंपनी ने अपनी अनुषंगियों, एसोसिएट या संयुक्त उद्यमों मै धृत प्रतिभूति को गिरवी रख कर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है।

X. (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक/और लोक प्रस्ताव के द्वारा कोई धन एकत्रित नहीं किया है (जिसके अंतर्गत ऋण लिखत भी सम्मिलित है)। इस प्रकार, आदेश का खंड 3(ग)(क) लागू नहीं होता है।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या सम परिवर्तनीय डिबेंचरों (पूर्णतया, भारतीय, या वैकल्पिक रूप से संपरिवर्तनीय) का कोई अधिमानी आवंटन या निजी स्थानन नहीं किया है। इस प्रकार, आदेश का खंड 3(ग)(ख) लागू नहीं होता है।

XI. क) अंगीकृत लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारी लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या उस पर किए गए किसी कपट को नोटिस नहीं किया गया है या उसकी रिपोर्ट नहीं की गई है।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीबीआई ने छह मामले रजिस्टर किए हैं और ईपीआई के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर फाइल की है। पांचं मामले निविदा प्रदान करने के लिए ईपीआई के अभियुक्त कर्मचारियों द्वारा कथित अवैध रिश्वत लेने के संबंध में है, एक मामला वित्त वर्ष 2022–23 में बैंक धोखाधड़ी का है। जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है ईपीआई को उक्त एफआईआर में पक्षकार नहीं बनाया गया है और उसके वित्तीय विवरणों पर कोई वित्तीय प्रभाव परिकल्पित नहीं है। इन छह मामलों में जांच अभी भी जारी है (टिप्पण संख्या 2.41 देखें)।

(ख) लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत यथा विहित प्ररूप एडीटी –4 में कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के अधीन केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की गई है।

(ग) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई सूचना प्रदाता शिकायत प्राप्त नहीं की गई है।

XII. कंपनी चिटफंड या निधि/पारस्परिक लाभप्रद न्यास/सोसाइटी नहीं है। इस प्रकार, आदेश के खंड 3(xii)(क) से खंड 3(xii)(ग) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

XIII. संबंधित पक्षकारों के साथ सभी संव्यवहार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और धारा 188, जहां लागू होती हैं के अनुपालन में है और वर्ष के दौरान संव्यवहार के ब्योरों का वित्तीय विवरणों में प्रकटन कर दिया गया है, जैसा कि लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित है। वित्तीय विवरणों की टिप्पण संख्या 2.33 देखें।

XIV. (क) कंपनी की उसके आकार और कारबार की प्रकृति के अनुसार एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने लेखा परीक्षा की अवधि की तारीख तक कंपनी द्वारा जारी आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार कर लिया है।

XV. कंपनी ने निदेशक हो या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर नकदी संव्यवहार नहीं किया है। इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

XVI. (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–झक के अधीन रजिस्टर्ड होना अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(XVI)(क) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ख) कंपनी ने कोई गैर बैंककारी वित्तीय या आवास वित्तीय कार्यकलाप संचालित नहीं किए हैं। आदेश का खंड 3(ग्टप्)(ख) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में यथा परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार आदेश का खंड 3(XVI)(ग)कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(घ) समूह का कोई सीआईसी नहीं है। तदनुसार आदेश का खंड 3(XVI)(घ) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

XVII. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान 6395.78 लाख रुपये की नकदी हानि हुई है।

XVIII. वर्ष के दौरान किसी सांविधिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। इसलिए आदेश का खंड 3(ग्टप्प्) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

XIX. वित्तीय अनुपात, समय के साथ और वित्तीय आस्तियों की वसूली की संभावित तारीख तथा वित्तीय दायित्वों के संदाय, वित्तीय विवरणों से संलग्न अन्य सूचना के आधार पर, निदेशक बोर्ड की हमारी जानकारी और प्रबंधन योजना, अवधारणा के समर्थन में साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर हमारा यह मत है कि इस संबंध में कि क्या कंपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की की स्थिति के अनुसार, अपने दायित्वों को जब वह तुलनप पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं, पूरा करने में सक्षम है या नहीं के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट करने की तारीख को कोई अनिश्चितता विद्यमान नहीं है। हम, तथापि कथन करते हैं कि यह कंपनी की भावी व्यवहार्यता पर कोई आश्वासन नहीं है। हम और कथन करते हैं कि हमारी रिपोर्ट, लेखा परीक्षा की तारीख तक

के तथ्यों पर आधारित है और ना ही हम इस संबंध में कोई प्रतिभूति या आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा होने के लिए आने वाले सभी दायित्वों का कंपनी द्वारा जब कभी वह देय होते हैं उन्मोचन कर दिया जाएगा।

XX. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के अधीन किसी परियोजना के अनुसरण में, खर्च न की गई कोई राशि शेष नहीं है। तदनुसार आदेश के खंड 3(XX)(क) एवं 3(XX)(ख) लागू नहीं होते।

XXI. लागू नहीं।

कृते वीएसडी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 008726एन

ह0/–
(हेमा डुडेजा)
भागीदार
सदस्यता सं. 501001

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 25 जुलाई, 2024
यूडीआईएनः 24501001बीकेईईएनडी9520

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का उपाबंध ''ख''

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड "(ईपीआईएल") के समसंख्यक तारीख की वित्तीय विवरणों पर 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अधीन पैरा 3 के उप पैरा (च) में उल्लिखितः

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड** की 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए शाखा की वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षित रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक सिद्धांत में कथित अनिवार्य आंतरिक नियंत्रण संघटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने के लिए और स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को डिजाइन करना, कार्यान्वित करना और बनाए रखना शामिल है जिसके अंतर्गत कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी आस्तियों का सुरक्षोपाय, कपटों और त्रुटियों का निवारण तथा पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की निवलता और पूर्णतः तथा वित्तीय सूचना की विश्वसनीयता और समयबद्ध तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित है, सम्मिलित है ताकि वह शाखा की नीतियां सहित अपने कारबार का सुव्यवस्थित और दक्ष प्रचालन करने का प्रभावी रूप से सुनिश्चित कर सके।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय अभिव्यक्त करने का है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विहित माने गए भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों जहां तक वह आर्थिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा को लागू होते हैं के अनुसार की है और दोनों को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। वह मानक और मार्गदर्शक नोट अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना यह युक्ति युक्त आश्वासन अभिप्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और बनाए रखा गया था तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी तात्विक परिप्रेक्ष्य में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालन प्रभावशीलता के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य अभी प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को करना अंतर्वलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कि हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में यह समझ अभिप्राप्त करना कि किसी तात्विक खामी के विद्यमान होने के जोखिम का निर्धारण किया जाता है तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता की जांच करना और उसके डिजाइन का मूल्यांकन करना समलित है। चयन की गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसके अंतर्गत वित्तीय कथनों में तात्विक त्रुटियों चाहे कपट या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का निर्धारण करना है।

हम विश्वास करते हैं कि लेखापरीक्षा साक्ष्य जो हमने अभिप्राप्त किया है वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में तर्कपूर्ण आश्वासन देने के लिए डिजाइन किया गया है और बाहरी प्रयोजनों के लिए विवरण साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वह नीतियां और प्रक्रियाएं सम्मिलित है जो,–

1. उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित है, जो युक्तियुक्त विवरण, निवलता और न्यायोचित रूप से शाखा की आस्तियों, के संव्यवहार और कार्यों को परिलक्षित करते हैं;

2. इस बात का युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करते हैं कि संव्यवहारों को वैसे ही अभिलिखित किया जा रहा है जैसा साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुज्ञात करने के लिए आवश्यक है और शाखा की प्राप्तियां और व्यय को शाखा के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किया जा रहा है;

3. और शाखा की आस्तियों का अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग या शाखा की आस्तियों के निपटान को निवारित करने या उनका समय पर पता लगाने के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए जिनका वित्तीय विवरणों पर तात्विक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमा के कारण मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन के कारण नियंत्रणों पर अध्यारोही प्रभाव हो सकता है, त्रुटि या कपट के कारण तात्विक मिथ्याकथन हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन का प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में या नीतियों या प्रक्रियाओं में अनुपालना के स्तर में गिरावट आने के कारण अपर्याप्त हो जाए।

मत

हमारे मतानुसार, सभी तात्विक परिप्रेक्ष्य में कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड जिसकी स्थापना भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटक पर विचार करते हुए" कंपनी में सभी सारवान परिप्रेक्ष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली है और 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सिवाय निम्नलिखित के प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है:

जैसा कि ईआरओ शाखा के लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, कंपनी ने अपनी लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है। तथापि, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि लेखा बहियों का अद्यतन करने वाले सभी सुसंगत डेटा के लिए ऑडिट ट्रेल सक्षम हैं, सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल पूरे वर्ष संचालित किए गए थे और उनसे छेड़छाड़ नहीं की गई थी।

तात्विक कमजोरी, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी कमी, या कमियों को दर्शाता है, जैसे कि यह युक्तियुक्त संभावना होती है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों की तात्विक कमजोरी को समय पर रोका

नहीं जा सकेगा या पता नहीं लगाया जा सकेगा।

नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित तात्विक कमजोरियों के संभावित प्रभावों के सिवाय, कंपनी ने सभी तात्विक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

तथापि, हमने नोट किया है कि व्यापार प्राप्य, व्यापार संदेय और अन्य पक्षकारों से शेष की संपुष्टि और समाशोधन अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया में और सुधार करने की आवश्यकता है।

कृते वीएसडी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 008726एन

ह0/–
(हेमा डुडेजा)
भागीदार
सदस्यता सं. 501001

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 25 जुलाई, 2024
यूडीआईएनः 24501001बीकेईईएनडी9520

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का उपाबंध 'ग'

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी सम संख्यंक तारीख की रिपोर्ट के "अन्य विधिक विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट" शीर्षक के अधीन पैरा 4 में उल्लिखितः

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन निदेश पर रिपोर्ट

क्र.सं.	निदेश	प्रत्युतर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों को प्रोसेस करने की प्रणाली है ? यदि हां तो वित्तीय विविक्षताओं के साथ लेखाओं की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर किए गए लेखाओं की विविक्षतांओं का उल्लेख करें।	कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों को प्रोसेस करने की प्रणाली विद्यमान है। कंपनी ने एसएपी प्रणाली पर लेखों को अनुरक्षित किया है।
2.	क्या कंपनी की किसी विद्यामान ऋण या पुनर्संदाय करने में असमर्थता के कारण किसी उधार दाता द्वारा दिए गए ऋण/उधार/ब्याज आदि के त्यजन/बट्टे खाते में डालने के मामलों का कोई पुनर्रचना किया गया है? यदि हां तो वित्तीय प्रभाव का कथन किया जाए।क्या ऐसे मामलों को उचित रूप से गणना में लिया गया है? (यदि उधार दाता सरकारी कंपनी है तो यह निवेश उधार दाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है)।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों के हमारी जांच के आधार पर किसी विद्यमान ऋण का कोई पुनर्रचना नहीं है या किसी विद्यमान उधार या उधार दाता द्वारा दिए गए किसी उधार/ऋण/ब्याज के त्यजन/बट्टे खाते में डालने के कोई मामले नहीं है।
3.	केंद्रीय/राज्य अभिकरण से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को उचित रूप से निबंधन और शर्तों के अनुसार गणना में लिया गया है/उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर विशिष्ट स्कीमों के लिए केंद्रीय/राज्य अभिकरणों से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है/प्राप्य नहीं है।

कृते वीएसडी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 008726एन

ह0/–
(हेमा डुडेजा)
भागीदार
सदस्यता सं. 501001

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 25 जुलाई, 2024
यूडीआईएनः 24501001बीकेईईएनडी9520

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों/उप निदेशों के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के लेखाओं की लेखा परीक्षा की है और हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी सभी निदेशों/उप निदेशों का अनुपालन किया है।

कृते वीएसडी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 008726एन

ह0/–
(हेमा डुडेजा)
भागीदार
सदस्यता सं. 501001

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 25 जुलाई, 2024
यूडीआईएनः 24501001बीकेईईएनई1425

लेखापरीक्षकों की अर्हता का प्रत्युत्तर

क्र. सं.	लेखापरीक्षक की अर्हता	कंपनी का प्रत्युत्तर
1.	लेखांकन नीति संख्या 1.10 के अनुसार के अनुसार केंद्र/राज्य सरकारों और उनके विभागों, पीएसयू ग्राहकों और विदेशी ग्राहकों से संबंधित बंद पड़ी परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य/ऋण और अग्रिम इनके शोध्य बन जाने के वर्ष से 10 वर्ष तक की वसूली के लिए अच्छे माने जाते हैं। इन ऋणों की वसूली के लिए लगातार दबाव डाला जाता है जब तक कि ग्राहक (ग्राहकों) के साथ अंतिम समझौता नहीं हो जाता या विवाद की स्थिति में मध्यस्थ न्यायाधिकरण/ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं सुनाया जाता। यदि शोध्य राशि 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया है तो परियोजना के आधार पर निवल प्राप्य राशि के लिए संदेहास्पद कर्ज/ऋण और अग्रिम के सापेक्ष आवश्यक प्रावधान किया जाता है। इस प्रकार, प्राप्य संदेहास्पद ऋणों के सापेक्ष प्रावधान उन शोध्यों के लिए नहीं किया जाता है जो विवादाधीन हैं और जिनमें अंतिम निर्णय पारित नहीं हुआ है और जो 10 वर्ष से कम समय से प्राप्य है। क) जैसा कि डब्ल्यूआरओ शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, उन शोध्यों के लिए संदेहास्पद प्राप्यों के सापेक्ष प्रावधान नहीं किया गया है जो विवादाधीन हैं तथा जिनमें अंतिम निर्णय नहीं पारित नहीं किया गया है। ऐसी कुल प्राप्य राशि 1,475.58 लाख रुपये है, इस प्राप्य राशि के सापेक्ष उप–ठेकेदार को 87.26 लाख रुपये की अदायगी लंबित हैं। अतः, निवल बकाया जिसके लिए प्रावधान किया जाना अपेक्षित है परंतु प्रावधान नहीं किया गया है, वह 1,388.31 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त अन्य कुल प्राप्यों में से 86.50 लाख रुपये 3 वर्ष से अधिक की अवधि से बकाया है, इस प्रकार, इसके लिए प्रावधान की करना अपेक्षित है। तदनुसार, वर्ष के लिए हानि में 1,474.81 लाख रुपये का कम उल्लेख हुआ है और व्यापार प्राप्य में 1,562.08 लाख रुपये का अधिक हुआ है, जिसमें से अन्य गैर–चालू आस्तियां (प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन) में 168.31 लाख रुपये और व्यापार संदेय में 87.26 लाख रुपये का अधिक उल्लेख हुआ है।	**मौजूदा लेखांकन नीति संख्या 1.10 के अनुसार** केंद्र/राज्य सरकारों और उनके विभागों, पीएसयू ग्राहकों और विदेशी ग्राहकों से संबंधित बंद परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य/ऋण और अग्रिम उनके शोध्य बन जाने के वर्ष से 10 वर्षों तक वसूली के लिए अच्छी मानी जाती है। इन ऋणों की वसूली के लिए लगातार दबाव डाला जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम समझौता नहीं हो जाता या विवाद की स्थिति में मध्यस्थ अधिकरण/न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं सुनाया जाता। यदि परियोजना के आधार पर कोई निवल प्राप्य राशि प्रबंधन द्वारा मामले के पिछले अनुभव/प्रगति/मूल्यांकन किये जाने के आधार पर 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया है, तो उक्त के लिए संदिग्ध ऋणों/ऋणों और अग्रिमों के सापेक्ष आवश्यक प्रावधान किया जाता है। व्यापार प्राप्य/ऋण और अग्रिम पर बट्टे खाते में डाल दिये जाते हैं जब उनकी वसूली प्राप्य समझी जाती है। मध्यस्थ/अधिकरण/न्यायालय में लंबित मामलों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। ऊपर दर्शाया गया निवल प्राप्य से तात्पर्य है कि ग्राहक की ओर से कुल शोध्य राशि, संबंधित परियोजना के उपठेकेदारों को संदेय राशि से घटाई गयी है। तदनुसार प्रावधान किये जा रहे हैं।

क्रम संख्या	लेखा परीक्षक की अर्हता	कंपनी का प्रत्युत्तर
	ख) जैसा कि एनआरओ शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, 'ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य' के अधीन 140.00 लाख रुपये और 0.66 लाख रुपये एवं 'प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन' के अधीन 7.99 लाख रुपये और 19.84 लाख रुपये 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां की लेखाकंन नीति संख्या 10 के अनुसार शाखा को 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि के लिए प्रावधान करना होता है। तथापि इन शेषों पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि शाखा ने 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया शोध्यों के लिए प्रावधान किया होता तो 'अन्य अग्रिम', 'ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य' और 'प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन' के शेष में प्रावधान किए जाने के उपरांत क्रमशः 140.66 लाख रुपये और 27.83 लाख रुपये की कमी होती और तदनुसार वर्ष के लिए लाभ और शेयरधारक निधि में 168.49 लाख की कमी आती। ग) जैसा कि ईआरओ शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित अविवादित बंद परियोजनाओं के लिए निवल प्राप्य का मूल्य 405.18 लाख रुपये है, जिसके लिए शाखा की बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान, वर्णित नीति के अनुसार किया गया होता, तो वर्ष के लिए घाटा 405.18 लाख रुपये बढ़ जाता और संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान में भी उतनी ही राशि से बढ़ जाती। तदनुसार, वर्ष के लिए हनि में 405.18 लाख रुपये का कम उल्लेख हुआ है।	
2.	जैसा कि ईआरओ शाखा के लेखा परीक्षकों ने रिपोर्ट किया है, (वित्तीय विवरणों के टिप्पण संख्या 2.11 का संदर्भ लें) दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम – अप्रत्यक्ष कर (वसूली योग्य, इनपुट टैक्स क्रेडिट और अग्रिम)	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, कर की असमायोजित राशि 1314.47 लाख रुपये थी। वर्ष 2023–24 के दौरान असमायोजित राशि के समाशोधन के लिए निरंतर प्रयास किए गए और इन्हीं प्रयासों के कारण

क्रम संख्या	लेखा परीक्षक की अर्हता	कंपनी का प्रत्युत्तर
	जिसमें ईआरओ का संकर्म संविदा कर/वैट के लिए 314.47 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है। जैसा कि हमें बताया गया कि यह शाखा की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित है और ग्राहकों और अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरणों से वसूली योग्य है। यह भी बताया गया कि परियोजना के पूरा होने के समय अंतिम निपटान के साथ और अप्रत्यक्ष कर प्राधिकारियों के साथ अंतिम कर निर्धारण के समय ग्राहक से दावे किए गये हैं। तथापि, ग्राहक/कर प्राधिकारियों के पास ऐसे दावों के लिए दस्तावेज/संपुष्टिकरण हमें सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए, दावों के लिए ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में हम उनकी वसूली/उपयुक्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	इन आंकड़ों में 1000 लाख रुपये की कमी आई है। इस चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसे और कम करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
3.	जैसा कि ईआरओ शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा जांच के आधार पर रिपोर्ट किया गया, जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल थी, कंपनी ने अपने लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है। तथापि, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि लेखा बहियों का अद्यतन करने वाले सभी सुसंगत डेटा के लिए ऑडिट ट्रेल सक्षम हैं, सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल पूरे वर्ष संचालित किए गए थे और उनसे छेड़छाड़ नहीं की गई थी।	कारपोरेट आईटी टीम को इस समस्या की संसूचना दे दी गई है जो इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।
4.	डब्ल्यूआरओ शाखा में, उप–ठेकेदार को 583.10 लाख रुपये की अग्रिम राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, यद्यपि उप–ठेकेदार अर्थात टेकप्रो सिस्टम मुकदमेबाजी में दिवालियापन प्रक्रिया के अधीन है। तदनुसार, वर्ष के लिए हानि में 583.10 लाख रुपये का कम उल्लेख हुआ है और अन्य चालू संपत्ति (विक्रेताओं से वसूली योग्य) में इतनी ही राशि का अधिक उल्लेख हुआ है।	चूंकि मामला एनसीएलटी में है, इसलिए नीति संख्या 10 के अनुसार प्रावधान नहीं किया गया है। प्रावधान करने या न करने का निर्णय, मामले के परिणाम के बाद ही किया जा सकता है।
5.	डब्ल्यूआरओ शाखा में, विक्रेता मैसर्स रीकॉन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड से वसूली योग्य 139 लाख रुपये का ब्याज वर्ष 2017 से लंबित है, जिसके लिए 31–03–2024 की स्थिति के अनुसार प्रावधान किया जाना चाहिए।	चूंकि पक्षकार ने मध्यस्थता और ईपीआई ने सौहार्दपूर्ण निपटान की मांग की है। आगे, निपटान की महत्वपूर्ण लेखाकंन नीति संख्या 10 के अनुसार प्रावधान नहीं किया गया है।

क्रम संख्या	लेखापरीक्षक की अर्हता	कंपनी का प्रत्युत्तर
	तथापि, 31–03–2024 की स्थिति के अनुसार हानि में 139 लाख रुपये का कम उल्लेख हुआ है।	
6.	मैसर्स सीएंडसी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड म्यांमार में संयुक्त उद्यम "ईपीआई– सीएंडसी जेवी (अनिगमित)" 60 प्रतिशत का स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य कांट्रेक्टर इस समय एनसीएलटी में दिवाला कार्यवाहियों का सामना कर रहे हैं और यह मामला अग्रिम चरण में है। ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर इसके परिणाम और उसके वित्तीय प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।	कंपनी इस मामले में परिसमापक से निरंतर संपर्क में है। i) ईपीआई और सीएंडसी परिसमापक ने विदेश मंत्रालय से संयुक्त रूप से संपर्क करने के उद्देश्य से दिनांक 14.11.2023 को उक्त निपटान करार पर हस्ताक्षर किए हैं। **परिसमापक के सापेक्ष दावेः–** निपटान करार के अनुसार, परिसमापक ने ईपीआई के 26.70 करोड़ रुपये के दावे अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिए हैं, जो एमईए के समक्ष प्रस्तावित मध्यस्थता कार्यवाही के परिणाम के अधीन है और यदि संयुक्त उद्यम को उपर्युक्त दावा पूरा नहीं दिया जाता है या प्रस्तावित मध्यस्थता में आंशिक रूप से दिया जाता है, तो अनसुलझा दावा परिसमापक सी एंड सी के सापेक्ष रहेगा। **विदेश मंत्रालय के सापेक्ष संयुक्त उद्यम के दावे–** क) संयुक्त उद्यम ने दिनांक 21.02.2024 को विदेश मंत्रालय और इरकॉन को सुलह का आह्वान करते हुए नोटिस भेजा, जिसमें ईपीआई का लगभग 128.45 करोड़ रुपये का दावा है। ईपीआई–सीएंडसी संयुक्त उद्यम ने सुलह के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए अनुरोध किया जिसे अस्वीकार कर दिया गया और बाद में ईपीआई–सीएंडसी संयुक्त उद्यम ने सौहार्दपूर्ण निपटान के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए दिनांक 15.04.2024 को पत्र भेजा जो मध्यस्थता का अनुरोध करने से पूर्व का चरण है। ख) संयुक्त उद्यम विदेश मंत्रालय के सापेक्ष मध्यस्थता आरंभ करने की प्रक्रिया में है।

लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	कंपनी का प्रत्युत्तर
1	**शाखा–वार शेष परीक्षण (ट्रायल बैंलेस) संबंधी** वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, पीसीओ–भुवनेश्वर को पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया है और अब इसे पूर्वी क्षेत्र में मिला दिया गया है और साथ ही पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः कंपनीकृत किया गया है। चूंकि शाखावार ट्रायल बैलेंस पर पूर्व के लेखापरीक्षक ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, अतः ईआरओ शाखा लेखापरीक्षक ने पीसीओ–भुवनेश्वर के शाखा प्रमुख (महाप्रबंधक) द्वारा हस्ताक्षरित वित्तीय वर्ष 2022–23 के ट्रायल बैलेंस के आधार पर काम किया है।	टिप्पणी अपेक्षित नहीं। (तथ्यात्मक मामला)
2	**आकस्मिक दायित्व** हम आकस्मिक दायित्वों के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पण संख्या 2.26 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी ने राजस्व अधिकारियों के साथ चल रही कानूनी कार्यवाही और/या कारबार के सामान्य अनुक्रम के दौरान उदभूत मामलों का प्रकटन किया है। इन कानूनी कार्यवाहियों का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई सारवान और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा हम यह हम आकलन नहीं कर सके। जैसा कि एनआरओ शाखा के लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है, रुद्रपुर में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संनिर्माण के लिए परियोजना से संबंधित चल रहे विवादों और दावों के संबंध में, शाखा को आयुर्विज्ञान शिक्षा निदेशालय (उत्तराखंड सरकार) से एक दावा प्राप्त हुआ है और शाखा के पास उपलब्ध राशि ठेकेदार के प्रति बकाया देयता की तुलना में कम है। तथापि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है चूंकि मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।	चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार टिप्पण संख्या 2.26 में अपेक्षित प्रकटन कर दिये गये हैं। आकस्मिक देनदारियों के सापेक्ष कंपनी के पास तदनुरूपी प्रतिदावे भी हैं। जहां तक रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का संबंध है, ईपीआई द्वारा दिनांक 10.06.2024 को मामला वापस ले लिया गया, क्योंकि उत्तराखंड राज्य द्वारा ब्लैक लिस्ट करने का आदेश वापस ले लिया गया था। ईपीआई और उसके उप–ठेकेदार जेआरए के बीच मध्यस्थता में, ईपीआई ने जेआरए के सापेक्ष लगभग 91 करोड़ रुपये के प्रति दावे दायर किए हैं और जेआरए के दावे दायर करने के अधिकार को बंद कर दिया गया है।
3	**प्राप्यों एवं संदेशें की शेष की संपुष्टि** व्यापार प्राप्यों, संकर्म के लिए अग्रिम, प्रतिभूति और प्रतिधारण धन, ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से उधार और अग्रिम, व्यापार संदयों का शेष, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, प्राप्त प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन के संबंध में शेष राशि की धनात्मक बाह्य संपुष्टि उपलब्ध नहीं है। शेष की संपुष्टि के उपलब्ध न होने के कारण इन वित्तीय विवरणों से उद्भूत प्रभाव, यदि कोई है की मात्रा बताने में हम असमर्थ हैं।	व्यापार प्राप्यों, संकर्म के लिए अग्रिम, प्रतिभूति और प्रतिधारण धन, ऋण और अग्रिम तथा ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य, व्यापार संदेय राशियों के शेष, ग्राहकों की प्रतिभूति से प्राप्त अग्रिम और प्राप्त प्रतिधारण धन आदि की शेष राशि की पुष्टि में कंपनी

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले</th><th>कंपनी का प्रत्युत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td>यद्यपि कंपनी ने सभी संबंधित ग्राहकों को ऋणात्मक शेष की पुष्टि का अनुरोध किया किंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। एसए 505– बाह्य संपुष्टि के अनुसार, ऋणात्मक संपुष्टि अनुरोध के लिए कोई प्रत्युत्तर ना प्राप्त करना शोध्य धनराशि के सही होने या संपुष्टि करने वाले पक्षकार द्वारा धनराशि की संपुष्टि करने की इच्छा ना होने को दर्शाता है। अतः उक्त धनराशियों के सही होने, विद्यमान होने और पूर्ण होने का सत्यापन नहीं किया जा सका। तथापि लेखा परीक्षा मानक के अनुसार ऋणात्मक संपुष्टि लेखा परीक्षा का साक्ष्य है। इस प्रकार, पूर्वोक्त के आधार पर हम अपनी राय को अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.43 देखें।

क. जैसा कि ईआरओ शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, शाखा ने व्यापार प्राप्यों, ऋण और अग्रिम, ग्राहक की अग्रिम प्रतिधारण राशि, प्रतिभूति जमा, व्यापार संदेय और अन्य को संदेय शेष धनराशि से संबंधित शेष संपुष्टि पत्र भेजे हैं जो संपुष्टि और समाशोधन के अध्यीन हैं। हमें अपनी रिपोर्ट की तिथि तक निम्नलिखित शेष की संपुष्टि प्राप्त हुई है:
<table>
<tr><th>लेखा मद</th><th>शेष जिसकी संपुष्टि प्राप्त हुई (राशि लाख रुपये में)</th></tr>
<tr><td>संर्कम/आपूर्ति के लिए संदेय (क्रेडिट)</td><td>517.14</td></tr>
<tr><td>संदेय प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन (क्रेडिट)</td><td>456.80</td></tr>
<tr><td>विक्रेता द्वारा रोकी गई राशि (क्रेडिट)</td><td>242.88</td></tr>
<tr><td>अन्य संदेय (क्रेडिट)</td><td>0.26</td></tr>
<tr><td>विक्रेता से वसूली योग्य राशि (डेबिट)</td><td>16.72</td></tr>
</table>
ख. जैसा कि एनआरओ शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार शेष बकाया के लिए व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम, ग्राहक का अग्रिम, प्रतिधारण धन, प्रतिभूति जमा प्राप्य/संदेय और व्यापार दायित्वों से शेष संपुष्टि प्राप्त नहीं हुई है जिससे उक्त शेषों की सटीकता, विद्यमानता और पूर्णता को सत्यापित नहीं किया जा सका।ग. डब्ल्यूआरओ शाखा में डब्ल्यूआरओ शाखा लेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, प्राप्त संपुष्टि का विवरण इस प्रकार है:</td><td>निरंतर पिछले कई वर्षों से संपूर्ण उद्योग जगत में अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार प्रथा का पालन कर रही है। तथापि, कुछ ग्राहकों/ठेकेदारों ने केवल 31/03/2024 की स्थिति के अनुसार शेष राशि की पुष्टि की है।</td></tr>
</table>

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	कंपनी का प्रत्युत्तर

लेखा मद	टिप्पण संख्या	वित्तीय विवरण के अनुसार कुल राशि (राशि लाख रुपए में)	वह राशि जिसके लिए संपुष्टि प्राप्त हुई (राशि लाख रुपए में)
व्यापार प्राप्य (चालू और गैर चालू)	2.12 एंव 2.15	7463.65	शुन्य
प्रतिधारण धन और प्रतिभूति जमा	2.3 एंव 2.7	4420.66	679.47
रोका गया व्यापार संदेय	2.6	2571.66	498.92

घ. जैसा कि ओमान शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया, सरोज कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएलसी और मैसर्स सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड – ओमान से शेष की संपुष्टि प्राप्त नहीं हुई और वर्ष के अंत में इसका समाशोधन नहीं किया गया है। इसके अभाव में, हम लेनदारों और उपठेकेदारों के शेष की पूर्णता को सत्यापित करने में असमर्थ हैं।

4 **परिसमाप्त नुकसान**

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पण संख्या 1–3–छ की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो विवादित/बातचीत के अधीन संविदा के संबंध में संविदात्मक दायित्वों से उद्भूत परिसमाप्त नुकसान के संबंध में प्रावधान न करने पर कंपनी की नीति के बारे में है और जिसे अंतिम निपटान तक संदेय/प्राप्य नहीं माना गया है। जैसा कि ईआरओ के शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, निष्पादन में देरी के कारण ग्राहक द्वारा 69.49 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 63.80 लाख रुपये) रोक दिये गये हैं और इसका प्रकटन अन्य गैर–चालू आस्तियां – ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य के रूप में किया गया है।

परिसमाप्त नुकसान पर अंगीकृत लेखांकन नीति संख्या 3 (छ) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "विवाद/बातचीत किये जाने के अधीन संविदाओं के संबंध में संविदात्मक दायित्वों से उद्भूत परिसमाप्त नुकसान, जिसे संदेय/प्राप्य नहीं माना जाता है, का अंतिम निपटान होने तक लेखाबद्ध नहीं किया जाता है।"

5 **बंद पड़ी परियोजनाओं से संबंधित प्राप्य एवं संदेय**

जैसा कि ईआरओ शाखा के लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है, कतिपय ऐसे प्राप्य मामले हैं जहाँ लाभ के केंद्र को ईआरओ के रूप में उल्लिखित किया गया है। हमारा मानना है कि ये बंद पड़ी परियोजनाओं से संबंधित हैं, और कुछ परियोजनाओं की पहचान नहीं की जा सकी।

जीएल कोड	राशि (लाख रुपए में)	टिप्पणी
20801001	32.50	3 वर्ष से अधिक समय से बकाया
21006001	24.56	5 वर्ष से अधिक समय से बकाया

इसी तरह, 'संदेय' के अधीन कतिपय मामले हैं जहाँ लाभ के केंद्र को ईआरओ के रूप में उल्लिखित किया गया है। हमारा मानना है कि ये बंद पड़ी परियोजनाओं से संबंधित हैं, और कुछ परियोजनाओं की

यह पर्यवेक्षण नोट कर लिया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान परियोजना के ब्यौरों की पहचान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले</th><th>कंपनी का प्रत्युत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td>पहचान नहीं की जा सकी।
<table><tr><th>जीएल कोड</th><th>राशि (लाख रुपए में)</th><th>टिप्पणी</th></tr><tr><td>10810000</td><td>12.82</td><td>3 वर्ष से अधिक समय से बकाया</td></tr><tr><td>10901001</td><td>353.96</td><td>5 वर्ष से अधिक समय से बकाया, इसमें निविदा ग्राहक की 1.38 लाख रुपये की ईएमडी सम्मिलित है</td></tr><tr><td>10908001</td><td>10.93</td><td>5 वर्ष से अधिक समय से बकाया, इसमें निविदा ईएमडी के 0.41 लाख रुपये सम्मिलित हैं</td></tr><tr><td>10908002</td><td>186.96</td><td>इसमें विक्रेता कोड 51000918 के सापेक्ष निविदा ईएमडी के रूप में संदेय 170.89 लाख रुपये सम्मिलित हैं</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>मूल्यह्रास

जैसा कि एनआरओ के लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, एनआरओ शाखा में, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अधीन कुछ आस्तियों के मूल्यह्रास के प्रयोजनार्थ विचार की गई उपयोगी जीवन की अवधि गलत है। यदि मूल्यह्रास की सही गणना की गई होती तो ''कंप्यूटर और उपस्कर'' का भोष 0.11 लाख रुपये कम होता और ''फर्नीचर और सज्जा'' तथा ''कार्यालय और अन्य उपस्कर'' का शेष क्रमशः 1.63 लाख रुपये और 0.03 लाख रुपये अधिक होता। ''मूल्यह्रास और अपाकरण व्यय'' 1.55 लाख रुपये कम होता और रिर्पोटाधीन वर्ष के लिए तत्स्थापनी लाभ 1.55 लाख रुपये अधिक होता। गत वर्षों में ऐसी त्रुटियों के प्रभाव, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है। वित्तीय विवरणों में त्रुटि का प्रभाव सारवान नहीं है, इसलिए हमने इस संबंध में अर्हित राय नहीं दी है।</td><td>यह पर्यवेक्षण भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है तथा भविष्य में आस्तियों का पूंजीकरण करते समय सम्यक सावधानी बरती जाएगी।

भविष्य में ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए एसएपी में आवश्यक जांच और संतुलन आरंभ किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>एमएसएमई की पहचान

विक्रेताओं की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रास्थिति की पहचान के लिए टिप्पण संख्या 2.3, 2.6 और 2.51 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। विक्रेताओं की एमएसएमई प्रास्थिति की पहचान एसएपी में विक्रेता के प्रारंभिक सृजन के समय की जाती है, तदुपरांत विक्रेताओं की एमएसएमई प्रास्थिति की पहचान करने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। इस प्रकार, हम 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, एमएसएमई के बकाया के सही प्रकटीकरण या तत्संबंधी संदाय में किसी भी प्रकार के विलंब पर टिप्पणी नहीं कर सकते।</td><td>जैसा कि एमएसएमई विक्रेताओं (जहां भी आपूर्ति/सेवाओं के लिए लागू हो) द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें व्यापार संदेय (एमएसएमई) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। एमएसएमई तथ्यों के बारे में आवश्यक प्रकटन निर्दिष्ट टिप्पण संख्या 2.3, 2.6 और 2.51 के अंतर्गत दिए गए हैं।</td></tr>
</table>

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	कंपनी का प्रत्युत्तर
8	**राजस्व मान्यता** राजस्व मान्यता के लिए अपनाई गई पूर्णता पद्धति के प्रतिशत पर टिप्पण संख्या 1(3)(क)/(ख)/(ट) में लेखांकन नीति की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। वर्ष के दौरान एनआरओ शाखा ने 551.57 लाख रुपये के संकर्म व्यय को मान्यता दी है और पूर्णता प्रतिशत के आधार पर प्रचालन से राजस्व की तत्स्थानी गणना की है। इस प्रमाणपत्र के साथ संगणना या प्राक्कलन से संबंधित कोई कार्य संलग्न नहीं किया गया है। प्राक्कलन की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। साथ ही, हम यह प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्तियों की तकनीकी क्षमता का पता लगाने में भी असमर्थ रहे। तथापि, प्रबंधन द्वारा किए गए प्राक्कलनों में संभावित भिन्नता के समग्र प्रभाव, एनआरओ शाखा के वित्तीय विवरणों पर इसके तात्विक प्रभाव के संबंध में हमारे पास कोई प्रतिकूल दृष्टि बनाने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार, हमने इस संबंध में अर्हित राय नहीं दी है।	लेखांकन नीति राजस्व मान्यता 3 (ख)। इस नीति के अनुसार "वर्ष के अंत में, निष्पादित लेकिन जिनका मूल्यांकन नहीं किया गया है/आंशिक रूप से निष्पादित संकर्मों को आंतरिक इंजीनियरों द्वारा प्रमाणन के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है, ऐसे लेखांकन से उद्भूत प्रविष्टियाँ अगले लेखा वर्षों में उलट दी जाती हैं। तदनुसार, सांविधिक दायित्वों की पूर्ति बिलों/दावों की वास्तविक प्राप्ति/जारी करने के समय की जाती है।" कथित बिल राशि को उपरोक्त नीति के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है।
9	**जीएसटी समाशोधन** जैसा कि एनआरओ शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया, एनआरओ शाखा में, बहियों में उपलब्ध वस्तु और सेवा कर दायित्व और इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंतिम शेष का जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दर्शाए गए शेष के साथ पूर्णतया समाशोधन नहीं किया गया है। तथापि, अंतर सारवान नहीं है। इस प्रकार, हमने इस संबंध में अपनी लेखापरीक्षा में अर्हित नहीं हो सके।	चूंकि राशि का समाशोधन कर लिया गया है और एनआरओ को इस पहलू पर काम करने का निर्देश दिया गया है ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।
10	**स्थायी आस्तियों का भौतिक सत्यापन** जैसा कि एनआरओ शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया, हमें उपलब्ध कराई गई स्थायी आस्तियों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न स्थानों पर कुछ भौतिक आस्तियां अधिकता में उपलब्ध हैं। तथापि, इनके बारे में हमें कोई अन्य विवरण उपलब्ध नहीं कराया गय। इस प्रकार, हम ऐसे भिन्नता के प्रभाव का आकलन करने में असमर्थ हैं।	इसमें निहित राशि तात्विक नहीं है। यदि अपेक्षित हुआ तो अगले वर्ष आवश्यक समायोजन प्रविष्टि कर दी जाएगी।
11	**सीबीआइ मामले** केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 06 मामले पंजीकृत किए गए हैं और "कंपनी" के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें "कंपनी" को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं उसके वित्तीय कारणों पर कोई वित्तीय प्रभाव परिकल्पित नहीं है। टिप्पण संख्या 2.41 देखें।	सतर्कता प्रभाग द्वारा ऐसे मामलों की स्थिति की सूचना निदेशक मंडल को समय–समय पर दी जा रही है।

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	कंपनी का प्रत्युत्तर
12	**प्रावधान** हम टिप्पण संख्या 2.45(च) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी ने 8वीं और 9वीं मंजिल पर नगर निगम के कक्ष संख्या–50 चौरंगी रोड, कोलकाता–71 में 15000 वर्ग फुट क्षेत्र लिया था जिसकी अवधि 30.09.2015 को समाप्त हो गई है और मामला 2016 की संख्या 144 के माध्यम से निर्णय के लिए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में भेजा गया है। पट्टादाता (मैसर्स स्क्वायर फोर एसेट्स मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड) ने माननीय एकल पीठ द्वारा पट्टादाता के पक्ष में दिनांक 03.11.2022 को पारित निर्णय के विरुद्ध अक्तूबर, 2015 से मार्च, 2022 तक की अवधि के संबंध में वर्ष 2022 के जीए सं. 18, दिनांक 08.02.2022 द्वारा 5952.70 लाख रुपये (जिसके अंतर्गतं 2581.27 लाख रुपये ब्याज और 514.28 लाख रुपये जीएसटी सम्मिलित है) का दावा किया था। कंपनी दिनांक 28.11.2022 को माननीय एकल पीठ के उक्त आदेश के विरुद्ध खंडपीठ में चली गई और 9 जून, 2023 को खंडपीठ ने माननीय एकल पीठ का आदेश रद्द कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 1656. 81 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) के लिए युक्तयुक्त रूप से 1659.22 लाख रुपये (31.03.2022 तक 1659.22 लाख रुपये) के दिनांक 31.03.2023 तक संचयी प्रावधान के साथ पट्टा किराये के सापेक्ष प्रावधान किया है। इसे टिप्पण संख्या 2.4 में दीर्घवधिक प्रावधान मद के अधीन विधिवत दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कोलकाता नगर निगम (''केएमसी'') ने 41,22,480 रुपये के विभिन्न संपत्ति कर ताजा/पूरक (यूनिट एरिया/एआरवी) बिल जारी किए थे, जिसकी अदायगी तिमाही आधार पर किया जाना अपेक्षित था। कंपनी ने ईआरओ शाखा के टिप्पण संख्या 2.24 में दर और कर मद के अधीन वर्ष के दौरान 24,73,488/– रुपये दर्ज किए, परंतु केएमसी को अदायगी नहीं की। इस दायित्व के निर्वहन के संबंध में कानूनी राय मांगी गई थी, परंतु अभी तक, उक्त राय के अनुसार कानूनी कार्यवाही आरंभ नहीं हुई है।	यह मामला निदेशक मंडल के संज्ञान में 22.11.2021 को आयोजित 277वीं बैठक में, तदुपरांत 06.07.2022 को आयोजित 279वीं बैठक में और अंत में 28.03.2024 को आयोजित 286वीं बीओडी बैठक में लाया जा चुका है। आगे भी, मंडल की आगामी बैठकों में इसका निष्कर्ष न निकाल जाने तक तक इसे रिपोर्ट किया जाना जारी रहेगा। कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करके अभी कानूनी कार्यवाही आरंभ की जानी है।
13	**बैंक गारंटी** ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा 4,554.00 करोड रुपए के लिए प्रदान की गई बैंक गारंटी के बदले में ईपीआईएल ने दिनांक 1,906.64 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के सापेक्ष प्राप्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने दिनांक 09 फरवरी, 2022 के अपने पत्र द्वारा पूरी संविदा (म्यांमार के चिन राज्य में किमी 0.00 से	ईओएम में बताई गई बात तथ्यात्मक है और दिनांक 11.03.2022 को इसकी 278वीं बैठक में निदेशक मंडल को पहले ही संसूचित किया जा चुका है।

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	कंपनी का प्रत्युत्तर
	किमी 109.20 तक पलेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार दो लेन सड़क के निर्माण की परियोजना) को कार्य निष्पादन न होना बताते हुए समाप्त कर दिया और तदुपरांत 75.90 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी (ईपीआई का हिस्सा – 30. 36 करोड़ रुपये और सी एंड सी का हिस्सा – 45.54 करोड़ रुपये) जब्त कर ली। इसके परिणामस्वरूप, ईपीआई ने दिनांक 11 फरवरी, 2022 के अपने पत्र द्वारा अपने उप–ठेकेदार मैसर्स आरके–आरपीपी जेवी (प्रदान किया गया मूल्य 414 करोड रुपये) की संविदा समाप्त कर दी और 20. 70 करोड़ रुपये (414 करोड़ रुपये का 5 प्रतिशत) कार्य निष्पादन न होने पर देय के सापेक्ष उसकी बैंक गारंटी जब्त कर ली। इसके अतिरिक्त मैसर्स ईपीआई–सीएंडसी जेवी ने संयुक्त रूप से विदेश मंत्रालय (ग्राहक) और इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड को दिनांक 20.02.2024 को 75.90 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी की धनराशि (ईपीआई हिस्सा – 30.36 करोड़ रुपये और सीएंडसी हिस्सा – 45.54 करोड़ रुपये) के लिए अपील दायर की है। इस प्रकार 75.90 करोड़ रुपये का दावा ग्राहक से वसूली योग्य राशि के रूप में द र्शाया गया है। टिप्पण संख्या 2.29 (ख) देखें।	
14	**कर्मचारियों को संदेय** कर्मचारियों के संबंध में कुल बकाया राशि जिसमें पूर्व कर्मचारी भी भाामिल हैं: **विशिष्टियां** / **राशि (लाख रुपये में)** संदेय राशि–कर्मचारी: 96.00 कार्यनिष्पादन संबद्ध संदेय वेतन: 23.06 तृतीय पीआरसी (वेतन संशोधन) के लिए दायित्व: 474.93	1. सामान्यतः 96 लाख रुपए का भुगतान देय है तथा धनराशि की उपलब्धता के अनुसार समय पर इसका भुगतान कर दिया जाएगा। 2. संबंधित कर्मचारियों से आवश्यक ब्यौरे प्राप्त होने तथा ईपीआई के पास धन की उपलब्धता के अनुसार पीआरपी राशि का भुगतान समय पर किया जाएगा। 3. तीसरी पीआरसी से संबंधित बकाया राशि का आंशिक भुगतान कर दिया गया है। शेष 474.93 लाख रुपए का भुगतान ईपीआई के पास उपलब्ध धन के अनुसार समय पर किया जाएगा।
15	**विदेशी भाखा में मुकदमेबाजी** क. दिनांक 05 सितंबर 2023 को, ओमान अरब बैंक ने सीएंडसी (ओमान) एलएलसी– प्रथम प्रतिवादी, अल नबा होल्डिंग एलएलसी– द्वितीय प्रतिवादी, श्री खालिद बिन हामिद बिन सैफ अल बुसैदी (अल नबा होल्डिंग एलएलसी के अध्यक्ष)–तृतीय प्रतिवादी और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड–चतुर्थ प्रतिवादी के विरुद्ध प्रथमतः न्यायालय (मस्कट प्राथमिक न्यायालय) में 14015.82	कोई टिप्पणी नहीं। यह तथ्यात्मक स्थिति है जो टिप्पण संख्या 2.53 में दिखाई दे रही है।

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	कंपनी का प्रत्युत्तर
	लाख रुपये (17,908,066.62 अमरीकी डॉलर के समतुल्य) का संयुक्त रूप से या अलग–अलग अदायगी किए जाने का मामला दायर किया और साथ ही ओमान अरब बैंक के पक्ष में ईपीआई द्वारा जारी समनुदेशन पत्र का अनुपालन न करने के कारण, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड पर 6104.70 लाख रुपये (7,800,000 अमरीकी डॉलर के समतुल्य) का दावा दायर किया। पिछली सुनवाई दिनांक 22–04–2024 को हुई और अगली सुनवाई 26–05–2024 तक स्थगित कर दी गई। टिप्पण संख्या 2.53(क) देखें। ख. कंपनी ने मुख्य संविदा में दी गई शर्तों के अनुसार ईंधन की कीमतों में वृद्धि और वीजा शुल्क और वैट प्रतिपूर्ति के कारण मार्च, 2023 तक रक्षा मंत्रालय से 4,650,904/– आरओ (94,64,12,454.96 रुपये) का दावा किया। एमओडी ने दिनांक 04.03.2024 को मैसर्स सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की ओर से मस्कट प्राइमरी कोर्ट को 751017 ओएमआर (15,28,24,449.33 रुपये), दिनांक 24.03.2024 को मैसर्स सरोज कंस्ट्रक्शन को 1,844,890.579 ओएमआर (37,54,16,783.92 रुपये) और 27.03.2024 को एमएसए ग्लोबल एलएलसी को 77,089.032 ओएमआर (1,56,86,847.12 रुपये) जारी किए हैं। शेष राशि जल्द ही जारी कर दी जाएगी। टिप्पण संख्या 2.53(ख) देखें। एमओडी ने सीएंडसी ओमान एल.एल.सी. (सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड – भारत की अनुषंगी कंपनी) द्वारा दायर मामले के संबंध में ओमान सल्तनत के प्राथमिक न्यायालय के निर्देश के अनुसार, आरओ 11.35 मिलियन की राशि रोक दी गई थी। ईपीआई ने वाद संख्या 119/1310/2021 का ब्यौरा एकत्र किया है और मस्कट प्राथमिक न्यायालय में अपील दायर की है। दिनांक 11.06.2023 को प्राथमिक न्यायालय, मस्कट ने सी एंड सी (ओमान) एल.एल.सी. के पक्ष में निर्णय जारी किया है। प्राथमिक न्यायालय द्वारा जारी निर्णय को चुनौती देते हुए ईपीआई ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की थी और 17 अगस्त, 2023 को न्यायालय में इस अपील पर सुनवाई होनी थी। आगे सी एंड सी (ओमान), एलएलसी ने दिनांक 13.03.2023 को ने इस चल रहे वाणिज्यिक वाद 119/1310/2021 से सहबद्ध ओमान सल्तनत में ईपीआई के सभी लेखाओं, निधियों और बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन को जब्त करने के लिए याचिका (294/4104/294) दायर कर दी और प्राथमिक न्यायालय, मस्कट ने दिनांक 14.03.2023 को ओमान में ईपीआई के बैंक खातों को फ्रीज करने का न्यायिक निर्णय 124/2023 जारी किया तथा सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान (सीबीओ) को भी इस निर्णय को लागू करने को कहा। तदनुसार, 15 मार्च 2023 को सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और निष्क्रिय कर दिए गए। इसके अतिरिक्त, दिनांक	

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	कंपनी का प्रत्युत्तर
	27.03.2023 को, ईपीआई ने ओमान में ईपीआई के बैंक खातों को अनफ्रीज करने के लिए प्राथमिक न्यायालय में याचिका दायर की। इसकी सुनवाई दिनांक 16.04.2023 को पूरी हुई और दिनांक 01.05.2023 को, माननीय प्राथमिक न्यायालय ने मैसर्स सीएंडसी ओमान एलएलसी द्वारा दायर मामले में ईपीआई बैंक खातों को फ्रीज करने के दिनांक 14.03.2023 के आदेश को रद्द करने का निर्णय जारी किया। दिनांक 14.05.2023 को मैसर्स सीएंडसी (ओमान) एलएलसी ने प्राथमिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की। दिनांक 06.07.2023 को मैसर्स सीएंडसी (ओमान) एलएलसी ने ईपीआई के पक्ष में प्राथमिक न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के अधिक्रमण वाली अपील प्रस्तुत की और न्यायालय ने इसे स्वीकार कर ली। अपील न्यायालय से इस निर्णय की प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ईपीआई ने इस निर्णय पर विधिक सलाहकार के साथ पुनराविलोकन करने के उपरांत इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का प्रस्ताव रखा है। इसके अतिरिक्त, महामहिम के कार्यालय के हस्तक्षेप और एमओडी के सहयोग से निांक 09.01.2024 को मस्कट प्राथमिक न्यायालय, एमओडी, ईपीआई, अल–नबा के प्रतिनिधि और दोनों पक्षकारों के वकीलों ने सुलह अभिलेख पर हस्ताक्षर किए और मस्कट प्राथमिक न्यायालय द्वारा मामला बंद कर दिया गया और दिनांक 19.03.2024 को ईपीआई बैंक खाते बैंकिंग प्रचालन के लिए खोल दिए गए। टिप्पण संख्या 2.53(ग) देखें।	
16.	**विदेशी शाखा में मध्यस्थ** मैसर्स एमएसए ग्लोबल एलएलसी, जो हमारे उपठेकेदार हैं, ने दिनांक 12.04.2023 को आईसीसी में मध्यस्थता के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। आईसीसी द्वारा दिनांक 18.04.2023 को अधिसूचना जारी की गई। मैसर्स एमएसए ग्लोबल और ईपीआई ने क्रमशः अपनी ओर से मध्यस्थ नियुक्त कर लिए हैं और तीसरा मध्यस्थ उनके द्वारा नियुक्त किया गया है। एमएसए ग्लोबल एलएलसी ने ईपीआई के विरुद्ध 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर (382 करोड़ रुपये) का दावा किया है और ईपीआई ने आईसीसी सिंगापुर में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (41 करोड़ रुपये) का प्रति दावा प्रस्तुत किया है। इस मामले में आईसीसी द्वारा जारी प्रक्रियात्मक समय सारिणी के अनुसार याचिका/दस्तावेजीकरण प्रक्रिया चल रही है। टिप्पण संख्या 2.53(घ) देखें।	कोई टिप्पणी नहीं। यह तथ्यात्मक स्थिति है।
17.	**विदेशी शाखा में बैंक बैलेंस की पुष्टि** हमने अनुरोध किया है लेकिन बैंक मस्कट एसएओजी से शेष राशि की पुष्टि नहीं हुई है, जिसके अभाव में, हम खुद को संतुष्ट नहीं कर सके कि क्या सभी लेनदेन और देनदारियां ईपीआईएल ओमान शाखा द्वारा दर्ज की गई हैं या नहीं। हमें सूचित किया गया कि सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के निर्देशों के अनुसार बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।	बैंक मस्कट खाता निष्क्रिय है और ईपीआई बैंक खाते को बंद करने की प्रक्रिया में है और उपलब्ध धनराशि उचित समय पर भारतीय स्टेट बैंक–मस्कट को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(रकम लाख रुपए में)

	विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	
I.	**साम्या और दायित्व**					
1	**शेयर धारकों की निधियां:**					
	क) शेयर पूंजी	2.1	**3,542.27**		3,542.27	
	ख) आरक्षितियां और अधिशेष	2.2	**(1,285.84)**		4,850.10	
	ग) शेयर वारटों के सापेक्ष प्राप्त धन		**-**	**2,256.43**	-	8,392.37
2	**आबंटन के लंबित रहने के दौरान शेयर अनुप्रयोग धन**			–		–
3	**गैर चालू दायित्व**					
	क) दीर्घावधि उधार		–		–	
	ख) आस्थगित कर दायित्व (निवल)		–		–	
	ग) अन्य दीर्घावधि दायित्व	2.3	**71,507.64**		59,518.20	
	घ) दीर्घावधि उपबंध	2.4	**5,432.63**	**76,940.27**	5,053.04	64,571.24
4	**चालू दायित्व**					
	क) लघु अवधि उधार	2.5	**201.39**		1,697.07	
	ख) व्यापार संदेय	2.6				
	i) एमएसएमई को देय		**2,509.24**		2,697.21	
	ii) एमएसएमई से भिन्न अन्य को देय		**17,686.61**		12,467.40	
	ग) अन्य चालू दायित्व	2.7	**1,12,374.85**		1,30,071.14	
	घ) लघु अवधि उपबंध	2.8	**880.44**	**1,33,652.53**	556.29	1,47,489.11
	योग			**2,12,849.23**		2,20,452.72
II.	**आस्तियां**					
1	**गैर–चालू आस्तिपयां**					
	क) संपत्ति, संयत्र और उपस्कर तथा अमूर्त आस्तियां					
	i) संपत्ति, संयत्र और उपस्कर	2.9(i)	**605.36**		660.93	
	ii) अमूर्त आस्तियां	2.9(ii)	**50.75**		68.20	
	iii) चालू पूंजी कार्य		–		–	
	iv) विकासाधीन अर्मूत आस्तियां	2.9(iii)			-	
	ख) गैर चालू विनिधान					
	ग) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	2.10	**1,451.82**		1,080.47	
	घ) दीर्घ अवधि उधार और अग्रिम	2.11	**7,805.45**		7,437.30	
	ङ) अन्य – गैर चालू आस्तियां	2.12	**48,281.14**	**58,194.52**	47,404.55	56,651.45
2	**चालू आस्तियां**					
	क) चालू विनिधान		–		–	
	ख) माल सूचियां	2.13			-	
	ग) व्यापार प्राप्य	2.14	**274.03**		210.74	
	घ) नकद और नकद समतुल्य	2.15	**13,835.10**		13,719.76	
	i) नकद और नकद समतुल्य	2.16 (i)	**54,037.80**		41,823.53	
	ii) अन्य बैंक शेष	2.16 (ii)	**5,337.03**		10,929.07	
	ङ) लघु अवधि ऋण और अग्रिम	2.17	**19,016.19**		21,757.76	
	च) अन्य चालू आस्तियां	2.18	**62,154.56**	**1,54,654.71**	75,360.41	1,63,801.27
	योग			**2,12,849.23**		2,20,452.72
	महत्वपूर्ण लेखांकन	1		–		–
	लेखाओं पर टिप्पणियां	2.1 से 2.54				

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों पर अभिन्न अंग हैं

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार **कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से**

कृत वीएसडी एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.008726एन

ह0/–
(दिबेंदु दास)
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएनः 10234285

ह0/–
(शिवेन्द्र नाथ)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएनः10397812

ह0/–
(सीए हेमा डुडेजा)
भागीदार
सदस्यता सं. 501001
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 25 जुलाई, 2024
यूडीआईएनः 24501001बीकेईईएनडी9520

ह0/–
(अशोक कुमार पात्रा)
समूह महाप्रबंधक (वित्त)

ह0/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रकम लाख रुपए में)

	विवरण	टिप्पण संख्या	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
I.	प्रचालनों से राजस्व	2.19	**84,396.90**	1,13,196.27
II.	अन्य आय	2.20	**1,477.88**	1,315.59
III.	**कुल आय (I+II)**		**85,874.78**	1,14,511.86
IV.	**व्ययः**			
	प्रचालन व्यय	2.21	**80,241.94**	1,03,709.77
	कर्मचारी फायदा व्यय	2.22	**7,666.49**	7,428.72
	वित्तीय लागतें	2.23	**950.69**	383.14
	अवक्षयण एवं अपाकरण व्यय	2.9	**111.51**	112.54
	अन्य व्यय	2.24	**3,361.91**	2,615.47
	पूर्व अवधि व्यय (निवल)	2.25	**47.95**	-
	कुल व्यय		**92,380.49**	1,14,249.64
V.	**अपवादी और असाधारण मदों से पूर्व लाभ/(हानि) और कर (III-IV)**		**(6,505.71)**	262.22
VI.	पूर्वावधि व्यय (शुद्ध)		**1.58**	2.37
VII.	**असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)**		**(6,507.29)**	259.85
VIII.	असाधारण मदें		–	–
IX.	**असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**(6,507.29)**	259.85
X.	कर व्यय			
	(1) चालू कर		–	0.73
	(2) पहले के वर्षों के लिए कर समायोजन (निवल)		-	-
	(3) अस्थगित कर		**(371.35)**	214.85
XI.	**जारी रखे गए प्रचालनों से लाभ/(हानि) (XI-XI)**		(6,135.94)	44.27
XII.	जारी ना रखे गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)		–	–
XIII.	जारी ना रखे गए प्रचालनों का कर व्यय		–	–
XIV	**जारी ना रखे गए प्रचालनों से (करोपरांत) लाभ/(हानि) (XII-XIII)**		–	–
XV.	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (XI-XIX)**		**(6,135.94)**	44.27
XVI.	**प्रति शेयर अर्जन**	2.39		
	(1) आधारिक		**(17.32)**	0.12
	(2) हटाया गया		**(17.32)**	0.12
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
	लेखाओं पर टिप्पणियां	2.1 से 2.54		

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों पर अभिन्न अंग हैं

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृत वीएसडी एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.008726एन

ह0/–
(सीए हेमा डुडेजा)
भागीदार
सदस्यता सं. 501001
स्थानः नई दिल्ली

कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(दिबेंदु दास)
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएनः 10234285

ह0/–
(शिवेन्द्र नाथ)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएनः10397812

ह0/–
(अशोक कुमार पात्रा)
समूह महाप्रबंधक (वित्त)

ह0/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

तारीखः 25 जुलाई, 2024
यूडीआईएनः 24501001बीकेईईएनडी9520

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	2023–24	2022–23
प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मद	**(6,507.29)**	259.85
निम्नलिखित के लिए समयोजन	–	–
– मूल्यह्रास और अपाकरण	111.51	112.54
– आस्तियों की बिक्री से हानि/(लाभ) (निवल)	1.58	2.37
– सावधि जमा पर ब्याज	(220.57)	(36.01)
विदेशी मुद्रा का प्रभाव(निवल)	(78.84)	415.26
–ब्याज व्यय	950.69	383.14
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**(5,742.92)**	1,137.15
– माल सूचियों में कमी/(वृद्धि	(63.29)	(14.38)
– व्यापार प्राप्यों में कमी/(वृद्धि)	(198.68)	6,045.12
– व्यापार संदेयों में कमी/(वृद्धि)	4,262.99	(26,489.45)
– धारणाधिकार के अधीन सावधि जमा में कमी/(वृद्धि)	(4.92)	(4.43)
– कार्यशील पूंजी में वृद्धि/(कमी)	(2,920.40)	18,774.48
प्रचालनों से सृजित नकदी	**(4,667.22)**	(551.51)
घटाएं:		
– ब्याज आय	(950.69)	(383.14)
– आय कर	371.35	(215.58)
प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी	**(5,246.56)**	(1,150.23)
निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	–	–
– स्थायी अस्तियों का क्रय/संनिर्माण	(44.02)	(88.71)
– आस्तियों के विक्रय से आगत	3.95	8.22
– डीटीए में कमी/(वृद्धि)	(371.35)	214.85
– दीर्घावधिक अग्रिम में कमी/(वृद्धि)	(368.15)	(427.87)
– अन्य चालू अस्तियों से भिन्न में कमी/(वृद्धि)	(788.33)	6,915.08
– ब्याज आय	220.57	36.01
निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी	**(1,347.33)**	6,657.59
वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	–	–
– संदत्त लाभांश	–	–
– संदत्त लाभांश कर	–	–
– दीर्घावधिक प्रावधान में (कमी)/वृद्धि	379.59	295.10
– दीर्घावधिक दायित्व से पुनर्संदाय)/आगत	12,757.69	(1,600.24)
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	**13,137.28**	(1,305.14)
विदेशी मुद्रा का प्रभाव	**78.84**	(415.26)
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल (कमी)/वृद्धि	**6,622.23**	3,786.96
वर्ष के आरम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	52,752.60	48,965.64
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**59,374.83**	52,752.60
नकदी और नकदी समतुल्य का मिलान		
हाथ में नकदी (टिप्पण संख्या 2.16 देखें)	.	–
हाथ में चेक (टिप्पण संख्या 2.16 देखें)	.	–
संव्यवहार में विप्रेषण	.	–
चालू खातों में बैंक में शेष (टिप्पण संख्या 2.16 देखें	54,037.80	41,823.53
अन्य बैंकों में सावधि जमाओं में शेष (टिप्पण संख्या 2.16 देखें)	5,337.03	10,929.07
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**59,374.83**	52,752.60

टिप्पण:

1) नकदी एवं नकदी समतुल्य में नकद और बैंकों में शेष सम्मिलित है जिसके अंतर्गत धाराणाधिकार/मार्जिन सावधि जमा को छोडकर सावधि जमा और चल निधि निवेश भी सम्मिलित है।
2) उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरणी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक ए एस– 3 "नकदी प्रवाह विवरणी" के अनुसार प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए तैयार की गई है।
3) नकदी और नकदी समतुल्य में नकद और अन्य बैंक शेष तथा बैंक में जमा सम्मिलित है।

कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

कृत वीएसडी एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.008726एन

ह0/–
(सीए हेमा डुडेजा)
भागीदार
सदस्यता सं. 501001
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 25 जुलाई, 2024
यूडीआईएनः 24501001बीकेईईएनडी9520

ह0/–
(दिबेंदु दास)
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएनः 10234285

ह0/–
(अशोक कुमार पात्रा)
समूह महाप्रबंधक (वित्त)

ह0/–
(शिवेन्द्र नाथ)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएनः10397812

ह0/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

वित्तीय विवरणियों के टिप्पण :–

(31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु)

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन का आधार

(क) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन, उपचय आधार पर भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार एवं कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पाठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 अधिनियम) के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करते हुए तैयार तैयार की गई हैं। वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए अंगीकृत लेखांकन नीतियां उन्हीं नीतियो के अनुसार है, जो पूर्व के वर्ष में अपनाई गयी थी।

(ख) सभी आस्तियां और दायित्व कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिकथित अनुसूची–III के अनुसार चालू या गैर चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। प्रचालनों की प्रकृति और उस समय जिसके भीतर आस्तियों को नकद या नकद समतुल्य में कारबार के साधारण प्रक्रम में प्राप्त करने की संभावना है, कंपनी ने अपने प्रचालन चक्र को आस्ति या और दायित्वों को चालू और गैर–चालू में वर्गीकृत करने के प्रयोजनार्थ 12 मास में रखा है।

2. आकलनों का उपयोग

सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणियों की तैयारी में प्रबंधन से अपेक्षित है कि वह वित्तीय विवरण की तारीख को आस्तियां और दायित्व की रिपोर्ट की गई मात्रा एवं आकस्मिक आस्तियों और दायित्वों का प्रकटन, यदि कोई हो, एवं रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्रचालनों का परिणाम के प्रभाव का आकलन और पूर्वधारणा करे। यद्यपि यह आकलन प्रबंधन की चालू घटनाओं और कार्रवाईयों की जानकारी पर आधारित है तथापि वास्तविक परिणाम इन आकलनों और पुनरीक्षणों, यदि कोई हों से भिन्न हो सकते हैं, इनको चालू और भावी अवधियों में मान्यता दी गई है।

3. राजस्व को मान्यता

(क) संविदा राजस्व को उस स्तर तक मान्यता दी गई है जहां तक कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और विश्वसनीय रूप से राजस्व का मापन किया जा सकता है। राजस्व को संकर्म की समग्र लागत और संपूर्ण करने की विधि के प्रतिशत का उपयोग करते हुए समानुपात मार्जिन को जोड़कर मान्यता दी गई है। संपूर्ण करने के प्रतिशत का अवधारण वार्शिक रूप से संशोधित संविदा की कुल प्राक्कलित लागत की तारीख तक उपगत समानुपाती लागत का अवधारण करके किया जाता है।

(ख) वर्ष के अंत में निष्पादित किया गया कार्य किन्तु मापा न गया/आशंकि रूप से निष्पादित कार्य को आंतरिक इंजीनियरों के प्रमाणपत्र के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है, ऐसी गणना से उदभूत प्रविष्टियों को उत्तरवर्ती लेखांकन वर्ष में विलोमतः कर दिया जाता है। तदनुसार, वास्तविक प्राप्ति ध्जारी किए गए बीजकों/दावों को जारी करने के समय विधिक बाध्यताओं को पूरा किया जाता है।

(ग) परियोजनाओं के समयपूर्व बंद करने/समाप्त करने की दशा में राजस्व को उस संविदा मूल्य के परिमाण तक जिसकी वसूली संभावित है मान्यता दी जाती है।

(घ) सलाहकारी सेवाओं से राजस्व को समानुपातिक पूर्णता विधि के आधार पर मान्यता दी जाती है। उन मामलों की दशा में जहां दावों के समय युक्तियुक्त निश्चितता के साथ वास्तविक संग्रहण नहीं किया गया है मान्यता को संग्रहण करने के समय तक स्थगित कर दिया जाता है।

(ड.) उन संविदाओं के मामले में जहां संविदा की लागत संविदा के राजस्व से अधिक हो जाती है, अनुमान लगाई गई हानि को तुरंत मान्यता दी जाती है।

(च) ग्राहक के साथ संविदा में बढ़ोतरी और अतिरिक्त संकर्म का प्रावधान नहीं किया जाता है, मध्यस्थों से उदभूत दावों और बीमा दावों को प्राप्ति के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

(छ) विवाद/बातचीत और असंदेह/अप्राप्य नहीं समझे जाने वाले दावों के संबंध में सांविधिक बाध्यताओं से उदभूत परिसमाप्त हानि अंतिम निपटान तक लेखाबद्ध की जाती है।

(ज) संविदा को लेखांकन प्रयोजनों के लिए अंतिम बीजक बनाने, चालू करने के प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक रूप से आरंभ करने, पूर्व समापन और/या क्षमापन इनमें से जो भी पहले हो, समाप्त माना जाता है।

(झ) बकाया रकम और लागू दर को गणना में लेते हुए व्याज आय को समय समानुपात में मान्यता दी जाती है।

(ट) भाटक से राजस्व को किराएदार से पट्टा करार के आधार पर सिवाय वहां जहां वास्तविक संग्रहण को संदेहास्पद समझा जाता है, उसे उदभूत होने के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ठ) परियोजना प्रबंधन परामर्शी कार्य की दशा में जहां संपूर्ण निष्पादन, बिलिंग, संग्रहण, कर अनुपालना जिसके अंतर्गत त्रुटि के लिए दायित्व आदि भी सम्मिलित है, कंपनी पर है, टर्नओवर को लागत जमा मार्जिन के आधार पर प्रतिशत पूरा करने के आधार पर मान्यता दी जाएगी।

4. मालसूची

(i) सामग्रियां

(क) संनिर्माण सामग्रियां, उपभोज्य और भंडार एवं उपसाधनों जिसके अंतर्गत इस्पात, सीमेंट और पाइप नहीं है को क्रय के समय संविदा लागत पर प्रभारित किया जाता है। ऐसी बची हुई सामग्रियों के निपटान के लेखे विक्रय से आगतों को विक्रय के वर्ष में प्रकीर्ण आय में लेखाबद्ध किया जाता है।

(ख) इस्पात, सीमेंट और पाइपों के स्टॉक का मूल्यांकन लागत या निवल प्राप्त हो सकने वाले मूल्य से कम पर किया जाता है। लागत में भाड़ा और अन्य संबंधित अनुषंगिक व्यय शामिल हैं और उनकी गणना भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है।

(ii) चालू कार्य

चालू संनिर्माण कार्य का मूल्यांकन ऐसे समय तक लागत के आधार पर किया जाता है जब तक कार्य के परिणाम का विश्वसनीय रूप से पता न लगाया जा सके।

5. विदेशी मुद्रा में संव्यवहार

विदेशी परियोजनाओं की वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित रीति में परिभाषित किया जाता है:

i) राजस्व मदों (आय और व्यय) को भारतीय मुद्रा में क्रय दर की सुसंगत वित्त वर्ष के प्रत्येक मास के अंतिम कार्य दिवस को विद्यमान मासिक औसत के आधार पर गणना में लिया जाता है।

ii) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर–धनीय मदों को संव्यवहार की तारीख को क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

iii) मूल्यह्रास को आस्तियों के मूल्य को गणना में लेने के लिए उपयोग की गई दर पर गणना में लिया जाता है जिसपर मूल्यह्रास की संगणना की गई है।

iv) माल सूचियों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

v) धनीय मदें (आस्तियां और दायित्व) तथा आकस्मिक दायित्वों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान अंतिम क्रय दरों पर गणना में लिया जाता है।

गणना में लिए जाने के परिणामस्वरूप निवल विनिमय विभेद की पहचान वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में की जाती है।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का लागत पर वसूलीयोग्य कर, व्यापार बट्टा छूट (रिवेट) घटाकर संचित मूल्यह्रास और नुकसान की हानियां, यदि हो को घटाकर कथन किया जाता है। इस लागत में खरीद कीमत, उधार लेने की लागत और कोई ऐसी लागत सम्मिलित है जो सीधे आस्तियों को उनकी कार्यकारी स्थिति में लाने के लिए आशयित उपयोग से संबंधित है, विदेशी मुद्रा वाले संविदाओं में निवल प्रभार और समायोजन जो विनिमय दर में फेरफार से उत्पन्न होते हैं वह आस्तियों के लेखे में डाले जाते हैं।

पश्चातवर्ती लागतों को आस्ति की वहन रकम में सम्मिलित किया जाता है या पृथक आस्ति के रूप में उस को मान्यता दी जाती है, जैसा भी समुचित हो, ऐसा केवल तब किया जाता है जब इस बात की संभावना हो की मद से सहबद्ध भावी आर्थिक लाभ निकाय को प्रभाहित होंगे और लागत का विश्वसनीय रूप से अंकन किया जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर मूल्यह्रास की संगणना सीधी रेखा के आधार पर आस्ति के उपयोगी जीवन पर आधारित होती है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–II के अनुसार दर्शाया जाता है और आस्ति के उपयोगी जीवन के दौरान 95 प्रतिशत लागत को बट्टे खाते में डाला जाता है।

7. मूल्यह्रास

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के मूल्यह्रास की संगणना आस्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुसार की जाती है और आस्तियों के संभावित उपयोगी जीवन के दौरान 95: लागत को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

(ख) आस्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर उदभूत मूल्यह्रास की निम्नलिखित दरों को अंगीकृत किया गया है।

क्र.सं.	आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास की दर
1	**भवन (कारखाना भवन से भिन्न) आरसीसी फ्रेम ढांचा (एनईएसडी)**	1.58%
2	**अन्य अस्थायी संनिर्माण (जिसके अंतर्गत अस्थायी ढांचा आदि (एनईएसडी) भी शामिल हैं**	31.67%
3	**सिविल संनिर्माण में उपयुक्त संयंत्र मशीनरी**	
3(क)(i)	कंक्रीटकरण, क्रशिंग, पाइलिंग उपस्कर और सड़क बनाने की मशीन	7.92%
3(कं)(ii)(क)	100 टन से अधिक क्षमता वाली क्रेनें	4.75%
3(कं)(ii)(ख)	100 टन से कम क्षमता वाली क्रेनें	6.33%
3(क)(iii)	मृदा परिचालन उपस्कर	10.56%
3(कं)(iv)	अन्य जिसके अंतर्गत सामग्री हथालन/पाइपलाइन/वैल्डिंग उपस्कर (एनईएसडी) भी शामिल है	7.92%
4	**साधारण फर्नीचर और सज्जा (एनईएसडी)**	9.50%
5	**कार्यालय उपस्कर (एनईएसडी)**	19%
6	**कम्प्यूटर और डाटा प्रसंस्करण इकाइयां (एनईएसडी)**	

क्र.सं.	आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास की दर
6(कं)	सर्वर और नेटवर्क	15.83%
6(ख)	अंतिम उपयोगकर्ता इकाइयां जैसे डैस्कटॉप, लैपटॉप, साफ्टवेयर जिसके अंतर्गत उपयोगकर्ता अनुज्ञप्ति फीस, अन्य अमूर्त आस्तियां आदि भी शामिल हैं	31.67%
7	**मोटरयान (एनईएसडी)**	
7(क)	मोटरसाइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड	9.50%
7(ख)	मोटर बस, मोटर लॉरी और भाटक पर उन्हें चलाने के कारबार से भिन्न मोटर कारें	11.88%

(ख) उन आस्तियों के सिवाय जिनके संबंध में कोई अतिरिक्त शिफ्ट मूल्यह्रास (एनईएसडी) की अनुज्ञा नहीं है जैसाकि उपदर्शित किया गया है, यदि किसी आस्ति का उपयोग वर्ष के दौरान किसी भी समय दोहरी शिफ्ट के लिए किया जाता है तो मूल्यह्रास उस अवधि के लिए 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा और तिहरी शिफ्ट के लिए मूल्यह्रास की संगणना उस अवधि के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का इस अवधि के दौरान अर्जन किया जाता है, जो अलग–अलग 5,000 रुपए तक की लागत के हैं का क्रय वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रास किया जाता है। तथापि कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन को उनके मूल्य को ध्यान में न रखते हुए लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

(घ) पट्टाधृत भवन का अपाकरण पट्टे की अवधि के दौरान या कंपनी द्वारा अंगीकृत दरों पर संगणित विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान, इनमें से जो भी लघु हो, पर किया जाता है। शाश्वत पट्टे के अधीन धृत भूमि का अपाकरण नहीं किया जा रहा है और उसे लागत के आधार पर अग्रनीत किया गया है।

ड.) अमूर्त आस्तियों का कथन लागत से संचित आपकरण को घटाकर और क्षीणता पर किया जाता है। सॉफ्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और इसका तीन वर्ष की अवधि या इसकी लाइसेंस अवधि, जो भी कम हो, में सीधी रेखा पद्धति पर आपकरण किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अमूर्त आस्तियों के उपयोगी जीवन का पुनरीक्षण किया जाता है और यदि उचित हो तो उसे समायोजित किया जाता है।

8. कर्मचारी हितलाभ

(i) अल्पावधिक कर्मचारी हितलाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरणी में गैर रियायती रकम पर एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें संबंधित सेवा दी गई है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत और अन्य दीर्घावधिक कर्मचारी हितलाभ को उस वर्ष की लाभ और हानि विवरणी में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी ने सेवा दी गई है। व्यय को संदेय रकम के विद्यमान मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिसे वास्तविक मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके अवधारित किया जाता है। सेवानिवृत्ति के उपरांत और अन्य दीर्घावधि हितलाभ के संबंध में वास्तविक लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।

9. प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां

प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी की किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप बाध्यता हो और यह संभावना हो कि बाध्यता को निपटाने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की अपेक्षा होगी और जिसके लिए विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। उपबंधों को उनके वर्तमान मूल्य पर रियायत नहीं दी जाती है और उनका अभिधारण तुलनपत्र की तारीख को बाध्यता का निपटान करने के लिए सर्वोत्तम आकलनों के आधार पर

किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को प्रावधानों का पुनरीक्षण किया जाता है और चालू सर्वोत्तम आकलनों को उपदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है। किसी आकस्मिक दायित्व का प्रकटन किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की संभावना सुदूर न हो। आकस्मिक दायित्वों को न तो मान्यता दी जाती है, न ही उनका वित्तीय विवरणियों में प्रकटन किया जाता है।

10. संदेहास्पद ऋणों/उधारों और अग्रिमों के लिए प्रावधान

भारत सरकार के विभागों और पीएसई ग्राहकों से संबंधित बंद हो गई परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य/ऋणों और अग्रिमों की रकम को लेनदारों/ऋणों/अग्रिमों को जिस वर्ष वह देय होते हैं से 10 वर्ष तक प्राप्त करने के लिए अच्छा समझा जाता है। इन ऋणों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम निपटान न किया जाए या मध्यस्थ/अधिकरण/न्यायालय द्वारा विवाद के मामले में निर्णय न दे दिया जाए। संदेहास्पद ऋणों/उधारों और अग्रिमों से परियोजना के आधार पर **निवल प्राप्य राशि** के लिए प्रबंधन के अनुभव/निर्धारण/पूर्ववर्ती अनुभव के आधार पर आवश्यक प्रावधान किए जाते हैं यदि 10 वर्ष से अधिक से बकाया हैं। व्यापार प्राप्य/ऋणों और अग्रिमों को तब बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब उनकी वसूली न की जा सकती हो। मध्यस्थ/अधिकरण/न्यायालय के पास लंबित मामलों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है

पूर्वोक्त उपदर्शित निवल प्राप्य से अभिप्रेत है कि ग्राहक से प्राप्य कुल रकम को संबंधित परियोजना के उप ठेकेदार को संदेय तत्स्थानी रकम से घटा दिया जाता है।

11. खंड रिपोर्टिंग

परियोजनाओं की भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर कंपनी ने दो प्रारंभिक रिपोर्टिंग खंडों अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय की पहचान की है।

12. आस्तियों की क्षीणता

प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को कंपनी की आस्तियां चाहे इस बात का कोई संकेत हो कि आस्तियां क्षीण हो गई हैं। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान है तो कंपनी आस्तियों की वसूली योग्य रकम का आकलन करती है। यदि आस्ति की ऐसी वसूलनीय रकम या रोकड़ सृजित करने वाली इकाई जिसकी आस्ति है से वसूली योग्य रकम उसकी चल रही रकम से कम है तो चल रही रकम को वसूली योग्य रकम से घटा दिया जाता है और कटौती को क्षीणता नुकसान माना जाता है और लाभ और हानि लेखे में इसको मान्यता दी जाती है। यदि तुलनपत्र की तारीख को यह संकेत हो कि पूर्व में निर्धारित क्षीणता नुकसान अब विद्यमान नहीं है तो वसूलनीय रकम का पुनर्निर्धारण किया जाता है और आस्ति को वसूलीय रकम में अधिकतम अवक्षयित ऐतिहासिक लागत की शर्त के अधीन रहते हुए, उपदर्शित किया जाता है और तदनुसार, लाभ और हानि लेखे में उसे विलोमतः कर दिया जाता है।

13. कराधान

वर्ष में कर के लिए प्रावधान में आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकक के उपबंधों के अनुसरण में संगणित संदेय बही खाता लाभ या अवधि के लिए करादेय आय के संबंध में संदेय कर की रकम को अवधारित चालू आय–कर आकलन सम्मिलित है और आस्थगित कर वह अस्थायी समय विभेद का कर प्रभाव है जो करादेय और लेखांकन आय को दर्शाता है जो एक अवधि में उदभूत होती है और पश्चातवर्ती एक या अधिक अवधियों में जो विलोमतः होने के लिए सक्षम है और जिसकी संगणना सुसंगत घरेलू कर विधियों के अनुसार की जाती है।

आस्थगित कर की गणना कर दरों और तुलनपत्र की तारीख को अधिनियमित कर विधियों या पश्चातवर्ती अधिनियमित कर विधियों के आधार पर की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता उस सीमा तक दी जाती है जिसकी युक्तियुक्त निश्चितता है कि भविष्य में करादेय पर्याप्त आय ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के

सापेक्ष उपलब्ध होगी जिसकी वसूली की जा सकेगी। अग्रनीत हानियों और अवशोषित न होने वाले मूल्यह्रास के संबंध में आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस तक यह अभासी निश्चितता है कि पर्याप्त भावी करादेय आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी आस्थगित कर आस्तियों को वसूला जा सकेगा।

न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), कंपनी को लागू नहीं होता है चूंकि कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115खकक के अधीन कराधान का विकल्प दिया है।

14. पट्टा

पट्टेदार के रूप में कंपनी: प्रचालित पट्टों के अधीन पट्टा संदायों को व्यय के रूप में लाभ और हानि लेखे में सीधे रेखा आधार पर पट्टा निबंधन पर मान्यता दी जाती है।

पट्टा कर्ता के रूप में कंपनी: पट्टे जिनमें कंपनी पट्टाकर्ता है को वित्त या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं। जब कभी पट्टा अंतरण सारवान रूप से स्वामित्व के जोखिम और पुरस्कारों को पट्टेदार को अंतरित कर देते हैं, संविदा को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टों को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रचालन पट्टों के लिए भाटक आय को सुसंगत पट्टे के निबंधनों पर सीधी रेखा के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। किसी प्रचालन पट्टे को प्राप्त करने में प्रारंभ में उपगत लागत को अंडरलाइन आस्ति की वहन रकम में जोड़ दिया जाता है और उसे पट्टा आय जैसे उसी आधार पर पट्टा निबंधनों के ऊपर व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। संबंधित पट्टे पर दिए गए आस्ति को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन पत्र में सम्मिलित किया जाता है।

15. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आधारिक अर्जन की संगणना साम्या शेयरधारकों (अधिरोपणीय करों की कटौती करने के पश्चात) से संबंधित अवधि के लिए निवल लाभ या हानि की अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयरों की भारित संख्या से भाग करके की जाती है।

प्रति शेयर कम होते अर्जन की संगणना करने के प्रयोजनार्थ शेयरधारिकों से संबंधित अवधि के लिए निवल लाभ या हानि अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित संख्या को कम होते संभावित साम्या शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित कर दिया जाता है।

16. पूर्वावधि मदें और पूर्व संदत्त व्यय से संबंधित समायोजन

क) पूर्वावधि मदें: प्रत्येक मामले में 1.0 लाख रुपये तक पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय को तात्विक नहीं समझा जाता है और उसे चालू वर्ष की आय/व्यय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है।

ख) पूर्वावधि व्यय: प्रत्येक मामले में 1.0 लाख रुपये तक पूर्वावधि से संबंधित व्यय को तात्विक नहीं समझा जाता है और उसे चालू वर्ष के व्यय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है।

17. निगम कार्यालय में उपरिव्यय आवंटन

वेतन और उससे संबंधित लागत से संबंधित निगम/मुख्यालय के उपरिव्यय का ईपीआई के कुल टर्नओवर के अनुपात में ओमान परियोजना को टर्नओवर के अनुपात में आवंटन कर दिया गया है।

18. निवेश

दीर्घावधिक निवेश का कथन लागत पर किया जाता है। ऐसे निवेश के मूल्य में स्थाई कमी को मान्यता दी जाती है और उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

चालू विधान का कथन लागत और उसके उद्धृत/उचित मूल्य से कम पर किया जाता है।

19. नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह की रिपोर्ट प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार की जाती है जिससे अवधि के लाभ को गैर–नकद प्रकृति के संव्यवहार के प्रभाव, अतीत या भविष्य की प्रचालनरत नकदी प्राप्तियों या संदायों के किसी भी आस्थगन या उपचयन और निवेश या नकदी प्रवाह के वित्तपोषण से जुड़ी आय या व्यय की मद में समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्त पोषण कार्यकलापों से नकद प्रवाह को पृथक किया जाता है।

20. लाभांश

शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तारीख को शेयरों पर अंतिम लाभांश को दायित्व के रूप में अभिलिखित किया जाता है और अंतरिम लाभांश को कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा घोषणा की तारीख को दायित्व के रूप में अभिलिखित किया जाता है।

टिप्पण सं. 2.1

(रकम लाख रुपए में)

शेयर पूंजी	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत		
10/- रुपए प्रत्येक के संदत्त 90,94,04,600 साम्या शेयर	**90,940.46**	90,940.46
(पूर्व वर्ष 10/- रुपए प्रत्येक के संदत्त 90,94,04,600 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर)		
जारी अंशधृत और पूर्णतया संदत्त		
10/- रुपए के प्रत्येक 3,54,22,688 साम्या शेयर	**3,542.27**	3,542.27
(पूर्व वर्ष 10/- रुपए के प्रत्येक के संदत्त 3,54,22,688 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर)		
योग	**3,542.27**	3,542.27

टिप्पण 2.1 (क)

बकाया शेयरों की संख्या का पुनः समायोजन	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
	संख्या	संख्या
वर्ष के प्रारंभ में	**3,54,22,688**	3,54,22,688
वर्ष के अंत में	**3,54,22,688**	3,54,22,688

टिप्पण 2.1 (ख)

5% से अधिक प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धृत शेयरों की संख्या	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत धृति	शेयरों की संख्या	प्रतिशत धृति
भारत का राष्ट्रपति	**3,54,15,677**	**99.98%**	3,54,15,677	99.98%

टिप्पण सं. 2.1 (ग)

(रकम लाख रुपए में)

प्रस्तावकों द्वारा धृत शेयर क्रम सं.	नाम	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार शेयरों की संख्या प्रतिशत	 शेयरों का कुल प्रतिशत परिवर्तन	 वर्ष के दौरान	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार शेयरों की संख्या प्रतिशत	 शेयरों का कुल प्रतिशत परिवर्तन	 वर्ष के दौरान
1.	भारत का राष्ट्रपति	**3,54,15,677**	**99.98%**	—	3,54,15,677	99.98%	—
2.	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3575	0.01%	—	3575	0.01%	—
3.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	1892	0.01%	—	1892	0.01%	—
4.	खनन और संबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड*	490	0.00%	—	490	0.00%	—
5.	त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड*	490	0.00%	—	490	0.00%	—
6.	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	350	0.00%	—	350	0.00%	—
7.	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स संनिर्माण लिमिटेड	210	0.00%	—	210	0.00%	—
8.	ईपीआई शेयरधारक न्यास	4	0.00%	—	4	0.00%	—

* परिसमापन के अधीन

टिप्पण सं. 2.2

(रकम लाख रुपए में)

आरक्षित एवं अधिशेष	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
क) पूंजी आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ में और अंत में शेष	**2.10**	2.10
ख) साधारण आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,115.00**	2,115.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	—	—
वर्ष के अंत में शेष	**2,115.00**	2,115.00
ग) लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष	**2,115.00**	2,115.00
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,733.00**	2,688.73
जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**(6,135.94)**	44.27
घटाएं : संदत्त लाभांश*	—	—
घटाएं : गत वर्ष के लाभ का अंतरण	—	—
वर्ष के अंत में शेष	**(3,402.94)**	2,733.00
योग(क+ख+ग)	**(1,285.84)**	4,850.10

*कारपोरेट कार्य मंत्रालय (लेखांकन मानक) ने संशोधन नियम 2016 (सा. का.नि 364(अ) तारीख 30 मार्च 2016 को अधिसूचित करते हुए लेखांकन मानक (एएस) 4 आकस्मिक्ताएं और तुलन पत्र तारीख के पश्चात होने वाली घटनाएं को संशोधित किया है। संशोधित लेखाकन मानक एएस 4 का पैरा 14 उपबंध करता है कि यदि लाभांश की घोषणा तुलन पत्र की तारीख के पश्चात की जाती है तब ऐसे लाभांश को तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि उस तारीख को कोई बाध्यता विद्यमान नहीं थी।

टिप्पण सं. 2.3

(रकम लाख रुपए में)

अन्य दीर्घावधि दायित्व	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय*		
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम**	–	–
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से भिन्न	6,201.90	6,970.15
– विवादास्पद शोध्य–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम*	–	–
– विवादास्पद शोध्य–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से भिन्न	1,054.09	1,054.09
अन्य दायित्व		
– प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन#	25,159.24	22,310.78
– ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	30,628.54	19,776.23
– ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य को अन्य संदेय	8,463.87	9,406.95
योग	**71,507.64**	59,518.20

*अनुसूची III में संशोधनों के संबंध में तारीख 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची के लिए टिप्पण सं. 2.8क देखें।

**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 में यथा परिभाषित, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों को देय रकम की इन निकायों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर और कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के परिमाण तक पहचान की गई है। इस वर्ष के दौरान इन अभिज्ञात निकायों के प्रति 45 दिन से अधिक दिन से कोई राशि संदेय नहीं थी।

ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा प्रदान की गई बैंक प्रतिभूति के बदले 4554.00 लाख रुपए में 1906.64 लाख रुपए की राशि सम्मलित है।

टिप्पण सं. 2.4

(रकम लाख रुपए में)

दीर्घावधि दायित्व	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
अन्य व्यय के लिए प्रावधान	1,659.21	1,659.22
संभावित हानि के लिए प्रावधान (एएस–7 के अनुसार)	274.36	277.79
कर्मचारी हितलाभः		
– छुट्टी नकदीकरण	1,257.29	1,125.06
– उपदान	44.72	49.13
– दीर्घावधि सेवा पुरस्कार	22.65	17.89
– सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ	2,171.06	1,918.98
– सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता	3.34	4.97
योग	**5,432.63**	5,053.04

टिप्पण सं. 2.5

(रकम लाख रुपए में)

लघु अवधि उधार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
प्रत्याभूत		
– बैंकों से मांग पर संदेय ऋण	–	–
अप्रत्याभूत		
– बैंकों से मांग पर संदेय ऋण *	201.39	1,697.07
दीर्घावधि उधारों की चालू परिपक्वता	–	–
योग	**201.39**	1,697.07

*आईओबी दिल्ली में निधि आधारित सीमा/अल्पावधिक ऋण के सापेक्षक्लीन कैश क्रेडिट हेतु 201.39 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 1697.07 लाख रुपए)।

टिप्पण सं. 2.6

(रकम लाख रुपए में)

व्यापार संदेय	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय*		
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम**	2,509.24	2,697.21
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से भिन्न	17,686.61	12,467.40
– विवादास्पद शोध्य–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	–	–
– विवादास्पद शोध्य–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से भिन्न	–	–
योग	**20,195.85**	15,164.61

* अनुसूची III में संशोधनों के संबंध में दिनांक 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार पुराने हो रहे कि अनुसूची में व्यापार संदेय के लिए टिप्पण सं. 2.8क देखें।

** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 में यथा परिभाषित, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों को देय रकम की इन निकायों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर और कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के परिमाण तक पहचान की गई है। इस वर्ष के दौरान इन अभिज्ञात निकायों के प्रति 45 दिन से अधिक दिन से कोई राशिसंदेय नहीं थी। कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर वर्ष के अंत में 2,509.24 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 2,697.21 लाख रुपए) सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को संदेय थे। (टिप्पण सं. 2.51 देखें)।

टिप्पण सं. 2.7

(रकम लाख रुपए में)

अन्य चालू दायित्व	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
ग्राहकों से अग्रिम	43,197.13	46,223.77
सुरक्षा जमा, प्रतिधारण एवं प्रतिभूति	11,104.52	15,284.43
बकाया दायित्व	628.55	674.14
ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य को संदेय अन्य राशि	45,252.44	58,147.76
संकर्म के लिए अग्रिम राजस्व #	7,665.55	4,821.82
कर्मचारियों को संदेय *	593.99	594.14
अतिरिक्त संदेय दावे	–	–
सांविधिक दायित्व	3,932.67	4,325.08
योग	**112,374.85**	130,071.14

*31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन की 23.06 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 23,53 लाख रुपए) की राशि कतिपय कर्मचारियों को जारी करने के लिए लंबित है।

वेतन पुनरीक्षण (तृतीय पीआरसी) के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में वित्त वर्ष 2023– 24 के दौरान लेखाबहियों में 01.01.2017 से शून्य रुपए (पूर्व वर्ष शून्य रुपए) का प्रावधानकिया गया है। 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार संचयी प्रावधान 474.93 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 474.93 लाख रुपए) है।

'राशि जिनका ग्राहक के प्रति बिल बनाया गया है'' पर प्रगति में कार्य की अधिकता को ''अन्य चालू आस्तियां'' मद के अधीन''आय जिनका बिल नहीं बनाया गया है'' के रूप में दर्शाया गया है, दूसरी ओर, ''कार्य प्रगति में'' में ''राशि जिनका ग्राहक के प्रति बिल बनाया गया है'' की आधिक्य को ''अन्य चालू दायित्व'' मद के अधीन ''संकर्म के लिए अग्रिम आय'' के रूप में दर्शाया गया है (टिप्पण संख्या 2.18 भी देखें)।

टिप्पण सं. 2.8

(रकम लाख रुपए में)

लघु अवधि उपबंध	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
संभावित हानि के लिए प्रावधान (एएस–7 के अनुसार)	35.49	35.49
आय कर (विदेशी) के लिए प्रावधान	–	–
वेतन पुनरीक्षण (तृतीय पीआरसी) के लिए प्रावधान	–	–
कर्मचारी हितलाभः		
– छुट्टी नकदीकरण	165.47	265.57
– उपदान	77.52	77.09
– दीर्घावधि सेवा पुरस्कार	2.66	6.16
– सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ	598.99	171.40
– सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता	0.31	0.58
योग	**880.44**	556.29

टिप्पण सं. 2.8क

व्यापार संदेय एंजिंग अनुसूची

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार					31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार				
	संदाय की सम्यक् तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया #					संदाय की सम्यक् तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया #				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	**योग**	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
एमएसएमई	2,509.24	–	–	–	2,509.24	2,692.46	4.75	–	–	2,697.21
अन्य	17,334.17	209.71	2,085.61	4,259.01	23,888.50	11,847.24	75.77	2,853.24	4,661.30	19,437.55
विवादास्पद देय –एमएसएमई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
विवादास्पद देय–अन्य	–	–	5.15	1,048.94	1,054.09	–	–	–	1,054.09	1,054.09
योग	**19,843.41**	**209.71**	**2,090.76**	**5,307.95**	**27,451.83**	14,539.70	80.52	2,853.24	5,715.39	23,188.85

ऐसी सूचना वहां दी जाएगी जहां संदाय के लिए कोई नियत तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की गई है उस दशा में प्रकटन संव्यवहार की तारीख से होगा। उन देयों का प्रकटन अलग से किया जाएगा जिनका बिल नहीं बनाया गया है।

टिप्पण सं. 2.9 (i)

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयत्र और उपस्कर विवरण

(रकम लाख रुपए में)

विवरण	समग्र खंड					अवक्षयण/अपाकरण					शुद्ध ब्लाक	
	अति शेष	वर्धन	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	अति शेष	वर्ष के लिए	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर												
फ्री होल्ड भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पट्टा धृत भूमिरु	16.16	–	–	–	**16.16**	3.94	0.15	–	–	**4.10**	**12.06**	12.22
फ्री होल्डभवन	46.87	–	–	–	**46.87**	32.18	1.09	–	–	**33.26**	**13.61**	14.71
पट्टा धृत भवन '	645.25	–	–	–	**645.25**	294.01	12.77	–	–	**306.79**	**338.46**	351.24
कम्प्यूटर और उपस्कर	432.09	16.73	0.50	9.46	**438.84**	352.77	27.51	0.07	6.66	**373.57**	**65.27**	79.32
कार्यालयीन और अन्य उपस्कर	269.83	8.26	–	5.06	**273.03**	226.45	11.99	–	4.81	**233.64**	**39.39**	43.38
संनिर्माण उपस्कर	608.53	–	–	5.00	**603.53**	517.37	15.18	–	4.76	**527.79**	**75.74**	91.16
फर्नीचर एवं सज्जा	278.44	8.68	–	16.33	**270.79**	213.35	13.18	–	14.78	**211.75**	**59.04**	65.10
वाहन	39.90	–	–	3.88	**36.02**	36.06	1.83	–	3.68	**34.23**	**1.79**	3.83
योग	**2,337.07**	**33.66**	**0.50**	**39.73**	**2,330.49**	1,676.13	**83.70**	**0.07**	**34.68**	**1,725.13**	**605.36**	660.93
पूर्व वर्ष	2,395.36	87.62	3.89	144.13	**2,337.07**	1,730.24	81.22	0.33	136.49	1,676.13	660.93	

राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं विकास एवं निवेश निगम (रीको) और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) के बीच पट्टा करार (1998) के अनुसार, केंद्रीय कार्यशाला और उपस्कर भंडार की स्थापना करने के लिए ईपीआईएल को 99 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई थी।

*स्थायी आस्तियां में सम्मिलित स्कोप परिसर, नई दिल्ली में भवन के संबंध में कनवेंस विलेख में 374.42 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 374.42 लाख रुपए) की लागत पर कंपनी के नाम से निष्पादन के लिए लंबित हैं।

टिप्पण सं. 2.9 (ii)

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां

(रकम लाख रुपए में)

विवरण	समग्र खंड					अवक्षयण/अपाकरण					शुद्ध ब्लाक	
	अति शेष	वर्धन	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	अति शेष	वर्ष के लिए	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
अमूर्त आस्तियां												
सॉफ्टवेयर (अर्जित)	326.44	10.36	—	—	336.79	258.24	27.81		—	**286.04**	**50.75**	68.20
योग	**326.44**	**10.36**	—	—	336.79	258.24	**27.81**	—	—	**286.04**	**50.75**	68.20
पूर्व वर्ष	247.23	1.09	78.38	—	326.70	227.18	31.32	—	—	258.50	68.20	

टिप्पण सं. 2.9(iii)

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां

(रकम लाख रुपए में)

विवरण	समग्र खंड					अवक्षयण/अपाकरण					शुद्ध ब्लाक	
	अति शेष	वर्धन	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	अति शेष	वर्ष के लिए	समायोजन	विक्रयबट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
अमूर्त आस्तियां (निर्माणाधीन)												
सॉफ्टवेयर (निर्माणाधीन)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.38
योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.38
पूर्व वर्ष	78.38	—	(78.38)	—	—	—	—	—	—	—	—	
चालू वर्ष का कुल योग	**2,663.51**	**44.02**	**0.50**	**39.73**	2,667.28	1,934.37	**111.51**	**0.07**	**34.68**	**2,011.17**	**656.11**	
पूर्व वर्ष का कुल योग	**2,720.97**	**88.71**	**3.89**	**144.13**	2,663.77	1,957.42	**112.54**	**0.33**	**136.49**	**1,934.63**	**729.13**	

*टिप्पण सं. 2.52 पर अतिरिक्त विनियामक सूचना देखें जिसमें अनुसूची III में संशोधनों से संबंधित दनांक 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार विकास एंजिंग के अधीन अर्मूत आस्तियां सम्मिलित हैं।

टिप्पण सं. 2.10

(रकम लाख रुपए में)

आस्थगित कर आस्तियां (निवल)*	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	**(56.11)**	(51.95)
संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	**1,055.84**	819.04
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान (एएस–15)	**374.11**	234.53
अन्य अननुज्ञात	**77.98**	78.85
योग	**1,451.82**	1,080.47

*डीटीए की संगणना करने के लिए अनुप्रयुक्त कर दर 25.168 प्रतिशत है (आय कर 22 प्रतिशत, अधिभार 10 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत है।

टिप्पण सं. 2.11

(रकम लाख रुपए में)

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	
(अप्रत्याभूत, अच्छा समझा गया जब तक कि अन्यथा कथित नहीं है)				
संकर्म के लिए अग्रिम :				
– बैंक गारंटी के सापेक्ष लिया गया संग्रहण अग्रिम	**2,652.27**		2,027.50	
– सामग्री के सापेक्ष प्रत्याभूत	**171.86**		196.42	
– अन्य अग्रिम	**2,249.67**		2,249.48	
अन्य अग्रिम जिन्हें संदेहास्पद माना गया	**656.63**		656.71	
	5,730.43		5,130.11	
घटाएं: संदेहास्पद और अशोध्य अग्रिम के लिए मोक	**(653.47)**	**5,076.96**	(653.47)	4,476.64
कर्मचारीवृंद उधार एवं अग्रिम		**4.14**		6.18
वसूली योग्य अग्रिम कर/टीडीएस	–		0.03	
घटाएं: आयकर के लिए प्रावधान	–	–	–	0.03
अग्रिम कर (विदेशी)		–		–
एमएटी क्रेडिट		–		–
अप्रत्यक्ष कर (वसूली योग्य, इनपुट कर क्रेडिट, अग्रिम)		**2,724.35**		2,954.45
योग		**7,805.45**		7,437.30

टिप्पण 2.12

(रकम लाख रुपए में)

अन्य गैर–चालू आस्तियां	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	
व्यापार प्राप्य*				
प्रत्याभूत अच्छा माना गया	–		–	
अप्रत्याभूत अच्छा माना गया	**5,319.82**		5,236.48	
संदेहास्पद माना गया	**813.13**		813.13	
	6,132.95		6,049.61	
घटाएं: अशोध्य एवं संदेहास्पद वसूलियों के लिए मोक	**(638.99)**	**5,493.96**	(638.99)	5,410.62
प्रतिभूति जमा एवं प्रतिधारण धन	**12,979.53**		11,936.83	
संदेहास्पद माना गया	**880.22**		880.22	
	13,859.75		12,817.05	
घटाएं: अशोध्य एवं संदेहास्पद वसूलियों के लिए मोक	**(880.22)**	**12,979.53**	(880.22)	11,936.83
अन्य आस्तियां				
सावधि जमा:		**96.09**		91.17
ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूली योग्य	**29,711.56**		29,965.93	
संदेहास्पद माना गया	**2,022.48**		1,081.59	
	31,734.04		31,047.52	
घटाएं: अशोध्य एवं संदेहास्पद वसूली योग्य के लिए मोक	**(2,022.48)**	**29,711.56**	(1,081.59)	29,965.93
योग		**48,281.14**		47,404.55

*अनुसूची III में संशोधनों से सबंधित दिनांक 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची के लिए टिप्पण सं. 2.15क देखें।

31.0.3.2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने 96.09 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 91.17 लाख रुपए) की सावधि जमा ग्राहकों/अन्य के पास धरोहर राशि जमा/प्रतिभूति जमा जो ग्राहक द्वारा दिया गया था को सावधि जमा में रखा है जो विवाद के अधीन है यह मामला विचाराधीन है।

टिप्पण सं. 2.13

(रकम लाख रुपए में)

चालू निवेश	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
ईपीआई अर्बन इन्फ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी) के 10 रुपए के 51,000 रुपए (पूर्व वर्ष 51,000 रुपए) के प्रत्येक	–	5.10
घटाएं : निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	–	(5.10)
योग	–	–

टिप्पण सं. 2.14

(रकम लाख रुपए में)

मालसूचियां	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
सामग्रियां : (लागत से निम्न या एनआरवी)		
–इस्पात	**223.32**	210.74
–सीमेंट	**–**	–
–पाइप तथा अन्य	**50.71**	–
योग	**274.03**	210.74

टिप्पण सं. 2.15

(रकम लाख रुपए में)

व्यापार वसूलनीय	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
व्यापार प्राप्य*		
प्रव्याभूत जो अच्छा समझा गया	**–**	–
अप्रत्य भूत जो अच्छा समझा गया	**13,835.10**	13,719.76
संदेहास्पद समझा गया	**–**	–
	13,835.10	13,719.76
घटाएं: अशोध्य एवं संदेहास्पद वसूलनीय के लिए मोक	**–**	–
योग	**13,835.10**	13,719.76

*अनुसूची III में संशोधनों से सबंधित दिनांक 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची के लिए टिप्पण सं. 2.15क देखें।

टिप्पण सं. 2.15क

व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार						31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार					
	संदाय की सम्यक् तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया #						संदाय की सम्यक् तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया #					
	6 मास से कम	6 मास – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग	6 मास से कम	6 मास –	1–2 वर्ष 1 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) अविवादास्पद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	9,139.54	37.00	3,036.87	0.02	4,057.03	16,270.47	11,529.77	179.15	77.82	471.56	3,813.48	16,071.78
(ii) अविवादास्पद व्यापार प्राप्य–संदेहास्पद माना गया	–	–	–	–	292.99	292.99	–	–	–	–	292.99	292.99
(iii) अविवादास्पद व्यापार प्राप्य– अच्छा माना गया	–	–	–	–	2,884.45	2,884.45	–	–	–	–	2,884.46	2,884.46
(iv) अविवादास्पद व्यापार प्राप्य–संदेहास्पद माना गया	–	–	–	–	520.14	520.14	–	–	–	–	520.14	520.14
योग	**9,139.54**	**37.00**	**3,036.87**	**0.02**	**7,754.62**	**19,968.05**	11,529.77	179.15	77.82	471.56	7,511.07	19,769.37

ऐसी सूचना वहां दी जाएगी जहां संदाय के लिए कोई नियत तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की गई है उस दशा में प्रकटन संव्यवहार की तारीख से होगा। उन देयों का प्रकटन अलग से किया जाएगा जिनका बिल नहीं बनाया गया है।

टिप्पण सं. 2.16 (i)

(रकम लाख रुपए में)

नकद और नकद के समतुल्य	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	
नकद और नकद के समतुल्य				
बैंक में शेष				
–चालू खाते में*	27,461.71		17,492.68	
–नियम जमा (3 माह की परिपक्वता तक)**	26,576.09	**54,037.80**	24,330.85	41,823.53
हाथ में नकद		–		–
योग		**54,037.80**		41,823.53

टिप्पण सं. 2.16 (ii)

(रकम लाख रुपए में)

अन्य बैंक शेष	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
नियत जमा#** (3 मास से अधिक परिपक्वता के साथ किंतु 12 माह से कम)	**5,337.03**	10,929.07
योग	**5,337.03**	10,929.07

*चालू खाते में उपरोक्त 26342.47 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 17,226.69 लाख रुपए) ग्रहक की ओर से जमा के रूप में रखे गए हैं।

**सावधि जमा में शेष में से 31079.05 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 34035.76 लाख रुपए) ग्रहक की ओर से जमा के रूप में रखे गए हैं।

#31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने 77.90 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 64.75 लाख रुपये) ग्रहकों/अन्य के पास/धरोहर राशि जमा/प्रतिभूति जमा के रूप गिरवी रखा है।

टिप्पण सं. 2.17

(रकम लाख रुपए में)

लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	
(अप्रत्याभूत अच्छा समझा गया सिवाय अन्यथा कथन के) संकर्म के लिए अग्रिमः				
. बैंक गारंटी के सापेक्ष लिया गया संग्रहण अग्रिम	**450.87**		828.39	
. सामग्री के सापेक्ष प्रत्याभूत	**243.47**		251.75	
. अन्य अग्रिम	**966.23**	**1,660.57**	811.21	1,891.35
अग्रिम कर/वसूली योग्य टीडीएस		**3,407.48**		3,414.34
अप्रत्यक्ष कर (वसूली योग्य, इनपुट कर क्रेडिट, अग्रिम)		**6,897.45**		5,584.69
कर्मचारीवृंद ऋण एवं अग्रिम		**46.78**		42.13
प्राप्य प्रतिभूति, प्रतिधारण एवं धरोहर धन		**7,003.91**		10,825.25
योग		**19,016.19**		21,757.76

टिप्पण सं. 2.18

(रकम लाख रुपए में)

अन्य चालू आस्तियां	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
बैंक जमा पर उपचित ब्याज किंतु देय नहीं	**217.24**	217.68
पूर्व संदत्त व्यय	**105.11**	75.87
ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूली योग्य*	**9,752.49**	26,204.50
राजस्व जिसका बिल नहीं बनाया गया है#	**42,079.72**	48,862.36
योग	**62,154.56**	75,360.41

*इस राशि में विदेश मंत्रालय द्वारा बैंक गारंटी के अवलंबन के प्रति 'विदेशी मुद्रा प्रभाव लाभ/(हानि) को छोड़कर, जिसे ईपीआईएल द्वारा म्यांमार परियोजना में निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया गया था, 7,590 लाख रुपये (पहत्तर करोड़ नब्बे लाख रुपये मात्र) की राशि सम्मिलित है।

'राशि जिनका ग्राहक के प्रति बिल बनाया गया है'' पर प्रगति में कार्य की अधिकता को ''अन्य चालू आस्तियां'' मद के अधीन ''आय जिनका बिल नहीं बनाया गया है'' के रूप में दर्शाया गया है, दूसरी ओर, ''कार्य प्रगति में''में ''राशि जिनका ग्राहक के प्रति बिल बनाया गया है'' की अधिक्य को ''अन्य चालू दायित्व'' मद के अधीन ''संकर्म के लिए अग्रिम आय'' के रूप में दर्शाया गया है (टिप्पण संख्या 2.7 भी देखें)।

टिप्पण सं. 2.19

(रकम लाख रुपए में)

प्रचालनों से राजस्व	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
किए गए कार्य का मूल्य	**84,304.57**	111,729.97
अन्य प्रचालन आय	**92.33**	1,466.30
योग	**84,396.90**	113,196.27

टिप्पण सं. 2.20

(रकम लाख रुपए में)

अन्य आय	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	
निम्नलिखित से अर्जित ब्याज आयः				
बैंक में जमा	**220.57**		36.01	
कर्मचारीवृंद अग्रिम	**1.50**		—	
अन्य (उप–ठेकेदारों/ग्राहक/आयकर प्रतिदाय)	**215.62**	**437.69**	274.08	310.09
अन्य गैर–प्रचालन आयः		—		—
खर्च न किया गया दायित्व/बट्टे खाते में डाला गया शेष	**303.85**		297.79	
प्राप्त दावे	—		27.40	
प्रकीर्ण आय	**650.29**		642.38	
विदेशी मुद्रा विनिमय में फेरफार से लाभ	**86.05**		37.93	
एएस–7 के अनुसार संभावित हानि के लिए प्रावधान को वापस करना	—	**1,040.19**	—	1,005.50
योग		**1,477.88**		1,315.59

टिप्पण सं. 2.21

(रकम लाख रुपए में)

प्रचालन व्यय	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
सिविल, मैकेनिकल और वैद्युत कार्य	**79,237.04**	100,873.67
डिजाइन और सलाहकारी प्रभार	**833.01**	1,673.33
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	**175.33**	167.02
(एएस–7 के अनुसार) संभावित हानि के लिए प्रावधान	**(3.44)**	(288.17)
संदत्त दावे	—	1,282.16
स्वामिस्व	—	1.76
योग	**80,241.94**	103,709.77

टिप्पण सं. 2.22

(रकम लाख रुपए में)

कर्मचारी पारिश्रमिक फायदे	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
वेतन और भत्ते	**5,920.88**	5,988.15
भविष्य निधि एवं उपदान निधियों में अंशदान	**563.82**	631.51
कर्मचारी कल्याण व्यय*	**1,181.79**	809.06
योग	**7,666.49**	7,428.72

*इसके अंतर्गत चिकित्सा व्यय, छुट्टी नकदीकरण दीर्घावधि सेवा पुरस्कार और अन्य कर्मचारी कल्याण व्यय सम्मिलित है।

टिप्पण संख्या 2.23

(रकम लाख रुपए में)

वित्तीय लागत	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
निम्नलिखित को संदत्त ब्याजः		
. बैंक	**240.96**	284.69
. अन्य	**709.73**	98.45
योग	**950.69**	383.14

टिप्पण सं. 2.24

(रकम लाख रुपए में)

अन्य व्यय	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**55.73**	54.64
उपहार एवं दान	—	—
दर और कर	**277.55**	81.59
डाक व्यय और दूरसंचार	**90.55**	101.13
मरम्मत एवं अनुरक्षण		
कार्यालय	**328.46**	312.69
भवन	**10.95**	10.74
अन्य स्थायीआस्तियां	**0.63**	0.11
कम्प्यूटर व्यय	**61.36**	63.78
जल, विद्युत एवं ईंधन प्रभार	**125.09**	119.02
निविदा व्यय	**6.25**	9.71
विज्ञापन एवं प्रचार	**10.78**	15.17
विधिक और व्यावसायिक प्रभार	**542.56**	244.04
संविदा पर परामर्श	—	2.09
बीमा	**26.03**	64.87
मनोरंजन	**11.26**	13.23
बैंक प्रभार	**57.94**	157.18
वाहन चालन एवं अनुरक्षण	**23.26**	27.80
जनशक्ति विकास	**5.07**	0.22
प्रायोजक्ता फीस	**0.55**	2.00
यात्रा एवं अन्य संबद्ध व्यय (घरेलू)	**479.87**	532.47
यात्रा एवं अन्य संबद्ध व्यय (विदेश) $	**10.27**	14.67
सीएसआर एवं संधारणीयता	—	—
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक @	**18.83**	19.44
कारबार संवर्धन	**10.35**	54.76
कार्यालय का किराया	**210.73**	209.83
सदस्यता एवं अभिदान फीस	**1.74**	1.45
फाइलिंग एवं पंजीकरण फीस	**5.16**	4.71
संदेहास्पद कर्ज, ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य के लिए प्रावधान:*	**940.90**	—
संदेहास्पद वसूली के लिए बट्टे खाते में डाली गई राशि	**2.13**	1.08
विदेशी मुद्रा विनियम में फेरफार (लाभ)/हानि	**7.21**	453.19
प्रकीर्ण व्यय	**40.70**	43.86
योग	**3,361.91**	2,615.47

* टिप्पण संख्या 2.26 देखें।

@लेखा परीक्षकों की संदाय के ब्यौरे:

(रकम लाख रुपए में)

लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
लेखापरीक्षा फीस #	**12.02**	15.80
कर लेखापरीक्षा #	**2.21**	3.25
अन्य सेवाएं (प्रमाणन फीस)	**4.60**	0.39
अन्य व्यय	—	—
योग	**18.83**	19.44

लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक बिना जीएसटी के अभिलिखित है।

टिप्पण सं. 2.25

(रकम लाख रुपए में)

पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
आय	—	—
प्रचालन आय	—	—
अन्य आय	—	—
पूर्व अवधि आय का उप–योग (क)		
	—	—
घटाएं : व्यय		
प्रचालन व्यय	—	—
कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदे	—	—
अवक्षयण	—	—
अन्य वित्तीय लागत	**47.95**	—
पूर्व अवधि व्यय का उप–योग (ख)	**47.95**	—
पूर्व अवधि व्यय का योग (निवल) (ख–क)	**47.95**	—

टिप्पण सं. 2.26

(रकम लाख रुपए में)

आकस्मिक दायित्व कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में दावा नहीं किया:	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
1 विधिक और माध्यस्थम की बावत		
क अधिनिर्णयन के लिए लंबित दावे, उसके लिए रकम तब ली गई है जब युक्तियुक्त रूप से उसका पता लगाया जा सके।*	**1,01,952.49**	54,597.14
ख उन मामलों के संबंध में जहां पंचाट कंपनी के पक्ष में प्रकाशित किया गया है किन्तु प्रतिपक्ष ने अपील कर दी है।*	**14,517.49**	14,517.49
योग	**1,16,469.98**	69,114.63
2 विवाद/अपीलों के अधीन पूरे किए गए निर्धारणों के संबंध में आय–कर/विक्रय कर/संकर्म संविदा कर/सेवा कर की मांग के संबंध में	**4,091.21**	4,150.05
3. ग्राहक के निमित्त जारी की गई प्रतिभूतियों के संबंध में	–	–
कुल योग (1+2+3)	**1,20,561.18**	73,264.68

* पूर्वोक्त के विरूद्ध कंपनी के प्रतिस्थानी दावे हैं

ii) **प्रावधानों के ब्यौरे:**

(राशि लाख रुपये में)

विशिष्टियां	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	वर्ष के दौरान संदत्त/ समायोजन	बट्टे खाते में डाले गए प्रावधान	अंत शेष
(i)	**(ii)**	**(iii)**	**(iv)**	**(v)**	**(vi)= (ii+iii-iv-v)**
परियोजना आकस्मिकताएं*	3,254.26	940.90	–	–	**4,195.16**
कर्मचारी हितलाभ	3,636.84	1,119.32	419.80	(7.65)	**4,344.01**
वेतन पुनरीक्षण (तीसरा पीआरसी)	474.93	–	–	–	**474.93**
योग	**7,366.03**	**2,060.22**	**419.80**	**(7.65)**	**9,014.10**
पूर्व वर्ष	7,505.98	671.91	696.25	115.61	7,366.03

*परियोजना आधार पर प्राप्य धनराशि के लिए किया गया प्रावधान (संदेय का निवल)

टिप्पण सं. 2.27

ईआरपी के कार्यान्वयन के लेखे अमूर्त आस्तियों के विकास के लिए निष्पादित शेष संविदाओं की आकलित धनराशि शून्य रुपए (पूर्व वर्ष शून्य रुपए) है।

टिप्पण सं. 2.28

विदेशी मुद्रा में व्यय :

(रकम लाख रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31.03.24 को समाप्त वर्ष	31.03.23 को समाप्त वर्ष
1	प्रचालन व्यय	**2,068.23**	4,244.24
2	व्यावसायिक एवं परामर्शी सेवा प्रभार	**248.61**	28.91
3	विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से हानि	**7.21**	453.19
4	स्थायी आस्तियों का क्रय	–	3.09
5	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय:	–	–
क	यात्रा	**27.25**	65.50
ख	निविदा व्यय	–	–
ग	अन्य	**298.14**	686.47
	योग	**2,649.44**	5,481.40

विदेशी मुद्रा में अर्जन:

(रकम लाख रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31.03.24 को समाप्त वर्ष	31.03.23 को समाप्त वर्ष
1	संकर्म प्राप्तियां	**2,339.51**	4,533.13
2	ब्याज से आय	**9.66**	5.67
3	विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से लाभ	**86.03**	37.93
4	अन्य	**6.84**	65.89
	योग	**2,442.04**	4,642.62

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ओमान से प्राप्त विदेशी मुद्रा 247.70 रुपए जो 3.00 अमरीकी डॉलर के समतुल्य है (पूर्व वर्ष शून्य रूपए जो 763.84 अमरीकी डॉलर के समतुल्य है)।

टिप्पण 2.29

क) कंपनी ने बिना किसी प्रतिभूति के विभिन्न बैंकों से स्वीकृत सीमा 70,161.52 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 75,302.00 लाख रुपये) के सापेक्ष 55,528.82 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 52,838.63 लाख रुपये) की गैर–निधि आधारित क्रेडिट सीमा का उपयोग किया है। उक्त निधि आधारित सीमां पर ब्याज दर "1 वर्ष एमसीएलआर. 20 आधार अंक" प्रति वर्ष है।

ख) ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा 4,554.00 करोड रुपए के लिए प्रदान की गई बैंक गारंटी के बदले में ईपीआईएल ने दिनांक 1,906.64 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के सापेक्ष प्राप्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने दिनांक 09 फरवरी, 2022 के अपने पत्र द्वारा पूरी संविदा (म्यांमार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109. 20 तक पलेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार दो लेन सड़क

के निर्माण की परियोजना) को कार्य निष्पादन न होना बताते हुए समाप्त कर दिया और तदुपरांत 75.90 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी (ईपीआई का हिस्सा – 30.36 करोड़ रुपये और सी एंड सी का हिस्सा – 45.54 करोड़ रुपये) जब्त कर ली। इसके परिणामस्वरूप, ईपीआई ने दिनांक 11 फरवरी, 2022 के अपने पत्र द्वारा अपने उप–ठेकेदार मैसर्स आरके–आरपीपी जेवी (प्रदान किया गया मूल्य 414 करोड रुपये) की संविदा समाप्त कर दी और 20.70 करोड़ रुपये (414 करोड़ रुपये का 5 प्रतिशत) कार्य निष्पादन न होने पर देय के सापेक्ष उसकी बैंक गारंटी जब्त कर ली।

टिप्पण सं. 2.30

लेखांकन मानक 17 के अनुसार प्रकटन

कंपनी ने दो प्रारंभिक खंडों की पहचान की है अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। तदनुसार, खंड सूचना नीचे दिए अनुसार है:

प्रारंभिक खंड सूचना (भौगोलिक)

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	चालू वर्ष (2023–24)				पूर्व वर्ष (2022–23)			
	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	अन–आबंटित	योग	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	अन–आबंटित	योग
कारोबार की किस्म		**संनिर्माण**				**संनिर्माण**		
प्रचालनों से राजस्व	82,057.39	2,339.51	–	84,396.90	1,08,663.14	4,533.13	–	1,13,196.27
अन्य आय	759.82	102.52	615.54	1,477.88	606.26	125.35	584.00	1,315.59
कुल आय	**82,817.21**	**2,442.03**	**615.54**	**85,874.78**	**1,09,269.40**	**4,658.48**	**584.00**	**1,14,511.86**
परिणाम								
कर पूर्व ब्याज, मूल्यह्रास और आय	(2,276.34)	(197.15)	(2,971.60)	(5,445.09)	3,895.58	(606.75)	(2,533.30)	755.52
ब्याज	392.81	–	557.88	950.69	98.44	–	284.69	383.13
मूल्यह्रास	41.33	3.44	66.74	111.51	44.82	3.93	63.79	112.54
कर पूर्व लाभ	(2,710.48)	(200.59)	(3,596.22)	(6,507.29)	3,752.31	(610.68)	(2,881.78)	259.85
करोपरांत लाभ	(2,710.48)	(200.59)	(3,224.87)	(6,135.94)	3,752.31	(611.41)	(3,096.63)	44.27
पूंजीगत व्यय(मूर्त और अमूर्त आस्तियों में परिवर्धन)	24.55	–	19.47	44.02	57.39	3.09	28.23	88.71
अन्य सूचना	**31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार**				31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार			
कुल आस्तियां	1,80,178.81	22,631.56	10,038.85	2,12,849.22	1,76,711.89	33,374.10	10,366.74	2,20,452.73
संपत्ति, संयत्र और उपस्कर एवं अमूर्त आस्तियां (रखाव धनराशि)	139.10	17.60	499.41	656.11	158.24	22.16	548.73	729.13
कुल दायित्व	1,88,033.84	16,884.08	5,674.88	2,10,592.80	1,77,903.20	27,730.04	6,427.10	2,12,060.34

टिप्पण सं. 2.31

लेखांकन मानक 7, 'संनिर्माण संविदाएं' की अपेक्षाओं के अनुसरण में प्रकटनः

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	**31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार**	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
1	प्रचालनों से राजस्व	**84,396.90**	1,13,196.27
2	रिपोर्ट की तारीख तक उपगत संविदा लागत और गणना में लिया गया लाभ	**12,80,970.95**	12,12,658.65
3	प्राप्त अग्रिम	**73,825.67**	66,000.00
4	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों से शोध्य समग्र धनराशि – जिसे आस्ति के रूप में दर्शाया गया है (वह राजस्व जिसका बिल नहीं बनाया गया है)	**42,079.72**	48,862.36
5	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों को शोध्य समग्र धनराशि–जिसे देनदारी के रूप में दर्शाया गया है (संकर्म के लिए अग्रिम राजस्व)	**7,665.55**	4,821.82
6	प्राप्य प्रतिधारण धन	**15,680.28**	19,034.44

टिप्पण सं. 2.32

लेखांकन मानक 15 की अपेक्षाओं के अनुसरण में कर्मचारी फायदों का ब्यौरा

i) परिभाषित फायदा बाध्यता में परिवर्तन **(रकम लाख रुपए में)**

विशिष्टियां	**वर्ष**	**उपदान**	**दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति**	**दीर्घ सेवा पुरस्कार**	**सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा**	**सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता**
		(वित्तपोषित)	**(वित्तपोषित नहीं)**	**(वित्तपोषित नहीं)**	**(वित्तपोषित नहीं)**	**(वित्तपोषित नहीं)**
छूट की दर	23–24	7.20%	7.20%	7.20%	7.20%	7.20%
	22–23	7.40%	7.40%	7.40%	7.40%	7.40%
प्रतिकर स्तरों में वृद्धि की दर/ प्रीमियम मुद्रास्फीति/यात्रा लागत		3.00%	3.00%	–	3.00%	3.00%
आस्तियों पर रिटर्न की संभावित दर	23–24	7.20%	–	–	–	
	22–23	7.40%	–	–	–	–
सेवानिवृत्ति आयु*		60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष
मृत्यु सारणी		आईएएलएम (2012.14) अल्टीमेट	आईएएलएम (2012.14) न्सजपउंजम	आईएएलएम (2012.14) अल्टीमेट	सेवानिवृत्ति पूर्व आईएएलएम (2012.14) अल्टीमेट सेवानिवृत्ति पश्चः एलआईसी (1996.98) अल्टीमेट	आईएएलएम (2012.14) अल्टीमेट
आयु*			कर्मचारी टर्नओवर (%)			
35 वर्ष तक		3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
36 से 45 वर्ष		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
46 से ऊपर		1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

*पूर्व वर्ष के समान

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	वर्ष	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
		(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के प्रारंभ में प्रक्षेपित हितलाभ बाध्यता	23–24	1,532.65	1,390.63	24.05	2,090.38	5.55
	22–23	1,653.14	1,565.98	24.41	1,975.22	4.16
चालू सेवा लागत	23–24	76.01	58.44	1.15	24.40	0.23
	22–23	81.47	58.17	1.14	27.65	0.26
ब्याज लागत	23–24	102.47	102.91	1.55	148.35	0.39
	22–23	101.78	108.05	1.45	131.23	0.27
बीमांकिक (लाभ)/हानि	23–24	35.34	148.03	5.90	506.92	(1.18)
	22–23	32.53	117.19	6.00	92.67	1.61
अर्जन समायोजन	23–24	5.75	7.65	–	–	–
	22–23	–	–	–	–	–
संदत्त हितलाभ	23–24	(249.74)	(284.89)	(7.35)	–	(1.35)
	22–23	(336.27)	(458.76)	(8.94)	(136.38)	(0.75)
पूर्व सेवा लागत	23–24	–	–	–	–	–
	22–23	–	–	–	–	–
वर्ष के अंत में प्रक्षेपित हितलाभ बाध्यता	23–24	1,502.48	1,422.77	25.31	2,770.05	3.65
	22–23	1,532.65	1,390.64	24.05	2,090.38	5.55

ii) योजना आस्तियां के न्यायोचित मूल्य में परिवर्तन (उपदान)

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	2023–24 (वित्तपोषित)	2022–23 (वित्तपोषित)
अवधि के प्रारंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	**1,406.43**	1,562.59
योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न	**95.98**	98.46
वास्तविक अभिदाय	**126.22**	90.54
बीमांकिक लाभ/(हानि)	**(4.40)**	(8.89)
संदत्त हितलाभ	**(249.74)**	(336.27)
अर्जन समायोजन	**5.75**	–
अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	**1,380.25**	1,406.43

iii) तुलनपत्र में मान्यता दी गई

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	वर्ष	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
		(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ बाध्यता	23–24	1,502.48	1,422.77	25.31	2,770.05	3.65
	22–23	1,532.65	1,390.64	24.05	2,090.38	5.55
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	23–24	1,380.25	–	–	–	–
	22–23	1,406.43	–	–	–	–
वित्तपोषित प्रास्थिति आस्ति / (दायित्व)	23–24	(122.24)	(1,422.77)	(25.31)	(2,770.05)	(3.65)
	22–23	(126.22)	(1,390.64)	(24.05)	(2,090.38)	(5.55)
तुलन पत्र में माना गया निवल (दायित्व) / आस्तियां	23–24	(122.24)	(1,422.77)	(25.31)	(2,770.05)	(3.65)
	22–23	(126.22)	(1,390.64)	(24.05)	(2,090.38)	(5.55)

iv) लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता दिए गए व्यय

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	वर्ष	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
		(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
चालू सेवा लागत	23–24	76.01	58.44	1.15	24.40	0.23
	22–23	81.47	58.17	1.14	27.65	0.26
ब्याज लागत	23–24	102–47	102.91	1.55	148.35	0.39
	22–23	101.78	108.05	1.45	131.23	0.27
योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न	23–24	(95.98)	–	–	–	–
	22–23	(98.46)	–	–	–	–
अवधि में माना गया निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	23–24	39.74	148.03	5.90	506.92	(1.18)
	22–23	41.42	117.19	6.00	92.67	1.61
पूर्व सेवा लागत	23–24	–	–	–	–	–
	22–23	–	–	–	–	–
लाभ और हानि लेखे में माना गया कुल व्यय	23–24	122.24	309.37	8.60	679.66	(0.56)
	22–23	126.22	283.41	8.59	251.55	2.14

(v) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–उपदान

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	**31.03.2024**	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
क)	अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ बाध्यता	**1,502.48**	1,532.65	1,653.14	(1,671.42)	1,669.24
ख)	अवधि के अंत में योजनागत आस्ति	**1,380.25**	1,406.43	1,562.59	(1,412.92)	1,524.92
ग)	वित्त पोषित प्रस्थिति	**(122.24)**	(126.22)	(90.54)	(258.50)	(144.32)
घ)	योजनागत दायित्वों पर अनुभवजन्य समायोजन (हानि)/लाभ	**(122.24)**	(126.22)	(90.54)	(258.50)	(144.32)

(vi) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–नकदीकरण

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	**31.03.2024**	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
क)	अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ बाध्यता	**1,422.77**	1,390.64	1,565.98	1,597.51	1,462.65
ख)	अवधि के अंत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषित प्रस्थिति	**(1,422.77)**	(1,390.64)	(1,565.98)	(1,597.51)	(1,462.65)
घ)	तुलन पत्र में माना गया निवल (दायित्व)/आस्ति	**(1,422.77)**	(1,390.64)	(1,565.98)	(1,597.51)	(1,462.65)

(vii) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–दीर्घावधि सेवा पुरस्कार

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	**31.03.2024**	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
क)	अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ बाध्यता	**25.31**	24.05	24.41	22.91	24.09
ख)	अवधि के अंत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रस्थिति	**(25.31)**	(24.05)	(24.41)	(22.91)	(24.09)
घ)	तुलन पत्र में माना गया निवल (दायित्व)/आस्ति	**(25.31)**	(24.05)	(24.41)	(22.91)	(24.09)

(viii) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा लाभ

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	**31.03.2024**	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
क)	अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ बाध्यता	**2,770.05**	2,090.38	1,975.22	1,895.80	1,705.57
ख)	अवधि के अंत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रस्थिति	**(2,770.05)**	(2,090.38)	(1,975.22)	(1,895.80)	(1,705.57)
घ)	तुलन पत्र में माना गया निवल (दायित्व)/आस्ति	**(2,770.05)**	(2,090.38)	(1,975.22)	(1,895.80)	(1,705.57)

(ix) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–छुट्टी यात्रा रियायत

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	**31.03.2024**	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
क)	अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ बाध्यता	**3.65**	5.55	4.16	4.32	5.52
ख)	अवधि के अंत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रस्थिति	**(3.65)**	(5.55)	(4.16)	(4.32)	(5.52)
घ)	तुलन पत्र में माना गया निवल (दायित्व)/आस्ति	**(3.65)**	(5.55)	(4.16)	(4.32)	(5.52)

कंपनी एएस–15 के प्रावधानों के अनुसार उपदान, दीर्घावधिक प्रतिपूरित अनुपस्थिति, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ, दीर्घावधि सेवा पुरस्कार और बीमाकंन के आधार पर सेवानिवृत्ति के पश्चात एक बार यात्रा भत्ता का प्रावधान करती है।

टिप्पण सं. 2.33

संबंधित पक्षकार प्रकटन

कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक 18, ''संबंधित पक्षकार प्रकटन'' के अनुसार संबंधित पक्षकारों के नामों के साथ प्रबंधन द्वारा अभिज्ञात और प्रमाणित संव्यवहार की समग्र धनराशि और वर्ष के अंत में शेष निम्नानुसार है–

(i) भारी उद्योग मंत्रालय ने श्री आर पी सिंह महाप्रबंधक (वित एवं लेखा), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार 6 माह की अवधि के लिए नियमित पदधारी की पद पर नियुक्ति होने तक या अगला आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो सौंपा गया है। श्री आर पी सिंह, निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) ने 18 अक्टूबर 2021 को प्रभार ग्रहण किया। भारी उद्योग मंत्रालय ने निदेशक (वित्त), ईपीआईएल के अतिरिक्त प्रभार को दो बार अर्थात् 15.03.2022 से 14.09.2022 तक 6 मास की और अवधि के लिए या नियमित

पदधारी के पद ग्रहण करने के अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तथा फिर 15.09.2022 से 24.06.2023 तक (उनकी अधिवर्शिता की तिथि) तक या नियमित पदधारी के पद ग्रहण के अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ा दिया। श्री आर.पी. सिंह का कार्यकाल 24.06.2023 को पूर्ण हो गया।

(ii) भारी उद्योग मंत्रालय ने श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईपीआईएल के रूप में दिनांक 01.10.2023 से दिनांक 31.12.2023 से तीन मास की अवधि के लिए या अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईपीआई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। श्री संजय बंगा ने दिनांक 06.10.2023 को पदभार ग्रहण किया। श्री संजय बंगा का कार्यकाल दिनांक 20.11.2023 को पूर्ण हो गया।

(iii) भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 8–08(1)/2020–पीई–VIII/सीपीएसई–III (ई–21792), दिनांक 10.04.2023 द्वारा सुश्री मुक्ता शेखर, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) में शासकीय नामनिर्देशिति निदेशक के रूप में डॉ. रेणुका मिश्रा, आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय के स्थान पर नियुक्त किया।

(iv) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक जिसके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार किया गया था:

- श्री शिवेन्द्र नाथ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (20.11.2023 से)
- श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (01.10.2023 से 20.11.2023 तक)
- श्री डी एस राना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (19.09.2019 से 30.09.2023 तक)
- श्री दिबेन्दु दास, निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ (11.07.2023 से)
- श्री आर पी सिंह निदेशक (वित्त एवं लेखा) (18.10.2021 सें 24.06.2023 तक)
- डॉ. रेणुका मिश्रा, अंशकालिक शासकीय निदेशक (शासकीय नामनिर्देशिति) (30.06.2022 से 10.04.2023 तक)
- सुश्री मुक्ता शेखर, अंशकालिक शासकीय निदेशक (शासकीय नामनिर्देशिति) (10.04.2023 से)
- श्री राजेश कुमार, अंशकालिक शासकीय निदेशक (शासकीय नामनिर्देशिति) (01.11.2021 से)
- श्रीमती आकांक्षा पारे, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) (02.11.2021 से)
- श्री विनोद कुमार यादव, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) (02.11.2021 से)
- श्री अशोक शंकरराव मेंढे, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) (07.03.2023 से)
- श्री अशोक कुमार पात्रा, मुख्य वित्त अधिकारी (01.04.2022 से 10.07.2023 तक)
- श्री नितेश कुमार गोयल, कंपनी सचिव (17.07.2020 से)

(v) ईपीआईएल अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल) को ईपीआईएल की अनुषंगी कंपनी के रूप में 19.5.2016 को निगमित किया गया और अपनी स्थापना से ही कंपनी कामकाज नही कर रही थी। ईपीआईयूआइडीएल के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 361 के अधीन त्वरित परिसमापन की याचिका अनुमोदन के लिए लंबित थी एवं निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करने के उपरांत इस विषय को अप्रैल, 2022 में प्रादेशिक निदेशक (उत्तर), कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष उठाया गया था। याचिका पर विचार करते समय, यह सूचित किया गया है कि दायर याचिका परिसमापन से संबंधित त्वरित प्रक्रिया के लिए उपयुक्त मामला नहीं है और याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन उपलब्ध अन्य कार्रवाई कर सकता है।

तदनुसार वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1)(क) के अधीन ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटाने के लिए एक आवेदन महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष 23.05.2022 को फाइल किया गया है। उस आवेदन के प्रत्युत्तर में, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने ईपीआईयूआईडीएल को दिनांक 30.11.2022/07.12.2022 को कंपनी रजिस्टर (एसटीके–1) से कंपनी का नाम हटाने के लिए नोटिस जारी किया

है। इसके उपरांत ईपीआईयूआईडीएल की हड़ताल के मामले में आरओसी ने दिनांक 21.03.2023 को सुनवाई तय की। सुनवाई के उपरांत, आरओसी ने 21.04.2023 को एसकेटी–5 (कंपनी का नाम हटाने के लिए सार्वजनिक नोटिस) जारी किया और इसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया। आरओसी ने आगे एसटीके–5क (सार्वजनिक सूचना) दिनांक 02.05.2023 को टाइम्स सिटी समाचार पत्र दिनांक 13.06.2023 में प्रकाशित किया गया। तदुपरांत, आरओसी ने दिनांक 20.07.2023 को एसटीके–7 (कंपनी का नाम हटाने और विघटन की सूचना) जारी की और दिनांक 29.07.2023 को शासकीय राजपत्र में इसे प्रकाशित किया। इसके पश्चात इस अनुषंगी कंपनी अर्थात् ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटा दिया गया है और इसका विघटन कर दिया गया है। आज की तारीख में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट में कंपनी की प्रास्थिति ''बंद'' दर्शाई जा रही है।

अनुषंगी कंपनी के साथ संव्यवहारों का ब्यौरा

(राशि लाख रुपये में)

विशिष्टियां	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	प्रकृति
आरंभिक शेष (प्राप्य धनराशि) {क}	2.13	2.13	डेबिट
अनुषंगी कंपनी के निमित्त व्ययों की प्रतिपूर्ति {ख}	–	–	डेबिट
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि {ग}	2.13	–	क्रेडिट
अंतशेष (वसूली योग्य धनराशि) {घ} ख घ = क + ख–ग}	–	2.13	डेबिट

vi) दिनांक 2 अगस्त, 2017 को ईपीआई–सीएंडसी "संयुक्त उद्यम" (अनिगमित), इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार म्यांमार के चिन राज्य में ईपीसी मोड में दो लेन की सड़क के निर्माण का कार्य प्लेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) 0. 00 किलोमीटर से 109.20 किलोमीटर जिसमें सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का 60 प्रतिशत हित और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का 40 प्रतिशत हित है, विरचित किया गया। सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, संयुक्त उद्यम के अग्रणी भागीदार के रूप में कार्य करेगा। "ईपीआई– सीएंडसी संयुक्त उद्यम" को संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन माना गया है।

विदेश मंत्रालय ने दिनांक 09 फरवरी, 2022 के अपने पत्र द्वारा पूरी संविदा (म्यांमार के चिन राज्य में किमी 0. 00 से किमी 109.20 तक पलेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार दो लेन सड़क के निर्माण की परियोजना) को कार्य निष्पादन न होना बताते हुए समाप्त कर दिया। मैसर्स सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड म्यांमार के संयुक्त उद्यम ''ईपीआई – सी एंड सी जेवी (अनिगमित)'' में हम 60 प्रतिशत के स्टेक भागीदार है और हमारे ओमान प्रोजेक्ट में हमारा मुख्य ठेकेदार वर्तमान में एनसीएलटी में दिवालिया कार्यवाही का सामना कर रहा है और यह मामला अग्रिम चरण में है। ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर परिणाम और इसके वित्तीय प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका है।

आगे इसके लिए मैसर्स ईपीआई–सीएंडसी जेवी ने दिनांक 20.02.2024 को विदेश मंत्रालय (ग्राहक) और इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के समक्ष संयुक्त रूप से अपील दायर की है। इस प्रकार 75.90 करोड़ रुपये का दावा ग्राहक से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाया गया है।

vii) भारतमाला परियोजना के अधीन ईपीसी मोड पर, गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर किमी 117. 600 से किमी 185.000 तक मौजूदा चार लेन वाले जेतपुर–गोंडल–राजकोट सेक्शन को छह लेन में चौडीकरण से संबंधित 1204.80 करोड रुपये के कुल परियोजना मूल्य वाली परियोजना के लिए दिनांक 25 अगस्त 2023

को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और वराह इंफ्रा लिमिटेड जोधपुर के बीच एक संयुक्त उद्यम ''ईपीआई–वराह जेवी'' (अनिगमित) का गठन किया गया जिसमें संयुक्त उद्यम के प्रमुख भागीदार के रूप में कार्य करने वाले इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की भागीदारी 51 प्रतिशत और वराह इंडिया लिमिटेड के लिए 49 प्रतिशत की भागीदारी है।

viii) कारबार के सामान्य प्रक्रम में संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित संव्यवहार किए गए।

निदेशकों के पारिश्रमिक के ब्यौरे

(राशि लाख रुपये में)

विशिष्टियां	**2023–24**	2022–23
वेतन* (सेवानिवृत्ति पर संदत्त उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण)	103.11	101.14
मकान किराया/पट्टा किराया	–	–
चिकित्सा व्यय	0.35	0.49
बैठक फीस#	3.55	2.80

* न तो श्री आर. पी. सिंह निदेशक–वित्त (अतिरिक्त प्रभार) और न ही श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) कंपनी में नियोजित थे इसलिए वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान उन्हें कोई वेतन/भत्ते की अदायगी नहीं की गई।

#केवल स्वतंत्र निदेशकों को ही बैठक फीस की अदायगी की गई है।

टिप्पण सं. 2.34

संनिर्माण सामग्री के स्टॉक के मात्रात्मक ब्यौरे इस प्रकार है:

विशिष्टियां	**31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार**		31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	
	मात्रा (एमटी)	**मूल्य (लाख रुपए में)**	मात्रा (एमटी)	मूल्य (लाख रुपए में)
सीमेंट	–	–	–	–
स्टील	483.84	274.03	357.01	210.74
स्टील पाइप	–	–	–	–

टिप्पण सं. 2.35

सीपीएसई विद्यमान समान विलय करते हुए रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया के संबंध में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (''सीसीईए'') के सीसीईए ने 13 फरवरी 2019 को आयोजित अपनी बैठक में दिनांक 17 फरवरी 2016 के निर्णय को संशोधित किया जिसके अनुसार सभी पात्र सीपीएसई एवं निजी क्षेत्र की संस्थाएं विनिवेश की बोली प्रक्रिया में भाग ले सकती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी परिसंपत्ति मुद्रीकरण (दीपम विनिवेश योजना के अधीन) की कार्यकलाप के मानदंडों/प्रक्रियाओं का पालन कर रही है और इस संबंध में समय–समय पर जारी सभी नीतियों/दिशानिर्देषों/ढांचे आदि का पालन करती है।

टिप्पण सं. 2.36

(क) रुद्रपुर (उत्तराखंड) में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संनिर्माण के लिए ईपीआई को एक कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त करने के लिए आयुर्विज्ञान शिक्षा निदेशालय (उत्तराखंड सरकार) (डीएमई) और ईपीआई के बीच

दिनांक 27.03.2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके उपरांत, ईपीआई द्वारा कांन्ट्रेक्टर मैसर्स जेआरए इंफ्राटेक को एलओआई संख्या डीएलआई/सीओएन/883/757 दिनांक 27.08.2021 के द्वारा कार्य सौंपा गया। उत्तराखंड आयुर्विज्ञान शिक्षा निदेशालय को मैसर्स जेआरए इंफ्राटेक को एलओआई जारी करने की सूचना पत्र संख्या एनआरओ/पीएमडी/883/001 दिनांक 31.08.2021 के पत्र द्वारा दी गई थी। फर्जी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण ईपीआई द्वारा दिनांक 31.05.2022 को कांन्ट्रेक्टर मैसर्स जेआरए इंफ्राटेक के साथ करार समाप्त कर दिया गया था। ईपीआई प्रबंधन ने संनिर्माण कार्य के लिए नियुक्त कांन्ट्रेक्टर यानी मैसर्स जेआरए इंफ्राटेक की दोशपूर्ण और धोखाधड़ीपूर्ण संनिर्माण प्रथाओं की पहचान करने पर दिनांक 22.02.2023 को पुलिस स्टेशन मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में डीसीपी–ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई। धोखाधड़ी के उक्त आरोप सिद्ध हुए और एसीपी, ईओडब्ल्यू, नई दिल्ली ने उक्त शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए डीसीपी, दक्षिण जिला दिल्ली को भेज दिया। हालाँकि, बिना कोई कारण बताए, पत्र संख्या 6854/ग्टप्प(5)/2022 दिनांक 04.10.2022 द्वारा उत्तराखंड सरकार ने दिनांक 27.03.2021 को डीएमई और ईपीआईएल के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन रद्द कर दिया था और को दिनांक 10.10.2022 के पत्र के द्वारा उक्त कार्य मैसर्स उत्तराखंड पेयजल संस्थान और निर्माण निगम, उत्तराखंड दे दिया गया था। डीएमई, उत्तराखंड ने अपने दिनांक 06.10.2022 और 14.11.2022 के पत्र द्वारा ईपीआई को निदेश दिया था कि वह ईपीआई के पास उपलब्ध जमा राशि और ब्याज के साथ–साथ विषयांकित कार्य से संबंधित सभी दस्तावेज यथासंभवशीघ्र, आयुर्विज्ञान शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड को वापस कर दे। तदनुसार, ईपीआई ने शेष राशि दो किस्तों अर्थात् दिनांक 28.12.2022 को 526.77 लाख रुपये और दिनांक 24.05.2023 को 1295.68 लाख रुपये में वापस कर दी थी। ईपीआई के पास उपलब्ध 154.56 लाख रुपये और आयुर्विज्ञान शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड को 11.73 लाख रुपये का ब्याज की अदायगी भी कर दी गई थी। इस संबंध में, आयुर्विज्ञान शिक्षा निदेशालय, उत्तराखंड ने पत्र संख्या 150369/XXVIII(5)/2023 (ई–7804) दिनांक 29/08/2023 और 3209/एमई/12/12/2020 दिनांक 04.09.2023 द्वारा ईपीआईएल को 3177.55 लाख रुपये के साथ ब्याज की राशि वापस करने का निदेश दिया है, जिसके लिए प्रबंधन ने बहियों में प्रावधान या आकस्मिक देयताओं की व्यवस्था नहीं की हैं चूंकि मामला उत्तराखंड सरकार के समक्ष विचाराधीन है। इसके साथ ही, ईपीआई ने जेआरए इंफ्राटेक और ईपीआई के बीच लंबित मध्यस्थता में दिनांक 09.05.2024 को मध्यस्थ के समक्ष जेआरए इंफ्राटेक के विरुद्ध 8853 लाख रुपये की राशि के लिए प्रति दावे भी दायर किए हैं। सब–कांट्रैक्टर, मैसर्स जेआरए इंफ्राटेक को संदेय के प्रति ईपीआई की लेखाबहियों में उपलब्ध राशि 867.15 लाख रुपये है और ग्राहक से प्राप्त अग्रिम के रूप में ईपीआई के पास उपलब्ध राशि 420.60 लाख रुपये है।

(ख) मैसर्स एस्टिक एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के साथ किए गए पूर्व संविदा करार (पीसीए) के अनुसार, जापान ईपीआई ने 607.18 लाख रुपये के लिए 1 प्रतिशत संयुक्त उपक्रम बैंक गारंटी (डीजेयूबीजी) का विलेख सीधे ग्राहक जीएससीईएल (गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड) को प्रस्तुत किया है।

टिप्पण सं. 2.37

प्रबंधन ने मूल्यांकन कर पाया कि स्थायी आस्तियों के मूल्य में कोई क्षीणता नहीं आई है। इसलिए 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पण सं. 2.38

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसरण में, कोई कंपनी जो अनुप्रयोज्यता की अवसीमा को पूरा करती है, को निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के दौरान सीएसआर और स्थिरता के लिए कंपनी द्वारा खर्च की गई सकल राशि शून्य (पूर्व वर्ष शून्य रुपये) है।

अनुसूची III में संशोधनों के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 24.03.2021 के अधिसूचना के संदर्भ में, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के सापेक्ष अतिरिक्त विनियामक सूचना इस प्रकार है:

विशिष्टियां		टिप्पणियां
(क)	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित धनराशि	शून्य
(ख)	खर्च की गई धनराशि	शून्य
(ग)	वर्ष के अंत में कमी	शून्य
(घ)	पूववर्ती वर्षों की कमी का योग	शून्य
(ङ)	कमी के कारण	लागू नहीं
(च)	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों की प्रकृति	लागू नहीं
(छ)	संबंधित पक्षकार संव्यवहारों का विवरण उदाहरणार्थ सुसंगत लेखांकन मानक के अनुसार निगम सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित न्यास में अंशदान	लागू नहीं
(ज)	जहां किसी संविदात्मक बाध्यता में प्रविष्टि द्वारा उपगत किसी दायित्व के संबंध में कोई प्रावधान किया गया है, वर्ष के दौरान प्रावधान में की गई गतिविधियां अलग से दर्शायें	लागू नहीं

टिप्पण सं. 2.39

प्रति शेयर आधारिक और कम किए गए अर्जन की संगणना करोपरांत निवल हानि 6135.94 लाख रुपए (पूर्व वर्ष करोपरांत निवल लाभ 44.27 लाख रुपए) को 3,54,22,688 के 10/–रुपए प्रत्येक पूर्णतः संदत्त साम्या शेयरों को विभाजित करके की गई है। इसका विवरण इस प्रकार है:

प्रति शेयर अर्जन	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
आधारिक	(17.32)	0.12
कम किया गया	(17.32)	0.12

टिप्पण सं. 2.40

19 मई, 2016 को ईपीआई की एक अनुषंगी कंपनी को "ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल)" के रूप 10 लाख रुपए की संदत्त पूंजी से निगमित किया गया था, जो ईपीआई द्वारा 51 प्रतिशत, मैसर्स भारत अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सोलापुर द्वारा 39 प्रतिशत और मैसर्स दाराशा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (डीसीपीएल) द्वारा 10 प्रतिशत के साथ भूखंडों आदि के विकास के लिए बनी है।

अनुषंगी कंपनी अपने निगमन से ही प्रचालन नहीं कर रही है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव जिसके अंतर्गत पहले निदेशकों से मिलकर बनने वाला अंतरिम बोर्ड का अनुमोदन है, को सरकार से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था और इसी बीच सरकार ने डीपीआई के सामरिक अविनिधान के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी। क्योंकि सरकार ने अनुषंगी कंपनी की विरचना का समर्थन नहीं किया, ईपीआई ने ईपीआईयूआईडीएल के समापन के लिए स्वैच्छिक समापन/परीसमापन के लिए ईपीआईयूआईडीएल के शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अधीन रहते हुए मंजूरी दे दी और प्रशासनिक मंत्रालय ईपीआईयूआईडीएल को बंद करने के लिए सहमत हो गया। तथापि स्वैच्छिक परीसमापन के लिए 20.1.2017 को आयोजित ईपीआईयूआईडीएल की पहली वार्षिक साधारण बैठक में बीयूआईडीपीएल ने मंजूरी नहीं दी। ईपीआई के अपने शेयरों का अन्य दो शेयरधारकों को प्रस्ताव करने के पश्चातवर्ती प्रयास सफल नहीं हुए थे। ईपीआई के बोर्ड समापन/बाहर निकलने के लिए अन्य विकल्पों के लिए संबंधित प्राधिकारियों से मिलने का विनिश्चय किया। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, ईपीआईयूआईडीएल के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013

की धारा 361 के अधीन, त्वरित समापन की याचिका प्रादेशिक निदेशक के पास मंजूरी के लिए लंबित थी। तदनुरांत इस मामले को प्रादेशिक निदेशक (उत्तर), कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष उठाया गया। प्रादेशिक निदेशक (कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा) सूचित किया गया है कि फाइल की गई याचिका परिसमापन के लिए त्वरित प्रक्रिया के लिए उपयुक्त मामला नहीं है और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कार्रवाई करने के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध है। तदनुसार अधिनियम 2013 की धारा 248(1)(क) के अनुसरण में दिनांक 23.05.2022 को महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटाने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है। उस आवेदन के प्रत्युत्तर में, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने ईपीआईयूआईडीएल को दिनांक 30.11.2022/07.12.2022 को कंपनी रजिस्टर (एसटीके–1) से कंपनी का नाम हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। इसके उपरांत ईपीआईयूआईडीएल की हड़ताल के मामले में आरओसी ने दिनांक 21.03.2023 को सुनवाई तय की। सुनवाई के उपरांत, आरओसी ने 21.04.2023 को एसकेटी–5 (कंपनी का नाम हटाने के लिए सार्वजनिक नोटिस) जारी किया और इसे कारपोरेट कार्य मत्रालय की वेबसाइट पर डाल गया। आरओसी ने आगे एसटीके–5, (सार्वजनिक सूचना) दिनांक 02.05.2023 को दिनांक 13.06.2023 के टाइम्स सिटी समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया। तदुपरांत, आरओसी ने दिनांक 20.07.2023 को एसटीके–7 (कंपनी का नाम हटाने और विघटन की सूचना) जारी की और दिनांक 29.07.2023 को शासकीय राजपत्र में इसे प्रकाशित किया। इसके पश्चात इस अनुषंगी कंपनी अर्थात् ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटा दिया गया है और इसका विघटन कर दिया गया है। आज की तारीख में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट में कंपनी की प्रास्थिति ''बंद'' दर्शाई जा रही है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, निवेश मूल्य को निवेश के सापेक्ष पहले से किए गए प्रावधान में समायोजित किया गया है।

टिप्पण सं. 2.41

सीबीआई ने 06 मामले दर्ज किए हैं और ''कंपनी'' के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है जिसमें उस एफआईआर में ''कंपनी'' को पक्षकार नहीं बनया गया है और इस प्रकार इसके वित्तीय विवरण पर कोई वित्तीय प्रभाव की परिकल्पना नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, सीबीआई ने कंपनी के निधि की धोखाधड़ी/गबन का एक और मामला भी दर्ज किया है, जिसकी अभी जांच चल रही है और उक्त धोखाधड़ी/गबन का इसके वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव है।

तथापि आज की तारीख को उपरोक्त मामले में जांच अभी भी चल रही है।

टिप्पण संख्या 2.42

राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं निकासी बोर्ड (एनडब्ल्यूएसडीबी), श्री लंका (ग्राहक) ने चीनी निर्माता/पूर्तिकार द्वारा ईपीआईएल को प्रदान की गई बबुनिया जल आपूर्ति स्कीम के लिए पूर्ति किए गए एचडीपीई पाइपों को उनकी खराब क्वालिटी के कारण अस्वीकार कर दिया और ईपीआईएल को अच्छी क्वालिटी के पाइपों से बदलने के लिए कहा। ईपीआईएल ने चीनी पूर्तिकार को भुगतान जारी कर दिया था, तथापि ईपीआईएल को करार के निबंधनों के अनुसार एनडब्ल्यूएसडीबी से भुगतान (लगभग 96 प्रतिशत) मिल गया। विनिर्माता के विरुद्ध माध्यस्थम में दिनांक 31.10.2016 को 18.78 करोड रुपए की समतुल्य धनराशि का दावा किया गया है। माध्यस्थ ने दिनांक 29.01.2018 को 17.25 करोड़ रुपए (लगभग) का पंचाट ईपीआईएल को प्रदान किया और अब ईपीआईएल कोलंबो वाणिज्यिक उच्च न्यायालय में मध्यस्थ को डिक्री में परिवर्तित करने के लिए और चीनी विनिर्माता (जियांगसू कुयानलोंग, न्यू मैटेरियल कंपनी लिमिटेड) के विरुद्ध उसे लागू करने के लिए अग्रसर हो गई है।

टिप्पण संख्या 2.43

व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम, ग्राहकों का अग्रिम, प्रतिधारण धन, प्राप्य/संदेय प्रतिभूति जमा और व्यापार संदेय संपुष्टि और मिलान के अधीन हैं। प्रबंधन के मतानुसार, इनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

टिप्पण संख्या 2.44

प्रबंधन के मतानुसार, कारबार के साधारण प्रक्रम में वसूली होने पर चालू आस्तियों का मूल्य तुलन पत्र में किये गये कथनानुसार से कम नहीं है।

टिप्पण संख्या 2.45

क) 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, व्यापार प्राप्य, प्रतिधारण और अन्य वसूली योग्य के रूप में मैसर्स यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से प्राप्त कुल राशि 2352.81 लाख रुपये है, जिसमें विभिन्न विक्रेताओं को संदेय कुल 717.52 लाख रुपये और निवल प्राप्य 1635.29 लाख रुपये है। उपरोक्त राशि 10 वर्ष से अधिक पुरानी है तथा वसूली का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अंतिम निपटान लंबित होने तक, प्रबंधन द्वारा मामले के अनुभव/प्रगति/मूल्यांकन के आधार पर, निवल प्राप्य राशि के लिए 31.03.2024 तक 443.77 लाख का प्रावधान किया गया है तथा शेष राशि वसूली के लिए उपयुक्त मानी गई है। कंपनी ने यूसीआईएल से संबंधित लंबे समय से लंबित विवाद को हल करने के लिए पत्र संख्या डीएलआई/ईपीआई/सीएमडी/मंत्रालय/013 दिनांक 24.04.2024 द्वारा सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी) का रुख किया है। उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने 10 वर्ष से अधिक समय पहले पूरी की गई अन्य परियोजनाओं के लिए 31.03.2024 तक निवल प्राप्य आधार पर 55.81 लाख रुपये का भी प्रावधान किया है।

ख) बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर परियोजना को ग्राहक द्वारा अप्रैल, 2017 में समाप्त कर दिया गया था। 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार उप–अभिकरण से वसूली की जाने वाली धनराशि 4,306.22/– लाख रुपए है, इसे टिप्पण संख्या 2.12 में 'अन्य गैर चालू आस्तियां' के अंतर्गत "ग्राहक, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूली योग्य" के अंतर्गत दर्शाया गया है। यह मामला ग्राहक एवं उप–अभिकरण दोनों के साथ मध्यस्थ के अधीन है।

ग) वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 5 एनएलपीडी दुग्ध संयंत्र, 30 संपूर्ण एमटीपीडी विद्युत संयंत्र एवं सेवा एवं प्रयोगशाला स्थापन के देहरी और सोन में डिजाइन, अपूर्ति, उत्कीर्ण एवं चालू करने से संबंधित 8329.77/–रुपए मूल्य की कुल संविदा का हिस्सा ग्राहक द्वारा समाप्त कर दिया गया। ग्राहक, कॉम्फेड ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कार्य निष्पादन प्रतिभूति के आधार पर 226.96 लाख रुपये की आगत की वसूली की। 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार 657.46/– लाख रुपए की कुल धनराशि जिसके अंतर्गत ग्राहक द्वारा सचल अग्रिम के सापेक्ष अधिक वसूली गई 430.50 लाख रुपये की राशि भी सम्मिलित है, को टिप्पण संख्या 2.12 में '–गैर चालू आस्तियां – ग्राहक, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूली योग्य'' के अंतर्गत दर्शाया गया है। यह मामला माध्यस्थम के अधीन है।

घ) महानदी कोल फील्ड लिमिटेड (एमसीएल) द्वारा ईपीआई को एलओआई संख्या–एमसीएल/एसबीपी/ईएंडएम/2022–23/एलओए–163 दिनांक 18.05.2022 द्वारा 21830 लाख रुपये जिसके अंतर्गत कर भी सम्मिलित है, की लागत पर हिंगुला क्षेत्र, तालचेर में सीएचपी (कोल हैंडलिंग प्लांट) के संनिर्माण का कार्य प्रदान किया गया था। कार्य के विभिन्न पैकेजों के लिए निविदा जारी करने के दौरान, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कार्य बजट को संशोधित किया गया है, तदनुसार 2246.88 लाख रुपये की प्रत्याशित हानि को लेखा बहियों में उपयुक्त रूप से समायोजित किया गया है और कंपनी द्वारा अंगीकृत लेखा नीति संख्या–3 (ई) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लाभ और हानि लेखा में दर्शाया गया है।

ङ) एनटीपीसी द्वारा एलओआई संख्या सीएस–0350–364(आर)–9–एलओए–002 दिनांक 14.08.2019 के द्वारा ईपीआई को 4906.10 लाख रुपये जिसके अंतर्गत जीएसटी को छोड़कर सभी कर और शुल्क सम्मिलित हैं की लागत पर एनटीपीसी मुजफ्फरपुर के संनिर्माण का कार्य प्रदान किया गया था। उक्त परियोजना के कार्य बजट को वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान संशोधित किया गया है, तदनुसार 381.51 लाख रुपए की प्रत्याशित हानि को लेखा बहियों में उपयुक्त रूप से समायोजित किया गया है और कंपनी द्वारा अंगीकृत लेखा नीति संख्या – 3 (ई) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लाभ और हानि लेखा में दर्शाया गया है।

च) 15000 वर्ग फीट में फैले 8वें और 9वें तल के परिसर जो नगरपालिका कक्ष संख्या–50, चौरंगी रोड, कोलकाता–71 में स्थिति है, के पट्टा करार की अवधि 30.09.2015 को समाप्त हो गई है। ईपीआईएल, कोलकाता कार्यालय के लिए पट्टा करार का नवीनीकरण माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष विचाराधीन है। अपीलकर्ता मैसर्स स्क्वायर फोर एसेट्स मैनेजमेंट एंड रीकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने माननीय न्यायालय के समक्ष मामला सं. 2016 का 144 में 2022 का जीए सं 18 दिनांक 08.02.2022 द्वारा ईपीआई से अक्तूबर, 2015 से मार्च, 2022 तक की अवधि से संबंधित 5952.70 लाख रुपये (जिसके के अंतर्गत 2581.27 लाख रुपये ब्याज और 514.28 लाख रुपये जीएसटी भी सम्मिलित है) का दावा किया है। इसके विरुद्ध माननीय एकल पीठ द्वारा दिनांक 03.11.2022 को अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। ईपीआई ने माननीय एकल पीठ के उक्त आदेश के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ में अपील की और उक्त खंडपीठ ने दिनांक 09.06.2023 को माननीय एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कंपनी ने पट्टा किराया के लिए वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 1656.81 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) का उचित प्रावधान किया है, जिसमें 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार 1659.22 लाख रुपये (31.03.2023 तक 1659.22 लाख रुपये) का संचयी प्रावधान है। इसे लेखा टिप्पण संख्या 2.4 में "अन्य व्ययों के लिए प्रावधान" मद के अंतर्गत विधिवत रूप से दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कोलकाता नगर निगम (''केएमसी'') ने विभिन्न संपत्ति कर ताजा/पूरक (यूनिट एरिया/एआरवी) से संबंधित 41,22,480 रुपये के बिल तामील किए जिसका भुगतान तिमाही आधार पर किया जाना था। कंपनी ने वर्ष के दौरान ईआरओ शाखा के टिप्पण संख्या 2.24 में दर और कर मद के अंतर्गत 24,73,488/– रुपये दर्शाये हैं, परंतु केएमसी को अदायगी नहीं की। इस दायित्व के निर्वहन के संबंध में कानूनी राय मांगी गई थी, परंतु उक्त राय के अनुसार कानूनी कार्यवाही अभी तक आरंभ नहीं हुई है।

टिप्पण संख्या 2.46

कंपनी को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) की क्षमता में दिए गए कार्य के संबंध में कार्य के परिमाण में अन्य बातों के साथ संनिर्माण कार्यकलापों के लिए कांट्रेक्टरों की नियुक्ति, कांट्रेक्टरों की मानिटरी और पर्यवेक्षण, नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से कांट्रेक्टरों को भुगतान सम्मिलित है, कंपनी कांट्रेक्टरों के कार्य की संपूर्ण लागत को जिसके अंतर्गत पीएमसी फीस सम्मिलित है, "किया गया कार्य" शीर्ष के अधीन राजस्व के अधीन अपने टर्नओवर के रूप में मान्यता प्रदान करती है और तदनुसार ठेकेदार के कार्य की लागत को कार्य लागत के अधीन मान्यता दी जाती है। ऐसी परियोजनाओं से संबद्ध आस्तियों और दायित्व नियोक्ता के निमित्त न्यास में धारित को कंपनी की आस्ति और दायित्व के रूप में उसके तुलन पत्र में संबंधित मदों के अंतर्गत मान्यता दी जाती है। इसका कंपनी द्वारा निरंतर अनुसरण किया जा रहा है जो अपने संविदाओं को लेखांकन मानक–7 के अधीन लागत जमा संविदा मानती है।

टिप्पण संख्या 2.47

वेतन और अन्य संबंधित लागत के लिए मुख्यालय व्यय 51.31 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 59.94 लाख रुपये) का वित्त वर्ष 2023–24 के लिए ओमान को आबंटित किया गया है जिसमें ओमान के शाखा लेखाओं में इसी व्यय की कटौती का ओमान आयकर नियमों और विनियमों के अनुसार दावा किया गया है।

टिप्पण संख्या 2.48

पट्टेदार के रूप में कंपनी:

कंपनी ने कतिपय कार्यालय और आवासीय परिसरों को परिचालन पट्टा पर लिया है जोकि संबंधित करारों के अनुसार समुचित नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है। वर्ष के दौरान 265.58 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 259.31 लाख रुपए) की धनराशि को इन रद्द किए जा सकने वाले पट्टा प्रचालनों के सापेक्ष दर्शाया गया है।

कंपनी ने कतिपय आस्ति जैसे कार को रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालन पट्टों पर लिया है। वर्ष के दौरान 13.31 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 15.75 लाख रुपए) की धनराशि का इन रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालन पट्टों के सापेक्ष अदायगी की। इन पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा संदाय इस प्रकार है:

(i) 1 वर्ष के पूर्व संदेय 11.91 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 13.59 लाख रुपए)।
(ii) 1 वर्ष के पश्चात किंतु 5 वर्ष से पूर्व संदेय 11.13 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 23.40 लाख रुपए।
(iii) 5 वर्ष के पश्चात संदेय शून्य (पूर्व वर्ष शून्य)

पट्टाकर्ता के रूप में कंपनी:

कंपनी ने कतिपय कार्यालय परिसरों को परिचालन पट्टा पर लिया है जोकि संबंधित करारों के अनुसार समुचित नोटिस देकर रद्द किये जा सकते हैं। वर्ष के दौरान 474.94 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 452.32 लाख रुपए) की राशि को इन रद्द किए जा सकने वाले पट्टा प्रचालनों के सापेक्ष रखा गया है।

इन पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा संदाय इस प्रकार है:

(i) 1 वर्ष के पूर्व प्राप्य 163.50 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 311.43 लाख रुपए)
(ii) 1 वर्ष के पश्चात किंतु 5 वर्ष से पूर्व प्राप्य शून्य (पूर्व वर्ष शून्य)
(iii) 5 वर्ष के पश्चात प्राप्य शून्य (पूर्व वर्ष शून्य)

टिप्पण संख्या 2.49

संयुक्त उद्यम के संबंध में प्रकटनय

क्रम संख्या	संयुक्त प्रचालनों का नाम (अनिगमित)	भागीदार और मूल देश	भागीदारी हित (प्रतिशत में) 31 मार्च की स्थिति के अनुसार	
			2024	2023
1.	ईपीआई–सी एंड सी संयुक्त उद्यम*	सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इंडिया इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड इंडिया	60% 40%	60% 40%
2.	ईपीआई–वराह जेवी #	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, इंडिया वराह इन्फ्रा लिमिटेड इंडिया	51% 49%	– –

*वर्ष के दौरान कंपनी ने मैसर्ज सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को पहले ही दिनांक 17.08.2021 को संयुक्त उद्यम करार को समाप्त करने के संबंध में नोटिस भेज दिया है। विदेश मंत्रालय ने दिनांक 9 फरवरी, .2022 के पत्र द्वारा म्यांमार के चिन राज्य में (प्लेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) पर 0.00 किलोमीटर से 109.20 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार दो लेन की सड़क की संनिर्माण की परियोजना) संपूर्ण संविदा को कार्य निष्पादन न होना बताते हुए समाप्त कर दिया।

मैसर्स सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड म्यामार संयुक्त उद्यम "ईपीआई– सीएंडसी जेवी (अनिगमित)" में हमारा 60 प्रतिशत स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य कांट्रेक्टर एनसीएलटी में इस समय दिवाला कार्यवाहियों का सामना कर रहा है। इसके परिणाम और ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर इसके वित्तीय प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका है।

आगे इसके लिए मैसर्स ईपीआई–सीएंडसी जेवी ने दिनांक 20.02.2024 को विदेश मंत्रालय (ग्राहक) और इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के समक्ष संयुक्त रूप से अपील दायर की है। इस प्रकार 75.90 करोड़ रुपये का दावा ग्राहक से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाया गया है।

भारतमाला परियोजना के अधीन ईपीसी मोड पर, गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर किमी 117.600 से किमी 185.000 तक मौजूदा चार लेन वाले जेतपुर–गोंडल–राजकोट सेक्शन को छह लेन में चौडीकरण से संबंधित 1204. 80 करोड रुपये के कुल परियोजना मूल्य वाली परियोजना के लिए दिनांक 25 अगस्त 2023 को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और वराह इंफ्रा लिमिटेड जोधपुर के बीच एक संयुक्त उद्यम ''ईपीआई–वराह जेवी'' (अनिगमित) का गठन किया गया जिसमें संयुक्त उद्यम के प्रमुख भागीदार के रूप में कार्य करने वाले इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की भागीदारी 51 प्रतिशत और वराह इंडिया लिमिटेड के लिए 49 प्रतिशत की भागीदारी है।

चूंकि यह एक अनिगमित संयुक्त उद्यम है और पूंजी निवेश के लिए ईपीआई ने कोई अंशदान नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त ईपीआईएल ने उक्त संयुक्त उद्यम पर कोई व्यय या आय नहीं की है। इस प्रकार वित्तीय विवरण तैयार करते समय किसी बात पर विचार नहीं किया है।

टिप्पण संख्या 2.50

शेयरधारकों को संदेय लाभांश को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें उसे शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। इस वर्ष अर्थात् 2023–24 के दौरान कंपनी ने अपने शेयरधारकों को किसी लाभांश (पूर्व वर्ष 2022–23 में शून्य) की अदायगी नहीं की है।

टिप्पण संख्या 2.51

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निकायों से शोध्य धनराशि की पहचान कंपनी में उपलब्ध जानकारी के आधार पर की जाती है।

(रकम लाख रुपए में)

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों को संदेय*	**31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार**	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
विशिष्टियां		
i) प्रत्येक लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर किसी आपूर्तिकर्ता का मूलधन एवं उस पर शेष अप्रदत्त ब्याजय	2,509.25	2,697.21
ii) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे आपूर्तिकर्ता को की अदा की गई धनराशि के साथ धारा 16 के निबंधनों में क्रेता द्वारा संदत ब्याज की धनराशिय	शून्य	शून्य
iii) संदाय करने में विलंब की अवधि के लिए शोध्य और संदेय ब्याज की धनराशि (किंतु जिसका वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे संदाय किया गया है) किंतु इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट धनराशि को जोड़ें बिनाय	शून्य	शून्य
iv) प्रत्येक लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर उद्भूत ब्याज एवं शेष अप्रदत्त धनराशिय और	शून्य	9.50
v) यहां तक की पश्चातवर्ती वर्षों में और अधिक शेष शोध्य और संदेय ब्याज की धनराशि, उस तारीख तक जब उपरोक्त शोध्य या ब्याज का वास्तव में लघु उद्यम को इस अधिनियम की धारा 23 के अधीन कटौती योग्य खर्च के रूप में मोक के प्रयोजन के लिए संदाय किया जाता है	शून्य	शून्य

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निकायों से शोध्य धनराशि की पहचान इन निकायों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर तथा कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के परिमाण तक पहचान की जाती है। वर्ष के दौरान किसी भी समय इन पहचान किए गए निकायों के प्रति 45 दिन से अधिक के लिए कोई धनराशि संदेय नहीं थी।

टिप्पण संख्या. 2.52

अनुसूची III में संशोधनों के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की तारीख 24.03.2021 की अधिसूचना के संदर्भ में अतिरिक्त विनियामक सूचना इस प्रकार है:

(i) अचल संपत्ति के जो कंपनी के नाम धारित नहीं है के स्वत्व विलेख:

अचल संपत्ति के जो कंपनी के नाम धारित नहीं है के स्वत्व विलेख के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(रकम लाख रुपए में)

तुलन पत्र में सुसंगत रेखा मद	संपत्ति का विवरण	समग्र वहन मूल्य	जिसके नाम हक विलेख धृत है	क्या हक विलेख धारक कोई संप्रवर्तक, निदेशक या किसी संप्रवर्तक*/निदेशक का संबंधी या संप्रवर्तक/निदेशक का कर्मचारी है	जिस तारीख से संपत्ति धृत्त है	कंपनी के नाम धारण ना करने के कारण**
पीपीई	स्कोप परिसर, नई दिल्ली में भवन	374.42	स्कोर परिसर, नई दिल्ली	नहीं	14–03–1988	संबंधित प्राधिकरण के साथ मामला उठाया गया है
संपत्ति में विनिधान	–	–	–	–	–	–
पीपीई सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त हो गया है और उसे निपटान के लिए धृत किया गया है	–	–	–	–	–	–
अन्य	–	–	–	–	–	–

#यहां नातेदार से कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित नातेदार अभिप्रेत है।

*संप्रवर्तक से कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित संप्रवर्तक अभिप्रेत है।

(ii) इस संबंध में प्रकटन की क्या पुनर्मूल्यांकन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर आधारित है:

वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया।

(iii) संप्रवर्तक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति और संबंधित पक्षकारों को अनुदत्त ऋण अथव अग्रिमों का प्रकटनः

वर्ष के दौरान संप्रवर्तक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति और संबंधित पक्षकारों को कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया गयाः

(iv) चालू पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यू आईपी):

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी में कोई सीडब्ल्यूआईपी विद्यमान नहीं है।

(v) विकासाधीन अमूर्त आस्तियांः

(क) विकासाधीन समयावधि (एजिंग) अनुसूची के अधीन अमूर्त आस्तियों के ब्यौरेः

(रकम लाख रुपए में)

विकासाधीन अमूर्त आस्तियां	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यू आईपी की रकम				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
प्रगति पर परियोजनाः					
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजना	–	–	–	–	–
योग	–	–	–	–	–

(ख) विकास पूर्ण अनुसूची के अधीन अमूर्त असेट्स के ब्योरेः

(रकम लाख रुपए में)

विकासाधीन अमूर्त आस्तियां	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यू आईपी की रकम				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
प्रगति पर परियोजनाः					
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजना	–	–	–	–	–
योग	–	–	–	–	–

(vi) धारित बेनामी संपत्ति के ब्यौरेः

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कोई बेनामी संपत्ति कंपनी द्वारा धारित नहीं है।

(vii) चालू आस्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिया गया उधारः

कंपनी ने समय समय के आधार पर बैंकरों को वही अनंतिम वित्तीय डाटा प्रस्तुत किया है जो शासी मंत्रालय को भी सूचित किया गया है।

(viii) इरातदन चूककर्ताः

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्था या अन्य उधार दाता द्वारा इरातदन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ix) हटा दी गई कंपनियों के साथ संबंधः

कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अधीन या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन बंद की गई कंपनियों के साथ कोई संव्यवहार नहीं किया है।

(x) कंपनी रजिस्ट्रार के साथ प्रभारों या ऋणमुक्ति का रजिस्ट्रीकरणः

सांविधिक अवधि से परे कंपनी रजिस्ट्रार के पास किन्ही प्रभारों या ऋणमुक्ति रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाना है।

(xi) कंपनियों की अनेक लेयरों का अनुपालनः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 का खंड (87) नियंत्रित कंपनी के वर्ग या वर्गों को विहित सीमा से परे अनुषंगी कंपनियां रखने पर निर्बंधन अधिरोपित करता है। उपरोक्त प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xii) विभिन्न अनुपातः

विभिन्न अनुपात का ब्यौरा इस प्रकार हैः

क्र. सं.	अनुपात का प्रकार	सूत्र (अंश गणक/विभाजक)	प्रतिशत/समय में	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23	भिन्नता प्रतिशत में
क)	चालू अनुपात	चालू आस्तियां/चालू दायित्व	कितनी बार	1.16	1.11	4%
ख)	ऋण–साम्य अनुपात	बाहरी व्यक्तियों के दावे/आंतरिक व्यक्तियों के दावे	कितनी बार	31.69	7.09	347%
ग)	*ऋण सेवा कवरेज अनुपात*	*ब्याज कर मूल्यह्रास से पूर्व अर्जन एवं अपाकरण/ब्याज मूलधन*	*कितनी बार*	*(4.72)*	*0.36*	*–1397%*
घ)	साम्या अनुपात पर रिटर्न	करोपरांत लाभ/शेयरधारकों की इक्विटी	%	–173.22:	1.25%	–13960%
ङ)	मालसूची टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की लागत/औसत माल सूची	कितनी बार	331.05	509.51	.35%
च)	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	निवल नकद बिक्री/औसत व्यापार प्राप्य	कितनी बार	4.25	4.95	–14%
छ)	व्यापार संदेय टर्नओवर अनुपात	निवल नकद क्रय/औसत व्यापार प्राप्य	कितनी बार	3.17	2.49	27%
ज)	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	टर्नओवर/नियोजित पूंजी	कितनी बार	4.52	6.6	–31%
झ)	निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ/कुल आय	%	–7.15%	0.04%	–18582%
ञ)	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	करोपरांत लाभ/कुल नियोजित पूंजी	%	–271.93%	0.53%	–51651%
ट)	निवेश पर रिटर्न	आस्तियों के किसी वर्ग से लाभ/ऐसी आस्तियों के वर्ग का बाजार मूल्य	%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

पूर्व वर्श की तुलना में 25 प्रतिशत से अधिक अनुपात में परिवर्तनों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है:

क) **ऋण साम्य अनुपात में**, चालू वर्ष में बाहरी व्यक्तियों के दावे पूर्व वर्ष 595.18 करोड़ रुपये में 715.08 करोड़ रुपये है और चालू वर्ष में अंदरूनी व्यक्तियों के दावे पूर्व वर्ष में 83.92 करोड़ रुपये की तुलना 22.56 करोड़ रुपये हैं। चालू वर्ष में अंदरूनी व्यक्तियों के दावों में कमी के कारण यह अनुपात पूर्व वर्ष की तुलना में अधिक है।

ख) **ऋण सेवा कवरेज अनुपात में**, ईवीआईटीडीए पूर्व वर्ष में 7.58 करोड रुपए की तुलना में चालू वर्ष में कम टर्नओवर कारण चालू वर्ष में –54.44 करोड रुपए है। यह अनुपात पूर्व वर्ष की तुलना ऋणात्मक है।

ग) **साम्य अनुपात में रिटर्न में**, पूर्व वर्ष में 0.44 करोड रुपए के लाभ की तुलना में चालू वर्ष में 61.36 करोड रुपए की हानि है। यह इक्विटी में ऋणात्मक रिर्टन है।

घ) **मालसूची टर्नओवर अनुपात**, चालू वर्ष में बेचे गये माल एवं मालसूची की लागत क्रमशः 802.42 करोड़ रुपये एवं 2.74 करोड रुपए है जबकि पूर्व वर्ष में यह क्रमशः 1037.10 करोड़ रुपये एवं 2.11 करोड रुपए थी। इसके परिणामस्वरूप पूर्व वर्ष की तुलना में इस अनुपात में कमी आई है।

ङ) **व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात में,** चालू वर्ष में प्रचालन व्यय एवं औसत व्यापार प्राप्य क्रमशः 802.42 करोड रुपए और 253.20 करोड रुपए है जबकि गत वर्ष में यह क्रमशः 1037.10 करोड रुपए और 416.76 करोड रुपए था। इसके परिणामस्वरूप पूर्व वर्ष की तुलना में अनुपात में बढ़ोतरी हुई है।

च) **निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात में,** चालू वर्ष में टर्नओवर में कमी के कारण पूर्व वर्ष की तुलना में अनुपात में वृद्धि हुई है।

छ) **निवल लाभ अनुपात में,** पूर्व वर्ष में 0.44 करोड़ रुपये के लाभ की तुलना में चालू वर्ष में 61.36 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इसके परिणामस्वरूप निवल लाभ अनुपात में कमी/ऋणात्मक रहा।

ज) **नियोजित पूंजी के रिटर्न के अनुपात में,** चालू वर्ष में 61.36 करोड रुपए की हानि के कारण जिससे चालू वर्ष में नियोजित पूंजी में कमी हुई है (सूत्र में अंष भाजक मूल्य)। इसके परिणामस्वरूप पूर्व वर्ष की तुलना में यह ऋणात्मक अनुपात है।

(i) व्यवस्थाओं की अनुमोदित स्कीमों का अनुपालनः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से धारा 237 इसके अधीन कंपनी के लिए कोई स्कीम अनुमोदित नहीं की गई है।

(ii) उधार ली गई निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोगः

कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों या निकाय जिसके अंतर्गत विदेशी निकाय (मध्यवर्ती) सम्मिलित हैं, से कोई अग्रिम नहीं लिया है या उधार नहीं लिया है या निधियों (या तो उधार ली गई निधियां या शेयर प्रीमियम या अन्य स्रोत या निधियों की किस्म) का निवेश नहीं किया है।

(iii) अप्रकटित आयः

वर्ष के लिए ऐसा कोई अप्रकटित आय या कोई संव्यवहार नहीं है जिसे लेखाबहियों में अभिलिखित किया गया है।

(iv) क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा के ब्यौरेः

कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा में कोई व्यापार या निवेश नहीं किया है।

टिप्पण संख्या 2.53

(क) दिनांक 05 सितंबर 2023 को, ओमान अरब बैंक ने सीएंडसी (ओमान) एलएलसी– प्रथम प्रतिवादी, अल नबा होल्डिंग एलएलसी– द्वितीय प्रतिवादी, श्री खालिद बिन हामिद बिन सैफ अल बुसैदी (अल नबा होल्डिंग एलएलसी के अध्यक्ष)–तृतीय प्रतिवादी और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड–चतुर्थ प्रतिवादी के विरुद्ध प्रथमतः न्यायालय (मस्कट प्राथमिक न्यायालय) में 14015.82 लाख रुपये (17,908,066.62 अमरीकी डॉलर के समतुल्य) का संयुक्त रूप से या अलग–अलग अदायगी किए जाने का मामला दायर किया और साथ ही ओमान अरब बैंक के पक्ष में ईपीआई द्वारा जारी समनुदेशन पत्र का अनुपालन न करने के कारण, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड पर 6104.70 लाख रुपये (7,800,000 अमरीकी डॉलर के समतुल्य) का दावा दायर किया। पिछली सुनवाई दिनांक 22–04–2024 को हुई और अगली सुनवाई 26–05–2024 तक स्थगित कर दी गई।

(ख) कंपनी ने मुख्य संविदा में दी गई शर्तों के अनुसार ईंधन की कीमतों में वृद्धि और वीजा शुल्क और वैट प्रतिपूर्ति के कारण मार्च, 2023 तक रक्षा मंत्रालय से 4,650,904/– आरओ (94,64,12,454.96 रुपये) का दावा किया। एमओडी ने दिनांक 04.03.2024 को मैसर्स सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की ओर से मस्कट प्राइमरी कोर्ट को 751017 ओएमआर (15,28,24,449.33 रुपये), दिनांक 24.03.2024 को मैसर्स सरोज कंस्ट्रक्शन को 1,844,890.579 ओएमआर (37,54,16,783.92 रुपये) और 27.03.2024 को एमएसए ग्लोबल एलएलसी को 77,089.032 ओएमआर (1,56,86,847.12 रुपये) जारी किए हैं। शेष राशि जल्द ही जारी कर दी जाएगी।

(ग) एमओडी ने सीएंडसी ओमान एल.एल.सी. (सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड – भारत की अनुषंगी कंपनी) द्वारा दायर मामले के संबंध में ओमान सल्तनत के प्राथमिक न्यायालय के निर्देष के अनुसार, आरओ 11.35 मिलियन की राशि रोक दी गई थी। ईपीआई ने वाद संख्या 119/1310/2021 का ब्यौरा एकत्र किया है और मस्कट प्राथमिक न्यायालय में अपील दायर की है। दिनांक 11.06.2023 को प्राथमिक न्यायालय, मस्कट ने सी एंड सी (ओमान) एल. एल.सी. के पक्ष में निर्णय जारी किया है। प्राथमिक न्यायालय द्वारा जारी निर्णय को चुनौती देते हुए ईपीआई ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की थी और 17 अगस्त, 2023 को न्यायालय में इस अपील पर सुनवाई होनी थी। आगे सी एंड सी (ओमान), एलएलसी ने दिनांक 13.03.2023 को ने इस चल रहे वाणिज्यिक वाद 119/1310/2021 से सहबद्ध ओमान सल्तनत में ईपीआई के सभी लेखाओं, निधियों और बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन को जब्त करने के लिए याचिका (294/4104/294) दायर कर दी और प्राथमिक न्यायालय, मस्कट ने दिनांक 14.03.2023 को ओमान में ईपीआई के बैंक खातों को फ्रीज करने का न्यायिक निर्णय 124/2023 जारी किया तथा सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान (सीबीओ) को भी इस निर्णय को लागू करने को कहा। तदनुसार, 15 मार्च 2023 को सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और निष्क्रिय कर दिए गए। इसके अतिरिक्त, दिनांक 27.03.2023 को, ईपीआई ने ओमान में ईपीआई के बैंक खातों को अनफ्रीज करने के लिए प्राथमिक न्यायालय में याचिका दायर की। इसकी सुनवाई दिनांक 16. 04.2023 को पूरी हुई और दिनांक 01.05.2023 को, माननीय प्राथमिक न्यायालय ने मैसर्स सीएंडसी ओमान एलएलसी द्वारा दायर मामले में ईपीआई बैंक खातों को फ्रीज करने के दिनांक 14.03.2023 के आदेश को रद्द करने का निर्णय जारी किया। दिनांक 14.05.2023 को मैसर्स सीएंडसी (ओमान) एलएलसी ने प्राथमिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की। दिनांक 06.07.2023 को मैसर्स सीएंडसी (ओमान) एलएलसी ने ईपीआई के पक्ष में प्राथमिक न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के अधिक्रमण वाली अपील प्रस्तुत की और न्यायालय ने इसे स्वीकार कर ली। अपील न्यायालय से इस निर्णय की प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ईपीआई ने इस निर्णय पर विधिक सलाहकार के साथ पुनराविलोकन करने के उपरांत इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का प्रस्ताव रखा है। इसके अतिरिक्त, महामहिम के कार्यालय के हस्तक्षेप और एमओडी के सहयोग से निांक 09.01.2024 को मस्कट प्राथमिक न्यायालय, एमओडी, ईपीआई, अल–नबा के प्रतिनिधि और दोनों पक्षकारों के वकीलों ने सुलह अभिलेख पर हस्ताक्षर किए और मस्कट प्राथमिक न्यायालय द्वारा मामला बंद कर दिया गया और दिनांक 19.03.2024 को ईपीआई बैंक खाते बैंकिंग प्रचालन के लिए खोल दिए गए।

(घ) मैसर्स एमएसए ग्लोबल एलएलसी, जो हमारे उपठेकेदार हैं, ने दिनांक 12.04.2023 को आईसीसी में मध्यस्थता के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। आईसीसी द्वारा दिनांक 18.04.2023 को अधिसूचना जारी की गई। मैसर्स एमएसए ग्लोबल और ईपीआई ने क्रमशः अपनी ओर से मध्यस्थ नियुक्त कर लिए हैं और तीसरा मध्यस्थ उनके द्वारा नियुक्त किया गया है। एमएसए ग्लोबल एलएलसी ने ईपीआई के विरुद्ध 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर (382 करोड़ रुपये) का दावा किया है और ईपीआई ने आईसीसी सिंगापुर में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (41 करोड़ रुपये) का प्रति दावा प्रस्तुत किया है। इस मामले में आईसीसी द्वारा जारी प्रक्रियात्मक समय सारिणी के अनुसार याचिका/दस्तावेजीकरण प्रक्रिया चल रही है।

टिप्पण संख्या 2.54

(क) 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने इन दायित्वों की प्रकृति को बेहतर ढंग से दर्शाने और आंतरिक रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए अपने व्यापार संदायों को पुनर्समूहित किया है।

इस पुनर्वर्गीकरण के परिणामस्वरूप प्रस्तुति में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

पूर्व में (31.03.2023) व्यापार संदायें के अंतर्गत दर्शाये गए 80324.87 लाख रुपये पुनर्वर्गीकृत किये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप 23188.86 लाख रुपये शेष हैं।

पूर्व में (31.03.2023) "ग्राहकों को अन्य संदेय" के अंतर्गत दर्शाये गए 783.87 लाख रुपये "ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य को अन्य संदेय" के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 67554.71 लाख रुपये शेष हैं।

यह समायोजन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि ये वित्तीय विवरण, कंपनी की वित्तीय स्थिति और उसके कार्य निश्पादन और अधिक सटीक रूप से प्रस्तुत हो सके।

(ख) चालू वर्ष 2023–24 के दौरान 01.04.2023 से पीसीओ भुवनेश्वर का कारबार, आदेश संख्या डीएलआई/एचआरएम/एमपीपी/001 दिनांक 05.06.2023 द्वारा ईआरओ कोलकाता को स्थानांतरित कर दिया गया है। तदनुसार पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।

(ग) पूर्व वर्ष के अंको का पुनवर्गीकरण, पुनः समूहीकरण कर लिया गया है और चालू वर्ष के वर्गीकरण/समूहीकरण के अनुरूप करने के लिए उन्हें पुनः तैयार किया गया है।

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

कृते वीएसडी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 008726एन
ह0/–
(सीए हेमा डुडेजा)
भागीदार
सदस्यता सं. 501001

ह0/–
(दिबेंदु दास)
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएनः 10234285

ह0/–
(शिवेन्द्र नाथ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 10397812

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 25 जुलाई, 2024
यूडीआईएनः 24501001बीकेईईएनडी9520

ह0/–
(अशोक कुमार पात्रा)
समूह महाप्रबंधक (वित्त)

ह0/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: एएमजी-III/2(35)/वार्षिक लेखा/
ईपीआईएल/(2023-24)/2024-25/244
दिनांक: 26 SEP 2024

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
कोर-3, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003

विषय : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के वार्षिक वित्तीय लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

भवदीया,

एस. ए. पंडा
(एस. आह्लादिनी पंडा)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdaica@cag.gov.in

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा (6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसा कथन किया गया है कि उनके द्वारा 25 जुलाई, 2024 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के द्वारा ऐसा किया गया है।

मैने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यशील पेपरों तक बिना किसी पहुंच के की गई है और यह सांविधिक लेखा परीक्षक तथा कंपनी के कार्मिक और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात सामने नहीं आई है, जिस पर अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करनी पड़े या जो अनुपूरक हो।

कृते भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
और उसकी ओर से

ह0/–
(एस. अहल्लादिनी पांडा)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 26.09.2024